एकादश माला, खंड 2, अंक 8

बुधवार, 12 जून, 1996
22 ज्येष्ठ, 1918 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

पहला सत्र – भाग दो
(ग्यारहवीं लोक सभा)

(खण्ड 2 में अंक 6 से 8 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्यः पचास रूपये

लोक सभा के 12 जून, 1996 के
वाद-विवाद (हिन्दी संस्करण) का शुद्धि पत्र

.....

कालम	पंक्ति	के स्थान पर	पढिए
11	नीचे से 15	परियड	पीरियड
15	2	(गढवाला)	(गढवाल)
27	नीचे से 14	अमराह्न	अपराह्न
30	19	"एक प्रमुख धाराओं को" का लोप करें ।	
41	7	श्री कन्नठा रामैय्या	श्री पी॰कोंदंड रमैया
45	10	(श्री एस॰आर॰बोम्बई)	(श्री एस॰आर॰बोम्मई)
62	नीचे से 14	"एस॰वाई॰एल॰" के बाद "की याद आई" जोड़े ।	
96	10	मध्याह्न 4॰00बजे	अपराह्न 4॰00 बजे
98	नीचे से 12	यह बता 1989	यह बात 1989
107	नीचे से 13 एवं 9	मिश्रा	मिश्र
132	13	राजनीति नहीं	राजनीति से नहीं

सम्पादक मण्डल

श्री सुरेन्द्र मिश्र
महासचिव
लोक सभा

श्रीमती रेवा नैयर
संयुक्त सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्री प्रकाश चन्द्र भट्ट
मुख्य सम्पादक
लोक सभा सचिवालय

श्री केवल कृष्ण
वरिष्ठ सम्पादक

श्रीमती वन्दना त्रिवेदी
सम्पादक

श्रीमती सरिता नागपाल
सहायक सम्पादक

श्री देवेन्द्र कुमार
सम्पादक

श्री मुन्नी लाल
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

एकादश माला, खंड 2, पहला सत्र-भाग दो, 1996/1918 (शक)
अंक 8, बुधवार, 12 जून, 1996/22 ज्येष्ठ, 1918 (शक)

विषय	कालम
निधन संबंधी उल्लेख	1—2
सभा पटल पर रखा गया पत्र	23
नियम 377 के अधीन मामले	24—27
(एक) उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में पलियाकलां में हवाई पट्टी शीघ्र चालू करने की आवश्यकता डा. जी.एल. कनौजिया	24
(दो) मध्यप्रदेश में पेयजल की विकट समस्या को हल करने के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान करने की आवश्यकता डा. सत्यनारायण जटिया	24
(तीन) दिल्ली और अजमेर के बीच नवनिर्मित बड़ी लाइन पर एक नई रेलगाड़ी चलाये जाने की आवश्यकता प्रो. रासा सिंह रावत	24—25
(चार) 14 मई, 1996 को केरल में चेप्पड़ में हुई रेल दुर्घटना में हताहत लोगों को मुआवजा देने की आवश्यकता श्री वी.एम. सुधीरन	25
(पांच) पश्चिम बंगाल में हावड़ा स्थित नेशनल जूट मिल के कामगारों का दैनिक कार्य-समय पुनः आठ घंटे करने की आवश्यकता श्री प्रिय रंजन दास मुंशी	25
(छः) बिहार में पुपरी और सीतामढ़ी टेलीफोन एक्सचेंजों में स्थानीय टेलीफोन सुविधा फिर से चालू करने की आवश्यकता श्री नवल किशोर राय	26
(सात) उत्तर प्रदेश में डुमरियागंज के गन्ना उत्पादकों को बकाया राशि का शीघ्र भुगतान करने की आवश्यकता श्री बृज भूषण तिवारी	26
(आठ) उत्तर प्रदेश में फतेहपुर में बेहतर सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान करने की आवश्यकता श्री विशम्भर प्रसाद निषाद	26—27
मंत्रि-परिषद् में विश्वास का प्रस्ताव—जारी स्वीकृत	
श्री पी. चिदम्बरम	27—38
प्रो. रीता वर्मा	38—52
कुमारी ममता बनर्जी	52—60
श्री सुरेन्द्र सिंह	60—62
श्री जी.जी. स्वैल	62—65
श्री अलेमाओ चर्चिल	65—66
श्री एस. बंगारप्पा	66—67
श्री लुइस इस्लेरी	67—68
श्री जी.एम. बनातवाला	68—70
श्री नारायण दत्त तिवारी	70—74
श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी	75—76

विषय	कालम
श्री गुलाम रसूल कार	76--80
श्री पी.वी. नरसिंह राव	81--91
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	91--116
श्री एच.डी. देवेगौड़ा	116--130
विदाई उल्लेख	131--132
राष्ट्रीय गीत	132

लोक सभा

बुधवार, 12 जून, 1996/22 ज्येष्ठ, 1918 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[अनुवाद]

निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण मुझे सभा को अत्यंत दुःख के साथ हमारे दो भूतपूर्व साथियों सर्व श्री श्याम लाल कमल और राघवेन्द्र सिंह के दुःखद निधन के बारे में जानकारी देनी है।

श्री श्याम लाल कमल वर्ष 1991-96 के दौरान उत्तर प्रदेश के बस्ती संसदीय क्षेत्र से दसवीं लोक सभा के सदस्य थे।

उन्होंने अपना जीवन सरकारी सेवा से प्रारम्भ किया। एक योग्य प्रशासक, श्री श्याम लाल कमल ने सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाले युवाओं का मार्गदर्शन किया। उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें राष्ट्रपति का पुलिस पदक और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ताम्रपत्र प्रदान किया गया था।

वे एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता थे, और उन्होंने पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए कार्य किया था।

वे एक अच्छे लेखक थे और उन्होंने डिटेक्शन आफ कराइम थ्रु एस्ट्रोलॉजी, 'मैन मैनेजमैंट', 'मैन्नर एण्ड एटिकेट' आदि कुछ पुस्तकें और पुलिस नियमों और विनियमों पर कुछ लेख लिखें।

श्री श्याल लाल कमल का निधन 30 मई, 1996 को 66 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में हुआ।

श्री राघवेन्द्र सिंह वर्ष 1977-79 के दौरान उत्तर प्रदेश की उन्नाव संसदीय क्षेत्र से छठी लोक सभा के सदस्य थे। इससे पहले, वर्ष 1974-77 के दौरान वे उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य रहे।

पेशे से कृषक, श्री राघवेन्द्र एक सक्रिय सामाजिक और राजनैतिक कार्यकर्ता थे और वे कृषि श्रमिकों के कल्याण संबंधी संगठनों से जुड़े हुए थे।

श्री राघवेन्द्र सिंह का निधन 63 वर्ष की आयु में 5 जून, 1996 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में बांगर मऊ में हुआ।

हम इन मित्रों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं और मुझे विश्वास है कि यह सभा शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करने में मेरे साथ है।

अब सभा दिवंगत सदस्यों के सम्मान में कुछ देर के लिए मौन खड़ी होगी।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण चूंकि आज सत्र का अंतिम दिन है और आप एक माह के लिए चले जायेंगे, मेरे विचार से, संसद सदस्यों के लिए अपने क्षेत्रों से संबंधित या अन्य कतिपय समस्याओं के बारे में बताना बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए, मैंने आज शून्यकाल की व्यवस्था करने का निर्णय किया है। अतः इसलिए आज भोजनावकाश नहीं होगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, मतदान कब होगा?

अध्यक्ष महोदय : इस प्रस्ताव पर मतदान अपराह्न 3 बजे के आस पास होगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, कृपया इसे निश्चित करे ताकि हम व्यवस्था कर सके।

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर) : महोदय, मैं श्री सोमनाथ चटर्जी से सहमत हूं। कल जबकि सभा की कार्यवाही का देश भर में सीधा प्रसारण किया जा रहा था सभा में भोजनावकाश के लिए जो बावेला किया जा रहा था वह बहुत ही शर्मनाक था। कृपया आप पहले ही यह निर्णय कर लीजिए कि भोजनावकाश होगा अथवा नहीं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही कह दिया है कि आज भोजनावकाश नहीं होगा क्योंकि मैं शून्य काल की अनुमति प्रदान कर रहा हूं।

श्री संतोष मोहन देव : धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : श्री संतोष गंगवार।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं एक-एक करके बुला रहा हूं। आपकी बारी भी आयेगी।

[हिन्दी]

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली) : अध्यक्ष महोदय, पूरे उत्तर प्रदेश में गन्ना किसान खेतों में गन्ना खड़ा होने के कारण बहुत परेशान हो रहे हैं। अकेले मेरे निर्वाचन क्षेत्र में जहां चार चीनी मिलें है, चारों चीनी मिलें इस समय बंद है और करीब दस लाख क्विंटल गन्ना खेतों में खड़ा है। चीनी मिल अधिकारियों ने प्रशासन के साथ सांठ-गांठ करके चीनी मिलें बंद कर दी और जो गन्ना खेतों में खड़ा है उसकी वजह से किसान बहुत परेशान है। आज मेरे जनपद में किसान आंदोलन कर रहे हैं, फैक्टरियों के आगे धरना दे रहे हैं पर उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से कहना चाहूंगा कि इसमें हस्तक्षेप करें और उत्तर प्रदेश में सारी चीनी मिलें तब

तक चलायी जाएं जब तक गन्ना खेतों में मौजूद हो। मैं चाहता हूं कि इस ओर विशेष ध्यान दिया जाए और गन्ना किसानों की समस्या को हल करने की दिशा में सरकार प्रभावी कदम उठाए।

श्री राम नगीना मिश्र (पडरौना) : अध्यक्ष महोदय, पूरा सदन इससे सहमत होगा कि उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों की जो हालत है वह शायद संसार में कहीं नहीं है। खास तौर से मैं अपने क्षेत्र का वर्णन कर रहा हूं। हमारे क्षेत्र में भारत सरकार की कपड़ा मंत्रालय से संबंधित तीन चीनी मिलें है– पडरौना, कटकुंजा और गौरी। यूं तो उत्तर प्रदेश में अरबों रुपया किसानों का गन्ने का मूल्य बकाया है, लेकिन हमारे निर्वाचन क्षेत्र में भारत सरकार की कपड़ा मंत्रालय की जो मिलें हैं, उन पर 30 करोड़ रुपया बकाया है और हफ्तों से लोगों ने धरना दिया है, आमरण अनशन का नोटिस दिया है, परन्तु पेमेण्ट नहीं हो रही है। आधे दाम पर कोई पर्ची गिरवी रखने को तैयार नहीं है। हाहाकार मचा हुआ है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा और पूरा सदन इससे सहमत होगा कि मंत्री जी इस पर जिम्मेदारी से जवाब दे कि गन्ना किसानों के मूल्य की पेमेण्ट कब तक होगी। वहां की चीनी मिलें चलेंगी या नहीं और खास तौर से भारत सरकार की जो चीनी मिलें है वह चलेंगी या नहीं इसका भी जवाब सरकार दे।...**(व्यवधान)**

श्री राजीव प्रताप रूडी (छपरा) : यह विषय बहुत गंभीर है।

अध्यक्ष महोदय : विषय गंभीर है इसीलिए मैं अलाउ कर रहा हूं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया उनके भाषण में व्यवधान न डालिए। कृपया बैठ जाइए। कृपया अब अपना भाषण समाप्त कीजिए।

[हिन्दी]

श्री राम नगीना मिश्र : भारत सरकार यह भी बताए कि भारत सरकार की जो चीनी मिलें हैं अगर वह भविष्य में चलने वाली नहीं है तो गन्ना किसानों का क्या होगा। इसलिए-मैं भारत सरकार से हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा कि संबंधित मंत्री से इस पर बयान जरूर दिलवाइए।...**(व्यवधान)**

श्री राजीव प्रताप रूडी : अध्यक्ष महोदय, दो चीनी मिलें बिहार में भी है।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

हम उसी विषय पर चर्चा कर रहे है। हम...की बात नहीं कर रहे हैं...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया उचित व्यवहार कीजिए। आप नियमों का पालन क्यों नहीं करते। मैं सभी को एक एक करके बुला रहा हूं। आप धैर्य क्यों नही रखते?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं सभी को अनुमति दे रहा हूं। आपको इस तरह से व्यवहार नहीं करना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि आज अंतिम दिन है, मैं सभी को बोलने की अनुमति प्रदान करूंगा। आप ऐसे व्यवहार क्यों कर रहे हैं?

[हिन्दी]

श्री छत्रपाल सिंह (बुलन्दशहर) : अध्यक्ष महोदय, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे मुख्य फसल गन्ना है और आज भी हालत यह है कि वह मिलों में पेरा नहीं जा रहा है। अब भी किसानों की 25 प्रतिशत फसल खड़ी है। फसल का वजन सूख रहा है और साथ साथ किसानों का खून भी सूख रहा है। जो गन्ना जनवरी से मई तक मिलों में भेजा गया था, उसका कोई भी पैसा अभी किसान को नहीं दिया जा रहा है। पांच महीने का पेमेण्ट लगभग हर मिल पर 20 करोड़ के आस पास उधार है। किसानों को उसका ब्याज नहीं मिल रहा है। किसान पर अगर पांच हजार रुपए का कर्ज भी है तो उसको जेल में डाला जा रहा है। यह दोहरी मार उत्तर प्रदेश के किसानों पर पड़ रही है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि किसानों पर ब्याज माफ किया जाए और छोटे कर्जों के लिए किसान को जेल न भेजा जाए और जो गन्ने का पेमेण्ट बकाया है उसका शीघ्र ही पेमेण्ट दिलाया जाए।

श्री प्रभु दयाल कठेरिया (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, इतने दिनों की आजादी के बाद भी आज भारतवर्ष के अंदर इंडिया का सर्वसम्मति से हर वास्ते हर चीज उपलब्ध है। आज देश का हर व्यक्ति प्यासा मर रहा है। हमारे क्षेत्र के अंदर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आगरा और फिरोजाबाद के अंदर आए दिन जाम हो रहे हैं। कहीं एक बूंद पानी नहीं मिल रहा है। बिजली और पानी की इतनी किल्लत हो गई है। आए दिन सड़क जाम करने के बावजूद भी अधिकारियों के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। इसलिए अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में बिगड़ती हालत को ठीक करने के लिए पानी और बिजली की व्यवस्था शीघ्रातिशीघ्र कराई जाए, जिससे पेयजल का भंयकर संकट मिटाया जा सके।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : अध्यक्ष महोदय, बांकुरा–दामोदर नदी रेलवे सैक्शन में रेल सेवाओं को मार्च, 1996 से निलंबित कर दिया गया है। यह एक छोटी लाइन है जो बांकुरा और बर्दवान दो महत्वपूर्ण जिलों को जोड़ती है। यद्यपि यह लाइन एक प्राइवेट कम्पनी की है किंतु इसे भारतीय रेलवे द्वारा चलाया जा रहा है। यह लाइन 1967 से चलाई जा रही है और रेलगाड़ियां पुराने भाप इंजिनों द्वारा चलाई जा रही है। भाप रेल इंजिन, जो रेलवे द्वारा प्रयोग किए जा रहे थे, वे सभी निर्धारित समय से पुराने हो चुके हैं। इस संबंध में मांग की जा रही है कि इन सभी पुराने भाप इंजिनों के स्थान पर छोटी लाइन के डीजल इंजिन लगाये जाये। यह एक छोटी लाइन है। फिर भी यह

एक बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। यह पश्चिम बंगाल के चावल उत्पादक क्षेत्रों से होकर गुजरती है और उस क्षेत्र में रेल सेवाओं के निलंबन के कारण, बांकुरा के लोग बहुत उत्तेजित है। 15 जून को वे **रेल रोको** आंदोलन करने जा रहे हैं। आज मुझे उस क्षेत्र से टेलीफोन पर एक संदेश मिला है कि रेल प्राधिकारियों ने 25 जून से इस सैक्शन को बंद करने का निर्णय किया है। यदि उस लाइन को बंद कर दिया गया तो बांकुरा और बर्दवान दोनों जिलों को बहुत कठिनाइयां का सामना करना पड़ेगा।

मैं यह मांग करता हूं कि उस सैक्शन पर रेल सेवाओं को डीजल इंजिन प्रदान करके तुरन्त पुनः चालू किया जाना चाहिए। छोटी लाइन के डीजल इंजिन उपलब्ध है और उसके लिए एक भी पैसा निवेश करने की आवश्यकता नहीं है। छोटी लाइन के डीजल इंजिन नागपुर में उपलब्ध हैं जहां छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदला गया है। उस छोटी लाइन को अपने अधिकार में लेकर बड़ी लाइन में परिवर्तित किए जाने की आवश्यकता है।

मैं माननीय रेल मंत्री से अनुरोध करता हूं कि उस सैक्शन पर रेल सेवाएं तत्काल पुनः आरम्भ की जाएं। मैं उनसे यह भी अनुरोध करता हूं कि उस लाइन को अपने अधिकार में लेकर व राष्ट्रीयकरण करके अगले बजट में छोटी लाइन से बड़ी लाइन में परिवर्तित किया जाए।

[हिन्दी]

श्री जयप्रकाश अग्रवाल (चांदनी चौक-दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में बिजली और पानी की कमी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कानों में रूई डालकर बैठी हुई है।...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आपने नोटिस नहीं दिया।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री अग्रवाल, आपने नोटिस नहीं दिया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपको नोटिस देना चाहिए था। आपने नोटिस नहीं दिया।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री अग्रवाल, आप कोई नए सदस्य नहीं हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)*

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपने नोटिस क्यों नहीं दिया?

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप इतने लापरवाह नहीं हो सकते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री संतोष मोहन देव, कृपया आप अपने सदस्य को समझाइए कि यह तरीका नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया इस तरह से व्यवधान मत डालिए। अगर आप कुछ अति महत्वपूर्ण विषयों को उठाना चाहते हैं तो आपको नोटिस देना चाहिए था। अब आप बैठ जाइए। आप इस प्रकार से खड़े नहीं हो सकते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। जब मैं खड़ा हूं तो आप खड़े नहीं हो सकते हैं। मैं सिर्फ उन सदस्यों को बोलने की अनुमति दे रहा हूं जिन्होंने नोटिस दिये हैं। अब मैं इसे बदल नहीं सकता हूं।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : अध्यक्ष महोदय, विगत लोक सभा में सभी सदस्यों को...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : ऐसा कोई प्रावधान नहीं है परन्तु ऐसी परम्परा है।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : विगत लोक सभा में सभी माननीय सदस्यों के हित में, देश की जनता के हित में एक बहुत अच्छी योजना बनाई गई थी। वह योजना था कि हर सांसद को अपने अपने क्षेत्र में एक करोड़ रुपये तक के छोटे छोटे जनहित के कार्मों के सुझाव प्रति वर्ष देने का अधिकार था। वह एक करोड़ रुपया दो साल तक हर सांसद के क्षेत्र में दिया गया लेकिन अप्रैल माह से यहां से कुछ ऐसी सूचना दी गई है, जिसके कारण कई प्रदेशों में, कई जिलों में विकास के काम रूक गये हैं।

मेरा कहना है कि सरकार इसके संबंध में तुरन्त आदेश दे, निर्देश दे कि उस योजना को आगे चालू रखा जाए और साथ ही साथ इस साल का वोट-ऑन-एकाउंट सदन ने मंजूर किया है, मेरी रिक्वैसट है कि हर सांसद के क्षेत्र के लिये जो एक करोड़ रुपये भेजे जाने हैं, वे जल्दी से जल्दी भेजने चाहिये। इस बार काफी नये सदस्य इस सदन

में आए हैं। मैं चाहता हूं कि इस योजना से संबंधित गाइडलाइन्स एक पुस्तिका के रूप में तैयार की गई थी, सरकार आज जाने से पहले सभी माननीय सदस्यों को वह गाइडलाइन्स, वह पुस्तिका दे जिससे लोगों के हित के काम तुरन्त शुरू हो सके। मुझे लगता है कि सदन के सभी सदस्य इसका समर्थन करते हैं इसलिये आप चेयर से मंत्री जी को निर्देश दें।...**(व्यवधान)**

श्री दत्ता मेघे (रामटेक) : हमारे नेता नरसिंह राव जी ने यह योजना लागू की थी और दो साल तक हर सांसद को इसके अंतर्गत पैसा मिलता रहा है। यह पैसा आगे भी हर सांसद को मिलना चाहिये। इसलिये मेरी आपसे रिक्वैस्ट है कि एक करोड़ रुपये की राशि जल्दी से जल्दी हर सांसद के क्षेत्र में भेजनी चाहिये, इसके लिये आप मंत्री जी को कहें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। मैं माननीय सदस्यों की भावनाओं को समझता हूं, हम यह सरकार के साथ उठा सकते हैं।

श्री प्रमोद महाजन (मुम्बई उत्तर-पूर्व) : महोदय, माननीय वित्त मंत्री को जवाब देना चाहिए क्योंकि इस पर सभा चिंतित है।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : मैं एक जनहित का सवाल उठाना चाहता हूं। अभी राम नाईक जी ने जो बात कही है, मैं उसका समर्थन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : हां, वह मालूम है, आपको तो समर्थन करना ही है।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि भारत सरकार की ओर से राजस्थान सरकार को पाठ्यपुस्तकों के लिये और कापियों के लिये कागज रियायती दर पर कई वर्षों से मिल रहा था जिससे पाठ्यपुस्तकें छप कर विद्यार्थियों में वितरित की जाती थी और छोटे छोटे बालकों को कापियां सस्ती दर पर मिलती थी लेकिन अब भारत सरकार ने कागज के उस कोटे का बंद कर दिया है।

राजस्थान के मुख्य मंत्री, श्री भैरों सिंह शेखावर्त और शिक्षा मंत्री, श्री गुलाब चन्द कटारिया के निर्देशानुसार राजस्थान में पांचवीं कक्षा तक जितने बच्चे और बच्चियां पढ़ते थे, उन्हें निःशुल्क किताबें और कापियां सरकार की ओर से दी जा रही है। उसी बजट में से, राजस्थान सरकार आठवीं तक के सभी पढ़ने वाले बच्चों और बच्चियों को किताबें और कापियां दे सके, इसके लिये मेरा निवेदन है कि राजस्थान सरकार को यहां से जो रियायती दर पर पहले जो कोटा मिलता था, वह फिर से मिलना शुरू किया जाए। इसके अलावा न्यूजपेपर सोसायटी ने कागज की दर में कमी करने के बारे में जो बात कही है, इससे अखबार वालों को भी सस्ता कागज मिल जाएगा और कागज की बढ़ी हुई कीमतों के कारण राजस्थान में अखबार जो महंगे हो गए थे, वे फिर से सस्ते हो सकेंगे। मैं आपकी राजस्थान में जयजयकार करवा दूंगा, इसलिये रियायती दर पर मिलने वाले कागज का कोटा आप हमें तुरन्त दिलवायें। बहुत बहुत धन्यवाद। ...**(व्यवधान)**

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : मान्यवार, उत्तर प्रदेश में इस समय पानी का इतना अकाल हो गया है कि लोगों को पीने के लिये पानी नहीं है और मवेशी पानी के अभाव में मर रहे हैं। उनके लिये पानी नहीं है। जानवरों के मालिक अपने मवेशियों को इधर उधर भेज रहे हैं क्योंकि उनके पास पानी की व्यवस्था नहीं है। आदमियों का पानी के अभाव में, प्यास से बुरा हाल है। शहरों और गांवों में लोग सड़कों पर आ गये हैं। गर्मी के कारण भूगर्भीय जलस्तर काफी गिर गया है, जिससे सारे हैंडपम्प बेकार हो गये हैं। उससे हैंड पम्प बेकार हो गए हैं। विद्युत आपूर्ति के अभाव में पानी की टंकियां व जल संस्थान काम नहीं कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई है इसलिए इसकी युद्ध स्तर पर व्यवस्था की जाए।

आगरा एक पर्यटन क्षेत्र है। अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र होने के बाद भी पर्यटक वहां पानी के लिए तरस रहे हैं। मैं दो-तीन और सुझाव देना चाहूंगा। नहरों में पानी छोड़ा जाए, पानी की टंकियां समय पर चलाई जाए, तालाबों को भरा जाए। इसके लिए युद्ध स्तर पर उपाय किए जाए। महानगरों में ट्यूबवैल लगाए जाएं। इसके साथ ही सूखा राहत कोष से केन्द्र सरकार विशेष अनुदान दे। इस समय महामारी फैलने की आशंका है इसलिए स्वास्थ्य विभाग भी लोगों की समस्याओं का ध्यान रखे।

[अनुवाद]

श्री सत्यजीतसिंह दलीपसिंह गायकवाड़ (बडोदरा) : महोदय, मैं बडोदरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से आया हूं जो कि गुजरात के महत्वपूर्ण शहरों में से एक है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कई सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं और उनमें से एक इंडियन पेट्रोकैमिकल कारपोरेशन लिमिटेड है। यह उपक्रम वहां पिछले 35 वर्षों से कार्य कर रहा है। पिछले दस वर्षों से वहां के मूल निवासियों को उसमें रोजगार नहीं मिला है। पिछले दस वर्षों में करीब 2,000 नियुक्तियां की गई हैं, परन्तु कृषकों के बेटों को न्याय नहीं मिल रहा है। महोदय, इसके अलावा अब आई.पी.सी.एल. अपनी गतिविधियों का विस्तार कर रहा है और बडोदरा के निकट गंधार में एक नया संयंत्र लगा रहा है। इस परियोजना की लागत 5,000 करोड़ रुपए है। हाल ही में वहां कुछ नियुक्तियां की गई हैं। उस उपक्रम में अधिकारी वर्ग के 160 पद हैं जिनमें से 6 कार्मिक अधिकारियों की नियुक्तियां की जा चुकी हैं और उनमें से एक भी अधिकारी गुजराती नहीं है।

महोदय, मैं, आपके माध्यम से, पेट्रोलियम मंत्रालय को सूचित करना चाहता हूं कि किसानों के बेटों और गुजरात वासियों के साथ किए जा रहे अन्याय को बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। महोदय, वहां पर आंदोलन जारी है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यद्यपि गुजरात में

बडोदरा, अहमदाबाद और सूरत में उत्कृष्ट इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट कालेज हैं परन्तु वहां नियुक्तियां अन्य राज्यों के लोगों की जा रही हैं। इसलिये, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि जन आंदोलन के हिंसात्मक होने से पूर्व ही इस मामले की ओर तत्काल ध्यान दिया जाए। मैं पेट्रोलियम मंत्रालय से 200 लोगों की नियुक्ति को तत्काल रोकने का भी अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री मुनव्वर हसन (कैराना) : अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश में बिजली की समस्या ने घोर स्थिति पैदा की है। पूरे उत्तर प्रदेश में आज बिजली का मातम मचा हुआ है और वहां का किसान व उद्योग-धंधे बिजली की कमी से त्रस्त हैं। खासतौर से हमारा मुजफ्फरनगर जनपद, जिसमें पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे शक्तिशाली और मेहनतकश लोग वहां रहते हैं और सबसे अच्छी खेती का कार्य होता है, वह क्षेत्र बिजली के मामले में सबसे पिछड़ा हुआ जनपद है। सरकार ने घोषणा की है कि ग्रामीण क्षेत्र में 16 घण्टे और शहरी क्षेत्र में 20 घण्टे बिजली मिलेगी। लेकिन मुजफ्फरनगर में बिजली नाम की चीज देखने को नहीं मिलती। हम क्षेत्र में जाते हैं तो देखते है कि वहां त्राहि-त्राहि मची हुई है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से एक सूचना भी देना चाहता हूं। कल मुजफ्फरनगर में कंडेला बिजलीघर पर आंदोलन हो रहा है, हम लोग उसका घेराव कर रहे हैं। इससे पहले की कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जिससे वहां शांति भंग हो जाए वहां बिजली की व्यवस्था तुरन्त की जाए। मेरा निवेदन है कि 16 घण्टे ग्रामीण क्षेत्र में और 20 घण्टे शहरी क्षेत्र में बिजली दिलाने की कृपा की जाए।

[अनुवाद]

श्री आनंदराव विठोबा अडसूल (बुलढाना) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय रेल मंत्री का ध्यान अपने निर्वाचन क्षेत्र अर्थात् बुलढाना, में हुई दुर्घटना की तरफ दिलाना चाहता हूं जिसमें रेलवे कर्मचारियों की मृत्यु हो गई है। उस दुर्घटना में आठ लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। इसलिये, इस मामले में उचित मुआवजा दिया जाना चाहिये और एक उच्च स्तरीय जांच कराई जानी चाहिये। मेरा यही निवेदन है।

अध्यक्ष महोदय : आपने बहुत संक्षेप में बोला। इसके लिए आपको धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री सूरज भान (अम्बाला) : अध्यक्ष महोदय, संविधान की धारा 330 और 332 में लिखा है कि शेड्यूल्डकास्ट्स और शेड्यूल्डट्राइब को देश में उनकी आबादी के हिसाब से बराबर का हिस्सा दिया जाएगा। आज लेटेस्ट जनगणना के आंकड़ों के अनुसार उनकी जनसंख्या 25 प्रतिशत हो गई है, लेकिन उन्हें अभी तक 22.5 प्रतिशत आरक्षण ही मिल रहा है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि इसको 25 प्रतिशत किया जाए।

अध्यक्ष महोदय, मुझे तो जो जानकारी है उसके अनुसार मैं कहना चाहता हूं कि सरकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों का अरक्षण बढ़ाने की बजाय 22.5 प्रतिशत से काटकर अन्य किसी जाति को देने जा रही है। सरकार के इस कदम को रोका जाना बहुत जरूरी है। इसी सम्बन्ध में पिछली कांग्रेस सरकार ने बिल प्रस्तुत किया था कि दलित ईसाइयों को अनुसूचित जाति के लोगों के हिस्से का आरक्षण दे दिया जाए। यह तो खुशकिस्मती थी कि वह बिल पास नहीं हुआ। फिर उन्होंने अध्यादेश लाकर उस बिल को लागू करने की कोशिश की। हम लोग राष्ट्रपति महोदय से मिले। यह भी अच्छा हुआ कि राष्ट्रपति महोदय ने उस अध्यादेश पर अपने हस्ताक्षर नहीं किए। अब फिर वही बात संयुक्त मोर्चा ने अपने न्यूनतम कामन प्रोग्राम में लिखी है कि क्रिश्चियनों को रिजर्वेशन देंगे। इसका नतीजा क्या होगा?...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री पी.सी. थामस (मुक्तुपुज्ञ) : यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि माननीय सदस्य कुछ दलितों को, मात्र उनकी एक विशेष धर्म में आस्था होने के कारण आरक्षण का लाभ न दिये जाने जैसी ज्वलंत समस्या का विरोध कर रहे हैं। नियमों के अनुसार माननीय सदस्य बिना नोटिस दिए इस मामले को शून्य काल में नहीं उठा सकते हैं।...**(व्यवधान)**

श्री सूरज भान : कृपया मुझे बोलने दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को बोलने दिया जाए। उनको अपनी बात कहने दीजिए। वह अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सूरज भान : अध्यक्ष महोदय, आप सबको सुनकर हैरानी होगी कि गवर्नमेंट आफ इंडिया के 1935 के एक्ट के मुताबिक, 1936 में...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

यह क्या हो रहा है? आपने मुझे बोलने की अनुमति दी है।...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को अपने विचार प्रकट करने दें, मैं निर्धारित करूंगा कि कौन सा मामला अविलम्बनीय है, सर्वप्रथम, उनको निवेदन करने दिया जाए।

(व्यवधान)

श्री जी.एम. बनातवाला (पोन्नानी) : यह नीतिगत मामला है। आप इस विषय को शून्य काल में नहीं उठा सकते हैं।...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री सूरज भान : अध्यक्ष महोदय, आप सबको सुनकर हैरानी होगी कि ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह मामला अविलम्बनीय नहीं हैं। अब आप कोई तर्क मत दीजिये।

(व्यवधान)

श्री जी.एम. बनातवाला : यह नीतिगत मामला है। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं। बिल्कुल नहीं। इस प्रकार से नारा मत लगाइये। कृपया बैठ जाइये। माननीय सदस्य को अपनी बात कहने दें। इसमें कुछ गलत नहीं है। श्री सूरज भान, कृपया संक्षेप में कहिये। लम्बा वक्तव्य मत दीजिये। कृपया बहस मत करिये। आप अब इस मामले पर बहस मत करिये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण समाप्त कर सकते हैं।

श्री टी.आर. बालू (मद्रास दक्षिण) : इसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं कार्यवाही वृत्तांत को देखूंगा। निस्संदेह मैं कार्यवाही वृत्तांत को देखूंगा। माननीय सदस्य को अब अपना भाषण समाप्त करना चाहिये। कृपया कोई तर्क मत दीजिये।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सूरज भान : अध्यक्ष महोदय, आपको सुनकर हैरानी होगी कि ब्रिटिश परियड में, 1936 में, गवर्नमेंट आफ इंडिया ने एक आर्डर, अंग्रेजी हुकूमत ने इश्यू किया और उसमें लिखा कि...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसकी कोई आवश्यकता नहीं है।

[हिन्दी]

श्री सूरज भान : अध्यक्ष महोदय, एक्ट में लिखा है :

> "किसी भी भारतीय ईसाई को अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जायेगा।"

कोई कंट्रोवर्सी नहीं मिलेगी। अंग्रेजो के टाइम 1936 में कहा गया है। आज कौन से हालात पैदा हो गये हैं कि क्रिश्चियन्स को रिजर्वेशन दिया जाये। ये केवल वोट को ध्यान में रखकर आर्डर किये जा रहे है। इससे दो नुकसान होंगे। शेड्यूल्ड कास्ट्स का हिस्सा काटकर ईसाईयों को दिया जायेगा। वे ज्यादा पढ़े लिखे हैं इसलिए शेड्यूल्ड कास्ट्स के हिस्से को खत्म करेंगे। दूसरा, इससे देश में धर्म परिवर्तन होगा। इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : उन्हें अपनी बात कहने दीजिये। उन्हें बोलने दीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं कार्यवाही-वृत्तांत की जांच करूंगा।

श्री जी.एम. बनातवाला : महोदय, यह बात कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं की जानी चाहिये...**(व्यवधान)** उन्होंने जो कुछ भी कहा है, उसे कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। यह संसदीय प्रक्रिया के विरूद्ध है। इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए...**(व्यवधान)**

श्री प्रमोद महाजन : अगर कल सभा में विधेयक पेश किया जाये तो क्या आप इसे रोक सकेंगे? आप इसकी अनुमति देंगे या नहीं ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अगर मुझे ठीक से याद है, तो भारत सरकार के न्यूनतम साझा कार्यक्रम में इसके प्रति वचनबद्धता हैं। अतः, यह मामला सभा में आना लाजिमी है। उस समय आप इस मामले पर चर्चा कर सकते हैं। अब इस मामले को समाप्त कीजिये।

[हिन्दी]

श्री आनन्द रत्न मौर्य (चंदौली) : अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र चंदाली के अंदर किसानों की जो स्थिति है, वह बहुत दुखद है। यह स्थिति सिंचाई को लेकर है।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री जी.एम. बनातवाला : हमें इस बात का बहुत खेद है कि उन्होंने शून्य काल का दुरूपयोग किया है...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अब मामले को उलझाइये मत।

[हिन्दी]

श्री आनन्द रत्न मौर्य : अध्यक्ष महोदय, उनकी स्थिति जर्जर हो गयी है। वे टूट गये हैं। आज चंदौली के अंदर किसान बहुत दुखी हैं। नहरें सब खराब हो गयी हैं। सिंचाई का सारा प्रबंध खराब हो गया है। पूरे क्षेत्र में हाहाकार मचा हुआ है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान इस तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं कि चंदौली क्षेत्र के अंदर किसानों की स्थिति सिंचाई को लेकर जो जर्जर हुई है, खराब हुई है, खतरनाक हुई है, उसको तत्काल ठीक कराने का आग्रह करता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपका नाम बुला रहा हूं। इसमें जिस किसी का भी नाम है, मैं उसे बुला रहा हूं। हमें समय खराब नहीं करना चाहिये।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र बहादुर राय (सुल्तानपुर) : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर, जौनपुर और प्रतापगढ़ में विगत एक माह से बहुत अजीब घटना हो रही है। करीब एक दर्जन अबोध बालक जौनपुर में, आधा दर्जन बालिकायें और बालक प्रतापगढ़ में और करीब चार बालिकायें सुल्तानपुर में मृत्यु को प्राप्त हुई है। तीनों जनपदों में इस बात की चर्चा और अफवाह है कि यह घटनायें तेंदुआ, लकड़बघा और कुछ लोग यहां तक कहते हैं कि ये आतंकवादी घटनाये हैं जिसमें पाकिस्तान के एजेंट काम कर रहे हैं।...**(व्यवधान)**

महोदय, इसके कारण रेलवे स्टेशन पर ट्रेनें फूंकी गयी, कार चलाई गयी, एक आदमी मारा गया तथा पचासों पागल हो गये। उत्तर प्रदेश में केन्द्र सरकार कैा शासन है। वहां चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। मां की गोद से बालिकायें छीनी जा रही है। मेरे जिले सुल्तानपुर में कहा गया है कि हम नहीं कह सकते कि यह कोई जानवर है या इंसान है, जो यह घटनायें कर रहा है। शाम के छः बजे के बाद कोई आदमी अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रहा है। स्टेशन फूंके गये हैं। ट्रेनें चलाई गयी हैं। लोग जेलों में बंद है।

सफेद मारूति कार और सफेद वैन में कोई आदमी शाम को निकल नहीं पा रहा है। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि जौनपुर में जो 11 बच्चे मारे गए हैं वे बालक हैं, प्रतापगढ़ में जो बच्चे मारे गए हैं, वे बालक और बालिकाएं हैं और सुल्तानपुर में जो बच्चे मारे गए हैं, वे बालिकाएं हैं।...**(व्यवधान)**

मैं गृह मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे इसपर ध्यान दें। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिये। आप अपनी बात कह चुके हैं। मामले को संक्षेप में और सीधे-सीधे रखिये।

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : एक महत्वपूर्ण उद्योग मेटल बॉक्स कंपनी, जिसमें सात हजार मजदूर काम करते थे, 1987 से बंद पड़ी है। अब तक 118 मजदूरों की मृत्यु हो चुकी है। सरकार ने रूग्ण उद्योगों को पुनर्जीवित करने के लिए औद्योगिक वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की स्थापना की है। लेकिन औद्योगिक वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के अनावश्यक विलम्ब तथा इस देश में सभी उद्योगों द्वारा आयात की प्रवृत्ति अपनाने की वजह से यह रूग्ण उद्योगों को पुनर्जीवित करने के स्थान पर अनेक उद्योगों के बन्द होने का कारण बन रहा है। अतः, मेरा प्रधान मंत्री महोदय, जो कृषक परिवार से संबंध रखते हैं और जो मजदूरों के कल्याण में रूचि रखते हैं, से अनुरोध है कि वे इन उद्योगों को तत्काल खुलवाने के लिए कार्यवाही करें। औद्योगिक वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ने कहा है कि इन उद्योगों को पुनः खोला जाना चाहिये। लेकिन मुझे नहीं मालूम कि हालांकि अब तक 118 कामगारों की मृत्यु हो चुकी है, किस कारण से यह मामला 1987 से लंबित है। दस वर्ष पहले ही बीत चुके हैं। या तो आप औद्योगिक वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को समाप्त कीजिये या फिर उसे रूग्ण उद्योगों को पुनर्जीवित करने में समर्थ बनाइयें।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद मकबूल डार (अनन्तनाग) : अध्यक्ष महोदय, मैंने नोटिस नहीं दिया है लेकिन मैं एक अहम मुद्दा उठाना चाहता हूं। ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : जिन्होंने नोटिस दिया है, उन्हें पहले बुलाएंगे।

(व्यवधान)

श्री मोहम्मद मकबूल डार : कश्मीर वादी के लोगों का पैगाम मेरे मैम्बरान और सरकार के नाम है।...**(व्यवधान)** वहां के लोग इस समय तीन चक्कियों में पीसे जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा नहीं होता है, आपको पहले नोटिस देना पड़ता है। जिन्होंने नोटिस दिया है, उनको पहले मौका देना चाहिए। टाइम होगा तो आपको बाद में बुला लेंगे।

श्रीमति सुमित्रा महाजन (इंदौर) : अध्यक्ष महोदय, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि यहां पर भी कल बार-बार महिला सम्मान की बात तो की गई लेकिन मध्य प्रदश में जब से इस कांग्रेस सरकार की स्थापना हुई है, महिलाओं पर, विशेषकर आदिवासी महिलाओं पर अत्याचार में दिग्विजयी उच्चांक स्थापित हो गया है। इसकी शुरूआत स्वयं मुख्य मंत्री के गृह नगर से हुई और पूरे मध्य प्रदेश में चाहे वह भिंड जिला हो चाहे रायगढ़ जिला हो, महिलाओं को नग्न करके घुमाया गया। एक महिला सरपंच को बेइज्जत किया गया। उसके बाद बैतूल आदिवासी महिलाओं पर अत्याचार हुआ। अभी रायसेन जिले में यहां पर घटना हो गई कि पुलिस द्वारा मांझी समाज की 19 और 21 साल की ननद-भाभी पर इस प्रकार का अत्याचार हुआ। वे मुंह नहीं खोलें इसलिए उनके परिवार के सभी सदस्यों को बंदूक के दस्ते से मार-मारकर उनकी पीठ तक तोड़ दी गई और दो दिन तक डाक्टरी सहायता भी नहीं दी गई। इस पर सरकार की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं हुई। यहां तक हुआ कि बाद में हमारे पूर्व मुख्य मंत्री को भोपाल जाकर एक दिन धरना देकर बैठना पड़ा।

आज मध्य प्रदेश में यह हालत है कि जब अत्याचार होता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही तक नहीं होती है। हालांकि जो महिला के सम्मान की बात करते हैं, उनसे हमें अपेक्षा तो कुछ नहीं है क्योंकि उन्होंने खुद भी कई उदाहरण पेश किए हैं लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगी कि महिलाओं पर पूरे मध्य प्रदेश में जो अत्याचार हो रहे हैं, उनको रोकने की दृष्टि से तुरन्त कार्यवाही हो और मध्य प्रदेश सरकार से तुरन्त बात की जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया नहीं। मैंने श्री सतपाल महाराज का नाम लिया है श्री रसूल मैं आपको बाद में अनुमति दूंगा।

[हिन्दी]

श्री सतपाल महाराज (गढ़वाला) : अध्यक्ष महोदय, उत्तराखण्ड के देहरादून, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, अल्मोड़ा, नैनीताल तथा पिथौरागढ़ जनपदों में पीने के पानी का नितान्त अभाव है और ग्रीष्म काल में यह समस्या वहां के जन-जीवन को अति कष्टकर बना देती है।

मैं इस भीषण पेयजल समस्या की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और निवेदन करता हूं कि अविलम्ब इसका हल निकालने और पर्वतीय अंचलों में पेयजल उपलब्ध कराने का कष्ट करें। इन क्षेत्रों को सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित करे तथा शीघ्र ही आर्थिक सहायता प्रदान करने की कृपा करे।...**(व्यवधान)**

श्री गुमान मल लोढा (पाली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, कल सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्र में एक निर्णय देकर स्पेशल अपील हाई कोर्ट जजमेंट के खिलाफ खारिज करते हुए सी.बी.आई. को यह आदेश दिया कि झारखण्ड मुक्ति मोर्चा के सांसदों को जो कांग्रेस दल के द्वारा रिश्वत दी गई, उन्हें एफ.आई.आर. में लेकर मुकदमा चलाया जाय।. ..**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया उन्हें बोलने दीजिए। आप व्यवधान क्यों डाल रहे हैं?

(व्यवधान)

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान और निकोबार द्वीप-समूह) : अध्यक्ष महोदय, यह शून्य-काल का दुरूपयोग है। इस मामले को उठाने के लिए एक औपचारिक नोटिस दिया जाना आवश्यक है ...**(व्यवधान)**

श्री गुमान मल लोढा : महोदय, उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका को अस्वीकृत कर दिया है और केन्द्रीय जांच ब्यूरो को पूर्व प्रधान मंत्री श्री नरसिंह राव तथा सात अन्य लोगों के विरूद्ध नए सिरे से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करके रिश्वत लेने के मामले की जांच करने का निर्देश दिया है।...**(व्यवधान)** हम प्रधान मंत्री महोदय से, यह मामला किस स्थिति में है, यह जानना चाहते हैं?...**(व्यवधान)** प्रधान मंत्री महोदय ने कल कहा था कि वह सभा को विश्वास में लेकर चलेंगे। अब, हम प्रधान मंत्री से जानना चाहते हैं कि क्या कार्यवाही की गई है। क्या श्री नरसिंह राव, श्री शुक्ल, श्री धवन और अन्य लोगों के विरूद्ध झारखंड मुक्ति मोर्चा के सदस्यों को दल-परिवर्तन के लिए दी गई रिश्वत के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गई है?...**(व्यवधान)** सभा का विश्वास हासिल करना प्रधान मंत्री का कर्तव्य है...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : लोढा जी, मेरे विचार में इतना पर्याप्त है।

[हिन्दी]

श्री मुख्तार अनीस (सीतापुर) : माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश में बिजली की जो समस्या है, उत्तर प्रदेश की उस बिजली समस्या के बारे में इस सदन के अंदर बहुत से सदस्यों ने चर्चा की है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बिजली की समस्या दो तरह की है। एक तो बिजली बोर्ड ने पैदा की है और एक वास्तविक समस्या है।

उत्तर प्रदेश का बिजली बोर्ड भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। वहां के अधिकारी पैसा ले लेकर उद्योगपतियों को तो बिजली दे रहे हैं, लेकिन जो गरीब किसान हैं, जो खेतिहर हैं और जो उपभोक्ता हैं, उनको शहरों में बिल्कुल बिजली नहीं मिल रही है। हालत यह हो गई है कि लखनऊ शहर में, आगरा शहर में, बनारस में भी, बड़े-बड़े शहरों में भी बिजली नहीं मिल पा रही है।...**(व्यवधान)** बरेली में भी है। आप बरेली के रहने वाले हैं। भाजपा में हैं, इसीलिए आप बरेली के हैं। मैं कहना चाहता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश में आज बहुत बड़ी बिजली की समस्या है।

उसी के साथ-साथ जल की आपूर्ति नहीं हो रही है। ...**(व्यवधान)** आप बात तो सुन लीजिए। मैं यहां तो नया हूं, लेकिन उत्तर प्रदेश विधान सभा में चार बार सदस्य रहा हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बिजली के साथ-साथ पानी की भी बहुत बड़ी समस्या आज उत्तर प्रदेश के अंदर है। आज किसानों को पानी नहीं मिल रहा है, किसान परेशान हैं और आज यह हाल है कि धान लगाने का मौसम आ गया है और बिजली पानी की समस्या हो गई है।

इसलिए मैं प्रधान मंत्री जी से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि आज आपका भाषण होने वाला है, उत्तर प्रदेश की समस्या के बारे में आप अपने विचार हमारे सामने रखे और इस समस्या को हल करवाने के बारे में आप मदद करें।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (वाराणसी) : आपने बनारस के लिए जो बाते की हैं, वहां बिजली की बहुत अधिक समस्या है, मैं उनके विचारों को रखते हुए चाहता हूं कि सरकार इस पर ध्यान दे।

[अनुवाद]

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन (क्विलोन) : महोदय, मैं सम्माननीय सभा का ध्यान 9.6.1996 को चिन्नाक्काडा, क्विलोन में हुई दुर्घटना की ओर दिलाना चाहता हूं।

9.6.1996 को लगभग अपराह्न 5.15 बजे, चिन्नावकाडा, क्विलोन में एल.पी.जी. का एक बहुत बड़ा टैंकर ऑटोरिक्शा से टकरा गया। टैंकर लॉरी के ऑटो रिक्शा के ऊपर पलट जाने से तीन महिलाओं सहित पांच व्यक्ति मारे गये। सभी पांच व्यक्ति और ऑटोरिक्शा चालक ट्रक के नीचे दबे मदद के लिए चिल्ला रहे थे। उन पांच व्यक्तियों में से तीन पूर्वाह्न 8.15 बजे तक जीवित थे, लेकिन कोई क्रेन सुविधा उपलब्ध न होने के वजह से उन्हें बचाया नहीं जा सका। वे रेलवे स्टेशन और उसके प्राधिकारियों के पास गये। लेकिन उन्होंने ऑटोरिक्शा से एल.पी.जी. टैंकर उठाने के लिए हाईड्रोलिक जॉकी नहीं दी। इन तीन घंटो के दौरान वह 17 वर्ष की लड़की और उसकी मां सारी दुनिया से अपने आपको बचाने की प्रार्थना

करती रही। सभी बचाव अधिकारी और पुलिस वहां खड़ी हुई थी, लेकिन बाद में, त्रिवेन्द्रम में क्रेन लाई गई, जो क्विलोन से लगभग 75 किलोमीटर दूर है। उनके शरीर वहां से निकाले जाने के तुरंत बाद ही पता चल गया कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। अतः, मेरा इस सभा तथा माननीय रेल मंत्री से विनम्र निवेदन है कि तत्काल जांच पड़ताल के आदेश दिये जायें। मैं यह भी अनुरोध करूंगा कि अगर इस प्रकार की मानवीय घटनाओं के लिए क्रेन प्रदान करने के संबंध में कोई कठोर नियम हो, तो उस उपबंध अथवा उस नियम को रद्द किया जाये।

महोदय, मेरा यही निवेदन है।

[हिन्दी]

श्री गुलाम रसूल कार (बारामूला) : स्पीकर साहब, आज के हिन्दुस्तान टाइम्स अखबार में पहले सफे पर नुमाया है कि बेनजीर भुट्टो का दौरा इस वजह से कैंसिल हुआ कि कश्मीर में चुनाव की बात हो रही है।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हमने निमय 377 के अधीन मामले नहीं उठाये हैं। उनकी बारी आने ही वाली है।

[हिन्दी]

श्री गुलाम रसूल कार : मैं कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान को हमारे अंदरूनी मामले में कोई दखल देने का हक नहीं है और न ही उसे दखल देना चाहिए। अभी हमारे यहां लोक सभा के चुनाव हुए और वहां पर 43 फीसदी वोट पड़े। उससे पाकिस्तान के तमाम ख्वाब खत्म हो गये और पाकिस्तान ने जो प्रोपेगंडा किया था, उसको शिकस्त मिली है। हम चाहते हैं कि लोक सभा के चुनाव के बाद अब वहां पर विधान सभा के चुनाव हो। लेकिन इस समाचार से ऐसा लगता है कि यह टेबल न्यूज है और इनके किसी नुमाइंदे ने सरकार के ब्यूरोक्रेट से बात की होगी और यह समाचार आया होगा। यहां लोक सभा के चुनाव में जिस मोहब्बत और उत्साह से लोगों ने वोट डाला, वह वहां की तस्वीर बताता है। हम वहां पर सात साल के बाद वोट मांगने गये तो लोगों ने जम्हूरियत का तकाजा किया। सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी लगाई थी कि 15 दिन के अंदर-अंदर वहां विधान सभा के चुनाव के बारे में बताया जाये और आपने उसकी जगह लोक सभा के चुनाव करवाये। वहां के राज्यपाल के.वी. कृष्णा राव ने भारत सरकार और प्रधान मंत्री को लिखा है कि यहां से मिलिटेंट्स को निकालिये और अगर दो महीने में चुनाव नहीं कराये तो पाकिस्तान रिग्रुपिंग आदि का कोई नया खेल खेल सकता है। इसका नतीजा निकलेगा कि कश्मीर में फिर गड़बड़ होगी। इसलिए एक तो वहां इलेक्टोरेल को अप-टू-डेट लाया जाये, दूसरा वहां पर अमन पैदा किया जाये और तीसरा वहां सरंडर्ड मिलिटेंटस से बंदूक छीनिये जिससे वहां के लोगों में विश्वास पैदा हो कि कोई सरकारी बंदूक हमारे पॉलिटिकल प्रोसेस को नहीं रोक सकती।

श्री भेरूलाल मीणा (सलूम्बर) : राजस्थान में भयंकर अकाल है। वहां पर बीजेपी की सरकार है। उसके मंत्री कहा करते थे कि राजस्थान में ऐसा कोई अकाल नहीं है, जैसा कि हम बता रहे हैं। लेकिन मैं अपने क्षेत्र में जाता हूं तो देखता हूं कि लोगों का पीने का पानी नहीं है, मवेशियों को खाने के लिए घास नहीं है और लोगों को उचित मूल्य की दुकानों पर अनाज नहीं मिलता है। जो गरीब लोग है उनको किस तरह से परेशानी का सामना करना पड़ता है, इसका वर्णन यहां नहीं किया जा सकता है। सस्ते अनाज की दुकानों पर अनाज आना चाहिए, वह भी दो महीने से नहीं आ रहा है, पूछते हैं तो कहते हैं कि नहीं आ रहा है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए। आपका काम केवल सरकार के नोटिस में समस्या को लाना है, आपको विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है।

[हिन्दी]

श्री भेरूलाल मीणा : वहां पर मवेशी मर रहे हैं, लोगों को मजदूरी नहीं मिल रही है। अकाल राहत कार्यक्रम खुले हैं, लेकिन पर्याप्त मजदूर नहीं है, जब बढ़ाने के लिए कहते हैं तो जवाब मिलता है कि जब तक सरकार नहीं कहेगी, मजदूर नहीं बढ़ाये जा सकते। वहां रोज झगड़े होते हैं...**(व्यवधान)** आप दिल्ली में बंगलो में रहते हैं इसलिए आपको वहां की हालत मालूम नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : आप मेरी बात सुनिये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं ग्रामीण की बात कर रहा हूं और सच्ची बात कह रहा हूं जो मैंने देखा हुआ है। वहां मजदूरों का झगड़ा होता है। मजदूरों की संख्या ज्यादा बढ़ने के कारण वे आपस में झगड़ा करते हैं और भाजपा सरकार उसकी परवाह नहीं करती है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप हर समय इस प्रकार प्रतिक्रिया क्यों व्यक्त करते हैं?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जी, नहीं। यह आवश्यक नहीं है।

(व्यवधान)

श्री मधुकर सर्पोतदार (मुम्बई उत्तर पश्चिम) : महोदय, वह सभा को गुमराह कर रहे हैं।...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप अपनी बात कह चुके हैं। कृपया नीचे बैठ जाइये।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री दत्ता मेघे (रामटेक) : अध्यक्ष महोदय, समूचे महाराष्ट्र के अंदर जहां भाजपा और शिव सेना की सरकारें है और भाजपा और शिव सेना के लोग वहां राज कर रहे हैं, लाखों किसानों का कपास लिये हुए चार-छः महीने हो गये हैं। करोड़ों रुपया देना है। 900 करोड़ रुपये देने का आश्वासन वहां के मनोहर जोशी साहब ने कहा था लेकिन महाराष्ट्र के एक भी किसान को पैसा नहीं मिला है।...**(व्यवधान)** पूरे महाराष्ट्र के अंदर खेतों में किसानों का करोड़ो रुपये का गन्ना खड़ा हुआ है लोग आज बैठे हुए हैं।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इतना पर्याप्त है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, इतना काफी है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने अपना भाषण पूरा कर लिया है, कृपया नीचे बैठ जाइये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह आप क्या कर रहे हैं? कृपया अब खड़े मत होइये। आप अपनी बात कह चुके हैं। आप बैठ जाइये।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव (पूर्णिया) : अध्यक्ष जी, अभी थोड़ी देर पहले इस सदन में चीनी मिल पर चर्चा हो रही थी। ...**(व्यवधान)** अध्यक्ष जी, अभी थोड़ी देर पहले कई माननीय सदस्यों के द्वारा चीनी मिल पर काफी चर्चा हुई है। मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। बिहार के जिस क्षेत्र से मैं आता हूं, वहां एशिया फैन की दूसरी चीनी मिलें है जो इस इलाके के अंदर सबसे पुरानी चीनी मिलें है और उनमें काफी लागत लगी हुई है। मैं आपसे एक बात कह देना चाहता हूं कि जो वहां के पूर्णिया और मधेपुरा इलाके के किसानों की गन्ने की उत्पत्ति होती थी, वह अब धीरे-धीरे समाप्त होती जा रही है। मैं बता देना चाहता हूं कि आज जिस चीनी मिल के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं, वह चीनी मिल सिर्फ किसानों को ही नहीं, वहां के मजदूरों को भी मजदूरी देने में असमर्थ है। मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल पाती है। मैं आग्रह करूंगा कि पूर्णिया क्षेत्र के चीनी मिल को निश्चित रूप से मजबूत किया जाये ताकि उत्तरी बिहार के पूर्णिया इलाके में उस चीनी मिल के करोड़ों लाखों किसानों की उत्पत्ति हो और किसान मजबूत हों और सम्पन्न हों। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस चीनी मिल के लिए ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : राजेश रंजन जी, अब कृपया अपनी बात समाप्त कीजिये। मैंने आपको बोलने की अनुमति दी है; और अब आपको अपना भाषण समाप्त करना होगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री राजेश रंजन, अगर आपका व्यवहार सही नहीं होगा, तो भविष्य में आपको अवसर नहीं दिया जायेगा।

[हिन्दी]

यह आखिरी मौका होगा। आगे मैं आपको मौका नहीं दूंगा। अभी बैठ जाओ। आगे आपको मौका नहीं मिलेगा। ऐसे नहीं चलेगा। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री कमारूल इस्लाम (गुलबर्गा) : महोदय, मेरा संबंध गुलबर्गा निर्वाचन क्षेत्र से है। मंत्री के रूप में आपने भी उस निर्वाचन क्षेत्र का दौरा किया था। गुलबर्गा हवाई-अड्डे का काम अनेक वर्षों से लंबित पड़ा है। हवाई-अड्डे के लिए जमीन ली जा चुकी है और काम भी शुरू किया जा चुका है लेकिन पिछले आठ वर्षों से हवाई-अड्डे के निर्माण का काम पूरा नहीं हुआ है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस काम में तेजी लाकर इसे शीघ्र पूरा किया जाये।...**(व्यवधान)**

डा. अरूण कुमार शर्मा (लखीमपुर) : महोदय, मैं विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप, "माजुली" के संबंध में एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूं जो कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र असम के लखीमपुर में स्थित है। यह नदी द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी तथा उसकी उपनदियों द्वारा बनाया जाता है। इस द्वीप की जनसंख्या लगभग 1.5 लाख है और यह माजुली विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र कहलाता है जो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है और असम जनजाति के एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केन्द्र के रूप में प्रसिद्ध है। ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निरन्तर कटाव के कारण विशेषकर वर्षा ऋतु के दौरान इस द्वीप का अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है। पिछले दो दशकों के दौरान द्वीप का कुल क्षेत्र अपने मूल क्षेत्र से एक तिहाई कम हो गया है। धन के अभाव के कारण सड़क संपर्क द्वारा इस द्वीप को राज्य के अन्य भागों से जोड़ने का प्रस्ताव को साकार नहीं किया जा सका।...**(व्यवधान)**

एन.ई.सी. ने सातवीं योजना के दौरान इस योजना पर कार्य करना आरम्भ किया था और लोहित तथा खाबोलू के ऊपर दो स्थायी पुल बनाने का कार्य भी भारतीय रेल निर्माण निगम को सौंप दिया था, लेकिन दुर्भाग्यवश बिना किसी कारण के इस प्रस्ताव को बेपरवाही से छोड़ दिया गया।...**(व्यवधान)** महोदय, मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि कटाव रोकने के लिए उपयुक्त योजनाएं आरम्भ करके इस द्वीप को बचाने के लिए उपयुक्त कदम उठायें और लूट और खाबोलु नदी के ऊपर पुल निर्माण के कार्य से संबंधित प्रस्ताव को

कार्यान्वित करें तथा इस द्वीप के लिए उपयुक्त विकास योजना आरम्भ करें ताकि यह एक अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का पर्यटक स्थल बन सके। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री एन.एस.वी. चित्थन (डिंडिगुल) : अध्यक्ष महोदय, मैं संवैधानिक अशिष्टता के संबंध में एक मुद्दा उठाना चाहता हूं। अनुच्छेद 87(1) के अन्तर्गत राष्ट्रपतिजी ने 24 मई को संसद के दोनों सदनों को सम्बोधित किया था। अब यह अभिभाषण इस सदन का सम्पति बन गया है। अनुच्छेद 87(2) के अंतर्गत सदन को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के लिए समय निकालेगा। जबकि जिस सरकार के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ था उसने त्याग पत्र दे दिया है फिर भी उस संबंध में मीडिया में काफी चर्चा हो रही है और जनता के दिमाग में भ्रम पैदा हो गया है।

आज सत्र का अंतिम दिन होने के कारण और कार्यसूची में कोई अन्य विषय न होने के कारण, मैं पीठासीन अध्यक्ष से उस अभिभाषण के संबंध में जानना चाहता हूं कि क्या सदन में अभिभाषण पर चर्चा की जाएगी अथवा वह बेकार हो गया। महोदय, मैं इस मामले में आपका निर्णय चाहता हूं...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सोहन वीर (मुजफ्फरनगर) : अध्यक्ष महोदय, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में करीब 13 करोड़ क्विंटल गन्ना पैदा होता है, जिसमें से सिर्फ 35 फीसदी गन्ना चीनी मिले पेर पाती हैं। मेरे जिले में सात चीनी मिलें हैं और इन में से दो चीनी मिलें बन्द पड़ी है। इस वजह से किसानों को अपना गन्ना 125-150 किलोमीटर दूर चीनी मिलों में ले जाना पड़ता है। खतौली जिले के पुलिस कप्तान ने तो एक पुलिस चौकी त्रिवेणी चीनी मिल में बना दी है और वह किसानों पर लाठियां बरसाता है। पुलिस प्रशासन चीनी मिल के हाथ बिक चुका है। यही वजह है कि किसानों के गन्ने की पेमेण्ट नहीं हो रही है और पुलिस की आड़ में गन्ना भी कम तौला जाता है। पैसा कम मिलने की वजह से किसान अपनी बेटियों के हाथ भी पीले नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि सरकार इस ओर ध्यान दे।

इसी प्रकार मुजफ्फरनगर की गुड़ मंडी में व्यापार दस फीसदी रह गया है। मुजफ्फरनगर क्राइम में पहले स्थान पर पहुंच गया है। व्यापारियों के हर महीने कत्ल किए जाते हैं। इस तरफ पुलिस का कोई ध्यान नहीं है और किसानों पर लाठियां बरसाने पर उनका ध्यान है। इस क्षेत्र में अपराध वर्ल्ड में दूसरे-तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर अपराध बंद होने चाहिए और किसानों का शोषण नहीं होना चाहिए तथा किसानों के गन्ने की पेमेंट होनी चाहिए।

मध्याह्न 12.00 बजे

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : उमा जी, आपको केवल आधे मिनट के लिए बोलना चाहिए।

[हिन्दी]

कुमारी उमा भारती (खजुराहो) : अध्यक्ष जी, मेरे लोक सभा क्षेत्र खजुराहो में पीने के पानी की भारी समस्या है। महिलाओं को दस-दस, पन्द्रह-पन्द्रह मील दूर से पीने का पानी लाने के लिए जाना पड़ता है और यह समस्या केवल खुजराहो की ही नहीं है बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में पेयजल का भारी संकट है और मध्य प्रदेश की कांग्रेस की सरकार इस संकट के निवारण में सक्षम नहीं है। इसलिए आपके माध्यम से मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह खुजराहो में पेय जल की समस्या के समाधान के लिए विशेष सहायता राशि प्रदान करे।

[अनुवाद]

डा. जयन्त रंगपी (स्वशासी जिला) : अध्यक्ष महोदय, असम में एक बहुत बड़ा संवैधानिक संकट पैदा हो गया है। जैसा कि हम सब जानते हैं, असम में ऊंचाई वाले चार जिलों दिबरूगढ़, लखीमपुर और अन्य जिलों में आतंकवादियों के विरूद्ध सैनिक कार्यवाही की जा रही है। मैं सैनिक कार्यवाही की अच्छाईयों का वर्णन नहीं करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप ऐसा कर भी नहीं सकते हैं।

डा. जयन्त रंगपी : मैं जो मुद्दा उठाना चाहता हूं वह यह है कि असम के मुख्य मंत्री ने कहा है कि वे सैनिक कार्यवाही के बारे में नहीं जानते हैं। किसी ने उन्हें इस बारे में नहीं बताया है। उनकी बातचीत कार्यवाही वृत्तांत में आ चुकी है और यह समाचार-पत्रों में भी छप गया है कि उन्होंने माननीय प्रधान मंत्री जी तथा भारत सरकार से संपर्क स्थापित किए हैं। सरकार ने भी इस बारे में, खुले रूप से स्वीकार नहीं किया है कि उन्होंने इस सैनिक कार्यवाही के लिए आदेश दिए थे अथवा नहीं। इसलिए असम की जनता आंदोलन कर रही है।

अध्यक्ष महोदय : अब आप अपना वक्तव्य समाप्त करें।

डा. जयन्त रंगपी : असम की जनता जानना चाहती है कि सैनिक कार्यवाही अपने-आप कैसे आरम्भ की जा सकती है जबकि न तो राज्य सरकार इस बारे में कुछ जानती है जो कि सबसे पहले राज्य की कानून तथा व्यवस्था के लिए जिम्मेवार होती है और न ही केन्द्र सरकार इस बारे में कुछ जानती है। इसलिए, मैं अनुरोध करता हूं कि केन्द्र सरकार को खुले तौर पर स्पष्ट करना चाहिए और इस संबंध में वक्तव्य देना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि वे इस संबंध में शीघ्र ही एक वक्तव्य देंगे।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी (हावड़ा) : महोदय, मैं इस सदन में कोई विवादस्पद मुद्दा नहीं उठा रहा हूं। मैं केवल यह कहना चाहता

हूं कि आज सत्र का अंतिम दिन है। मैंने समाचार-पत्रों में पढ़ा है कि प्रधान मंत्री जी पाकिस्तान के साथ सचिव स्तर की बैठक करने के लिए सहमत हो गए हैं। जम्मू और कश्मीर में सफलतापूर्वक चुनाव हो जाने के पश्चात् मैं आपके द्वारा यह अनुरोध करता हूं कि पूरे सदन को जम्मू तथा कश्मीर की जनता के प्रति पूर्ण सहानुभूति तथा समर्थन व्यक्त करना चाहिए जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय उग्रवादी समूहों की परवाह किए बिना भारत के संविधान में अपना गहरा विश्वास व्यक्त किया है। इसकी पृष्ठभूमि में यदि, आपके द्वारा अथवा प्रधान मंत्री जी द्वारा इस सभा की सहानुभूति व्यक्त की जाती है तो इससे जम्मू और कश्मीर के लोगों को काफी सांत्वना मिलेगी।

[हिन्दी]

श्री तारिक अनवर (कटिहार) : अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं केन्द्रीय सरकार का ध्यान लोक सभा क्षेत्र कटिहार की और दिलाना चाहता हूं। कटिहार के अंदर दो जूट मिल हैं जिनमें हमारे मजदूर भाई काम करते हैं। लेकिन पिछले कई वर्षों से कटिहार जूट-मिल बंद हैं जिसकी वजह से तीन हजार परिवार उससे प्रभावित हैं और वे भूख की स्थिति से गुजर रहे हैं। मेरा प्रधान मंत्री से निवेदन है कि उन मिलों को खुलवाने के लिए अविलम्ब कार्रवाई की जाए जिससे न केवल उसमें काम करने वाले मजदूरों को ही लाभ मिले बल्कि कोसी परिमंडल में जो किसान जूट पैदा करते हैं और जिनकी रोजी-रोटी उसी पर निर्भर करती है उनको भी लाभ मिले।

अपराह्न 12.04 बजे

[हिन्दी]

सभा पटल पर रखा गया पत्र

संसद में विपक्षी नेता (भत्ते, चिकित्सा और अन्य सुविधाएं) संशोधन नियम, 1996

संसदीय कार्य मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : अध्यक्ष महोदय, मैं संसद में विपक्षी नेता वेतन और भत्ता अधिनियम, 1977 की धारा 10 की उपधारा (3) के अंतर्गत संसद में विपक्षी नेता (भत्ते चिकित्सा और अन्य सुविधाएं) संशोधन नियम, 1996, जो मई, 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 211(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 18/96]

[अनुवाद]

अपराह्न 12.05 बजे

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में पलियाकलां में हवाई पट्टी को शीघ्र चालू करने की आवश्यकता

[हिन्दी]

डा. जी.एल. कनौजिया (खीरी) : अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र लखीमपुर खीरी जो नेपाल बार्डर में लगा हुआ है, उसमें पलिया कलां में हवाई पट्टी बन कर करीब-करीब एक साल से तैयार है। यदि उसको तुरन्त चालू नहीं किया गया तो वहां के स्थानीय ग्रामवासियों का अतिक्रमण होना शुरू हो जायेगा। वर्षा होने वाली है और यहां पर बाढ़ आती है। उस समय स्थानीय नागरिकों का उस पर अतिक्रमण रोकना स्थानीय शासन के लिये मुश्किल होगा। काठमांडू तथा बरेली के बीच में करीब 500 किलोमीटर नेपाल बार्डर पर स्थित यह बहुत महत्वपूर्ण पट्टी है। अतः केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि इस हवाई पट्टी को शीघ्र चालू करवाया जाये।

(दो) मध्य प्रदेश में पेय जल की विकट समस्या को हल करने के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान करने की आवश्यकता

डा. सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश में पेय जल संकट अत्यंत गंभीर स्थिति में है। मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि मध्य प्रदेश में पेय जल प्रदाय हेतु आवश्यकता सहायता एवं प्रबंध के निर्देश करे।

(तीन) दिल्ली और अजमेर के बीच नव निर्मित बड़ी लाइन पर एक नई रेलगाड़ी चलाये जाने की आवश्यकता

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : अध्यक्ष महोदय, 5 जून 1995 ई. को दिल्ली-अजमेर के बीच में नवनिर्मित ब्रॉडगेज रेलवे लाइन का तत्कालीन रेल मंत्री ने उद्घाटन किया था। करोड़ों रुपये खर्च करने के बाद निर्मित इस ब्रॉडगेज लाइन पर आम जनता के उपयोगार्थ एक वर्ष बीत जाने के बावजूद भी कोई यात्री गाड़ी नहीं चलाने के कारण अजमेर के लाखों लोगों में घोर असंतोष व्याप्त है। विभिन्न राजनीति दलों, जन प्रतिनिधियों तथा संगठनों द्वारा निरंतर अनुरोध करने के बावजूद भी अजमेर-दिल्ली के मध्य आम यात्रियों के लाभार्थ कोई गाड़ी नहीं चलायी गई।

मेरा भारत सरकार से आग्रह है कि अजमेर की अन्तर्राष्ट्रीय महत्ता को देखते हुए अजमेर-जयपुर-अलवर-दिल्ली ब्रॉडगेज पर अविलम्ब एक यात्री गाड़ी चलायी जाये जिससे जन साधारण

लाभान्वित हों। यह गाड़ी रेलवे के लिये भी लाभप्रद रहेगी तथा उससे गरीब तथा मध्यम वर्ग के यात्री भी लाभान्वित हो सकेंगे।

[अनुवाद]

(चार) 14 मई, 1996 को केरल में चेप्पड़ में हुई रेल दुर्घटना में हताहत लोगों को मुआवजा देने की आवश्यकता

श्री वी.एम. सुधीरन (अलेप्पी) : महोदय, 14 मई, 1996 को हरिपाद के निकट चेप्पड़ में रेल-बस दुर्घटना के कारण वहां गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें 36 लोग मारे गये तथा 8 गम्भीर रूप से घायल हुए थे। चेपड़ त्रासदी हाल ही के समय की सबसे बुरी त्रासदी है। इस क्षेत्र के लोग इस रेलवे लेवल क्रासिंग पर एक हस्तचालित गेट के लिए चिल्ला रहे हैं।

एर्णाकुल्लम और कायमकुल्लम रेलवे लाइन पर बिना चौकीदार के 58 रेल फाटक हैं। इनमें से अधिकतर रेल फाटक बहुत खतरनाक है और वास्तव में मौत के कुएं है। स्थानीय लोग इन रेल फाटकों के खतरों के बारे में समय-समय पर बताते रहते हैं जहां किसी भी समय बहुत गंभीर दुर्घटना हो सकती है। लेकिन रेल विभाग ने इन स्थानीय लोगों की इस उचित मांग की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया।

मैं रेल मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह प्रत्येक मृतक के आश्रित को कम से कम एक लाख रुपये तथा गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को उचित मुआवजा राशि प्रदान करने की स्वीकृति दें। सरकार से यह भी अनुरोध है इस घनी आबादी वाले क्षेत्र में सभी खतरनाक लेवल क्रासिंग पर शीघ्र चौकीदार वाले फाटक लगाने के लिये कदम उठाये।

मैं, प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक व्यक्ति के परिवार को 40,000 रु. की राशि को स्वीकृति प्रदान करने के लिए, प्रधान मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। जबकि राहत की यह राशि काफी है, फिर भी पीड़ित परिवारों की दयनीय हालत को ध्यान में रखते हुए रेलवे को भी उनकी आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए।

(पांच) पश्चिम बंगाल में हावड़ा स्थित नेशनल जूट मिल के कामगारों का दैनिक कार्य समय पुनः आठ घंटे करने की आवश्यकता।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी (हावड़ा) : महोदय, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी जूट मिल हावड़ा स्थित नेशनल जूट मिल है। जो संक्रैल पुलिस स्टेशन के अंतर्गत है। पिछले सप्ताह मजदूरों को जायज मजदूरी पाने के उनके अधिकार से वंचित करने के लिये उनके कार्य दिवस की अवधि को आठ घंटे से घटा कर पांच घंटे कर दिया गया है। मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह बिना किसी विलम्ब के हस्तक्षेप करके मजदूरों को प्रतिदिन आठ घंटे कार्य करने का अधिकार फिर से दिलाए तथा पटसन पदार्थों के निर्यात तथा बेहतर विपणन नीति पर नए दृष्टिकोण से विचार करें।

(छः) बिहार में पुपरी और सीतामढ़ी टेलीफोन एक्सचेंजो में स्थानीय टेलीफोन सुविधा फिर से चालू करने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री नंवल किशोर राय (सीतामढ़ी) : अध्यक्ष महोदय, बिहार के सीतामढ़ी जिला अन्तर्गत पुपरी अनुमंडल है, जिसका मुख्यालय भी पुपरी में ही है। जनवरी 1996 तक पुपरी एवं सीतामढ़ी टेलीफोन एक्सचेंज से लोकल फोन पर बातचीत होती थी जिससे आम लोगों को काफी सुविधा थी। मगर फरवरी 1996 में यह लोकल सुविधा हटाकर पुपरी एवं सीतामढ़ी टेलीफोन एक्सचेंज को एस.टी.डी. लाईन से जोड़ दिया गया है जिसके कारण स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश फैला हुआ है। सीतामढ़ी और पुपरी की दूरी मात्र 25 कि.मी. का है। राज्य के अन्य सभी जिलों में जिला के अंदर लोकल फोन से ही बातचीत करने की सुविधा है। इसलिये पुपरी और सीतामढ़ी टेलीफोन एक्सचेंज से पूर्व की भांति एस.टी.डी. हटाकर लोकल फोन द्वारा ही आम लोगों को बातचीत करने की सुविधा पुनः प्रदान की जाये। सीतामढ़ी जिला के अंतर्गत सोनबरसा, परिहार, सुरसण्ड, बाजपट्टी एवं रून्नीसैदपुर प्रखंड हैं। सभी प्रखंड टेलीफोन एक्सचेंजों में सीतामढ़ी से बातचीत करने के लिये सिंगल लाईन सर्विस है जिसके कारण दूरभाष से संपर्क करने में लोगों को काफी असुविधा होती है। इसलिये जनहित में सभी प्रखंड टेलीफोन एक्सचेंजों में 10 चैनल के यू.एच.एफ. सिस्टम शीघ्र लगवाने की कृपा करें।

(सात) उत्तर प्रदेश में डुमरिया गंज के गन्ना उत्पादकों को बकाया राशि का शीघ्र भुगतान करने की आवश्यकता

श्री बृज भूषण तिवारी (डुमरियागंज) : अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र डुमरियागंज में गन्ना किसानों की हालत बहुत ही दयनीय है। 1995-96 का बढ़ती गन्ना सहकारी समिति के किसानों का तुलसीपुर चीनी मिल पर 29 लाख रुपया और खलीलाबाद चीनी मिल पर करीब 20 लाख रुपया बकाया है अभी तक उन्हें एक भी किश्त नहीं मिली है। एक लाख 6 हजार क्विंटल गन्ना आपूर्ति करने का आफर था जिसमें केवल 39000 क्विंटल गन्ना ही खरीदा गया है। शेष गन्ने को खेत में जलाना पड़ा। इस प्रकार गन्ना किसानों पर दोहरी मार पड़ रही है। यही हालत बस्ती जनपद के किसानों की भी है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि शीघ्रातिशीघ्र गन्ना मूल्य का भुगतान सुनिश्चित करें।

(आठ) उत्तर प्रदेश में फतेहपुर में बेहतर सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान करने की आवश्यकता

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद (फतेहपुर) : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश के जनपद फतेहपुर संसदीय क्षेत्र के तिन्दवारी, हस्वा, बिन्दकी,

फतेहपुर, किसनपुर में सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था न होने के कारण बड़ी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिये वित्तीय वर्ष में ही राजकीय नलकूप, पम्प नहरे, नहरें शीघ्र बनाना जरूरी है। निचली गंगा नहर में भीषण कटान व सिंचाई के अभाव में किसान भुखमरी के शिकार हो रहे हैं। फतेहपुर जनपद के अन्तर्गत ही जरौली पम्प कैनाल भी अर्द्धनिर्मित है। अतः केन्द्रीय सरकार से अनुरोध है कि इसी वित्तीय वर्ष में ही धन उपलब्ध कराकर राजकीय नलकूपों व नई पम्प नहरों का निर्माण शीघ्र कराया जाये।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब हम विश्वास प्रस्ताव पर आगे चर्चा करेंगे। इस वाद-विवाद के लिए सात घंटे का समय दिया गया था।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया नहीं, अब नहीं। शून्यकाल समाप्त हो गया है।

हमने छः घंटे और 37 मिन्ट का समय वाद-विवाद में लगाया है। कार्य मंत्रणा समिति द्वारा दिए गए सात घंटो में से 23 मिन्ट रह गए हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, अब नहीं। गंभीर मुद्दे उठाने का समय समाप्त हो गया है।

अब हम विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा जारी करेंगे।

माननीय वित्त मंत्री जी।

अपराह्न 12.14 बजे

[अनुवाद]

मंत्रि-परिषद् में विश्वास का प्रस्ताव—(जारी) स्वीकृत

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : अध्यक्ष महोदय, कल से हमने एक और विश्वास के प्रस्ताव पर एक और बहस शुरू की है। किसी देश के जीवन-काल में प्रायः सरकारें इतनी जल्दी-जल्दी नहीं बदला करती, जितनी जल्दी हमारे देश में सरकारें बदली हैं तथा प्रत्येक सरकार को इस सदन में विश्वास का मत प्राप्त करना पड़ता है। किसी भी दृष्टि से देखा जाए, तो ऐसी स्थितियां वास्तव में असामान्य स्थितियां होती हैं, अतः इससे हमें जो अनुभव प्राप्त हुआ है, वह वास्तव में भविष्य के लिए अत्यंत बहुमूल्य साबित होगा क्योंकि ऐसी परिस्थितियां असामान्य स्थितियां होती हैं, अतः जब हम इन चुनौतियों का समाना करते हैं, हमें उनका असामान्य हल भी खोजना पड़ता है।

अपराह्न 12.15 बजे

(श्री पी.एम. सईद पीठासीन हुए)

महोदय, कल महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख न किये जाने अथवा महत्वपूर्ण लोगों द्वारा महत्वपूर्ण बातें न कहे जाने अथवा महत्वपूर्ण व्यक्तियों द्वारा इन मुद्दों को समुचित महत्व देकर इन बातों का उल्लेख नहीं किये जाने के कारण मैं निराश नहीं था, बल्कि मैं इसलिए निराश हुआ था क्योंकि वे 27 एवं 28 मई को हुई चर्चा में दिए गए तर्कों का ही प्रहार के रूप में प्रयोग कर रहे थे। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे प्रिय मित्र श्री जसवन्त सिंह की स्थिति एक ऐसे रूठे और चिड़चिड़े बच्चे के समान है, जिस के खिलौने छीन लिये गये हों तथा वह इस वास्तविकता से समझौता नहीं कर पा रहे हैं कि अब वे सतारूढ़ नहीं हैं।

महोदय, हमने अपनी बहस कहां समाप्त की थी? हमने यह बहस तब समाप्त की थी जब अध्यक्ष महोदय के यह जानने से पहले ही कि क्या हो रहा है श्री वाजपेयी सदन से बाहर चले गए। वह बहस की समाप्ति की घोषणा कर सकते थे अथवा निष्फल घोषित कर सकते थे, जैसा कि अध्यक्ष महोदय ने 1979 में किया था सभा की बैठक **अनिश्चित काल** के लिए स्थगित कर सकते थे। लेकिन मेरे विचार से वह बहस व्यापक रूप से इस सर्वसम्मति से समाप्त हुई थी कि 1996 के चुनावों का जनादेश मिलीजुली सरकार के गठन के पक्ष में है। महोदय, शायद यह संदेश 27 एवं 28 मई को पूरी तरह आत्मसात नहीं किया गया था। लेकिन यदि लगभग 15 दिन बात इस सभा के एक तिहाई सदस्य यह संदेश सीखने अथवा आत्मसात करने से इनकार कर देते हैं, तो मुझे भय है कि ऐसा प्रजातंत्र अथवा इस सभा के कार्यकरण के लिए अच्छा शकुन नहीं है।

मेरे परम मित्र श्री जसवन्त सिंह जिन्होंने मेरे बारे में कल अनेक बहुत अच्छी बातें बताई थीं उन से मेरा यह विनम्र निवेदन है तथा मुझे आशा है कि आज मैं उनमें से कुछ का समुचित उत्तर दे सकूंगा। वर्ष 1996 का संदेश यह है कि इस देश की जनता ने मिली जुली सरकार के गठन के एक्ष में मतदान किया है। आपने हमारी हंसी उड़ाई, आपने हमारी आलोचना की, आपने कम-से-कम हमारे सांझा न्यूनतम कार्यक्रम का शीर्षक तो पढ़ा ही होगा चाहे उसकी विषयवस्तु न भी पढ़ी हो। लेकिन कृपया इस देश में चल रही प्रक्रिया तथा घटनाचक्र को समझिए, जोकि इस तरफ बैठे सभी सदस्यों से प्रदर्शित होता है।

महोदय, बाहर से समर्थन के बारे में काफी कुछ कहा जा चुका है। वर्ष 1989 में भाजपा ने क्या किया था? इसने किसी सरकार को बाहर से समर्थन दिया था। यह एक अलग बात है कि कुछ महीने बाद उस सरकार को सत्ता से बाहर करने में इसकी राजनैतिक नैतिकता की भावना आड़े नहीं आई, वही राजनैति नैतिकता है जिस राजनैतिक नैतिकता की बात उन्होंने कल बड़े जोरदार ढंग से की थी। भाजपा ने उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार के साथ क्या किया? भाजपा ने इसे बाहर से समर्थन दिया था तथा उसके बाद हमेशा की तरह इसकी राजनैतिक नैतिकता ने इसे इस सरकार को गिराने के लिए प्रेरित किया। मैं नहीं समझता कि हमें एक दूसरे को राजनैतिक नैतिकता का सबक सिखाना चाहिए। यदि आप यह मानते हैं कि जो आप कर रहे हैं, वह

ठीक है, तो कृपया ऐसा किजिए, लेकिन जनता के पास जाकर उनका समर्थन मांगिए। यदि मैं यह मानता हूं कि मैं जो कर रहा हूं, वह ठीक है, तो मैं जनता के पास जाता हूं तथा उस पर अपने लिए समर्थन हासिल करता हूं।

महोदय, काफी गलत प्रचार किया गया है। मेरे प्रबुद्ध साथी, श्री मारन ने सबसे पहले यह कहा था कि भा.ज.पा. अछुत पार्टी नहीं है। सभी राजनैतिक दलों की तरह, मैंने भी यह कहते हुए इसका अनुकरण किया कि हमने अपने विकल्प खुले रखे हुए हैं, लेकिन हम केवल उसी पार्टी अथवा पार्टियों को समर्थन दे सकते हैं, जो कुछ मौलिक मूल्यों एवं नीतियों से सहमत हो। यही तथ्य है, यही बात सच है।

हमारी विजय पर हमें बधाई देने वाले अनेक टेलीफोन संदेश हमें मद्रास में प्राप्त हुए हैं। बधाई देने वाले ऐसे लोगों के नाम मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन मैंने किसी को ऐसे संदेश नहीं भेजा, बल्कि हमें ही ऐसे संदेश प्राप्त हुए हैं। मंत्रियों ने 16 मई को कार्यभार सम्भाला था तथा हमसे 17 मई को सम्पर्क किया गया था। हमने उनसे कोई सम्पर्क नहीं किया। ऐसा करने में कोई गलत बात नहीं थी। लेकिन भा.ज.पा. यह समझने में असफल रही कि यदि वह यह मानती कि 1996 के चुनावों से यह संदेश मिलता है कि जनता की आकांक्षा का प्रतिनिधित्व करने वाली सरकार को एकत्रित होकर स्थापित किया जाये तो निष्ठापूर्वक इस दिशा में कठिन प्रयास करना उसका कर्त्तव्य था। भाजपा ने ऐसा नहीं किया। इसने हम पर भाजपा-शिवसेना गठबंधन वाली साम्प्रदायिक सरकार थोप दी। इसने हम पर एक तरफा एजेंडा थोप दिया तथा फिर यह कहा, "हमें समर्थन दो।" उन्होंने हमें क्या बुद्धु समझा था। अतः, इस सभा ने भाजपा के विश्वास मत के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तथा कहा "नहीं, आपका धन्यवाद। आपने हमें जो व्यंजन सूची पेश की थी, न तो उसके प्रति कोई चाहत है और न ही उसके पेशकर्ताओं के लिए हमारे पास कोई जगह है। कृपया आप अपने उन्हीं उचित स्थानों अर्थात् इस सभा के विपक्ष की सीटों पर विराजमान हो जाईये।" लेकिन हमनें क्या किया? हमनें मिली जुली सरकार के गठन के लिए कार्य किया। श्री देवेगौड़ा को प्रधान मंत्री एवं तीसरे मोर्चे के नेता के रूप में चुनना कोई आसान काम नहीं था। तीसरे मोर्चे को संयुक्त मोर्चे में परिवर्तित करना आसान नहीं था। समन्वय समिति को एकत्रित रूप में प्रस्तुत करना तथा इन तालमेल समिति की दिन-प्रति-दिन बैठक आयोजित करना और एक निश्चित कार्यक्रम को तैयार करने की दिशा में कार्य करना कोई आसान कार्य नहीं था। जब राष्ट्रपति जी ने श्री वाजपेयी को सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया, तो इस निराशा को सहन करना कोई आसान कार्य नहीं था। इस सभा में ऐसी सरकार के प्रति संघर्ष करना तथा उसे पराजित करना कोई आसान कार्य नहीं था। एकत्रित रूप से किसी सरकार को स्थापित करना कोई आसान जीत नहीं थी। एकत्रीत रूप से कोई कार्यक्रम पेश करना कोई आसान कार्य नहीं था। लेकिन हमने ऐसा कर दिखाया तथा ऐसा कुछ नहीं किया जिससे कि हमारी हंसी उड़े अथवा आलोचना हो। वास्तव में, जिस प्रक्रिया से हम गुजर रहे हैं, उसके प्रति आपको अवश्य ही अत्यधिक सहानुभूति होनी चाहिये। यह एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें से यह देश अनेक वर्षों तक गुजरता रहेगा। यदि आपको ऐसा प्रतीत होता है कि यह सरकार विकृत है और श्री जसवन्त सिंह विकृत नहीं है, तो ऐसा इस देश की शासन-प्रणाली विकृत होने के कारण प्रतीत होता है। इस देश में जो मत एवं अवधारणाएं व्यक्त की जा रहीं हैं उनके बहुत से रूप हैं। यदि आप उन्हें समझने अथवा उनका अर्थ निकालने में असफल रहते हैं, तो आप ऐसा अपने जोखिम पर कर रहे हैं।

महोदय, दलों के एकत्रित रूप में ऊभरकर सामने आने में आश्चर्यजनक बात क्या है? 1977 में, दल एकत्रित रूप में ऊभर कर समाने आये थे तथा सरकार के एक अत्यंत वरिष्ठ सदस्य ने इस प्रकार के गठबंधन का इस प्रकार उल्लेख किया था। मैं ऊद्धत कर रहा हूं :

> "हमारे दल में अनेक समस्याएं विद्यमान हैं। मुझे इस तथ्य की जानकारी है तथा मुझे विश्वास है कि सभा एवं यह राष्ट्र भी इस तथ्य के प्रति सचेत है कि हम एक धारा बनाने के लिए छह अलग-अलग धाराओं से आए हैं। सवा दो साल पहले हम छह अलग-अलग पार्टियों अथवा समुहों से सम्बद्ध थे, चार दल थे तथा अन्य सभी दल इसके बाद अस्तित्व में आए थे। हम छह अलग-अलग धाराओं को एक प्रमुख धाराओं को एक प्रमुख धारा में परिवर्तित करने के लिए आए थे। हम वैचारिक एवं स्वाभाविक दृष्टि से अलग-अलग लोग हैं। निस्संदेह हमारी अभिलाषाएं हैं। मैं इस तथ्य को क्यों छिपाऊं? आखिरकार सभी राजनीतिक एवं जनजीवन में कार्यरत हैं। यदि कोई ऐसी अभिलाषाएं नहीं थी - जिनमें कि परोपकारिता का तत्व भी शामिल हो - तो जनजीवन में कोई नहीं होता यदि कोई व्यक्ति मात्र परोपकारी ही होता तो वह सन्यासी होता तथा किसी ग्रामीण क्षेत्र में सेवा कर रहा होता और सार्वजनिक जीवन में किसी राजनीतिज्ञ की तरह नहीं होता। जब अभिलाषा एवं परोपकारिता का एक समुचित मिश्रण हो तभी आप वास्तव में प्रजातान्त्रिक राजनीति चला सकते हैं।"

महोदय, दो सौ से भी अधिक सदस्यों को अपनी इस बात से कायल करने वाले यह सदस्य श्री जार्ज फर्नान्डीज ही थे। केवल एक ही व्यक्ति जिसे वे सन्तुष्ट नहीं कर सके, वे थे स्वयं श्री जार्ज फर्नान्डीज। अतः अगले दिन यानि 13 जुलाई को उनके व्यक्तिगत राजनैतिक इतिहास में एक ओर मोड़ आया। लेकिन बात यह है कि सरकार बनाने के लिए दल एकत्रित रूप से पहली बार सामने नहीं आए हैं परन्तु इस बार हमने उस गलती को नहीं दोहराया जो उन्होंने 1977 में की थी। हमने यह नहीं कहा है कि हम अपने लेबल हटा देगें; हम अपनी दलगत विचार धाराओं को समाप्त कर देंगे; हम अपने दलों को समाप्त कर देगें; हम एकत्रित होकर एक बनावटी दल बनाएंगे। हमने ऐसा नहीं किया। हमने आरम्भ से ही एक सत्यनिष्ठ वक्तव्य दिया है, 'हां, यह जनादेश मिली जुली सरकार के गठन के लिए दिया गया है; हम मिली जुली सरकार के गठन के लिए कार्य करेगें;

हम एकत्रित रूप से एक मिली जुली सरकार पेश करेंगे; हम एक कार्यक्रम तैयार करेंगे।' तथा हम एक कार्यक्रम तैयार कर चुके हैं।

महोदय, मेरे पास सम्पादकियों का एक पुलिन्दा मौजूद है। मुझे पूरा विश्वास है कि विपक्ष के नेता श्री जसवन्त सिंह तथा इस सभा के अन्य सभी प्रबुद्ध सदस्यों ने इन सम्पादकियों को पढ़ा है। हम इन सम्पादकियों में अपनी आलोचना किए जाने को महसूस नहीं करते। लेकिन इन सम्पादकियों में किस बात पर जोर दिया गया है? इनमें इस बात पर जोर दिया गया है कि यह एक ऐसा एजेन्डा है जिसको कि कार्यरूप दिया जा सकता है। देश को बीच के इसी रास्ते से गुजरना चाहिए यह सर्वथा एक स्वागत योग्य वक्तव्य है। यह एक अच्छा लेख है तथा इसी के अनुरूप कार्यवाही कीजिए। संयुक्त मोर्चे ने समय के साथ यही गुप्त समझौता किया है। अपने गुप्त समझौते पर कायम रहिए। हमारा व्यावहारिक दृष्टिकोण है जिससे देश आगे बढ़ेगा। आधुनिकीकरण का बोलबाला होगा। यह एक व्यावहारिक और यर्थाथवादी घोषणा-पत्र है। यह आर्थिक सुधारों को जारी रखने के लिए वास्तविक राष्ट्रीय सहमति का द्योतक हैं। संपादकीय में इसी बात पर जोर दिया गया है। प्रबुद्धवर्ग और अपनी राय कायम करने वालों ने गठबंधन सरकार द्वारा तैयार किए गए कार्यक्रम का व्यापक रूप से स्वागत किया है और मुझे विश्वास है कि हम पांच वर्ष में इस कार्यक्रम को कार्यान्वित कर सकेंगे और इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन से देश काफी उन्नति करेगा।

महोदय, अब मैं अपने मित्र श्री जसवन्त सिंह जी की बात पर आता हूं, मुझे विश्वास है कि वह मुझे गलत नहीं समझेंगे यदि मैं यह कहूं कि कल उनकी भूमिका असाधारण, आक्रामक एवं हठधर्मी जैसी थी या मैं कहूं कि यह अस्वाभिमानी या कभी-कभार उद्धत जैसा था। उनके किसी भी शब्द में निन्दा का भाव नहीं है। मैंने उनके कल के भाषण के ये जो विवरण दिए वे "अभिमानी" शब्द के शब्दकोशीय अर्थ हैं। यदि उनका निन्दा भाव है तो मैं उन्हे अभिमानी नहीं कहूंगा। उन्होंने इस सभा से बाहर एक निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में शुरू किया और मैं उसे अपवाद मानता हूं। अध्यक्ष महोदय और इस सभा के अनेक माननीय सदस्यों को विषय से हटकर बोलने के लिए उन्हें रोकना पड़ा। उनका उद्देश्य क्या था? वह एक निर्वाचन क्षेत्र को संबोधित कर रहे थे और चतुराई से लोगों को यह बताने की कोशिश कर रहे थे कि प्रधान मंत्री हिन्दी नहीं जानते हैं इसलिए मैं अंग्रेजी में बोलूंगा। मैंने उस वक्तव्य पर आपत्ति की थी। यदि वह हिन्दी में बोलते तो वास्तव में मुझे बड़ी प्रसन्नता होती उस स्थिति में, मैं उनके भाषण का समझने योग्य अंग्रेजी अनुवाद सुन लेता। महोदय, उन्होंने अपने अंग्रेजी के ज्ञान से केवल ब्रिटिश उच्चारण को अपनाया और सुरक्षित रखा है बल्कि उन्होंने अंग्रेजों की "फूट डालो और राज करो" की प्रवृति को भी अपनाया और सुरक्षित रखा है। मैं उनके कल के भाषण के बारे में इतना ही कह सकता हूं जो कि मेरे मित्र श्री जयपाल रेड्डी ने अन्य संदर्भ में किसी अन्य व्यक्ति के भाषण के बारे में कहा था कि "कृपया, मेरे लिए उनकी अंग्रेजी का अंग्रेजी में अनुवाद करें।" हिन्दी न जानने में कोई शर्म की बात नहीं है। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। किन्तु, यदि आप यह कहें कि हम सब को दूसरी भाषा सीखने का प्रयास करना चाहिए, तो हम सबको दूसरी भाषा में बोलने का प्रयास करना चाहिए। यह एक अलग बात है। मैं इस सभा में बैठकर हिन्दी में कुछ कहने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने अपने मित्र से कहा **"बाद में"**। मैं थोड़ा-बहुत हिन्दी बोलने की कोशिश कर रहा हूं। श्री जसवन्त सिंह जी कृपया मुझे बताइए की आप तमिल भाषा के कितने शब्द जानते हैं।

एक माननीय सदस्य : एक शब्द भी नहीं।

श्री पी. चिदम्बरम : मैं कामचलाऊ हिन्दी बोल सकता हूं। मैं जो हिन्दी बोलूंगा वह अच्छी नहीं होगी। मैं हिन्दी में भाषण नहीं दे सकता हूं। मेरा व्याकरण का ज्ञान अच्छा नहीं है लेकिन मैं काम चला सकता हूं। श्री वाजपेयी जो कुछ बोलते हैं मैं उसे समझ सकता हूं। आप में से बहुत से लोग जो बोलते हैं मैं उसे समझ सकता हूं। हिन्दी न जानना, अंग्रेजी न जानना या कोई अन्य भाषा न जानना को शर्म की बात नहीं है। जिस प्रक्रिया से भी देवेगौड़ा का चुनाव हुआ श्री जसवन्त सिंह उसका मजाक उड़ा रहे थे। वह इस तथ्य का मजाक उड़ा रहे थे कि एक किसान, किसान के परिवार में जन्मा एक बालक, एक व्यक्ति जो स्पष्ट रूप से कह रहा है कि 'हां' मैंने भेड़ें चराई हैं। मैंने पशु चराए हैं। मैंने अपनी मां के लिए गोबर से उपले बनाए हैं। उन्होने ऐसा कहा था। इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। वास्तव में हमें इस बात पर गर्व है कि पहली बार किसान परिवार का व्यक्ति प्रधान मंत्री बना है। महोदय, हो सकता है भारतीय जनता पाटी इनको छोड़कर अपना काम आरंभ करे। मैं समझता हूं कि उन्होंने मुसलमानों, ईसाइयों और दलितों को शामिल नहीं किया है। मैं समझता हूं कि अब वे किसानों को भी शामिल नहीं कर रहे हैं।

हो सकता है कि यदि वे इस देश के किसानों के साथ सत्ता में भागीदारी करें तो जिन राज्यों में वे शासन कर रहे हैं, उनमें गरीबी कम होगी और विकास अधिक होगा। यदि किसान सत्ता में भागीदारी करें जैसा कि कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और केरल और बहुत से अन्य राज्यों में है, यदि यह मध्यम वर्ग, ये किसान और कृषक वर्ग सत्ता में भागीदारी करें तो अन्य राज्यों में विकास के अधिक अवसर हो सकते हैं।

महोदय, राजनीति किसी समय-विशेष पर अवरूद्ध नहीं हो जाती है। हां, मैने 1991 में डी.एम.के. की आलोचना की थी। इस बात का निर्णय तमिलनाडु के लोगों को करना है कि मैं सही था या गलत। 1996 में राजनीति में हमें दानव का सामना करना पड़ा। हमारे सामने एक अभूतपूर्व स्थिति आ गई। यह मेरा दुर्भाग्य है कि मैं लोगों को संतुष्ट नहीं कर सका जब मैंने लोगों को संतुष्ट करने की कोशिश की तो मेरी आखों में आंसू आ गए। यह मेरा दुर्भाग्य है। मैं और मेरे सहयोगी अपनी पार्टी नेतृत्व को संतुष्ट नहीं कर सके, हम सुश्री जयललिता के साथ नहीं चल सके। यह मेरा दुर्भाग्य है। यह मेरी असफलता है, यह मेरी अक्षमता है। लेकिन वह मुझे और मेरे साथियों को अपने राजनीतिक जीवन में सबसे बड़ा जूआ खेलने से नहीं रोक सका, अतः तमिलनाडु की राजनीति पर जिस चीज का प्रभुत्व था उस

बुराई से तमिलनाडु को बचाने के लिए, वृहत और चिरस्थाई भ्रष्टाचार से तमिलनाडु को बचाने के लिए, कानून और व्यवस्था के प्रति पूर्ण उपेक्षा से तमिलनाडु को बचाने के लिए हमें दूसरी लोकतांत्रिक पार्टी डी.एम.के. साथ हाथ मिलाना पड़ा और चुनाव जीतना पड़ा।

यदि श्री मुरासोली मारन और मुझे जो टेलीफोन काल मिले उन पर हमने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की होती, यदि श्री मारन ने श्री जसवन्त सिंह का बायां हाथ और मैंने उनका दाहिना हाथ पकड़ लिया होता तो उन्होंने उठ कर कह दिया होता कि "राम और लक्ष्मन राजनीति के निकुंज से भारतीय जनता पार्टी की सीता का मार्गदर्शन करने आए हैं।" चूंकि हमने उन्हें घत्ता बता दिया, इसलिए उन्हें फुट डालने और शासन करने की पुरानी नीति का सहारा लेना पड़ा। श्री जसवन्त सिंह जी जब तक श्री मारन और मैं तमिलों के साथ हैं तब तक कोई भी व्यक्ति इसमें सफल नहीं हो सकता है।

महोदय, राजनीति – राजनीतिक दलों को अपने बारे, में भ्रम होता है। हम सब उस भ्रम के शिकार हैं। मैं भी इसका शिकार हूं। राजनीतिक दल एक नौका के अलावा और कुछ नहीं हैं और हम उस नौका के खेवैया हैं, हम उसके मल्लाह हैं। मालिक कौन हैं? मालिक वह जनता है जो उस नौका से यात्रा करना चाहती है। मल्लाह का काम लोगों को वहां पहुंचाना है जहां लोग जाना चाहते हैं। मल्लाह यह निर्णय नहीं कर सकता है कि लोगों को कहां जाना चाहिए। डी. एम.के. और टी.एम.सी. नाविक हैं। तमिलनाडु की राजनीति की नौका में तमिलनाडु के लोगों ने जोरदार ढंग से मतदान किया है कि यह गठबंधन तमिलनाडु और वहां के लोगों की रक्षा करेगा। मुझे इसके लिए भारतीय जनता पार्टी से किसी प्रमाण-पत्र की आवश्यकता नहीं है। मुझे तमिलनाडु के लोगों का समर्थन चाहिए। ...**(व्यवधान)**

राजनीति का विकास होता है। इसका विकास होता रहा है। आज एक दूसरा विकास हो रहा है। यदि आप उन शक्तियों को समझने में विफल हो जाते हैं जो इस विकास को चला रहे हैं तो आपको उस परिवर्तन के भावावेग का सामना करना पड़ सकता है। हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? हम राजनीतिक आर्थिक सामाजिक सहमति को व्यापक बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी हमें देश, जो भारत जैसा जटिल और बहुभाषी देश है, का शासन चलाने के लिए आवश्यकता है। हम इनका बहिष्कार नहीं कर सकते हैं और मैं श्री वाजपेयी को नमस्कार करता हूं जिन्होंने कुछ दिन पहले तमिलनाडु का दौरा किया। श्री जसवन्त सिंह उनके साथ नहीं थे। श्री वाजपेयी निश्चित रूप से चतुर व्यक्ति हैं और विकास की शक्तियों को समझते हैं। उन्होंने क्या किया?

यहां पर श्री वाजपेयी की एक अद्भुत छवि देखने को मिली। एक नेक और भोला हंसमुख और शीर्षस्थ नेता की तरह दो लोगों श्री करूणानिधि और श्री मारन से बात कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि जिन्हें श्री जसवन्त सिंह ज्यादा पसंद नहीं करते हैं। श्री वाजपेयी ने डी.एम. के. का वर्णन कैसे किया? " डी.एम.के. भारतीय जनता पार्टी का एक स्वाभाविक सहयोगी है।"

श्री वाजपेयी ने आगे कहा :

कि वह क्षेत्रीय दलों से प्रसन्न हैं, उन्हें प्रसन्नता है कि क्षेत्रीय दल केन्द्र में सत्ता में भागीदारी कर रहे हैं और इससे उन्हें पूरे देश के बारे में सोचने का अवसर मिलेगा। यह विकास की राजनीति है। हर एक का विकास करना होगा, हर एक व्यक्ति को यह समझना होगा कि कुछ अन्य धाराएं और अन्तर्धाराएं है, और दूसरी तरह के मत हैं हमने एक कार्यक्रम बनाया है और मैं समझता हूं कि जिसका कठोर परिश्रमी मध्यमवर्ग, भारत के किसानों और संगठित और असंगठित मजदूर वर्ग और औद्योगिक वर्ग ने सी.पी.आई. और सी.पी.आई (एम) तथा ए.आई.एफ.बी. के साथ जबरदस्त समर्थन किया है, मेरा विश्वास है कि हमने अपने प्रभाव को व्यापक बनाया है और आज प्रधान मंत्री श्री देवेगौड़ा की सरकार को भारत के परिश्रमी लोगों का समर्थन प्राप्त है।

महोदय, मेरी अनन्य मित्र, श्रीमति सुषमा स्वराज का भाषण बहुत अच्छा था। महोदया, मैं जानता हूं कि आपको कुछ लोकप्रिय और मनोरंजक वक्ता क्यों माना जाता है। वह सार्वजनिक सभा नहीं है। यह भारत की संसद है। आपको हम पर टिप्पणी करने से पहले हमारे कार्यक्रम को पढ़ने का शिष्टाचार तो रखना चाहिए था।

श्रीमती सुषमा स्वराज (दक्षिण दिल्ली) : मैंने आपका कार्यक्रम पढ़ा है।

श्री पी. चिदम्बरम : मैं आपकी बात स्वीकार करता हूं। महादेया, मैंने पहले दिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का भाषण सुना और समाचार पत्रों में यह प्रकाशित हुआ है कि साझा न्यूनतम कार्यक्रम में कोई आर्थिक कार्यक्रम शामिल नहीं है। मैंने सोचा था कि शायद जो प्रति उनके पास थी उसमें यह नहीं था।

श्रीमती सुषमा स्वराज : मैंने ऐसा नहीं कहा था। मैंने कहा था कि इसमें बहुत अन्तर्विरोध है। मैंने यह नहीं कहा कि इसमें कोई आर्थिक कार्यक्रम नहीं है। मैंने कहा था कि इसमें आर्थिक भाग में काफी अन्तर्विरोध है।

श्री पी. चिदम्बरम : आर्थिक नीतियों पर दस पृष्ठ हैं। पच्चीस से दस अर्थशास्त्र से संबोधित है क्योंकि हम जानते हैं कि इस देश के लोग यही आशा करते हैं। इसके अलावा, उसने कल कहा था कि हम बीमा क्षेत्र का निजीकरण करने जा रहे हैं। हमने कब कहा था कि हम बीमा का निजीकरण कर रहे हैं?

श्रीमती सुषमा स्वराज : यह पृष्ठ 12 पर है।

श्री पी. चिदम्बरम : महोदया, मैं इसे पुनः पढ़ूंगा। मुझे खेद है कि, मेरे पास केवल प्रमाणिक प्रति है। मेरे पास अप्रमाणिक प्रति नहीं है। **(व्यवधान)**

एक माननीय सदस्य : आप महोदया क्यों कह रहे हैं?

श्री पी. चिदम्बरम : क्योंकि वे मुझे संबोधित कर रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं उन्हे संबोधित करूंगा।

सभापति महोदय : कृपया एक दूसरे को संबोधित न कीजिए। केवल अध्यक्ष पीठ को सम्बोधित कीजिए।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, उन्होंने मेरी पार्टी और अन्य वामपंथी पार्टियों के दृष्टिकोण के बारे में सही नहीं कहा है क्योंकि मैं जानता हूं कि वे टेलिविजन कैमरा को संबोधित कर रहीं थी और टी.वी. कैमरा की ओर देख कर बोल रही थी, सदन में नहीं।

श्रीमती सुषमा स्वराज : श्री चटर्जी, यह सही नहीं है। मैंने अपनी तरफ से एक शब्द भी नहीं कहा। मैंने प्रत्येक शब्द रिपोर्ट से पढ़ा था जो मैंने राज्य सभा पटल पर रखी थी।

श्री पी. चिदम्बरम : हमें इस प्रश्न पर यहां और अभी चर्चा करनी चाहिए।

श्रीमती सुषमा स्वराज : ठीक है, मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूं।

श्री पी. चिदम्बरम : हमें इस प्रश्न पर वाद-विवाद करना चाहिए कि क्या इस कार्यक्रम में भारतीय जीवन बीमा निगम तथा साधारण बीमा निगम के बारे में बातें की गई हैं। उन्होंने याचिका संबंधी समिति के प्रतिवेदन से उद्धृत किया था। उन्हें रक्षात्मक होना चाहिए था। लेकिन वे रक्षात्मक कार्यवाही नहीं कर रही है, उन्होंने जो कुछ कहा था, वे उसका आक्रामक रूप से बचाव कर रही है। इसलिए, हमें इस पर यहां चर्चा करनी चाहिए। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है :

> "वित्तीय क्षेत्र सुधारों में अवसंरचनात्मक विकास के बीच सुदृढ़ सम्बन्ध है।"

क्या किसी का इससे मतभेद है? इसमें आगे यह बताया गया है :

> "अवसंरचना में दीर्घ कालीन वित्त की आवश्यकता होती है।"

वित्त मंत्रालय में तेरह दिन रहने के कारण मेरे मित्र श्री जसवन्त सिंह जी को इस बात से सन्तुष्ट होना चाहिए था, कि यह सच है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : उनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है।

श्री पी. चिदम्बरम : इसमें आगे यह बताया गया है :

> "संयुक्त मोर्चा सरकार वित्तीय क्षेत्र में और सुधार करेगी ताकि अवसंरचनात्मक क्षेत्र में घरेलू तथा विदेशी निवेशों के निवेश को बढ़ाया जा सके।"

श्री जसवन्त सिंह ने ही दो बिलियन डालर से बढ़ाकर 4 बिलियन डालर किया था। वित्तीय क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र की कम्पनियां और निजी क्षेत्र की कम्पनियां साथ-साथ रह कर प्रतियोगिता कर सकती हैं। क्या यह निजीकरण हो गया? क्या इससे भारतीय जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम का निजीकरण होता है? मैं निम्नलिखित और उद्धृत करता हूं :

> "हमने बैंकिंग क्षेत्र के कार्यकरण में काफी अनुभव प्राप्त किया है।"

क्या श्री वाजपेयी, श्री जसवन्त सिंह, भा.ज.पा. यह कहना चाहते हैं कि प्राइवेट बैंकों, सरकारी क्षेत्र के बैंकों और कुछ विदेशी बैंको में सह-अस्तित्व और प्रतियोगिता भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बुरी है?

यदि आप यही कहना चाहते हैं, तो खड़े हो जाइएं और कहिए। मैं उस वाक्य को दोहराता हूं :

> "हमने बैंकिंग क्षेत्र के कार्यकरण में काफी अनुभव प्राप्त कर लिया है। उक्त अनुभव ..."

मैं 'उक्त' शब्द पर बल देना चाहता हूं। मैं आगे उद्धृत करता हूं :

> "उक्त अनुभव बीमा उद्योग के पुनर्गठन पर लागू होगा, लेकिन साथ ही, भारतीय जीवन बीमा निगम, साधारण बीमा निगम, जैसी सरकारी क्षेत्र की कम्पनियां सुदृढ़ की जायेंगी।"

यहां निजीकरण का उल्लेख कहां किया गया है? ...**(व्यवधान)**

श्रीमती सुषमा स्वराज : आप भारतीय जीवन बीमा निगम और साधारण जीवन बीमा निगम के सुदृढ़ीकरण के बारे में साथ-साथ बातें कर रहे हैं लेकिन उसके बैंकिंग क्षेत्र अनुभव को बीमा क्षेत्र पर लागू कर रहे हैं। इसका क्या अर्थ है? ...**(व्यवधान)** श्री चिदम्बरम जी आप बिल्कुल भिन्न ढंग से क्यों बातें करना चाहते हैं? ...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : महोदया, आप केवल तभी बोल सकती हैं जब वे सहमत हों।

श्रीमती सुषमा स्वराज : श्री चिदम्बरम जी, देश को गुमराह न कीजिए ...**(व्यवधान)** आप मल्होत्रा समिति की सिफारिशों को पढ़िए ...**(व्यवधान)**

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, मैं इससे सहमत नहीं हूं।

मेरे विद्वान मित्र को केवल यह करना है कि वे श्री जसवंत सिंह से यह पूछे कि क्या भारतीय जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम को सुदृढ़ करने, प्रतियोगिता और सहअस्तित्व की अनुमति देने से बैंकिंग क्षेत्र में प्राप्त किए गये अनुभव को बीमा क्षेत्र में प्रयोग करने का अर्थ निजीकरण है और उन्हें उसका उत्तर मिल जायेगा।

डा. मुरली मनोहर जोशी (इलाहाबाद) : श्री चिदम्बरम जी, क्या आप मुझे अनुमति देंगे?

क्या आप विदेशी बैंकों के साथ प्रतियोगिता के माध्यम से भारतीय बैंकों के सुदृढ़ीकरण की समस्त परिदृष्य प्रदान करेंगे?

श्री पी. चिदम्बरम : मैंने आपका प्रश्न समझ लिया है।

डा. मुरली मनोहर जोशी : क्या आपका विश्वास है कि समस्त भारतीय औद्योगिक क्षेत्र विदेशी बैंकों के साथ प्रतियोगिता से सुदृढ़ हुआ है? क्या आप जानते हैं कि कई भारतीय कम्पनियां तथाकथित प्रतियोगिता के कारण बहुत गम्भीर मुश्किलों का सामना कर रही हैं? और यहां मेरे मित्र श्री सोमनाथ चटर्जी के राज्य सभा में प्रतिरूप चिल्ला रहे हैं और मेरे मित्र श्री चतुरानन मिश्र और वे सभी कह रहे हैं ...**(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी : मेरी पार्टी का रूख सर्व विदित है। आप मेरे वकील नहीं हैं। आपको मेरी पार्टी का खण्डन करने की आवश्यकता नहीं है। कृपया गुमराह न करें।

डा. मुरली मनोहर जोशी : श्री चिदम्बरम, आप अब कह रहें हैं कि विदेशी कम्पनियों, विदेशी बैंकों तथा विदेशी उद्योगों के साथ प्रतियोगिता से भारतीय उद्योग सुदृढ़ हुआ है। हमें इस पर सभा में पूरी बहस करनी चाहिए।

सभापति महोदय : हम यह किसी अन्य दिन कर सकते हैं।

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, अपने न्यूनतम कार्यक्रम पर हम बहस करने के लिए तैयार हैं। मुझे और अन्य बहुत से कई वरिष्ठ नेताओं को जिन्होंने सांझा न्यूनतम कार्यक्रम तैयार किया है इसे बहुत ही स्पष्ट रूप से कहना चाहिए। साधारण जीवन बीमा निगम और भारतीय जीवन बीमा निगम जैसी सरकारी क्षेत्र की बीमा कम्पनियों को सुदृढ़ करने की हमारी मंशा है। निजीकरण का कोई प्रश्न ही नहीं है। भारतीय जीवन बीमा निगम अथवा साधारण जीवन बीमा निगम के निजीकरण का कोई प्रश्न ही नहीं हैं। यहां से कोई गलत जानकारी नहीं जानी चाहिए।... **(व्यवधान)** मैंने आपका प्रश्न समझ लिया है। भारतीय जीवन बीमा निगम तथा साधारण बीमा निगम के निजीकरण का कोई प्रश्न नहीं है। साथ ही, महोदय, हम बैकिंग क्षेत्र के सह अस्तित्व और प्रतियोगिता के पाठों का पालन करेंगे और हम उन पाठों को बीमा उद्योग के पुनगर्ठन में इस तरह से प्रयोग करेंगे जिससे हमारे विकास और हमारी समाजिक क्षेत्र की गतिविधियों के लिए निधियों का निवेश भारत में होगा।

महोदय, मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि भारतीय जीवन बीमा निगम और साधारण जीवन बीमा निगम के निजीकरण का कोई प्रश्न नहीं है। इसके विपरीत, उनको सुदृढ़ किया जायेगा और आने वाले दिनों में, मैं आपको यह दिखाऊंगा कि मैं भारतीय जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम को कैसे सुदृढ़ करना चाहता हूं।

महोदय, इस कार्यक्रम पर समय-समय पर चर्चा होगी। जब बजट प्रस्ताव प्रस्तुत किए जायेंगे तो उस समय भी इस पर चर्चा करने का अवसर होगा। अन्य अवसरों पर भी इस चर्चा करने का अवसर प्राप्त होगा। लेकिन देश की खातिर मैं इस सभा के सभी वर्गों से यह अनुरोध करता हूं कि वे इस कार्यक्रम को एक अवसर प्रदान करें। हमें यह कार्यक्रम कार्यान्वित करना चाहिए। हमें इसलिए करना चाहिए ताकि हम जिस विकास की अपेक्षा कर रहे हैं, उसकी प्राप्ति हो सकें।

महोदय, मैं तमिल के एक सुविख्यात कवि की कविता उद्धृत करते हुए अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। श्री वाजपेयी को यह कविता सुनकर प्रसन्नता होगी क्योंकि हाल ही में उनकी तमिल कविता में रूचि बढ़ी है और इसके लिए मैं उनका सम्मान करता हूं। यह कम्बन की कविता से है कम्बन बाल्मिकी और तुलसी के समान महान कवि हुए हैं। जब राम को अयोध्या छोड़कर 14 वर्ष के वनवास के लिए कहा गया था, कम्बन ने राम का वर्णन किया है और कहा है :

इप्पोजुधु एम्मानारेल इयामवूडारकु इन्निलो

"क्या मेरे जैसा कवि इस दृष्य का वर्णन कर सकता है?"

सेप्पारम गुनाथिरामन थिरूमुगम सेव्विनोकी

अब मैंने राम का मुख मंडल देखा, जिसमें लाखों विशेषताएं है।

औप्पाडेर मुनबु पिनबु अवासागम उनाराकेट्टु—उनका मुख मंडल "वनवास जाओ" शब्द सुनने से पहले भी वैसा ही था जैसा कि "वनवास जाओं" शब्द सुनने के बाद था - वह अधीर नहीं हुए उन्होंने धैर्य नहीं त्यागा। ओप्पाडेर **मुनबु** का अर्थ है "पहले" **पिनबु** का अर्थ है "बाद में" **अवासगम उनाराकेट्टु** का अर्थ है "वनवास जाओ"।

अप्पोजुड्डु अलारंधा सेनमामाराइयाई ओयाधामा उनका मुख मंडल कैसा था? उनका मुख मंडल यह शब्द सुनने से पहले और बाद में एक खिलते हुए कमल की तरह था, जो कि आप का मनपंसद फूल है ...**(व्यवधान)** दुर्भाग्य से आज की इस चर्चा में और 27 और 28 मई 1996 की चर्चा में मैं यह देख रहा हूं कि आपने चेहरे मुरझाए हुए कमल जैसे हैं।

[हिन्दी]

प्रो. रीता वर्मा (धनबाद) **:** अध्यक्ष जी, कल से जो महत्वपूर्ण चर्चा चल रही है, वह कई बिन्दुओं से गुजरते हुए बार-बार उसी महत्वपूर्ण बिन्दू पर आकर अटक जाती है कि जनादेश किसे मिला है, देश का शासन चलाने की जिम्मेदारी जनता ने किसे सौंपी है। इस पर विचार करने के लिए हमें यह देखना होगा कि यह जो संयुक्त मोर्चा है वह 13-14 या 15 दलों का एक ढीला-ढाला संगठन है ...**(व्यवधान)** और इसका सबसे बड़ा घटक जनता दल है। जनता दल के 44 सदस्य हैं और उन 44 सदस्यों में से 23 सदस्य बिहार से हैं यानि जनता दल की आत्मा बिहार में है। जैसा सुन्दर शासन ये लोग बिहार में चला रहे थे अब उसी का कुछ स्वाद पूरे देश को मिलने वाले हैं। इसलिए हम सबसे पहले यह विचार करें कि इनको बिहार में ही जनादेश मिला है या नहीं, बाद में विचार करें कि बिहार में इन्होंने कैसा शासन चलाया है जिसका नमूना अब ये पूरे देश को देना चाहते हैं।

1991 के चुनाव के बाद, जहां तक मुझे याद है, बिहार से जनता दल के 39 सदस्य चुनकर आए थे। इस चुनाव के बाद 39 घटकर 23 रह गए जबकि चुनाव से पहले ये बड़े फख्र के साथ पूरे प्रदेश में कहते

हुए घूमते थे कि इस बार तो 54 में से 54 सीटे हम ही जीतकर दिखाएंगे, विरोधी दलों को एक भी सीट नहीं मिलेगी, ऐसा इनके मुख्य मंत्री का बड़ें घमंड में भरा वक्तव्य होता था। लेकिन चुनाव के बाद क्या हुआ? ये खुद 39 से घटकर 23 रह गए। जो इनके साथी दल थे, उनकी दुर्दशा तो और भी खराब हुई। भस्मासुर का किस्सा हमने सुना है कि जिसके सिर पर हाथ धरा वही गया। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया शांत रहिए। सभा में बहुत शोर हो रहा है।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : क्या आप बिहार पर बोल रही हैं? ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया बाधा न पहुचाएं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइए। उन्हें बाधा न पहुंचाए।

[हिन्दी]

प्रो. रीता वर्मा : मैं कहना चाहती हूं कि जैसे भस्मासुर जिसके भी सिर पर हाथ धरता था, वह साफ हो जाता था। इनके जो सहयोगी दल सी.पी.आई. और सी.पी.एम. हैं, उनसे पूछिए, आदरणीय चतुरानन मिश्र जी का क्या हाल हुआ। बिहार में कहते हैं सी.पी.आई. हाफ और सी.पी.एम. साफ। ऐसा जनादेश मिला है कि खुद ही साफ हो गए और जब बिहार की जनता ने नकार दिया जहां इनके सबसे ज्यादा मैम्बर्स चुनकर आए हैं और ये कहते हैं कि हमें देश में शासन चलाने का जनादेश मिला है। अपने प्रदेश में तो जनता ने इन्हें नकार दिया और उसकी व्याखा कर रहे हैं कि देश ने इन्हें शासन चलाने का अधिकार दिया है। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइए। कृपया बाधा न पहुचाएं। कृपया व्यवधान न डालें।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. रीता वर्मा : सभापति जी, अब हम लोग जरा इस पर भी विचार करें कि इनकी ऐसी दुर्दशा बिहार में क्यों हुई, इन्होंने बिहार में कैसा शासन चलाया था, जिसको कि यह अब दिल्ली में बैठकर सारे देश पर चलाना चाहते हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया इस तरह से बाधा मत पहुंचाइए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : किसी बात की कोई सीमा होती है। इस तरह का व्यवहार मत कीजिए। कृपया बैठ जाइए। अन्यथा, मैं आपका नाम लेकर आपको बैठने के लिए कहूंगा।

(व्यवधान)

श्री चन्द्र शेखर (बलिया) : सभापति महोदय, यदि इस तरह का व्यवहार नहीं रूकता है तो यह सभा कार्य नहीं कर सकती है और सदस्य को उसके व्यवहार के लिए चेतावनी दी जानी चाहिए। इस सभा में इसे सहन नहीं किया जा सकता है। यदि इस तरह का व्यवहार जारी रहा तो मैं नहीं जानता कि यह सरकार कितने दिन चलेगी।

सभापति महोदय : मैं इस बात से सहमत हूं कि इस सभा में इस तरह का व्यवहार सहन नहीं किया जा सकता है। यदि सभा को ठीक से चलाना है तो सभा में शान्ति होनी चाहिए। किसी भी तरफ से इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए।

श्री बीजू पटनायक (आस्का) : सभापति महोदय, जब कोई महिला सदस्य बोले तो उस समय सभा एकदम शांति होनी चाहिए।

सभापति महोदय : मेरा भी यही कहना है।

[हिन्दी]

रेल मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : सभापति जी, पूरा देश और विदेश भी देख रहा है और जो इस तरह की कार्यवाही है, निश्चित रूप से हम उसको एप्रूव नहीं करते हैं और हमें खेद है। लेकिन मैं यह बात कहना चाहूंगा कि यह ... **(व्यवधान)** आप खेद प्रकट करने की भी अनुमति नहीं देंगे? यह क्या बात है। लेकिन एक बात समझनी चाहिए कि भारत सरकार विश्वास मत प्राप्त करने के लिए आई है, हम विश्वास प्रस्ताव पर बोल रहे हैं, बिहार सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर नहीं बोल रहे हैं ...**(व्यवधान)**

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी) : क्यों नहीं बोलेंगे? क्या आप लोग नहीं बोले हैं?

प्रो. रीता वर्मा : सभापति जी, मैं भी बिहार सरकार के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर नहीं बोल रही हूं। मैं सिर्फ यही समझा रही हूं,

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उसी का व्याख्या कर रही हूं कि बिहार में इन्हें जनादेश क्यों नहीं मिला, क्यों यह पहले से आधे रह गये, तब यह देश का शासन करने के लिए इस की व्याख्या करते हैं। मैं उसी के विरूद्ध यह तथ्य आपके सामने ला रही हूं कि यह अपने गिरेबान में झांके कि बिहार में क्यों इनको जनादेश नहीं मिला, मैं इसको भी बताना चाहती हूं।

[अनुवाद]

श्री कन्नडा रामैय्या (चित्रदुर्ग) : सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का एक प्रश्न है।

सभापति महोदय : उन्होंने जो कुछ कहा है उसमें कुछ भी असंसदीय नहीं है। अतः व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. रीता वर्मा : बिहार की जनता ने इनको नकार दिया, क्योंकि इनके घोर भ्रष्टाचार के कारण, इनके घोर वित्तीय अराजकता के कारण, इनके कुशासन के कारण, इनके कुराज के कारण, इन्होंने जो वहां पर पशुपालन घोटाला किया है ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप अपने भाषण में दौरान उत्तर दे सकते हैं। उन्होंने जो कुछ कहा है उसमें कुछ भी अससंदीय नहीं है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइए। इसमें कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है। यदि किसी असंसदीय शब्द का प्रयोग किया गया है तो मैं उसे निकाल दूंगा।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : वह भ्रष्टाचार के बारे में आम बात कह रहे हैं। आप क्या बात कर रहे हैं?

[हिन्दी]

प्रो. रीता वर्मा : जरा ध्यान से सुनिए। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : वह आपको बोलने की अनुमति नहीं दे रही हैं?

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप आपने भाषण के दौरान उत्तर दे सकते हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री आनन्द मोहन (शिवहर) : बिहार में इन्होंने की अराजकता फैलाई है। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री मोहन, कृपया बैठ जाइए। आपको ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। आप नए सदस्य हैं।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी (दरभंगा) : सभापति जी, मैं कहना चाहता हूं। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइए। मैं आपको बोलने की अनुमति नहीं दूंगा।

(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री आनन्द मोहन, मुझे आपका नाम लेना पड़ेगा। ठीक से पेश आइए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : नीतिश कुमार जी, कृपया अपने सदस्यों को नियंत्रित कीजिए।

(व्यवधान)

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, विश्वासमत पर चर्चा हो रही है। बिहार के चारा घोटाले पर चर्चा नहीं हो रही है।...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : वह भ्रष्टाचार के आम मामलों की बात कर रहा है।

[हिन्दी]

प्रो. रीता वर्मा : सभापतिजी, मैं सदन से अपील करूंगी कि जरा ध्यान से सुनें। मैं इनकी सरकार के बारे में माननीय उच्च न्यायालय ने क्या कहा है, उसको रेफर करना चाहती हूं। ये मेरे शब्द नहीं है, उच्च न्यायालय ने जो आब्जर्व किया है, वह मैं सुनाना चाहती हूं।

[अनुवाद]

"राज्य में विभिन्न क्षेत्र के लोगों को, धन की कमी होने का भ्रामक तर्क देकर परेशानी में डाला गया है। राज्य का सीमित धन, जिसका लोगों के कल्याण के लिए

* कार्यवाही वृत्तांत के सम्मिलित नहीं किया गया।

उपयोग किया जाना चाहिए था, उसको व्यवस्थित तरीके से अत्यधिक मात्रा में लूटा गया है।...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। ... **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : उनका व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मुझे इसका निर्णय करना है। बोलिए किस नियम के तहत व्यवस्था का प्रश्न है।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : सभापतिजी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि माननीय सदस्या जो सवाल उठा रही हैं, इस सवाल को सदन में 50 बार उठाया जा चुका है।

अपराह्न 1.00 बजे

और बार-बार इस सवाल को दोहराने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा मैं सोचता हूं। यह विश्वास का प्रस्ताव है और जो आदमी यहां जबाब नहीं दे सकता, उसके ऊपर आरोप लगान का काम किसी सदस्य को नहीं करना चाहिये और जो संगीन मामला हो, उसको इस सदन में नहीं उठाना चाहिये। मैं आपसे व्यवस्था चाहता हूं। ...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : यह व्यवस्था को कोई सवाल नहीं है। मैं सांसद से अनुरोध करूंगा कि इतना कन्ट्रोवर्सियल मैटर है और

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री कमारूल इस्लाम (गुलबर्ग) : महोदय, मैं नियम 353 के तहत व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।...**(व्यवधान)**

प्रो. रीता वर्मा : यह कहा गया है कि,

"राज्य का सीमित धन, जिसका लोगों के कल्याण के लिए उपयोग किया जा सकता है..."...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : उनका व्यवस्था का प्रश्न है, मुझे इसे सुनने दीजिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. रीता वर्मा : इसी तरह यह बोलने नहीं देंगे।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री कमारूल इस्लाम : सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न उस ओर के एक माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए मामले से संबंधित है। वह चारा घोटाले का उल्लेख कर रही थीं। महोदय वास्तव में यह चारा घोटाला नहीं है। यह कोषागार से अधिक धन-राशि निकालने का मामला है जो वर्ष 1977 से चल रहा था। पहली बार बिहार के मुख्य मंत्री ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था और इसकी न्यायालय ने भी सराहना की है। माननीय सदस्य को सर्वप्रथम उच्च न्यायालय के निर्णयन के अंतिम भाग को पहले पढ़ना चाहिये और तत्पश्चात उच्चतम न्यायालय के निर्णयन को पढ़ना चाहिये। कृपया सभा को गुमराह मत करें।...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : कृपया मेरी बात सुनिये, **(व्यवधान)** वह निर्णयन से उद्धरण दे रही है और यह किया जा सकता है।

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : उनको सभा को गमुराह नहीं करना चाहिये।...**(व्यवधान)**

श्री श्रीकान्त जेना (केन्द्रपारा) : महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : हम कार्यवाही वृतांत को देखेंगे। अगर कुछ भी गलत अथवा आपत्तिजनक पाया जाता है तो उसको कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया जायेगा।

[हिन्दी]

प्रो. रीता वर्मा : सी.बी.आई. इन्क्वायरी से इतना डर क्यों लगता है?

[अनुवाद]

"राज्य के सीमित साधन को जनता के कल्याण के लिये प्रयोग किया जा सकता था, परन्तु उनकी बड़ी मात्रा में सुव्यवस्थित तरीके से लूट की गई। इस स्थिति में जनता की स्वाभाविक इच्छा है कि दोषियों को सजा मिले।" ...**(व्यवधान)**

श्री श्रीकान्त जेना : महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : वह व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहते हैं। मैं व्यवस्था के प्रश्न को उठाए जाने को नहीं रोक सकता हूं।

श्री श्रीकान्त जेना : महोदय, मैं आपका ध्यान नियम 115 की ओर दिलाना चाहता हूं। पिछली बार जब माननीय सदस्य, श्री जार्ज फर्नान्डीज ने चर्चा में भाग लेते हुए निर्णय का उद्धरण दिया था तो मैंने प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम के परन्तुक की तरफ ध्यान दिलाया था और अब भी माननीय सदस्य उस निर्णयन का उद्धरण दे रही हैं। श्री जार्ज फर्नान्डीज ने गलत उद्धरण दिया था। इसलिये, मैंने उनके खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव दिया था।...**(व्यवधान)** कृपया

मुझे अपना भाषण पूरा करने दें। अध्यक्ष के समक्ष विशेषाधिकार प्रस्ताव तथा पटना उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के निर्णयन उनके निर्णय के लिए लंबित है। इसलिये, जब विशेषाधिकार प्रस्ताव अध्यक्ष के निर्णय हेतु लंबित है तो क्या कोई सदस्य उस निर्णयन का उद्धरण दे सकता है? श्री जार्ज फर्नान्डीज ने निर्णयन का गलत उद्धरण दिया था, इसलिये, मैंने सारा मामला अध्यक्ष का निर्णय अभी आना है। इसलिये, क्या वह निर्णयन का उद्धरण दे सकती हैं? ...**(व्यवधान)**

मानव संसाधन विकास मंत्री और कोयला मंत्री के पद का अतिरिक्त प्रभार (श्री एस.आर. बोम्बई) : महोदय, श्री वाजपेयी द्वारा पेश किए गए विश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान यह मुद्दा उठाया गया था। यह मामला उठाया गया था। माननीय अध्यक्ष ने निर्णय दिया है कि इसको उठाया नहीं जा सकता है।

प्रो. रीता वर्मा : नहीं ...**(व्यवधान)**

श्री एस.आर. बोम्बई : यह कार्यवाही वृतान्त का अंग है। माननीय अध्यक्ष ने निर्णय दिया है। कृपया कार्यवाही वृतान्त को देखें।

सभापति महोदय : मैं लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 115 का उद्धरण दे रहा हूं।

> "विधेयक के इस प्रकार पटल पर रखे जाने के बाद किसी भी समय, सरकारी विधेयक की अवस्था में कोई मंत्री या किसी अन्य अवस्था में कोई भी सदस्य यह प्रस्ताव करने के अपने विचार की सूचना दे सकेगा कि विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री श्रीकान्त जेना : मैं भी इसी नियम का हवाला दे रहा हूं। मैंने माननीय अध्यक्ष को लिखा है कि श्री जार्ज फर्नान्डीज ने पटना उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के निर्णयनों का गलत उद्धरण दे कर सभा को गुमराह किया है। मेरा विशेषाधिकार प्रस्ताव माननीय अध्यक्ष के पास लम्बित है।

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

सभापति महोदय : क्या यह निदेश पुस्तिका से है?

श्री श्रीकान्त जेना : यह निर्देश पुस्तिका से है।

सभापति महोदय : मैं सभा के लाभ के लिए उद्धरण दे रहा हूं।

> "कोई सदस्य जो किसी मंत्री या अन्य सदस्य द्वारा दिये गये वक्तव्य में किसी भूल या अशुद्धि की ओर ध्यान दिलाना चाहे, सभा में उस विषय का उल्लेख करने से पूर्व अध्यक्ष को मूल या अशुद्धि का ब्यौरा लिखेगा और उस विषय को सभा में उठाने के लिए उसकी अनुमति मांगेगा।"

श्री श्रीकान्त जेना : मैंने भी यही कहा है। जब श्री जार्ज फर्नान्डीज ने यह मामला उठाया था तो मैं यह मामला अध्यक्ष के ध्यान में लाया था और यह अध्यक्ष के पास लंबित है। माननीय सदस्य पुनः इसको कैसे उठा सकती हैं?

सभापति महोदय : निस्संदेह यह अध्यक्ष के पास लंबित पड़ा है।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज (नालन्दा) : सभापति जी, मुझे यह कहना है कि इस सदन में पिछले महीने की 27 तारीख को मैंने उस जजमेंट को पढ़ कर सुनाया था, जिसको पटना हाईकोर्ट ने दिया था। उस पूरे जजमेंट को हमने सदन के सामने रखने की तैयारी की थी, लेकिन मुझ से उस जजमेंट को नहीं लिया गया। उस समय माननीय श्री श्रीकान्त जेना ने यहां से एक बात कही थी कि हमने सदन को गुमराह किया है और जजमेंट को आखिर जुमला पढ़ कर सुनाया था और यह कहा था कि मैंने सदन को गुमराह किया है। उसके पहले अदालत ने बिहार सरकार के कुकृत्यों के बारे में जो-जो कुछ कहा था, वह भी मैंने पढ़ कर सुनाया और उससे सदन गुमराह हो गया। फिर यह भी कहा गया, कई लोगों की ओर से, कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में तीन दिन में जजमेंट दे दिया और कहा कि यह जो हाईकोट का फैसला है, वह बराबर है।...**(व्यवधान)** सभापति जी, अब सवाल प्रिवलैज मोशन का आता है। मैंने उस दिन कहा था कि मैं प्रिवलैज मोशन का स्वागत करता हूं और मेरी आपसे प्रार्थना है कि यह जो प्रिवलेज मोशन है ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइये।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैं एक वाक्य बोल कर अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि पूरा सदन...**(व्यवधान)** उसको ले कर पूरे दिन की बहस उस पर हो जाए। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मुझे याद है जब पिछली बार माननीय सदस्य निर्णयन का उद्धरण दे रहे थे तो मैं यहां पर था और अब प्रो. रीता वर्मा जी निर्णयन के कुछ अंशों का उद्धरण दे रही हैं। यह न्यायालय में लंबित नहीं है। अगर माननीय सदस्य निर्णय के कुछ अंशों को गलत संदर्भ में उद्धत कर रही हैं तो मेरे विचार से पूर्णरूपेण उसको पढ़ा जाना चाहिये और सभा के लाभ हेतु उसको सभा पटल पर भी रखा जाना चाहिये। श्री जार्ज फर्नानडीस आप वरिष्ठ सदस्य हैं। आप जानते हैं। आप इस प्रकार से क्यों कर रहे हैं?

[हिन्दी]

प्रो. रीता वर्मा : सभापति जी, अभी मैंने गिल्टी पर्सन्स का उल्लेख किया था।...**(व्यवधान)**

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : सभापति जी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है।...**(व्यवधान)**

प्रो. रीता वर्मा : नहीं, नहीं। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रो. रीता वर्मा, आप इसको सभा पटल पर रख दीजिये।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : सभापति जी, जब हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है तब हाई कोर्ट का फैसला ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

प्रो. रीता वर्मा : मैं अपनी बात समाप्त नहीं कर रही हूं। ... **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : मैं उनको बोलने की अनुमति दे रहा हूं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैंने पहले ही विनिर्णय दे दिया है। कृपया बैठ जाइये।

अपराह्न 1.12 बजे

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं बोल रहा हूं। श्री राम नाईक, मैं बोल रहा हूं। श्री राम नाईक जी, हां, आप बोल रहे हैं। क्या आप उन्हें बैठने के लिए कह सकते हैं?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें यही कहूंगा। लौढा जी, मेरे विचार में मामला समाप्त हो गया है। पीठासीन अधिकारी ने विनिर्नय दे दिया है। प्रो. रीता वर्मा आपने कहा है कि आपको केवल पांच मिनट चाहिये। क्या आपने ऐसा नहीं कहा? कृपया अब अपना भाषण समाप्त कीजिए।

[हिन्दी]

प्रो. रीता वर्मा : अगर ये लोग शांति से सुनें तो मैं अपनी बात पांच मिनट में खत्म कर दूंगी।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया यह याद रखिए कि यह किसी अन्य सरकार के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव नहीं है। यह विश्वास प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

प्रो. रीता वर्मा : अध्यक्ष जी, अभी मैंने गिल्टी पर्सन्स का उल्लेख किया। आगे जजमेंट में इसका भी खुलासा आ जाता है ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

"सचिवालय तथा सरकारी स्तर पर उच्च पदों पर आसीन लोगों के खुले समर्थन और शुभाशीष के बिना वर्ष दर वर्ष अतिरेक निकासी नहीं की जा सकती थी।"

अध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था बनाये रखें।

(व्यवधान)

श्री गुमान मल लोढा (पाली) **:** प्रधान मंत्री महोदय को अपने सदस्यों से उचित व्यवहार करने के लिए कहना चाहिये ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अब कृपया समाप्त कीजिये। इतना पर्याप्त है।

[हिन्दी]

प्रो. रीता वर्मा : अध्यक्ष जी, मैं पांच मिनट कहां बोली हूं, मैं तो दो मिनट ही बोली हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। यहां बच्चों जैसा व्यवहार मत कीजिए। दोनों ओर के सभी सदस्यगण माननीय संसद सदस्य हैं।

[हिन्दी]

श्री विनय कटियार (फैजाबाद) **:** यह बचपना नहीं चलेगा। उधर से लगातार टोका-टाकी हो रही है।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : जसवन्त सिंह जी, देखिये आपके सदस्य किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा। आप सभी इस सभा के माननीय सदस्य हैं। आप बहुत अच्छे हैं। आपके इस व्यवहार के लिए देश के लोग आपकी प्रशंसा कर रहे हैं। वह सभी संपूर्ण भारत संपूर्ण विश्व हमारी प्रशंसा कर रहा है। आप इस बात को समझते क्यों नहीं?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। आप इस प्रकार खड़े नहीं हो सकते। आप सभा में बैठना चाहते हैं या नहीं?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप सदन में बैठना चाहते हैं या नहीं?

[अनुवाद]

रीता जी, अब कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए। अन्यथा, अब मैं अगले वक्ता को बुलाने जा रहा हूं।

[हिन्दी]

प्रो. रीता वर्मा : अध्यक्ष जी, मुझे शांति से बोलने का मौका दें। मैं पांच मिनट में ही बात खत्म करूंगी। इंटरप्शन से समय बरबाद होता है। मैं आगे यह कहना चाहती हूं कि ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : रीता जी, यह कॉनफिडैंस मोशन है। किसी सरकार के खिलाफ नो कॉनफिडैंस मोशन नहीं है।

[अनुवाद]

आपको यह मालूम होना चाहिये। कृपया अपना भाषण संक्षिप्त रखिये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने ऐसा ही कहा है।

[हिन्दी]

डा. मुरली मनोहर जोशी : अध्यक्ष जी, कल्याण सिंह की सरकार पर आक्षेप लगाया गया है। अगर अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में कोई बात कही जाये तो ही रोका जाये।

प्रो. रीता वर्मा : अध्यक्ष जी, मैं जो कुछ बोल रही हूं वह सत्य है और सत्य तो कड़वा होता ही है। उसे पचाने का सामर्थ्य होना चाहिये। माननीय उच्च न्यायालय ने कहा

[अनुवाद]

> "राज्य सरकार ने उन अधिकारियों को संरक्षण दिया, जो पहले से ही संदेह के घेरे में थे और जो अब प्रमुख अभियुक्त हैं। इस प्रकार, जांच प्रक्रिया पर सरकार द्वारा प्रभाव डालने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।"

[हिन्दी]

अध्यक्ष जी, आपने सुन लिया कि किस ने अपराधियों को संरक्षण दिया, किस ने घोटालेबाजियों को संरक्षण दिया। यह मैं नहीं कह रही हूं, माननीय उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा है कि स्टेट गवर्नमैंट ने सारे घोटालेबाजियों को खुल कर संरक्षण दिया।... **(व्यवधान)** बिहार एक ऐसा राज्य हो गया ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष जी, मैं इनकी सरकार के करैक्टर पर एक बात ही उद्धृत करूंगी और इसके आगे कुछ नहीं कहूंगी क्यों कि यह एक टैलिंग कमैंट्री है।

[अनुवाद]

जब रोम जल रहा था तो नीरो निष्प्रयोजन घूम रहा था। **(व्यवधान)**

श्री श्रीकान्त जेना : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। मैंने अगले वक्ता को बुलाया है।

[हिन्दी]

प्रो. रीता वर्मा : मैं दो मिनट बोलना चाहती हूं ...**(व्यवधान)** अध्यक्ष जी, घोटाला किस कीमत पर हुआ, मैं उसकी तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री श्रीकान्त जेना : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

मैं आपका ध्यान नियम 222 की ओर दिलाना चाहता हूं। नियम 222 के अतंर्गत मैंने इसी विषय पर अर्थात् बिहार में वर्ष 1977 से चली आ रही खजाने की लूट के संबंध में पटना उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर विशेषाधिकार-हनन का नोटिस दिया था। इस संबंध में श्री जॉर्ज फर्नान्ड़ीज जी ने सभा को गुमराह किया है...**(व्यवधान)** सर्वोच्च न्यायालय और उनके निर्णय को इस सभा में गलत ढंग से उद्धृत क्यों किया जा रहा है ...**(व्यवधान)** मैं सिर्फ आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं और आपसे संरक्षण चाहता हूं। आखिरकार, पटना उच्च न्यायालय ने क्या कहा है? नयायालय की टिप्पणी इस प्रकार से है ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : उनका व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री श्रीकान्त जेना : इसके निर्णय को इस प्रकार पढ़ा जा सकता है :

> "इससे अलग होने से पहले, मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस निर्णय में जो निष्कर्ष दिये गये हैं, वे इन याचिकाओं के लिए ही हैं। उन्हें किसी मामले में किसी भी प्रकार से उसके गुणा वगुण के संबंध में न्यायालय की राय के रूप में नहीं लिया जाना चाहिये।"

महोदय, मैं तो मात्र आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और आपका संरक्षण चाहता हूं। श्री जॉर्ज फर्नान्डीज और भारतीय जनता पार्टी के सभी सदस्यों को यह मानकर नहीं चलनी चाहिए कि वे जो कुछ कहेंगे सभा उसे स्वीकार कर लेगी।

अध्यक्ष महोदय : जेना जी, ठीक है, कृपया बैठ जाइये। विशेषाधिकार-हनन पर नोटिस अभी अध्यक्ष महोदय के विचारार्थ है। किसी जानकारी के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। आप कुछ जानकारी दे रहे हैं। यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं हो सकता। इसका संबंध सभा की प्रक्रिया, नियमों की व्याख्या से होना चाहिए।

[हिन्दी]

प्रो. रीता वर्मा : अध्यक्ष जी, मैं 2-3 मिनट चाहती हूं।

अध्यक्ष महोदय : 2-3 मिनट नहीं, केवल एक मिनट में।

प्रो. रीता वर्मा : अध्यक्ष जी, ये जो कहते हैं कि यह सरकार दलितों, पीड़ितों और शोषितों की सरकार है तो जरा देखिये कि देश को कैसा शासन देने वाले हैं, इसकी एक झलक बिहार में पहले ही दिखा चुके हैं। उसके बारे में यह बताना चाहती हूं कि उन्होंने जो पशु-पालन घौटाला किया है, उसका सबसे बुरा असर राज्य की कल्याणकारी योजनाओं पर पड़ा है क्योंकि पिछले छः सालों से सारी कल्याणकारी योजनायें बंद पड़ी हुई है। जब राज्य के दलितों और पीड़ितों पर यह असर पड़ा है, तब यह कैसे दावा कर सकते हैं ... **(व्यवधान)**... सारी विकास योजनाये ठप्प पड़ी हुई है, वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिल रही है...

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इतना पर्याप्त है। अब मैं ममता जी को बुलाता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब कृपया बैठ जाइये। मैंने अगले वक्ता को बुलाया है।

[हिन्दी]

प्रो. रीता वर्मा : अध्यक्ष जी, मुझे एक मिनट और दें... **(व्यवधान)**... यहां तक कि आपने दया करके मुझे समय दिया ... **(व्यवधान)**... बिहार की सारी विकास योजनायें ठप्प पड़ी हैं, जिला स्तर पर विकास कार्यों के लिये विधायक को स्टेट गवर्नमेंट फंड से जो 3 लाख रुपये मिलते हैं, वे बंद हैं। इस तरह से इन लोगों ने लूट मचाई है कि जिला योजना की राशि भी नहीं दी गयी है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया सीमा मत लांघिए। अब कृपया अपनी सीमाएं मत लांघिए। मैं आपको पहले भी दो-तीन बार कह चुका हूं। रीता वर्मा जी, आपकी जिम्मेदारी सभा के अन्य सदस्यों से कहीं ज्यादा है क्योंकि आपका नाम अध्यक्ष तालिका में हैं। कृपया इस बात को समझने की कोशिश कीजिये।

प्रो. रीता वर्मा : महोदय, अब मैं अपना भाषण समाप्त कर रही हूं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष जी, मैं कन्कलूड करना चाहती हूं और यह कह रही हूं कि ये कहते हैं कि इनको बिहार से जनादेश मिला है। अगर इनके बिहार से 40 से ज्यादा सदस्य आते तो आज जो व्यक्ति प्रधान मंत्री की कुर्सी पर बैठे हुये हैं, उनको यह सौभाग्य नहीं मिलता बल्कि उस पर बिहार के मुख्य मंत्री श्री लालू यादव बैठते।

[अनुवाद]

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : महोदय, मेरा नियम 179 के अंतर्गत व्यवस्था का प्रश्न है। महोदय, मैं आपका ध्यान नियम 179 की ओर दिलाना चाहता हूं। ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : नियम 179 प्रस्ताव के बारे में नहीं बल्कि संकल्प के बारे में है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. रीता वर्मा : ये कैसे कह सकते हैं कि इनको जनादेश मिला है? अध्यक्ष जी, मैं जिस जगह से आती हूं, उसे झारखण्ड और वनाञ्चल कहते हैं। उसमें इनको कितना जनादेश मिला है? 14 में से एक भी सीट नहीं मिली है और हम 14 में से 12 जीतकर आए हैं। बताइए जनादेश हमें मिला है या इन्हें मिला है? इनका सूपड़ा साफ हो गया है। मुख्य मंत्री जी कहते थे कि अलग वनाञ्चल राज्य उनकी लाश पर बनेगा। जनता ने चुनावों में बता दिया है कि वनाञ्चल राज्य बनेगा चाहे कोई रहे या न रहे। मैं प्रधान मंत्री से अनुरोध करना चाहूंगी कि जनादेश की इस भावना का सम्मान करें और अलग वनाञ्चल राज्य बनाकर जनादेश को पूरा करें।

अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपकी बहुत-बहुत आभारी हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब सभा में व्यवस्था होनी चाहिये।

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : अध्यक्ष महोदय, इस सभा का सदस्य होने के नाते मुझे इस बात का खेद है कि जबकि सारा विश्व और हमारे देश की जनता इस सभा के सदस्यों के कार्य को देख रहीं हैं, मालूम नहीं हम उन पर कैसा प्रभाव छोड़ रहे हैं। मैं अपनी ओर से तथा अपनी पार्टी की ओर से अपने दुर्व्यवहार के लिए इस देश के लोगों से क्षमा चाहती हूं। महोदय, मैं ग्यारहवीं लोक सभा के प्रथम प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी तथा अपने वर्तमान प्रधान मंत्री श्री देवेगौड़ा को बधाई देती हूं। महोदय, मैं आयु में अपने से सभी बड़ों और छोटों तथा अपनी बड़ी और छोटी बहनों का अत्यधिक सम्मान करती हूं। 24 मई के उस विशेष दिन, जब मैंने सभा

से बहिर्गमन किया, हालांकि यह उचित नहीं है, और मैं नियमों से परिचित हूं। लेकिन वाजपेयी जी ने उन तथ्यों को स्वीकार किया और मैं यही चाहती थी। मैंने कभी गौ वध या ऐसा कुछ भी नहीं देखा है लेकिन मैं चाहती थी कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में धार्मिक मामले से संबंधित कुछ नहीं जाना चाहिये ताकि जनता तक यह गलत संदेश अथवा गलत संकेत न जाये कि हम अल्पसंख्यकों को उनके वैध अधिकार से वंचित कर रहे हैं। महोदय, अल्पसंख्यक कौन नहीं है? हमारे दल को अपने राज्य में बहुमत मिला है लेकिन महाराष्ट्र राज्य में हम अल्पमत में हैं। किसी को नागालैण्ड में बहुमत मिला तो अरुणाचल प्रदेश में वह अल्पमत में है। महोदय जिसे असम में बहुमत मिला वह बंगाल में अल्पमत में है। इस प्रकार, सभी को एक राज्य में बहुमत मिला है तो दूसरे राज्य में वह अल्पमत में है। हम स्वयं को इन्सान क्यों नहीं समझते? हम सभी एक ही परिवार के सदस्य हैं। लेकिन मुझे इस बात का खेद है कि इस सभा ने इस मुद्दे पर 'फूट डालो; राज करो' की नीति के अनुसार चर्चा की है। अब यहां अंग्रेजों का शासन नहीं है। वे हमारे देश पर शासन नहीं कर रहे हैं। स्वतंत्रता के बाद से कांग्रेस ने इस देश पर राज किया है। कांग्रेस इस देश के पंथ निरपेक्ष स्वरूप, इसकी निष्ठा और अटल विश्वास की द्योतक है। निःसंदेह, मैं यह नहीं कह सकती कि हमने जो कुछ भी किया है, वही सही है। नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के अनुसार जो काम करता है, उससे गल्तियां भी होती है। जो व्यक्ति काम ही नहीं करता उससे कोई गलती नहीं होगी। परन्तु यह बहुत ही गम्भीर बात है और मुझे यह कहते हुए खेद है कि सदन इस तरह बंटा हुआ है। कुछ लोग साम्प्रदायिकता की वकालत कर रहे हैं और कुछ लोग धर्म निरपेक्षता की वकालत कर रहे हैं। परन्तु इस देश की जनता हमारे बारे में क्या सोच रही है? हमें तटस्थता की भूमिका निभानी है। हमें इस देश की मौलिक नीतियों के लिए यह भूमिका निभानी है। इसलिए मैं सभी वरिष्ठ सदस्यों से यह निवेदन करती हूं कि समान नागरिक संहिता एवं गौहत्या जैसे संवेदनशील मामले हमारे समक्ष हैं। बाबरी मस्जिद जैसे अन्य संवेदनशील मामले भी हैं। हां, ये संवेदनशील मामले हैं। इस मामले का आम सहमति से समाधान करना होगा। हमें इस मामले पर सर्वसम्मति से एक निर्णय लेना होगा।

मुझे श्री जसवन्त सिंह जी को बधाई देनी चाहिए क्योंकि उन्होंने इकोनॉमिक टाइम्स, मुम्बई संस्करण, में बाबरी मस्जिद के बारे में कुछ बातें स्वीकार की। उन्होंने कहा कि वे लोग इसके जिम्मेदार हैं। मैं उनको बधाई देती हूं क्योंकि उन्होंने यह बात स्वीकार की है। उस समय, श्री वाजपेयी जी भी उसके पक्ष में नहीं थे। परन्तु 10 जून को संघ परिवार के महासचिव ने कहा कि इस घटना पर उनको गर्व है। चूंकि वह इस सभा के सदस्य नहीं है इसलिए मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती। इस सभा का यही शिष्टाचार है।

यदि आपकी अनुमति हो तो मैं केवल एक पंक्ति उद्धृत करना चाहती हूं। यह "बाम्बे टाईम्स ऑफ न्यूज सर्विज' से ली गई है। इसमें कहा गया है कि :

> "यह सम्पूर्ण विश्व के हिन्दुओं के लिए गर्व का विषय है। यह घटना हनुमान द्वार लंका दहन करने के समान है।"

हम इस देश में कितने हनुमानों को देखना चाहते हैं और आग कौन लगायेगा? महोदय, हमें इसको रोकना चाहिए। हमें मानवतावादी आधार पर प्रगति करनी चाहिए। इसलिए मैं कहती हूं :

[हिन्दी]

> नजर उनकी जुबान उनकी मैं किसको मोअत्बर समझूं,
> नजर कुछ और कहती है जुबान कुछ और कहती है।
> वह कहते हैं कि काफिला हमारा मंजिल पर आ पहुंचा,
> मगर इस काफिले की दास्तान कुछ और कहती है।

[अनुवाद]

इसलिए मैं कहती हूं कि हमें धूर्त नहीं होना चाहिए। हमें दोगली बातें नहीं करनी चाहिए। हमें इस देश के नागरिक की भूमिका निभानी चाहिए।

24 मई को बीबीसी, लंदन से एक व्यक्ति ने दूरभाष पर मुझसे पूछा कि मैं किस जाति की हूं। मैंने उनसे कहा कि मैं भारत की नागरिक हूं और मेरी कोई जाति नहीं है। मैंने स्पष्टरूप से यह कहा कि मेरा जन्म बंगाल में हुआ था और मुझे इस पर गर्व है क्योंकि बंगाल ने कई सुधार कार्य किये हैं। आर्थिक सुधार, न्यायिक सुधार, चुनाव संबंधी सुधार, राजनैतिक सुधार और मूल्यों पर आधारित राजनीति जैसे कई सुधार आज समय की मांग है। यह सच है कि आज हमारे में इस की बहुत कमी है। आज हमें मूल्यों पर आधारित राजनीति को बहाल करने की आवश्यकता है। परन्तु यह काम कौन करेगा? आज राजनीति खिचड़ी व्यवस्था बन गई है। हमें इस प्रकार की व्यवस्था में विश्वास नहीं है। हमारी इच्छा है कि भारत को 21 वीं सदी की ओर बढ़े ताकि हम इस देश की जनता के लिए जो भी कर सकते हैं, कर सकें। यह सच है कि हमें जनादेश नहीं मिला है। इसलिए हम सरकार में नहीं है। परन्तु हमारे दल ने, हमारी कार्यकारी समिति के प्रस्ताव के अनुसार, स्पष्ट रूप से कहा है, कि हम पंथ निरपेक्ष सरकार को समर्थन देंगे। पंथ निरेपेक्षता की परिभाषाएं भिन्न-भिन्न हो सकती है पर यह सच है कि हम श्री देवेगौड़ा सरकार को समर्थन दे रहे हैं। श्री देवेगौड़ा एक अच्छे इन्सान है। मैं उनको बधाई देती हूं। हमें उन पर गर्व है क्योंकि वह श्री लाल बहादुर शास्त्री की तरह एक किसान परिवार से संबंधित है। आज मुझे 'जय जवान, जय किसान' का नारा याद आ रहा है।

मैं आपको कुछ कहना चाहती हूं। मैंने इस सरकार के कार्यक्रमों की कार्य-सूची देखी है। कल श्रीमती सुषमा जी कह रही थी कि कार्य-सूची में भ्रष्टाचार के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। किन्तु कार्यसूची में भ्रष्टाचार का उल्लेख किया गया है। श्रीमती सुषमा जी अब यहां उपस्थित नहीं है। पृष्ठ 11 के अनुछेदों को पढ़ने पर यह ज्ञात होता है कि संयुक्त मोर्चा सरकार भ्रष्टाचार, विशेषकर उच्च पर

भ्रष्टाचार से लड़ने के प्रति वचनबद्ध है और यह सरकार देश के कार्यालयों एवं संस्थानों की विश्वासनीयता को कायम रखने के लिए कानून के अनुसार एवं यथावश्यक कदम उठाएगी।

संयुक्त मोर्चा की कार्य-सूची में यही सब कुछ कहा गया है। भ्रष्टाचार कहां नहीं है? आज भ्रष्टाचार एक फैशन बन गया है। चोर ही सबसे ज्यादा चिल्लाते हैं। यह नई प्रवृत्ति है। मुझे यह कहते हुए खेद है। भ्रष्टाचार हर ओर फैला हुआ है। स्कूल में जो डोनेशन दिया जाता है, क्या वह भ्रष्टाचार नहीं है? अस्पताल में डोनेशन देना पड़ता है, क्या यह भी भ्रष्टाचार नहीं है? कोई लेने देन करना हो तो इसके लिए भी आपको धन देना पड़ता है। जब तक यथाशीघ्र इस सभा में लोकपाल विधेयक नहीं लाया जाता, और उसे सर्वसम्मति से पारित नहीं किया जाता है तथा सरकार द्वारा चुनाव के लिए धन नहीं दिया जाता है तब तक मूल्यों पर आधारित राजनीति बहाल नहीं हो सकती। हर एक व्यक्ति वास्तविक तथ्यों को छिपाने की कोशिश करेगा और अब यही सब कुछ हो रहा है। क्या मैं आपको बताऊं कि एक ऐसा दल है, जिसकी स्थापना के समय उसके दल के पास कुछ भी धनराशि नहीं थी परन्तु अब इस दल के पास शायद 1000 करोड़ रुपयों से भी अधिक निधि होगी? महोदय, इनको इतना धन कहां से मिला है? क्या इन्हें अलाद्दीन के जादुई चिराग से इतना धन मिला है? यह सच नहीं है। मैं किसी दल का नाम नहीं लेना चाहती ...**(व्यवधान)** आप जानते ही होंगे, क्योंकि आप बंगाल के रहने वाले हैं। मैं यह सब बातें नहीं कहना चाहती। मैं संसद के हितों को ध्यान में रखते हुए इसे कोई विवादास्पद मुद्दा नहीं बनाऊंगी और मैं इस बात के लिए वचनबद्ध हूं कि हमारे बुरे आचारण के लिए मैं जनता से क्षमा मांगती हूं और इसलिए मैं इन सब बातों का उल्लेख नहीं करूंगी। महात्मा गांधी ने जो कुछ कहा था, मैं उसे दोहराती हूं :—

> "साम्प्रदायिकता हमारा प्रमुख शत्रु हो; पंथ निरपेक्षता हमारा नया आधार हो; राष्ट्रीयता हमारी प्रमुख राजनीति हो; मानवता हमारा प्रमुख धर्म हो और देशभक्ति हमारा नया आदर्श हो।"

समानता कानून का नियम है। कानून से बड़ा कोई भी नहीं है। न प्रधान मंत्री न ही मुख्य मंत्री, न ही जनता का प्रतिनिधि और न ही नौकर शाह। कानून की नजर में सब एक समान है और इसलिए मैं इस सरकार से कहती हूं और सरकार ने वचन दिया कि इस मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी और कांग्रेस को किसी का भय नहीं है। हमें किसी का भय नहीं है। यदि आपको कोई भ्रष्टाचार में लिप्त लगता है तो आप उसके खिलाफ समग्र कार्रवाई कर सकते हैं, परन्तु साथ ही, आपको सम्पूर्ण देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। जो भी व्यक्ति भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाएगा, उसको दण्डित किया जाना चाहिए। 'धनी' और 'निर्धन' जैसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। यद्यपि कॉमरेड लेनीन ने कहा था कि धनी और निर्धन ...**(व्यवधान)**

एक माननीय सदस्य : उनका नाम मत लीजिए।

कुमारी ममता बनर्जी : जी, हां। मैं उनका नाम ले सकती हूं। क्या आप रवीन्द्रनाथ ठाकुर के शब्दों को नहीं बोल सकते हैं? मैं हर एक के शब्द दोहरा सकती हूं। मैं भगत सिंह, श्री मौलाना अबुल कलाम आजाद जी के शब्दों को दोहरा सकती हूं ...**(व्यवधान)** महोदय, इस देश की जनता बहुत ही संवेदनशील और परिपक्व है। इस बार किसी भी दल को स्पष्ट जनादेश नहीं मिला है। जनता ने जनादेश देने के बजाय सभी दलों को सजा दी है। जनता ने पुरस्कार देने के बदले सजा दी है। यह बात नहीं है कि संसद त्रिशंकु की स्थिति में है बल्कि इस देश में हर एक दल की यही स्थिति है। यदि हमारा आचरण ऐसा रहेगा तो जनता किसी भी राजनैतिक दल को अपना मत नहीं देगी और भारत में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। इसलिए, मैं दल के सदस्यों, वरिष्ठ सदस्यों तथा दल के नेताओं से यह अनुरोध करती हूं कि हमें उचित आचरण करना चाहिए। मेरा माननीय प्रधान मंत्री जी से भी यही निवेदन है। यह ठीक है कि हमारे दल ने पंथ निरपेक्ष सरकार को समर्थन देने का निर्णय लिया है हालांकि संयुक्त मोर्चो के इन पंथ निरपेक्ष दलों के बारे में मुझे कुछ संशय है। महोदय, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। मैं इस गठबंधन के बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहती परन्तु कृपया आप स्वयं चुनावी दंगों की तस्वीर देखिए। मेरे राज्य में, 30 लोग मारे गये। कल आन्ध्र प्रदेश में छह कांग्रेसी कार्यकर्त्ताओं को निर्दयतापूर्वक हत्या कर दी गई ...**(व्यवधान)**

एक माननीय सदस्य : तेलुगु देशम पार्टी वालों ने यह हत्या की थी।

कुमारी ममता बनर्जी : आप समाचार-पत्र देखिए। आपको पता चल जाएगा। आप अनावश्यकरूप से विवाद क्यों खड़ा कर रहे हैं? मैं सोचती हूं कि सभा को अंदाजा हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाहती हूं। मेरे राज्य में 30 से भी अधिक लोग मारे गए। कांग्रेस को मत देने वाले एक व्यक्ति को तेजाब से जला दिया गया। क्या आप अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लोगों की रक्षा करना चाहते हैं? ...**(व्यवधान)** मैं आपके दल का चुनाव चिन्ह भी गण शक्ति भी दिखा सकती हूं। आप बेकार में व्यवधान डालने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? मैंने आपका नाम नहीं लिया है। मुझे मत उकसाईए। तब मैं आपको बहुत से दस्तावेज दूंगी...**(व्यवधान)** अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को जिन्होंने कांग्रेस को अपना मत दिया पीने का पानी लेने की भी अनुमति नहीं है। यह आपकी जानकारी के लिए है।

एक माननीय सदस्य : मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय : कृपया हस्तक्षेप नहीं कीजिए।

कुमारी ममता बनर्जी : मैंने किसी दल का नाम नहीं लिया है। 30.5.96 को मुहर्रम के अगले दिन, साम्प्रदायिक दंगों में पुलिस की गोलियों से पांच लोग मारे गए। मैं प्रधान मंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि इन पीड़ितों को राहत तथा सहायता प्रदान की जाए। मेरे पास अनेक कागज-पत्र हैं जो मुझे लोगों ने दिए हैं। यह एक शर्मनाक बात है कि...

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : आप उन्हें सभा पटल पर रख सकती हैं।

कुमारी ममता बनर्जी : जी, हां। यदि आप चाहते हैं, तो मैं उन्हें सभा पटल पर रख सकती हूं।

एक महिला हैं जो उस जगह एक स्कूल में प्रधानाध्यापिका हैं जहां बंगाल के महान कवि नजरूल इस्लाम का जन्म हुआ था, जिन्होंने रवीन्द्रनाथ टैगौर के साथ हिन्दु-मुस्लिम एकता के लिए काफी काम किया था। उस गांव का नाम चुरूलिया है, जहां वह स्कूल स्थित है। मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है कि सैलवाला बालिका विद्यालय की प्रधानाध्यापिका के साथ बलात्कार किया गया। मैं यह जानना चाहूंगी कि क्या इस संबंध में कोई कार्यवाही की गई है अथवा नहीं।

एक माननीय सदस्य : प्रत्येक व्यक्ति ने उस घटना की निन्दा की है।

कुमारी ममता बनर्जी : मैं प्रधान मंत्रीजी से न्याय मांग रही हूं। यह बंगाल, बिहार, आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र अथवा तमिलनाडु का मामला नहीं है। यह हमारे मौलिक अधिकारों को मामला है। संविधान के अनुच्छेद 20(3) में कुछ मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। यदि हम अपने मौलिक अधिकार मतदान का अधिकार, सम्पत्ति रखने का अधिकार अथवा मानव अधिकार-ही खो देंगे, तो हम लोकतंत्र की रक्षा कैसे कर सकते हैं? इसलिए, मैं इस संबंध में प्रधान मंत्रीजी का व्यक्तिगत हस्तक्षेप चाहती हूं। प्रधान मंत्री जी को राज्य सरकार के साथ इस मामले पर विचार करना चाहिए। उन्हें इस मामले में अपने रिमोट कंट्रोल हरकिशन सिंह सुरजीत की मदद नहीं लेनी चाहिए ...**(व्यवधान)**

श्री तरित वरण तोपदार (बैरकपुर) : वह ऐसे शब्द नहीं बोल सकती हैं...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आपने बहुत अच्छा भाषण दिया है। अब कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : वह उस व्यक्ति का हवाला दे रही हैं जो इस सभा के सदस्य नहीं हैं...**(व्यवधान)** कृपया इसे कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया जाए।

कुमारी ममता बनर्जी : ठीक है, मैं उनका नाम वापस लेती हूं ...**(व्यवधान)**

श्री संतोष मोहन देव : उन्होंने वह नाम वापस ले लिया है ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने वह शब्द वापस ले लिया है।

कुमारी ममता बनर्जी : मैं यहां तीसरी बार आई हूं और मैं नियम जानती हूं। मैं उस शब्द को वापस लेती हूं।

श्री तरित वरण तोपदार : महोदय, क्या आपने उन्हें कार्यसूची से बाह्य विषय पर बोलने की अनुमति दी है?

कुमारी ममता बनर्जी : मैं आपसे अधिक जानती हूं कि कार्यसूची में क्या-क्या शामिल है।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, वह प्रस्ताव पर बोल रही हैं। उन्हें प्रस्ताव पर चर्चा करने तक ही सीमित रहना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

(व्यवधान)

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी (हावड़ा) : हम यहां उनकी दया से नहीं आए हैं।

कुमारी ममता बनर्जी : जब वे बोल रहे थे तो मैंने उन्हें कभी परेशान नहीं किया।

श्री तरित वरण तोपदार : महोदय, क्या आपने उन्हें कार्यसूची की मद से बाहर के विषय पर बोलने की अनुमति दी है?

अध्यक्ष महोदय : वह नितान्त संबद्ध बातों का ही उल्लेख कर रही हैं। मैं नहीं समझता कि वह कार्यसूची से बाहर कुछ कह रही हैं। वह बिल्कुल संबद्ध बातों का ही उल्लेख कर रही है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह पूरी तरह संबद्ध है।

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, मेरे पास भी संयुक्त मोर्चा सरकार की कार्यसूची की प्रति है। उसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यह सरकार महिलाओं, अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ी जातियों तथा दलित वर्ग को संरक्षण प्रदान करेगी। लेकिन, यदि इस देश में एक स्कूल की प्रधानाध्यापिका के साथ निर्दयता से बलात्कार किया जाता है और यदि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों को, जिनके पास पीने के लिए पानी नहीं है, पीने का पानी लेने की अनुमति नहीं दी जाती है तो आप क्या कार्यवाही ...**(व्यवधान)**... महोदय, मुझे आपका संरक्षण चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, ये सभी मसले पश्चिम बंगाल विधान सभा में उठाए जाने चाहिए न कि यहां...**(व्यवधान)**

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : महोदय, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया है, उन्होंने किसी दल का नाम नहीं लिया है और न ही किसी व्यक्ति विशेष का नाम लिया है। उन्हें इस तरह से परेशान क्यों किया जा रहा है?...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : ममताजी, कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

(व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, वे मुझे बार-बार परेशान कर रहे हैं। कृपया उनसे कहिए कि वे ठीक से व्यवहार करें। क्या मैं सभा के अन्दर प्रधान मंत्री जी से अनुरोध नहीं कर सकती? यदि मैं सदन के अन्दर प्रधान मंत्रीजी से अनुरोध नहीं कर सकती, तो मैं बाहर चली जाऊं, तब क्या होगा? महोदय, मैं प्रधान मंत्रीजी से अनुरोध करती हूं कि इस पूरे देश के हित के लिए और अपनी बात को रखने के लिए ...**(व्यवधान)**... महोदय, हमारे पास हमारे अपने दृष्टिकोण हैं, लेकिन हम देवेगौड़ा सरकार को समर्थन दे रहे हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में हामरी लड़ाई, जो लोग जनता पर अत्याचार करते हैं, उनके विरूद्ध हमारी लड़ाई जारी रहेगी और कांग्रेस अपनी नीतियों के लिए लड़ेगी। कांग्रेस पश्चिम बंगाल में भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के साथ समझौता नहीं करेगी क्योंकि मैं जानती हूं कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मा.) वहां जनता पर अत्याचार करती है।

अन्त में, महोदय मैं बेरोजगारी की समस्या में संबंध में प्रधान मंत्रीजी से अनुरोध करना चाहती हूं जो दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस समस्या की बढ़ने से रोकने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।

महोदय, जैसा कि आप अच्छी तरह जानते हैं, पूर्वोत्तर में संचार व्यवस्था एक बड़ी चिन्ता का विषय है। महोदय आप इस बात की प्रशंसा करेंगे कि पूर्वोत्तर क्षेत्र ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, यदि वे बार-बार मुझे परेशान करते रहेंगे तो मैं कैसे बोल सकती हूं?...**(व्यवधान)**... महोदय, मैंने पूर्वोत्तर में सभी स्थानों का दौरा किया है। वहां रेलवे लाइनों की तथा संचार साधनों की कमी है। वहां लोगों को इनकी काफी जरूरत है विशेषकर असम के लोगों को।

असम में जातीय समस्या भी बनी हुई है। अनेक लोग अपने स्थानों को छोड़कर बंगलादेश चले गए हैं। वे बंगाल सीमा पर और बिहार सीमा पर भी गए हैं। 85 प्रतिशत से भी अधिक लोग मर चुके हैं। अत; मैं प्रधान मंत्रीजी से अनुरोध करती हूं कि वह यहां से एक दल भेजें जो असम का दौरा करे और इस समस्या का हल निकाले। **(व्यवधान)** सरकार को उन्हें कुछ राहत भी प्रदान करनी चाहिए। दंगों और राजनीतिक हिंसा में काफी लोग मारे गए हैं। मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूं। सभी दलों के लोग मारे जा रहे हैं। हिंसा बढ़ रही हैं। चुनाव का अर्थ हत्या हो गया है। **(व्यवधान)** मैं आपके दल का नाम नहीं ले रही हूं चाहे जिसकी भी हत्या हुई हो—भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी (मार्कसवादी) के सदस्यों की भी हत्या हुई है। मैं उनके लिए भी अनुरोध करती हूं। **(व्यवधान)** मैं प्रधान मंत्रीजी से अनुरोध करती हूं कि वे उन पीड़ितों को कुछ राहत प्रदान करें वे किसी भी दल से संबंध रखते हों, चाहे उन्हें राहत प्रदान करिए।

अन्त में, मैं यह कहना चाहती हूं कि हम भयभीत नहीं हैं, हम किसी से नहीं डरते हैं क्योंकि मैं किसी से भी अधिक जानती हूं।

[हिन्दी]

"सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है।
देखना है जोर कितना, बाजू-ए-कातिल में है।"

[अनुवाद]

हम डरते नहीं है। हम इनपर काबू पा लेंगे। यह हमारी स्थिति है।

महोदय, मैं आपका धन्यवाद करती हूं कि आपने मुझे यह अवसर प्रदान किया।

श्री सुरेन्द्र सिंह (भिवानी) : अध्यक्ष महोदय, कल इस सदन में प्रधान मंत्री जी ने विश्वास प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव रखा है, मैं उसके विरोध में खड़ा हुआ हूं। कल प्रधान मंत्री जी ने, रक्षा मंत्री ...**(व्यवधान)** एक ही बात पर जोर दिया कि सारे हिन्दुस्तान के लोगों ने केन्द्र में पांच साल के लिए गवर्नमेंट बनाने के लिए आहवान किया है।

अध्यक्ष जी, यही तकरीर आज चिदम्बरम साहब ने की। इस तकरीर पर मुझे प्रधान मंत्री जी की तरफ से और रक्षा मंत्री जी की तरफ से कोई एतराज नहीं था लेकिन चिदम्बरम जी को मैं अच्छी तरह से जानता हूं, बहुत नजदीक से जानता हूं। जो तर्क उन्होंने दिया कि हिन्दुस्तान के लोग पांच साल के लिए कोलिशन सरकार चाहते थे, वह निराधार है। अगर आप तमाम राजनीतिक दलों के चुनाव घोषणा पत्र को देखें तो सभी के सभी घोषणा पत्रों में कांग्रेस के खिलाफ अहम मुद्दा था। आज की जो सरकार है, जिसमें तमाम घटक शामिल हैं, वे सब चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ भी प्रचार करते थे। आज इस सरकार में कांग्रेस पार्टी की पोजीशन क्या है? जिस तरह से एयरफोर्स में पायलट को ट्रेड करने के लिए ट्रैनर एयरकाफ्ट होता है, उसमें ट्रेनिंग पायलट के लिए आगे सीट होती है और जो इंस्ट्रक्टर पायलट होता है, वह बैक सीट में बैठता है। जब एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है तो नये पायलट के हाथ में कमांड नहीं दी जाती। हमेशा इंस्ट्रक्टर पायलट जो है, वह रियर सीट पर बैठकर उसको कंट्रोल करता है और खासकर टेक ऑफ और लेडिंग के समय। इस सरकार ने भी टेक ऑफ किया है और प्रधान मंत्री जी कल कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी ने हमें समर्थन देने के लिए कोई शर्त नहीं रखी।

अध्यक्ष जी, चन्द्र शेखर जी यहां इस हाउस में मौजूद नहीं हैं। आप 1977 और 1989 का तजुर्बा लें। 1989 में कांग्रेस पार्टी ने चन्द्र शेखर जी को जो समर्थन दिया था, वह कितने दिन चल पाया? प्रधान मंत्री जी, चिदम्बरम जी और दूसरे जो सीनियर वक्ता थे, पहली पंक्ति की बेंचिस की तरफ से एक ही बात पर जोर दे रहे थे कि हमारा मेनडेट पांच साल के लिए है।

ममता जी अभी बोल रही थी। आपने पहला ट्रेलर अच्छी तरह से देख लिया होगा। आप जब दूसरे प्रान्तों में मिनिमम प्रोग्राम लागू करने के लिए राजनीति करने जाएंगे तो आपको अच्छी तरह से नजर आएगा।

चिदम्बरम जी आर्थिक नीतियों के बारे में काफी विस्तार से बता रहे थे। अचम्भा तो इस बात का है कि चिदम्बरम जी जहां सबसे ज्यादा लिबरलाईजेशन के ऐडवोकेट हैं वहां दूसरे घटक उनके बिल्कुल विपरीत है। मुझे तो इस बात का अचम्भा है कि चिदम्बरम जी बहुत अच्छे वकील हैं। यदि यही ब्रीफ चिदम्बरम जी को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिया जाता तो वे इस बात की तसल्ली करने में ज्यादा कामयाब होते कि हिन्दुस्तान के लोगों ने वाजपेयी जी को प्रधान मंत्री बनाने के लिए वोट दिया था। आप ध्यान से देखें कि इनका मिनिमम प्रोग्राम क्या है। इनका मिनिमम प्रोग्राम एक ही है कि आप अपनी कुर्सी को सुरक्षित रखते हुए भारतीय जनता पार्टी को कैसे दूर रखें। मैं अपने कांग्रेस के साथियों को अच्छी तरह से जानता हूं। कांग्रेस वाले यहां बैठकर कभी खुश नहीं है, बीच वाली पंक्ति में बैठकर खुश नहीं हैं, इनकी नजर तो देवेगौड़ा जी की कुर्सी पर है। देवेगौड़ा जी कल जब अपनी तकरीर कर रहे थे तो वे काफी परेशान थे जब कांग्रेस वालों की तरफ से बार-बार बात आने लगी। वे उनकी शक्ल देख रहे थे। हमारे बी.जे.पी. के साथी यूरिया के बारे में सवाल उठा रहे थे तो प्रधान मंत्री ने उसमें एक शब्द बार-बार कहा- मेरे पास पूरा ब्यौरा नहीं है। मैं सदन को गुमराह नहीं कर सकता।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री अनिल बसु (आरामबाग) : महोदय, वे सभा में ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं जिसकी अनुमति नहीं है...**(व्यवधान)** वे यह नहीं जानते कि सभा की मर्यादा व गरिमा को किस प्रकार बरकरार रखा जाए...**(व्यवधान)** महोदय, सभा के माननीय सदस्य को यह शोभा नही देता।

[हिन्दी]

श्री सुरेन्द सिंह : अध्यक्ष जी, देवेगौड़ा जी को वाजपेयी जी से खतरा नहीं है, इनको तो यहां से खतरा है। ये बीच-बीच में शरद जी, राजेश पायलट जी से भी बात करते रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की हालत जो आज 142 की है, 6 या 8 महीने में जब दुबारा चुनाव होंगे तो वह और भी खस्ता हो जाएगी।

मैं केवल एक ही बात कहना चाहता हूं, मैं पुराना कांग्रेसी हूं इसलिए आपको अच्छी तरह से जानता हूं। जैसे यदि ममता जी हाउस में बंगाल की कोई बात उठाएंगी तो वे वहां पर बंगाल की सरकार से मिलकर नहीं चल सकती, आप दूसरी तरफ से उनको दबाएंगे। यह ड्रामा कितने दिन चलेगा? जहां कहीं भी कांग्रेस की सरकार आई है, हमारे हरियाणा में तो पिछले पांच साल में जो सरकार थी, कांग्रेस का प्रोग्राम था—एक परिवार एक रोजगार। यदि आप पिछले एक साल के अखबार और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट उठाकर देखें तो पता लगेगा कि कोई परिवार ऐसा नहीं है जिसमें एक चपरासी और कॉन्सटेबल भी 70 हजार रुपये से कम में लगा हो। हमारे हरियाणा प्रान्त के कांग्रेस के दो साथी यहां पर बैठे हैं। वे इस बात से इंकार कर दें। वहां के जो मुख्य मंत्री होते थे, उन्होंने कांग्रेस सरकार को इतनी बेरहमी से अपने व्यक्तिगत और बिजनेस के लिए इस्तेमाल किया कि आई.पी.एस. और दूसरे आफिसर्स को सुप्रीम कोर्ट ने सजा दी और उनको यहां से बेहद समर्थन हासिल हुआ।

आजकल के हालात को मद्देनजर रखते हुए जैसे कांग्रेस प्रैजीडैन्ट नरसिंह राव और दूसरे ट्रेजरी बैन्चेस की तरफ से बात आई कि एक साल के अंदर-अंदर चुनाव होंगे और मिनिमम प्रोग्राम जो इन्होंने तय किया है, वह पब्लिक में कभी लागू होने वाला नहीं है।

इन शब्दों के साथ मैं प्रार्थना करता हूं कि इस प्रस्ताव को रद्द कर दिया जाए।

अपराह्न 2.00 बजे

श्री भूपेन्द्र सिंह हूड्डा (रोहतक) : मेरी तो आपसे एक ही रिक्वैस्ट है, हरियाणा में एस.वाई.एल. का जो मुद्दा वर्षों से अटका पड़ा है...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : वह अपना भाषण समाप्त करने जा रहे हैं। आप बीच में क्यों व्यवधान डाल रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री सुरेन्द्र सिंह : आप एस.वाई.एल. का जो मुद्दा उठा रहे हो ...**(व्यवधान)**

श्री भूपेन्द्र सिंह हूड्डा : आज अकाली भी आपके साथ हैं, आप भी उनके साथ हैं, अब कम से कम यह एस.वाई.एल. का तो फैसला हो।...**(व्यवधान)**

श्री जय प्रकाश (हिसार) : अध्यक्ष महोदय, 1996 तक देश में इनकी सरकार थी, प्रदेश में इनकी सरकार थी, तब हूड्डा साहब कभी नहीं बोले, आज आपको कहां से एस.वाई.एल. है? पंजाब हरियाणा में झगड़ा करवाकर आप यहां आये हो। अब जो चुनाव होगा, उसमें कांग्रेस को हरियाणा में एक भी सीट नहीं मिलेंगी।

[अनुवाद]

श्री जी.जी. स्वैल (शिलॉग) : अध्यक्ष महोदय, मुझे अपने समय की बंदिश का पूरा आभास है और आपकी कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए मैं इसका उल्लंघन नहीं करूंगा। मैं सिर्फ कुछ ही मिनट बोलूंगा।

मेरे विचार से सभा में आज थोड़े समय पूर्व की बहसबाजी विचाराधीन विषय से बिल्कुल तर्कसंगत नहीं थी।

कल और आज पूरे दिन सभा की कार्यवाही को देखते हुए मुझे लगा कि भा.ज.पा. में 27 और 28 मई को विश्वास मत प्राप्त करने के दौरान देखी गयी उग्रता आज बिल्कुल दिखाई नहीं दी। मुझे लगता है कि उन्होंने हार स्वीकार कर ली है और यदा-कदा उनके द्वारा उग्रता

का प्रदर्शन बनावटी और सोच-विचार पूर्ण लगता है। मैं सभा में एक प्रकार की पराजय का माहौल देख रहा हूं। पूरा देश इस परिचर्चा को देख रहा है। भारतीय लोकतंत्र की यह महानता है कि भारत की सम्पूर्ण जनता इस चर्चा में भाग ले रही है। भविष्य में क्या होने वाला है? आज भारत की जनता भाजपा में निरूत्साह देख रही है। मैं उनको एक दोस्ताना सलाह देना चाहता हूं कि वर्तमान परिस्थिति में यदि उन्होंने ऐसी स्थिति पैदा करने की कोशिश की, कि वापस जनता के पास जाया जाए तो मुझे डर है कि उनके साथ जनता का सलूक अच्छा नहीं होगा।

महोदय, इसके पश्चात् मैं अपने दोस्त श्री जसवंत सिंह के भाषण का उल्लेख करना चाहता हूं, क्योंकि कल वह भाजपा की ओर से प्रथम वक्ता थे। आमतौर पर मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। उनकी भाषा पर अच्छी पकड़ है। वह उचित शब्दों का चयन कर पाते हैं और तथ्यों का भी भली-भांति समावेश कर लेते हैं। परन्तु, कल का उनका भाषण सिर्फ शब्दाम्बरपूर्ण था। उनका आधे से ज्यादा भाषण श्री चिदम्बरम द्वारा एक दशक पूर्व भिन्न संदर्भ में कहे गए उद्धरणों से पूर्ण था। मुझे मालूम नहीं है कि यह कितना तर्कसंगत था। हम में से कई सदस्यों को संयुक्त मोर्चे के एक माननीय सदस्य की उस समय की भिन्न प्रतिक्रिया से परेशानी हो सकती है और संयुक्त मोर्चे के गठन का आधार दूषित हो सकता है तथा उसका उद्देश्य भी प्रभावित हो सकता है?

मेरी बहन श्रीमती सुषमा स्वराज ने कल एक अभिनेत्री के अंदाज में हिन्दी में शब्दाम्बरपूर्ण भाषण देते हुए गौवध पर प्रतिबंध लगाने के सिद्धांतों का उल्लेख किया था। पिछली बार भी मैं इस विषय पर बोला था। मैं कहना चाहता हूं कि आप अपने इस कृत्य से देश को विभाजित कर रहे हैं और देश की अधिकांश जनता को प्रोटीन के सस्ते स्रोत से वंचित कर रहे हैं। इसके अलावा मेरे विचार में गौवध पर प्रतिबंध लगाने की बात आर्थिक रूप से बुद्धिमतापूर्ण नहीं है।... **(व्यवधान)**

श्री आई.डी. स्वामी (करनाल) : मैं आपका ध्यान इस तथ्य की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि संविधान में इसका प्रावधान है। आप यह क्यों कह रहे हैं कि यह बुद्धिमतापूर्ण नहीं है? यह नीतिनिर्देशक सिद्धांतों में निहित है।...**(व्यवधान)**

श्री जी.जी. स्वैल : ठीक है, यह सिर्फ नीतिनिर्देशक सिद्धांतों में समाविष्ट है।

मैं चाहता हूं कि किसी दिन इस विषय पर पूर्ण चर्चा कराई जाये क्योंकि इससे देश की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है। मुझे विश्वास है कि भाजपा के लोगों को ज्ञात होगा कि चमड़ा उद्योग इस देश का एक महत्वपूर्ण उद्योग है। जूता उद्योग, जूतों व चमड़े की वस्तुओं का निर्यात, हमारी अर्थव्यवस्था की आय का एक प्रमुख स्रोत है।

अध्यक्ष महोदय : श्री स्वैल पिछली बार भी आपने यही बात कही थी। आप नए मुद्दे क्यों नहीं उठाते हैं?

श्री जी.जी. स्वैल : मेरे विचार से यह आर्थिक रूप से बुद्धिमतापूर्ण नहीं है। अब हम वर्तमान वस्तु स्थिति की चर्चा कर रहे हैं। हम किसी विशिष्ट सदस्य द्वारा किसी विशेष समय पर कही गई बात पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम भारत की वर्तमान वस्तु स्थिति पर चर्चा कर रहे हैं। बार-बार कई माननीय सदस्यों और स्वयं माननीय प्रधान मंत्री ने कहा है कि भारत की जनता ने गठबंधन सरकार चुनी है। उन्होंने एक विशेष दल को देश में सत्ता में आने के खिलाफ मत दिया है। हमको इस स्थिति का सामना करना है। मैं आपके घंटी बजाने के पूर्व ही भाषण समाप्त कर दूंगा। भाजपा को सरकार बनाने का अवसर मिला था। यह उनका अधिकार था और उचित ही था क्योंकि वह सबसे बड़ा दल है। परन्तु, मेरे विचार से उन्होंने सरकार बनाकर स्वयं को उजागर कर दिया है। भाजपा की 12 अथवा 15 दिन की सरकार अब इतिहास का फुट नोट है। उन्होंने यह खुलासा कर दिया है कि वे देश की 'काऊ-बेल्ट' की सीमा से बाहर नहीं निकल पाए हैं। उन्होंने दिखला दिया है कि वे जिस ढांचे में फंसे हुए हैं उससे बाहर नहीं निकल पाए हैं। इसलिये, वे अपने कृत्यों के कारण ही इस देश के अधिकांश भागों में शासन नहीं कर सकते हैं। मेरे विचार में भाजपा को पूरे देश से अनुरोध करने से कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। सभा के भीतर भी कुछ लोग यह समझ नहीं पा रहे हैं कि वे क्या कर रहे हैं। इसलिये, पुनः आम चुनाव होगा ही। मेरे विचार से यह भी उल्टा ही साबित होगा।

महोदय, इस देश में हम एक नयी बात का प्रयोग कर रहे हैं। कई सदस्यों ने संयुक्त मोर्चे में अंतर्निहित विरोधों का जिक्र किया है। विभिन्न दलों ने विभिन्न चुनाव घोषणापत्रों के आधार पर चुनाव लड़ा था। उनकी विचारधारा एक दूसरे से भिन्न है। परन्तु, यह एक अनोखी बात है कि हमारे लोग अपने अपने आदर्शों के बावजूद इस देश की भलाई और देश में सुव्यवस्था के लिये एक जुट हो गए हैं। यह नियति ही है कि हमारे माननीय प्रधान मंत्री श्री देवेगौड़ा ने सरकार बनाई है। मैं प्रार्थना करता हूं कि उनको सफलता मिले और संयुक्त मोर्चे को भी सफलता मिले क्योंकि तभी यह विशाल भिन्नताओं वाला देश एकजुट रह सकता है इसका कोई विकल्प नहीं है इसलिये, मैं भाजपा के अपने साथियों से अनुरोध करना चाहता हूं कि वे सच्चे देश भक्त की भांति इस सरकार को अपने कार्यक्रम, जिसमें कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है, के साथ आगे बढ़ने दें। इसमें क्या आपत्तिजनक है कि प्रत्येक सांसद आरम्भ में ही अपनी आस्तियों की घोषणा करें? हम जानते हैं कि इस देश में भ्रष्टाचार आम चीज हो गई है और प्रत्येक सांसद के लिये यह आवश्यक है कि वह मंत्रियों की विवेकाधीन शक्तियों को समाप्त करे। क्या आपको इसमें कोई आपत्ति है? हम इन पर क्यों न बात करें? हम इस पर चर्चा कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त करिये।

श्री जी.जी. स्वैल : महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूं। इसलिये, यह आवश्यक है कि इस सरकार को उचित समय दिया जाए अथवा

पूरे पांच साल दिये जाएं ताकि उनको अपने कार्यक्रम को लागू करने का अवसर मिल सके। मेरे विचार में यह आवश्यक है कि भाजपा भी इस राष्ट्रीय प्रयोग में भागीदार बने क्योंकि हमारा राष्ट्र किसी भी राजनीतिक दल अथवा समूह से बड़ा है। हमको यहां पर आने का अवसर तभी मिलता है जब सरकार सत्ता में होती है और संसद कार्य करती है।

श्री अलेमाओ चर्चिल (गोवा) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय प्रधान मंत्री, श्री एच.डी. देवेगौड़ा द्वारा रखे गये विश्वास प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं इस महान सभा को यह सूचित करना चाहूंगा कि मेरी पार्टी, यूनाईटेड गोवा डेमोक्रेटिक पार्टी तथा गोवा के लोग हमेशा धर्मनिरपेक्षता और अखंडता के पक्षधर रहे हैं। सामाजिक न्याय हमारी कार्य-सूची का प्रमुख मुद्दा है।

हमने बार-बार यह घोषणा की है कि हम दलितों और उत्पीड़ितों के उत्थान के लिए काम करेंगे और इसीलिए हमने अपने मतदाताओं को आश्वासन दिया था कि हम आरक्षण के पहलू पर दलित ईसाइयों और दलित मुसलमानों के लिए संघर्ष करेंगे।

मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि श्री देवेगौड़ा के कुशल नेतृत्व में वर्तमान सरकार ने धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय की शपथ ली है इसके साथ ही इसने आर्थिक और औद्योगिक प्रगति पर भी स्पष्ट जोर दिया है। यह सरकार हमारी सामाजिक और सांस्कृतिक विविधताओं का व्यापक दर्पण है। स्वतंत्रता के पश्चात् पहली बार ऐसा हुआ है जबकि वास्तविक सत्ता उन लोगों के हाथ में गई है, जिन्हें न्याय से वंचित रखा गया है। यह सरकार बहुजन समाज की सरकार है और इसकी अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति को जननायक कहा जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, आज हमें ऐसे भारत की आवश्यकता है, जो बहु-सांस्कृतिक, बहु-धर्मी और बहु-भाषी हो। आज मतदाताओं ने मतदान के तरीके से अपनी स्थानीय पहचान बनाई है लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि वे स्वयं को अपनी मातृभूमि से अलग करना चाहते हैं। समाज का एक बड़ा भाग विभिन्न जातियों, समुदायों और विभिन्न धार्मिक अनुयायियों से संबंधित है।

अध्यक्ष महोदय, मैं स्वयं एक अल्पसंख्यक ईसाई समुदाय से संबंध रखता हूं। मेरी अपनी भाषा कोंकणी है और हम अपनी भाषा के साथ साथ अपने क्षेत्र अर्थात् कोंकण का विकास करना चाहते हैं। लेकिन हम इसका विकास अपने राष्ट्र की कीमत पर नहीं करना चाहते हैं। हमारे लिए हमारा देश, भारत मेरे गोआ और कोंकणी भाषा जितना ही महत्वपूर्ण है।

सांप्रदायिकता सभी अल्पसंख्यकों के लिए अभिशाप सिद्ध होगी। आज हमारे लिए आवश्यकता है, एक सुदृढ़ समान विचार रखने वाले और धर्मनिरपेक्ष नेता की, जिस पर हम अपनी सुरक्षा के लिए निर्भर रह सकें। आज श्री देवेगौड़ा के रूप में हमें एक सही व्यक्ति मिला है और उनकी सरकार के रूप में हमें भारतीय राजनीति की मुख्यधारा में शामिल होने के लिए उपयुक्त चैनल मिला है।

कर्नाटक के मुख्य मंत्री के रूप में श्री देवेगौड़ा ने अपने नेतृत्व और कुशलता का परिचय दिया है। हम गोआवासी, कर्नाटक के पड़ोसी होने के नाते, उसके नजदीक हैं और उनके नेतृत्व के संबंध में निर्णय लेने और उस पर टिप्पणी करने का काम सबसे अच्छे ढंग से कर सकते हैं। कर्नाटक के मुख्य मंत्री के रूप में उनके हाल के कार्यकाल ने एक अमिट छाप छोड़ी है और बंगलौर भारत के एक अग्रणी औद्योगिक शहर के रूप में उभरा है। और अब हम सचमुच में उन्हें अपना प्रधान मंत्री बनाने के इच्छुक हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि यह सरकार हमें अनन्य उत्साह के साथ इक्कसवीं शताब्दी में ले जायेगी।

इस आशा के साथ, अध्यक्ष महोदय, मैं विश्वास प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री एस. बंगारप्पा (शिमोगा) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय प्रधान मंत्री, श्री एच.डी. देवेगौड़ा द्वारा रखे गये विश्वास प्रस्ताव का पूर्ण समर्थन करता हूं।

महोदय, विश्वास प्रस्ताव से संबंधित विषयों के विभिन्न पहलुओं पर बहुत से वक्ता पहले ही बोल चुके हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जनादेश त्रिशंकु संसद और अपने-अपने स्वभावतः चुनाव घोषणा पत्रों के माध्यम से अलग-अलग विचारों वाले अनेक दलों के गठबंधन वाली सरकार के पक्ष में है।

अब, इसमें उन राजनीतिक दलों का कोई दोष नहीं है, जो देश में गठबंधन वाली सरकार बनाने के लिए प्रयासरत हैं। यहां बात केवल इतनी ही है कि समान-विचारधारा वाले राजनीतिक दलों को मिलकर आना होगा। हम सभी के सामने प्रश्न यह है कि क्या अब श्री देवेगौड़ा के नेतृत्व में बनी सरकार को सभी समान-विचारधारा वाले राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त है। मेरे विचार में उसे वह समर्थन प्राप्त है। लेकिन प्रश्न अभी भी है। मूलतः, यह मामला लोकतंत्र के अनेक पहलुओं जैसे लोकतांत्रिक मानदंडों, जिन्हें हमने अपने संविधान में जैसे धर्मनिरपेक्षता, सामाजिकता इत्यादि को स्वीकार किया है, से संबंधित है। अगर इन तीन या चार बातों से कोई भी राजनीतिक दल सहमत है, तो वह एक मंच पर आकर ऐसी सरकार को, जिसमें संबंधित राजनीतिक दलों ने एक निर्धारित समयावधि में साझा न्यूनतम कार्यक्रम तैयार किया है, को अपना पूर्ण समर्थन दे सकता है। मेरे विचार में उन्होंने यह कार्य देश की जनता के लिए बड़े अच्छे ढंग से किया है। भविष्य में भी ऐसे कुछ कार्यक्रम हो सकते हैं, जिन पर हमें आपस में सहमत होना पड़े।

मान लीजिये, प्रधान मंत्री के रूप में श्री वाजपेयी ही बने रहते, तब उनकी सरकार भी उनकी पसंद के समान-विचारधारा वाले राजनीतिक दलों के इसी प्रकार के गठबंधन की होती। यहां प्रश्न यह है कि अगर कार्यक्रम हमारे अनुरूप हैं, लोकतंत्र के मानदंडों के अनुरूप हैं, तो फिर मेरे विचार में, हमारे लिए सरकार बनाना और फिर उस कार्यक्रम की ओर बढ़ना, जिसके प्रति हम मूलतः वचनबद्ध हैं, पर्याप्त है।

अब, मुझे उस कार्यक्रम के व्यापक पहलुओं पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इन मामलों पर पहले ही अनेक वक्ता विस्तार में बोल चुके हैं। यहां हम सभी के सामने प्रश्न यह है कि उस दिन श्री वाजपेयी ने विश्वास प्रस्ताव पेश करके विश्वास मत पर मतदान क्योंकर नहीं कराया। बात यह है कि उन्होंने सभा में अपने समर्थकों की संख्या साबित करने का अवसर गंवा दिया। आज, वास्तव में, मैं आपके माध्यम से विपक्ष के नेता, श्री वाजपेयी, जबकि वह इस चर्चा में भाग लेने जा रहे हैं और जबकि भारतीय जनता पार्टी चर्चा में पहले ही भाग ले चुकी है, से अनुरोध करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी और उनका सहयोगी दल भी, उनकी अध्यक्षता में इस सभा में विश्वास प्रस्ताव पर मतदान की प्रक्रिया में भाग लें।

इसमें एक अन्य विकल्प और भी है और वह यह है कि इस सभा के सभी पक्षों का यह विचार है कि श्री देवेगौड़ा इस देश के कृषक समुदाय से संबंध रखते हैं। समाज के उस भाग से एक कृषक के नेतृत्व वाली सरकार है। आप कृपया इस पर विचार कीजिए। मैं माननीय अध्यक्ष के माध्यम से आपको एक सुझाव दे रहा हूं कि अगर यह समझते हैं कि यह सरकार आपके विचार में बेहतरीन सरकार है और इसको आपका समर्थन मिलना चाहिए, तो फिर आप आगे आकर इस प्रकार का वक्तव्य क्यों नहीं देते कि : 'हम श्री देवेगौड़ा की अध्यक्षता वाली इस सरकार को पूर्ण समर्थन देंगे?' अतः, मैं विपक्ष के नेता को यह सुझाव दे रहा हूं।

महोदय, मुझे मालूम है कि समय सीमित है। लेकिन चूंकि बहुत से मामलों पर अनेक वक्ता पहले ही बोल चुके हैं, अतः, मैं एक अंतिम बात रखना चाहता हूं। अब प्रश्न यह है कि यह सरकार आम आदमी की सरकार है। मैं यह कहना चाहता हूं कि

[हिन्दी]

यह एक सामान्य जनता का राज है। यह सुषमा स्वराज का आवाज नहीं है। यह जन-सम्मान का राज है।

[अनुवाद]

अतः, महोदय, मैं आपके माध्यम से अपील कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण रूप से समर्थन करने वाला एक वक्तव्य देना चाहिए और इस प्रकार विश्वास प्रस्ताव का समर्थन करना चाहिए।

श्री लूइस इस्लेरी (कोकराझार) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय प्रधान मंत्री श्री एच.डी. देवेगौड़ा द्वारा प्रस्तुत किए गए विश्वास प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। महोदय, यह मेरा प्रथम भाषण है और मुझे आशा है कि सभी माननीय सदस्य नाराज नहीं होंगे।

मैंने सांझा न्यूनतम कार्यक्रम देख लिया है। मेरा विश्वास है कि यदि इस पर सही मायनों में कार्रवाई की गई तो देश की सामाजिक आर्थिक स्थिति के पुनर्निर्माण में इसका दूरगामी परिणाम होगा। मुझे प्रसन्नता है कि संयुक्त मोर्चे ने पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में विद्रोह समाप्त करने के लिए उल्फा, बोड़ो संघ आदि जैसे संगठनों से राजनीतिक बातचीत शुरू करने की अपनी इच्छा प्रकट की है। बोड़ो, वनान्चल और उत्तराखण्ड समस्या की तत्काल समाधान आवश्यकता के बारे में भी राजेश पायलट ने कल जो बात कही थी मैं उसका समर्थन करता हूं।

अपराह्न 2.21 बजे

[श्रीमती गीता मुखर्जी पीठासीन हुईं]

मुझे आशा है कि सरकार लम्बे समय से चली आ रही सभी राजनीतिक समस्याओं के शीघ्र समाधान के लिए सच्चा प्रयास करेगी। तथापि, यदि संचार प्रणाली से संबंधित, विशेषरूप से पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र से संबंधित समस्याओं को साझा न्यूनतम कार्यक्रम में सम्मिलित किया जाता तो बहुत अच्छा होता।

महोदया, जैसा कि आप जानती हैं कि पूरा पूर्वोत्तर क्षेत्र केवल एक राष्ट्रीय राजमार्ग अर्थात् राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 से जुड़ा हुआ है। अतः मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि उत्तरी जलपाइगुड़ी से बोड़ो लैंड स्वयात्तशासी क्षेत्र से होकर भारत-भूटान सीमा और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 52 के गजबाट खण्ड को जोड़ने के लिए एक वैकल्पिक राजमार्ग का निर्माण किया जाए।

दूसरा, मैं प्रधान मंत्री महोदय से कोकराझार और बोंगईगांव जिलों का दौरा करने का अनुरोध करता हूं जहां हाल ही में जातीय हिंसा में 100 से अधिक लोग मारे गए और दो लाख से अधिक लोग बेघर हो गए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री जी.एम. बनातवाला (पोन्न) : सभापति महोदय, माननीय प्रधान मंत्री इस सभा का विश्वास प्राप्त करना चाहते हैं और मैं विश्वास प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। हम अपने देश के लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को मजबूत करना चाहते हैं। वास्तव में संयुक्त मोर्चा चुनावों के बाद गठित हुआ है। यह संयुक्त मोर्चे की शक्ति और लोकतांत्रिक विशेषता का परिचायक है। संयुक्त मोर्चा और इसका समर्थन कर रहे दलों, मुस्लिम लोग सहित, हमारे तीन चौथाई मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करता है। सभापति महोदय, इससे पहले कभी भी इतने बड़े पैमाने पर और इतने शानदार ढंग से जनादेश इकट्ठा नहीं हुआ है और न ही उसकी पूर्ति हुई है। अतः मैं प्रधान मंत्री जी को बधाई देता हूं। संयुक्त मोर्चे ने अपनी नीति स्पष्ट कर दी है और हमने साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनाया है।

यह सांझा न्यूनतम कार्यक्रम विश्वास प्रस्ताव से पहले राष्ट्र के समक्ष रखा गया था, इससे आज सत्ता पक्ष में बैठे लोगों की राजनीतिक ईमानदारी का पता चलता है। मैं इस राजनीतिक ईमानदारी के लिए उन्हें बधाई देता हूं और उनकी प्रशंसा करता हूं। इस साझा न्यूनतम कार्यक्रम में बहुत से मुद्दे सम्मिलित किए गए हैं। हम न्यूनतम सांझा कार्यक्रम का स्वागत करते हैं। फिर भी मैं न्यूनतम सांझा कार्यक्रम पर निराशा भी प्रकट करता हूं क्योंकि इसमें अल्पसंख्यकों विशेष रूप से

मुसलमानों द्वारा जिन अनेक महत्वपूर्ण प्रश्नों, जैसे बाबरी मस्जिद को बचाना और उससे संबंधित प्रश्न को स्वीकार करना, को साधारण ढंग से लिया गया है। अन्यथा हम देखते हैं कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि साझा न्यूनतम कार्यक्रम में अल्पसंख्यकों और मुसलमानों द्वारा जिन अत्यंत भारी और तत्काल समस्याओं का सामना किया जा रहा है उनके बारे में कुछ नहीं कहा गया है। जी, हां। संयुक्त मोर्चे को इस बार का श्रेय दिया जाना चाहिए, उसे इस बात के लिए बधाई दी जानी चाहिए कि उसने हम विलेक के मामलों सहित बाबरी मस्जिद से संबंधित सभी मामलों को संविधान के अनुच्छेद 138(2) के तहत उच्चतम न्यायालय को देने की मांग स्वीकार की है। मैं इस सभा को याद दिला दूं कि सबसे पहले इंडियन मुस्लिम लीग ने यह मांग की थी कि पूरे मुद्दे को, बाबरी मस्जिद मुद्दे से संबंधित सभी मामलों को एक बाध्यकारी और अंतिम निर्णय के लिए संविधान के अनुच्छेद 138(2) के अन्तर्गत उच्चतम न्यायालय को दिया जाए। इस मामले को लटकाए नहीं रखा जा सकता है। यह बहुत ही संवेदनशील मामला है और इसका यथाशीघ्र समाधान किया जाना चाहिए। यद्यपि न्याय की यह मांग है कि बाबरी मस्जिद का मूल स्थान मुसलमानों को सौंपा जाना चाहिए लेकिन यदि कोई विवाद हैं, दुर्भाग्य से विवाद है, तो हमें उनका शीघ्र समाधान करना चाहिए। अब इसे केवल उच्चतम न्यायालय ही हल कर सकता है। पहले भी 30 के दशक के दौरान शहीदगंज मस्जिद के बारे में दुर्भाग्यपूर्ण विवाद था। बातचीत विफल हो गई और उसके बाद वह मामला लाहौर उच्च न्यायालय को और तत्कालीन प्रिवी कांउसिल को समाधान हेतु सौंपा गया। अतः हमें प्रसन्नता है कि सरकार ने उस संबंध में निर्णय लिया है।

हमें इस बात की भी प्रसन्नता है कि सांझा न्यूनतम कार्यक्रम में समान नागरिक संहिता न थोपने या स्वीय विधियों में कोई परिवर्तन न करने का आश्वासन दिया गया है। मैं सरकार को याद दिलाना चाहता हूं कि उच्चतम न्यायालय ने 1995 में निर्देश दिया था कि सरकार को सरला मुदगल के मामले में समान नागरिक संहिता के बारे में 1996 में उच्चतम न्यायालय में शपथ-पत्र दायर करना चाहिए। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि साझा न्यूनतम कार्यक्रम उल्लिखित सरकार की यह नीति स्पष्ट रूप से उच्चतम न्यायालय के ध्यान में लाई जाए। स्वीय विधियों के साथ छेड़-छाड़ नहीं की जा सकती है और विशेष रूप से **शरीयत** ईश्वरीय नियम है।

सभापति महोदया, जैसा कि मैंने पहले कहा था, अल्पसंख्यकों के संबंध में सरकारी नीतियों का यह अभिशाप है कि वे सामान्यता और आम घिसीपिटी बातों में उलझी रही हैं। साझा न्यूनतम कार्यक्रम में अल्पसंख्यकों के आर्थिक और शैक्षिक विकास के लिए किसी भी ठोस कार्य योजना की बात नहीं कही गई है।

अनेक महत्वपूर्ण प्रश्नों की भी उपेक्षा की गई है। उदाहरण के लिए अल्पसंख्यक विकास वित्तीय निगम को लीजिए। नरसिंह राव सरकार ने इसकी घोषणा की थी। बहुत समय बीत गया है और मुझे आशंका है और मैं नहीं समझता हूं कि इस अल्पसंख्यक विकास वित्तीय निगम के लिए धन जारी किया गया है। अल्पसंख्यकों के आर्थिक विकास के हित में इस मामले को लिया जाना चाहिए।

महोदया, भारत बहुभाषी देश है। साझा न्यूनतम कार्यक्रम में उर्दू और अन्य अल्पसंख्यक भाषाओं के अधिकारों और न्याय के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। इस मामले पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। साझा न्यूनतम कार्यक्रम में फिर से कहा गया है कि आरक्षण की वही नीति जारी रहेगी। हमने बताया है कि इसमें कई कमियां हैं। अल्पसंख्यकों से संबंधित उच्च शक्ति पैनल द्वारा शैक्षणिक और आर्थिक क्षेत्रों में अल्पसंख्यकों की निराशाजनक और भयंकर स्थिति चित्रित करने के बावजूद अतिरिक्त कोटे का उल्लेख नहीं किया गया है। जैसा कि अल्पसंख्यकों के लिए गोपाल सिंह उच्च शक्ति पैनल द्वारा उल्लेख किया गया है।

उर्दू के संबंध में गुजराल समिति की रिपोर्ट की पूरी तरह से उपेक्षा की गई है और इसकी सिफारिशों के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा गया है। ये अनेक कमियां है। हम इस साझा न्यूनतम कार्यक्रम का स्वागत करते हैं। हम इन कमियों के संबंध में अपनी निराशा भी प्रकट करते हैं। हम माननीय प्रधान मंत्री देवेगौड़ा जी के आभारी हैं कि विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय उन्होंने देश के अल्पसंख्यकों के साथ न्यायोचित और उचित व्यवहार करने का आश्वासन दिया है। यह उनकी कसौटी होगी कि वह कैसा काम करते हैं। मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं।

मैं अपने दल, मुस्लिम लीग की ओर से प्रधान मंत्री को बधाई देता हूं और मैं उनके सफल और पूर्ण कार्यकाल की कामना करता हूं। मुझे आशा है कि न्यूनतम साझा कार्यक्रम में जो कमियां हैं उन्हें दूर किया जाएगा जिस पर देश की उन्नति निर्भर है। यदि राष्ट्र को प्रगति करनी है, तो सभी देशवासियों को कंधे से कंधा मिला कर प्रगति के पथ पर बढ़ना होगा जिसमें राष्ट्र की एकता, अखण्डता और भ्रातृभाव निहित है।

महोदय, मेरी शुभकामना है कि वह अपना कार्यकाल पूरा करें और उनका कार्यकाल सफल हो।

[हिन्दी]

श्री नारायण दत्त तिवारी (नैनीताल) : सम्मानिता अधिष्ठात्री जी, 11वीं लोक सभा के लिये हुए आम चुनाव के परिणामस्वरूप उभरे हुए राजनीतिक परिदृश्य की बाध्यता में आबद्ध मैं प्रधान मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का विनम्र समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

श्रीमन्, पिछले आम चुनाव में इस सदन में सुशोभित तमाम राजनीतिक दलों ने, राष्ट्रीय स्तर के दलों ने पूरा प्रयास किया कि वे बहुमत प्राप्त करें। उन्होंने अपने-अपने चुनाव घोषणा पत्रों के माध्यम से पूरी शक्ति के साथ प्रयास किया कि हमें इस सम्मानित सदन में बहुमत मिले। हमारे जो सम्मानित क्षेत्रीय दल हैं, उन्होंने अपने-अपने प्रदेशों में प्रादेशिक दृष्टिकोणों से और क्षेत्रीय दृष्टिकोणों से चुनाव लड़े।

प्रदेशों में सरकारें बनायी और राष्ट्रीय दृष्टिकोण से भी उन्होंने अपने सम्मानित जनप्रतिनिधि को चुनकर यहां भेजने का प्रयास किया है। आज के राजनैतिक परिदृश्य में जो मानचित्र हमारे देश में उभरा है, उसमें यह अनिवार्य हो गया है कि हम भारत के संविधान को लागू करना चाहते हैं तो मिलाजुला मंत्रिमंडल इस 11वीं लोक सभा के माध्यम से कोई सुदृढ़ शासन, संविधान की मान्यताओं को प्रतिष्ठित करने वाला प्रशासन स्थापित हो चुका है। इस संदर्भ में इस संसार में इससे बड़ा कोई और उदाहरण नहीं हैं यह प्रयास हमारे देश ही में नहीं बल्कि दुनिया के अन्य देशों में भी हो चुके हैं। आज न्यूनतम कार्यक्रम पर सभी विचारधाराओं को साथ लेकर यह मिलाजुला मंत्रिमंडल बना। हम यह नहीं चाहते थे कि हमारा बहुमत न हो। सभी दलों ने इसके लिये प्रयास किया लेकिन क्या हम आज देश या संसार के सामने यह कहने का दुस्साहस करेंगे कि हम सरकार बनाने में असमर्थ हैं, न्यूनतम कार्यक्रम देने में असमर्थ हैं, अपने अपने चुनाव घोषणा पत्रों का निचोड़ निकालकर सभी निचोड़ों के समान विचारधारा में समान कार्यक्रमों की धाराओं को आबद्ध कर उसे बनाने में असमर्थ हैं? अगर आज इस प्रस्ताव को हम लोग नकारते हैं जो माननीय प्रधान मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है तो इसका अर्थ यह है कि संसद यह चाहती है। जो असंभव है कि कोई सरकार न बने। एक महीने से अस्थिरता का वातावरण है और हमें इस असमंजस की स्थिति में भारत की जनता को डालने का कोई अधिकार नहीं है। हमें ईमानदारी से यह प्रयास करना चाहिये कि एक अच्छी सरकार देश की जनता के सामने प्रस्तुत करें। हम अपनी बाध्यताओं, पार्टी-तंत्र, चुनाव घोषणा पत्र पर सुदृढ़ रहते, अपनी पार्टी के कार्यक्रमों पर दृढ़ रहते हम यह प्रयास करें। यह सब प्रयास संयुक्त मोर्चे का निर्माण करके हुआ है।

सभापति महोदया, यदि आज दूसरे देशों में प्रजातांत्रिक पद्धति का इतिहास देखा जाये तो जर्मनी, फ्रांस, इटली और जापान में मिलेजुले मंत्रमंडल के आधार पर प्रयास कर रहे हैं। आज सरकार प्रगतिशील दृष्टिकोण से अपने राष्ट्रीय कर्तव्यों का निर्वहन कर रही हैं। आज विचारों का विश्वीकरण हो रहा है। आज साईंस और टैक्नालाजी ने संसार को समान दृष्टिकोण से सोचने के लिये मजबूर कर दिया। आज धर्म, जाति, भाषा और ट्राईबल में जितने भी इस प्रकार के भेद थे, विज्ञान और ज्ञान नये मानदंड प्रस्तुत कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? क्या हम राजनैतिक मतभेदों को लचीला नहीं कर सकेंगे? क्या हम 21वीं सदी के भारत के निर्माण के लिये 20वीं सदी के अंतिम दशक में एकत्र नहीं हो सकते? आप न्यूनतम कार्यक्रम को देखें, आप विरोधी दलों की ओर से चलाये हुये शासन को देखिये कि जब राष्ट्रपति का अभिभाषण पढ़ा गया। अगर आप राजनैतिक परदे को हटाकर देखें तो 90 प्रतिशत बातों में एकमत हैं। विदेश नीति, आर्थिक नीति, औद्योगिक नीति, खेती की नीति। इसको छोड़ें तो आप देखेंगे कि आज के वातावरण में संसार में सब सर्वानुमति के आधार पर कार्यक्रम बनाने के लिये बाध्य हैं और इसीलिये एक शायर का शेर याद आता है कि ऐसे हालात में भी हमें यह कोशिश करनी है कि हम मिलजुलकर काम कर सकें और संयुक्त मोर्चा उसका परिणाम है। और जैसा कहा गया :

यही दुनिया जो बुतखाना बनी जाती है,
इसी बुतखाने से काबे की जमीं पैदा कर।

सभापति महोदया, मैं उन राजनैतिक दलों को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने परस्पर मतभेद भुलाकर, अपनी कट्टरता, कठोरता को छोड़कर राष्ट्र हित में और जनहित में इस 11वीं लोकसभा के माध्यम से एक सरकार देकर लचीलापन दिखाया है। मैं विशेष रूप से वामपंथी दलों का आभारी हूं कि जिन्होंने अपनी वामपंथी मर्यादा को रखते हुये, चीन के हालात और सब जगहों को देखते हुये वामपंथ ने प्रगतिशील नेतृत्व देने का प्रयास किया है, उसके लिये बधाई देता हूं।

मैं उन्हें बधाई देता हूं। इसी तरह मैं क्षेत्रीय दलों को बधाई देता हूं कि उन्होंने भी पूरा प्रयास किया है कि अपने क्षेत्रीय दृष्टिकोण को, अपने प्रदेश के दृष्टिकोण को, अपनी प्रादेशिक भाषा चाहे तमिल हो, तेलुगू हो, चाहे असमिया हो चाहे मराठी हो चाहे बंगाली हो, सारी बातों का जन-गण-मन अधिनायक जो हमारा राष्ट्रगीत है, उसमें जो प्रतिनिधित्व है, उस राष्ट्रीय एकता और भावना को संयुक्त मोर्चे के रूप में प्रदर्शित किया। आज बहुत से लोगों के सामने, जनता के सामने प्रश्न उठते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि ये उनसे मिल गए। इस सदन में भी इस प्रकार का प्रयास किया गया कि हमारा विरोधाभास था, हमने एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़े और एक हो गए। चुनावों में हमने जो बातें कहीं, हम अपने उन विचारों पर कायम हैं लेकिन यह एक प्रदेश का सवाल नहीं है, यह अकेले उत्तर प्रदेश का सवाल नहीं है, अकेले बिहार का सवाल नहीं है, अकेले तमिलनाडु का सवाल नहीं है, अकेले असम का सवाल नहीं है। यह भारत का सवाल है और भारत के मसलों को हल करने के लिए अगर हम सब अपने प्रदेश के दृष्टिकोण और क्षेत्रीय दृष्टिकोण से थोड़ा ऊपर उठकर मिलकर काम करते हैं तो आज ऐसा वातावरण बनना चाहिए जिसमें कटुता न हो। मुझे बड़ा दुख हुआ कि हमारे चन्द साथियों ने जिनका मैं बड़ा आदर करता हूं, अपने लंबे राजनीतिक जीवन में यह मेरा सौभाग्य रहा है कि जब बड़े से बड़े सांसद मर्यादित रहे हैं तो उनके चरणों में मैं कुछ सीखूं। हमने सहिष्णुता सीखी है। आज धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर अगर कोई भी असहिष्णुता पैदा करने का प्रयास करता है, व्यक्तिगत कड़वापन लाने का प्रयास करता है तो उससे हमारी राजनीति उज्जवल नहीं होती।

अधिष्ठात्री जी, मैं आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि यह समय की अनिवार्यता है कि जो न्यूनतम कार्यक्रम संयुक्त मोर्चे की ओर से बनाया गया है जिसमें सारी पार्टियों के विचारों का समन्वय है, निचोड़ है, वह न्यूनतम कार्यक्रम है अधिकतम कार्यक्रम नहीं है। हर पार्टी की हर बात उसमें नहीं हो सकती। जनता के हित में और 21वीं सदी के भारत की ओर इस 20वीं सदी के अंतिम चरण में एक महान भारत का निर्माण करने के लिए यह 11वीं लोक सभा एक महान संसद का दायित्व पूरा करेगी और हम सब सांसद एक ऐसा वातावरण देश में बनाएं। विरोधी दल का भी पूरा दायित्व है। विरोधी दल के नेता की

क्षमता पर मुझे विश्वास है। उनकी तरफ बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने संसदीय मर्यादा और शासन को निभाया है और इसलिए मैं उन सभी से आशा करता हूं कि वे सभी प्रस्ताव पर बिना वोट कराए एकमत से इस संयुक्त मोर्चे की सरकार को और प्रधान मंत्री गौड़ा जी को जो प्रधान मंत्री पद के उम्मीदवार नहीं थे, जिनको पता भी नहीं था कि प्रधान मंत्री पद के लिए उनका नाम घोषित किया गया है, ऐसे व्यक्ति को जिनको सबने अपनी बाध्यताओं को तोड़कर निर्वाचित किया है, ऐसे व्यक्ति के नेतृत्व में सरकार को चलने का मौका देंगे और यह भी मैं विरोधी दल से आशा करता हूं क्योंकि इसी सर्वानुमति के आधार पर उन्होंने इसको चलाने का प्रयास किया है। आज मुझे बहुत दुख हुआ कि हरियाणा से आने वाली और दिल्ली से चुनी गई सम्मानित सदस्या ने मेरा भी नाम ले लिया। बड़ी कृपा की उन्होंने मुझ पर! मुझे भी थोड़ा सा अनुभव है 40 साल का संसदीय जीवन मेरा भी रहा है और मैंने बहुत उतार-चढ़ाव देखे हैं और बहुत लोगों के चरणों में मुझे सीखने को मौका मिला है जो आज जीवित भी नहीं हैं। लेकिन व्यक्तिगत कड़वाहट को हमने कभी स्थान नहीं दिया। यह हमने महात्मा गांधी से सीखा, जवाहर लाल नेहरू से सीखा और पिछली दस लोक सभाओं की पृष्ठभूमि में सीखा। उत्तर प्रदेश में जो हमने किया, हमने जो आंदोलन चलाए आज भी विकास के लिए उत्तर प्रदेश तड़प रहा है। यह सही है कि हमने विकास यात्राएं की, हमने उत्तराखंड जैसे पर्वतीय क्षेत्र की मांग की। हमने मुजफ्फरनगर काण्ड की पूरी जांच की मांग की। उस समय हमने अपना दायित्व पूरा किया और आज भी हम उस पर स्थिर हैं लेकिन व्यक्तिगत कटुता को हमने स्थान नहीं दिया। मैं कहना चाहता हूं कि हमारा कोई भी मतभेद व्यक्तिगत नहीं था, न होना चाहिए और न होगा।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय सदस्य ने अपनी बात समाप्त नहीं की है।

[हिन्दी]

श्री गंगा चरण राजपूत (हमीरपुर) : उत्तराखंड की मांग हम करते चले आ रहे हैं। हमारे मेनीफेस्टो में उत्तराखंड लिखा हुआ है। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया माननीय सदस्य को अपनी बात समाप्त करने दीजिए उनका समय भी पूरा हो गया है।

[हिन्दी]

श्री मानवेन्द्र शाह (टिहरी) : ये माननीय सदन के सामने लाया गया है, कोई आंदोलन नहीं किया गया है, केवल आपके घोषणापत्र में है।

सभापति महोदय : आप तो बहुत बोलने वाले हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी : मुझे कई बार ऐसे विस्तारपूर्वक मध्य में किये गये अपने संबोधनों का सामना करने का अवसर मिला है और फिर ये तो ऐसे प्यारे मित्र ने, संसद सदस्य ने संबोधन किया है जिनका कि मैं बड़ा आदर करता हूं और वह जानते हैं कि मेरे लंबे जीवनकाल में सेवा के कितने अवसर रहे हैं जब कि उनसे मुझे चर्चा करने का अवसर मिला है। वह जानते हैं पर इस समय पार्टी के चश्मे से देख रहे हैं इसलिए वह इन बातों को कह रहे हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि मैं इस समय जो कह रहा हूं वह पार्टी के चश्मे से नहीं कह रहा हूं।...**(व्यवधान)** क्या कहा आपने।

श्री मानवेन्द्र शाह : ये आपने शुरू किया है। उससे पहले नहीं किया है, आपने किया है। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, इज्जत के साथ बोलता हूं।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय सदस्यगण कृपया इसे एक सतत वाद-विवाद न बनाएं। श्री नारायण दत्त तिवारी कृपया अपनी बात जारी रखें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री गंगा चरण राजपूत : आप बोले जाइये तिवारी साहब।

श्री नारायण दत्त तिवारी : महोदय, मैं कोई इस प्रकार से विवाद में सीधे नहीं पड़ना चाहता। लेकिन मेरा नाम बिल्कुल वैयक्तिक रूप से लिया गया और जो माननीय सदस्य, जिन्होंने यह कहा वह जानते हैं कि हम अपने विचारों पर दृढ़ता के साथ खड़े रहेंगे। जो हमारा इतिहास है और जो हमारी विचारधारा है उस पर दृढ़ता से रहने का हमारा पूरा रिकार्ड रहा है। तो मैं इनसे कहूंगा कि कृपा करके वैयक्तिक प्रसंगों को यहां पर न लाया जाए। वैयक्तिक कटुता हमारी न किसी से है और न रहेगी और इसीलिए संसदीय जीवन में वैयक्तिक कटुता के प्रयोजन चलते नहीं है, इस बात को हम सब जानते हैं। तो मैं अधिष्ठात्री जी आपसे आग्रह करूंगा कि आप इस संसद के इस प्रतिमान अध्याय में, जो कि प्रारंभ हो रहा है, इस भारत को एक सरकार द्वारा 21वीं सदी में ले जाने की जरूरत है, एक न्यूनतम कार्यक्रम जिसमें आर्थिक, सामाजिक जो नई शक्तियां उभर रही हैं, उनका सामंजस्य करते हुए जो कार्यक्रम बना है, इसके आधार पर इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से हम यहां स्वीकार करेंगे और मैं नेता विरोधी दल से भी आग्रह करूंगा कि जो भी उनकी मान्यताएं रही हैं, जो उनके भाषण रहे हैं, उन्होंने प्रधान मंत्री पद त्यागते समय जो भाषण दिया है, उसके आधार पर सर्वसम्मत रूप से इस प्रस्ताव को पारित होने देंगे और अगर हम इस प्रयोग को आने वाले समय में सफल नहीं कर पाये तो यही कहा जाएगा-

बड़े शौक से सुन रहा था जमाना,
हमीं सो गये दासतां कहते-कहते।

अपराह्न 2.48 बजे

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी (हैदराबाद) : स्पीकर साहब, मैं जो करार दादे एतमाद पेश की गई है मैं उसकी भरपूर ताईद करता हूं और तब्दीली जो हिंदुस्तान में आई है, वह आला जाति के हाथ से निकलकर दूसरे तबके के लोगों के पास भी आई हैं। इसी के साथ-साथ आपको मैं यह भी याद दिलाऊं कि मुसलमानों ने भरपूर तौर पर आपको सदफीसद वोट दिये। लेकिन मुझे बड़े दुख से साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि आपने जो मिनिमम प्रोग्राम बनाया उसमें किसी मुसलमान को नहीं रखा। जिसका नतीजा यह है कि आप बाबरी मस्जिद के मसले के अंदर गलती कर गये।

क्योंकि जब नरसिंह राव साहब हिन्दुस्तान के बजीर आजम थे, उस वक्त भी धारा 138 के तहत यह मसला उनके सामने आया था लेकिन उसमें बहुत सारी दुश्वारियां थी जिनकी वजह से वह मसला वैसे का वैसा ही रह गया। उसके बाद यह मसला सामने आया कि वहां यू.पी. की गवर्नमेंट है, यहां सैन्ट्रल गवर्नमेंट है और दूसरी तमाम चीजें है। हमने उस वक्त भी बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के सदर की हैसियत से यही कहा था, जब शरद पवार साहब के मकान पर मीटिंग हुई थी कि लखनऊ हाई कोर्ट को सैन्ट्रल गवर्नमेंट की तरफ से यह कहा जाए कि इस मुकदमे को रोजाना सुना जाए और जल्द से जल्द इसका फैसला कर दिया जाए। आज भी आप यही कर सकते है। क्योंकि आप जानते हैं कि वहां यू.पी. में 70 जजेज हैं जबकि हमारे सुप्रीम कोर्ट में उससे आधे भी नहीं है, यहां उतनी जल्दी फैसला कैसे हो सकता है।

दूसरी चीज यह है और आप ही बताईये कि आजादी के बाद आज तक मुसलसल नाइंसाफी मुसलमानों के साथ होती रही है। सरकारी मुलाजमतों में उनका तनासुब घटता चला जा रहा है। इसके लिये मैं चाहूंगा कि दस्तूर के तहत एक कमीशन कायम किया जाए जो इसका जायजा ले कि आखिर ये तमाम चीजें क्यों हुई और इनकी तरक्की के लिये क्या किया जा सकता है। फिर जहां आप तमाम लोगों को रिजर्वेशन देते हैं, वहीं मुसलमानों के लिये भी रिजर्वेशन होना चाहिये।

इसी तरीके से अगर दस्तूर से धारा 144 को खत्म कर दिया जाए तो मैं समझता हूं कि पर्सनल लॉ का मसला हमेशा के लिये सुलझ जाएगा। आप यह भी गौर करें कि आज अगर अकलियतें अपना कोई कालेज कायम करते हैं, गवर्नमेंट से हमको एक पैसे की इमदाद नहीं मिलती और हम लेना भी नहीं चाहते, लेकिन कोई कालेज कायम करते ही हमें ऐसा क्यों कहा जाता है कि अगर तुम्हें 100 बच्चों के दाखिले की इजाजत हो तो उनमें से 50 आप मुसलमान लीजिए और 50 दूसरे लीजिये यह हमारे ऊपर जुल्म नहीं तो और क्या है? हम तो यहां तक तैयार है कि 100 में से 25 मुसलमान बच्चे लेंगे और 75 फीसदी आपके बच्चे लेंगे मगर इस सिस्टम का आप सभी गवर्नमेंट कालेजों में भी लागू कर दीजिये। लेकिन आप वहां ऐसा करने के लिये तैयार नहीं है। अगर हम अपने पैसे से कोई कालेज कायम करते हैं तो आप हमसे छीन लेना चाहते हैं—यह आखिर कौन सी पौलिसी है, मेरी समझ में नही आता। मैं चाहूंगा कि नई गवर्नमेंट इन तमाम चीजों का जायजा ले और हमारे साथ जो जुल्म और नाइंसाफी हुई है उसे खत्म किया जाए।

इसके साथ साथ उर्दू के ताल्लुक से आपकी वाजेह पौलिसी आनी चाहिये कि आप क्या करने जा रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप इसका भी ख्याल रखें कि जब आपने समाजी इंसाफ का नाम लिया, क्या समाजी इंसाफ मुसलमानों के लिये नहीं है। आप कहते हैं कि कोई हरिजन है, बाद में अगर वह क्रिश्चियन हो जाए तो उसे मराआत है लेकिन अगर कोई दलित मुसलमान हो जाए तो उसे मराआत नहीं हैं। यह कौन सा तरीका है कि क्रिश्चियन होने पर मराहत हो, बोद्ध होने पर मराआत हो लेकिन मुसलमान होने पर मराआत न हो, क्या यह फिरकापरस्ती नहीं हैं। मैं ऐवान से चाहूंगा कि वह खुद इंसाफ करे कि एक मजहब के नाम पर इस तरह की बातें क्यों होती है। यह बिल्कुल गलत बात है। मैं कहता हूं कि क्रिश्चियन होने पर अगर किसी को मराआत हैं तो ठीक है लेकिन उसी तरीके से मुसलमानों को भी आप मराआत दीजिये।

अखिर में, आपसे एक बात जरूर कहूंगा कि टाडा के तहत आज भी जितने मुकदमें चल रहे हैं, उनमें गरीब मुलसमानों को फंसाया गया है। रोजाना उन्हें अदालतों के चक्कर काटने पड़ते हैं। या तो आप उन मुकदमों का कोई फैसला कर दीजिये क्योंकि वे बेचारे अपना काम-काज छोड़कर अदालतों के चक्कर काट रहे हैं, जो बहुत गलत बात है। मैं चाहता हूं कि आप इसका कोई हल निकालिये।

हम इस सरकार की भरपूर तारीफ कर रहे हैं और मैं अपने ऐवान से भी अपील करूंगा कि कम से कम शाइस्तगी को बाकी रखें क्योंकि अभी जो हालात हो रहे हैं, उसे पूरी दुनिया देख रही है, मुल्क का जो हाल है, यहां से सीधे रिले हो रहा है। मुझे एक शायर का शेर याद आता है और इसके बाद मैं खत्म करूंगा-

अखलाक का जलता हुआ घर देख रहा हूं,
देखा नहीं जाता, मगर देख रहा हूं।

श्री गुलाम रसूल कार (बारामूला) : मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए यह कहना चाहता हूं कि दो रोज से मैं देख रहा हूं, यहां भारतीय जनता पार्टी के साथ इंसाफ नहीं हो रहा है, इसलिए इंसाफ नहीं हो रहा है क्योंकि इन्होंने कुर्सी संभाली, शिकस्त खाई, जख्मखुर्दा हो गए और ये बौखला उठे। हर कोई चीज इनकी बर्दाश्त से बाहर हो गई। आपको सब्र और तहम्मुल से इनकी बात को सुनना चाहिए, इनको अपने साथ लेना चाहिए।

लिहाजा, हर मामले में लड़ाई-झगड़ा, खुसूसन इस हाउस में है, लेकिन जैसा स्पीकर साहब ने कहा, दुनिया देख रही है, मुल्क देख रहा है, भारतीय जनता पार्टी के बारे में जो खदशात तमाम सैकुलर पार्टियों ने जाहिर किए थे उसके कारण इनसे रहा नहीं गया, ये सामने आ गए। इनके लीडर ने कहा हम यहां हिन्दुओं की गवर्नमेंट कायम करना

चाहते हैं। हिन्दू फलसफे पर हमें कोई एतराज नहीं। हिन्दू फलसफा हमारे मुल्क का, हमारे कल्चर का, हमारी तहजीब का, तमदुन का एक हिस्सा है। लेकिन गवर्नमेंट में, हुकुमत चलाने में हिन्दुइज्म को लाना या फिरकेवाराना बुनियादों पर सोचने से यह मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। यह मुल्क हिन्दुओं का ही नहीं है, यहां मुसलमान एक भारी अकलियत में है। यहां दलित बड़ी तादाद में हैं, मुलसमानों के बराबर हैं। ईसाई है, सिख भाई हैं, सब भाई हैं...**(व्यवधान)** मेरे आबा व अज्दाद भी हिन्दू थे। हमने इस्लाम कबूल करके कोई गलती नहीं की। हम हिन्दू फलसफे को बदस्तूर समझते हैं। हिन्दुस्तान हमारा है, भारत हमारा है, यह भारत हमारी मां है और मां के कोई टुकड़े नहीं करना चाहता। लेकिन फलसफा और मजहब इस मुल्क के टुकड़े करेगा। मजहबी बुनियादों पर हुकूमत कायम करने से मुल्क टूटेगा।

कश्मीर ने भारत के साथ 1947 में एक्सीड किया, उस वक्त हिन्दुस्तान जल रहा था। हमने किस बुनियाद पर किया था? एक तरफ मोहम्मद अली जिन्ना थे और उन्होंने पाकिस्तान मुसलमानों को मुल्क मजहब के नाम पर बनाया। हमने शेख अब्दुल्ला की रहनुमाई में हिन्दुस्तान को अपनाया, एक्सीड किया। इस बुनियाद पर एक्सीड किया कि हिन्दुस्तान एक डेमोक्रेटिक देश रहेगा। आईन बनाने वालों में डा. श्यामाप्रसाद मुकर्जी, जो भारतीय जनता पार्टी, आर.एस.एस. के बुनियादी मेम्बर थे और उनके साथ ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य बाबा साहब अम्बेडकर थे। मैं समझता हूं कि सबसे विद्वान और सबसे सच्चे आदमी डा. अम्बेडकर और डा. श्यामाप्रसाद मुकर्जी, जिन्हें मैं जाती तौर पर जानता हूं, वे हमारे कश्मीर में रहे, लेकिन आज उनके करे-कराये पर पानी फेर दिया और कहने लगे कि धारा 370 को हटाओ। मैं भारतीय जनसंघ वालों से पूछना चाहता हूं, अटल बिहारी वाजपेयी से पूछना चाहता हूं, मैं उनको करीब से जानता हूं, इनका हमेशा यही तरीका रहा है...**(व्यवधान)** मैं यह बात कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान फिरकापरस्ती पर नहीं चलेगा बल्कि हिन्दुस्तान सैकुलरिज्म पर चलेगा। अगर सैकुलरिज्म नहीं रहा तो हिन्दुस्तान के टुकड़े हो जायेंगे। हमने महात्मा गांधी के हिन्दुस्तान के साथ एक्सीड किया है, हमने सैकुलर हिन्दुस्तान के साथ एक्सीड किया है, हमने महात्मा बुद्ध के हिन्दुस्तान के साथ एक्सीड किया है...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवधान न डालिए।

[हिन्दी]

श्री गुलाम रसूल कार : हमने अशोक और अकबर के हिन्दुस्तान के साथ एक्सीड किया है, हमने नानक और कबीर के हिन्दुस्तान के साथ एक्सीड किया है।

अपराह्न 3.00 बजे

हमने महात्मा गांधी के हिन्दुस्तान के साथ एक्सीड किया है। हमने नेहरू के हिन्दुस्तान के साथ एक्सीड किया है। लिहाजा मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि आप सच्चे मायने में हिन्दुस्तान को प्यार करते हैं, तो सैकुलरिज्म को आगे ले जाइए।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप उनके भाषण में व्यवधान क्यों कर रहे हैं?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री गुलाम रसूल कार : दूसरी बात यह है कि हमने मुल्क के मफाद में हमेशा दूसरों का साथ दिया है और अपने आप को पीछे रखा है। चन्द्र शेखर साहब को देश ने जब वजीरे आजम बनाया, तो हमने आपका साथ दिया। तमाम मुल्क के मफाद के लिए हमने हमेशा साथ दिया। शेख अब्दुल्ला के साथ अकार्ड हुआ। हम अक्सरियत में थे। शेख अब्दुल्ला के साथ सूबाई रियासत में कोई मैम्बर नहीं था, लेकिन मीर कासिम वजीरे आला ने इस्तीफा दिया और दो और मैम्बरान ने इस्तीफा दिया और मुल्क के मफाद के लिए, अकार्ड की बुनियाद पर शेख अब्दुल्ला रियासते कश्मीर के वजीरे आला बने और अब आप हमारे ऊपर शक करते हैं। मैं मुल्क के मफाद के लिए सब बातों को आपके सामने ला रहा हूं।

स्पीकर साहब, यदि इनको यहां अक्सरियत हासिल नहीं हुई, तो इन्होंने मुल्क को फिरकापरस्ती की बुनियाद पर ले जाना शुरू कर दिया। मैं राम की, कृष्ण की कद्र करता हूं। मैं उनको इस देश का मैम्बर मानता हूं और बुद्ध, नानक, चिश्ती तथा कबीर के फलसफे पर चलता हूं। इसी फलसफे को आप भी अपनाइए। तभी हिन्दुस्तान आगे बढ़ेगा।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री कार, कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

[हिन्दी]

श्री गुलाम रसूल कार : जनाब स्पीकर साहब, मैं कन्क्लूड कर रहा हूं। मेरा सबसे बड़ा मुतालबा यह है प्राइम मिनिस्टर साहब और अपने लीडर से कि आप जम्मू कश्मीर में पालिटिकल प्रौसेस को आगे ले जाइए। मैं जम्मू कश्मीर में पार्लियामेंट्री चुनाव कराने के लिए अपने एक्स प्राइम मिनिस्टर साहब, श्री पी.वी. नरसिंह राव को धन्यवाद दूंगा। यह क्रेडिट उनको जाता है। उन्होंने और कांग्रेस पार्टी ने एक फैसला लिया और वहां चुनाव कराए। तमाम अपोजीशन पार्टियां कहती थी कि वहां चुनाव नहीं हो सकेंगे। इन्होंने फैसला लिया और वहां चुनाव हुए। दुनिया ने देखा वहां चुनाव हुए, लोग लाइनों में लगे थे, अपने वोट डाल रहे थे। हमारी प्रैस भी आजाद है, हमारी कलम भी आजाद है और हमारे ख्यालात भी आजाद है।

स्पीकर साहब, मैंने देखा वहां चुनाव के समय सेना का बहुत अच्छा प्रबंध था। वे लोगों को अंदर जाते समय तो देखते थे, लेकिन वे अंदर क्या करते हैं, इससे उनको कोई मतलब नहीं था, जो लोग अंदर जाते थे, वे आजादी से अपने वोट का इस्तेमाल करते थे और अपने पसंदीदा मैम्बर को वोट डालते थे। सेना के लोग बाहर भी नजर रख रहे थे कि बाहर कोई गड़बड़ी नहीं करे। वे लोग बूथ की हिफाजत के लिए थे। अगर बूथ में कोई दाखिल होता था, तो देखते थे और बाहर जाते समय देखते थे। यह तो सिक्योरिटी फोर्सेस का फर्ज बनता है कि वे बूथ की सिक्योरिटी करें, लेकिन किसने किसको वोट डाला, यह उनके देखने का काम नहीं था और न वे इस बात को देखते थे।

स्पीकर साहब, मैं बैनल अकवामी हालात के बारे में कहना चाहता हूं कि उस समय कश्मीर के क्या हालात थे। हमारे प्रैस वालों ने उस बात को नजरअंदाज किया। हमारे दुश्मन चाहते थे कि कश्मीर में ऐसे हालात पैदा हों जिससे वहां जम्हूरियत नहीं पनप सके, लेकिन हमारे कश्मीर की जनता ने दिखा दिया कि वह उनके साथ नहीं है और उन्होंने जम्हूरियत को स्वीकार किया, अपने वोट का इस्तेमाल किया और पाकिस्तान की साजिश को रिजैक्ट कर दिया। उन्होंने बैनल अकवामी साजिशों को रिजैक्ट किया।

स्पीकर साहब, मैं कहना चाहता हूं कि आज हमारा मुतालबा है कि कश्मीर में फौरी इलैक्शन होना चाहिए। तमाम लोग, तमाम सियासी समझ-बूझ रखने वाले लोग डिमांड करते हैं कि वहां असैम्बली के इलैक्शन होने चाहिए। असैम्बली के इलैक्शन के लिए वहां हमारे अपने अधिकार हैं, अपना कांस्टीट्यूशन है, हमारा पीपुल्स रिप्रजेंटेशन एक्ट है जो गर्वनर को अख्तियारात देता है, लेकिन साथ-साथ मरकज की भी कुछ जिम्मेदारी होती है। मैं समझता हूं कि मरकज को अपनी वह जिम्मेदारी निभानी चाहिए और इसके साथ-साथ इलैक्शन कमीशन का जुरिस्डिक्शन भी हमारे ऊपर है। इलैक्शन कमीशन के पेशे-नजर वहां पर असैम्बली के इलैक्शन होने चाहिए। इलैक्टोरल सेल्स को अपडेट करना चाहिए और इसके साथ-साथ वहां जो गैर-मुल्की हैं, प्राइवेट एजेंसी है, उनको बन्द करना चाहिए और प्राइवेट एजेंसी किसी को भी चलाने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। वहां जो नफरत है, जो वहां टैररिज्म है, इसको दफनाना चाहिए और अमन लाना चाहिए। यही हमारा मुद्दा है।

स्पीकर साहब, इसके साथ-साथ हमारे और कई मसाइल हैं, लेकिन उनके बारे में जब दुबारा इज़लास लगेगा, तब मैं तफसील से उन मामलात की तरफ ध्यान दिलाऊंगा। इस समय यहां पर फौरी इलैक्शन कराने की जरूरत है। नफरत को खत्म करने की जरूरत है और वोटर लिस्ट को अपडेट करने की जरूरत है।

वाहिद के जर्नो में हमारे जो अजीज बच्चे हैं, बेटे हैं, उनको हमे कश्मीर वादी में वापिस लाना चाहिए, राहत देनी चाहिए, सियासी आधार पर अगर कोई सियासी हमारे साथ इकदामात रखता है तो उनके मकानों पर कोई हमला करता है। उसे रोकना चाहिए। शासन इसकी इजाजत नहीं देता, जम्हूरियत इसकी इजाजत नहीं देता, हिन्दुस्तान की फिजा इसकी इजाजत नहीं देती। हम रैवोल्यूशन की पूरी ताईद करते हैं और आपको यह यकीन दिलाना चाहते हैं कि मुल्क के माहौल में मुल्क की उन्नति के लिए मुल्क की मफाद के लिए हम कांग्रेसी उनको सपोर्ट करेंगे। हम सत्ता के भूखे नहीं हैं। हमने चन्द्र शेखर भाई का साथ दिया, शेख अब्दुल्ला को लाए, बाकी लोगों को लिया। आप मेहरबानी करके अपनी शिकस्त को मान लीजिए, यही आपके लिए उचित होगा।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

डा. जयन्त रंगपी (स्वायत्त जिला) : महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि मुझे इस विषय पर कुछ शब्द कहने का अवसर प्रदान कीजिए।...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : नहीं, श्री रंगपी। मैंने आपको पिछली बार अवसर दिया है। पिछली बार मैंने श्री बंगारप्पा को अवसर नहीं दिया था मैंने इसकी क्षतिपूर्ति कर दी है। मुझे सन्तुलन बनाये रखना है। हर बार आपको अवसर नहीं मिल सकता।

(व्यवधान)

डा. जयन्त रंगपी : महोदय, आपने अन्य सभी पार्टियों को समय दिया है...**(व्यवधान)** क्या एक छोटी पार्टी से संबोधित होना कोई अपराध है?...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया सहयोग दीजिए। मैंने आपको नियम 377 के अन्तर्गत मामला उठाने का अवसर दिया है। मैंने शून्य काल के दौरान आपको अवसर दिया है। आप विगत वाद-विवाद के दौरान बोले थे। मैं हर समय आपको अवसर नहीं दे सकता। इसलिए कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

डा. जयन्त रंगपी (स्वायत्त जिला) : महोदय, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन इसके अलावा, विश्वास प्रस्ताव एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं प्रत्येक सदस्य को बोलने का अवसर नहीं दे सकता। सदन को कैसे चलाया जाये? पिछली बार श्री बंगारप्पा की पार्टी जैसी अन्य कई छोटी पार्टियों के सदस्य बोल नहीं सके थे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे उनको समय देना है। आपकी एक सदस्य वाली पार्टी है। मैं आपको प्रत्येक बार समय कैसे दे सकता हूं?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया ठीक व्यवहार कीजिए। आपको अगली बार अवसर मिलेगा। यदि आप अब ठीक व्यवहार नहीं करते हैं तो आपको अगला अवसर नहीं मिलेगा।

(व्यवधान)

अपराह्न 3.07 बजे

इस समय, डा. जयन्त रंगपी सभा भवन से बाहर चले गये

[हिन्दी]

श्री शिबु सोरेन (दुमका) : अध्यक्ष महोदय, हमें क्यों नहीं बोलने दे रहे हैं?...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, इस पर अब काफी चर्चा हो चुकी है।

श्री शिबू सोरेन : मुझे बोलने दीजिए। हमारे भी दर्द है, हम छः एम.पी. हैं लेकिन आज यहां एक एम.पी. है। मुझे भी इस पर कुछ बोलने दीजिए।...**(व्यवधान)** हम भी सदन से बाहर जा रहे हैं।

अपराह्न 3.08 बजे

तत्पश्चात् श्री शिबू सोरेन सभा भवन से बाहर चले गए

[अनुवाद]

श्री पी.वी. नरसिंह राव (बरहाम पुर) : महोदय, इस वाद-विवाद और इससे पूर्व के वाद-विवाद में काफी चर्चा हो चुकी है। इसलिए मैं देवेगौड़ा जी की नई सरकार को अपनी पार्टी का समर्थन व्यक्त करने में बहुत कम समय लूंगा और यह बताने में कि हम समर्थन क्यों कर रहे हैं, केवल कुछ प्रश्न ही उठाऊंगा। इस बार लोगों ने जो जनादेश दिया है, उसे क्रियान्वित करना बहुत कठिन है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। ऐसा कुछ अवसरों पर पहले हुआ है। लेकिन शायद इस बार सबसे कठिन जनादेश मिला है। इसलिए प्रत्येक पार्टी को इसके लिए सोचना पड़ा। दूसरे जनादेश के लिए लोगों के पास जाने का कोई प्रश्न नहीं था। ऐसा करना हास्यास्पद होता। ऐसा करना इस सदन के सभी सदस्यों के लिए बुद्धिमानीपूर्ण नहीं होता। इसलिए हमे रास्ता निकालना है। कांग्रेस पार्टी को अन्य दलों से बातचीत करने से पूर्व, और आपसी विमर्श से पूर्व ही यह बताने में कोई शंका नहीं थी कि हम क्या करना चाहते थे।

महोदय, सर्वप्रथम हम इस बारे में स्पष्ट थे कि हमें क्या नहीं करना है, अर्थात् हमें भारतीय जनता पार्टी को समर्थन नहीं देना है। इसमें कुछ भी नया नहीं है क्योंकि जहां तक मुझे याद है, कांग्रेस ने कभी भी भारतीय जनता पार्टी को समर्थन नहीं दिया और भारतीय जनता पार्टी ने भी कभी कांग्रेस को समर्थन नहीं दिया। हमारे मतभेद बहुत मौलिक हैं, बहुत गहरे हैं, दीर्घकालीक हैं और देश के समक्ष अधिकांश महत्वपूर्ण मुद्दों पर दोनों के बीच कोई सामान्य आधार नहीं है। इसलिए, हमारे लिए यह कहना बिल्कुल कठिन नहीं था कि हमारा भारतीय जनता पार्टी से कोई संबंध नहीं है। इसमें कोई व्यक्ति शामिल नहीं है, इसमें कोई आपसी संबंध शामिल नहीं है। यह विशुद्ध रूप से नीतियां, दृष्टिकोणों और विश्वासों का प्रश्न है।

महोदय, हमने ऐसा पहले कभी नहीं किया और इन अधिकांश मुद्दों में, ऐसा होता है कि उनके मत और हमारे मत बिल्कुल अलग-अलग होते हैं क्योंकि बीच का कोई आधार नहीं है। मैंने संसद में, पिछले कार्यकाल में थोड़े रूपए के लिए सहमति के किए प्रयास किया—दो या तीन वर्ष अथवा दो या अढ़ाई वर्ष तक, लेकिन स्थायी रूप से रास्ते 6 दिसम्बर, 1992 को अलग-अलग हो गये यह एक लम्बी कहानी है, जिसे सभी जानते हैं मैं इसे दोहराना नहीं चाहता हूं।

हम धर्मनिरपेक्षता पर पूरी तरह विश्वास करते हैं। इस शब्द को श्रीमती इन्दिरा गांधी लाईं थीं, विशेषकर संविधान की प्रस्तावना में, यद्यपि यह सुविदित था कि भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष था। 25 वर्ष तक, ऐसा समझा गया था। लेकिन पर्याप्त सावधानी के रूप में, पर्याप्त बुद्धिमता के रूप में संसद ने 1976 में उस शब्द को जोड़ा। यह केवल एक शब्द ही नहीं है, यह एक शब्द से कहीं अधिक है। इसके संविधान में न होने और इसे मान लेने और इसके होने और विशेषकर इसे संविधान में रखने के अर्थ में काफी अन्तर है। अन्तर वास्तव में अत्यधिक है, जैसा कि हमने बाद में देखा है। उस समय, कई लोगों ने, दोष दर्शी लोगों ने कहा था, कि इसे जोड़ने का कोई अर्थ नहीं है। यह सदैव था उस शब्द के जोड़ने का कोई विशेष महत्व नहीं है। लेकिन बाद की घटनाओं से यह सिद्ध हुआ, कि वह शब्द बहुत सही और बहुत ठीक ढ़ंग से जोड़ा गया था। हम अब यह कहते हैं और संविधान में भी यह बताया गया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा, यह धर्मनिरपेक्ष का समर्थन करनें, धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करने का प्रश्न नहीं है। पश्न यह नहीं है। प्रश्न यह है कि स्वयं राज्य धर्मनिरपेक्ष है। राज्य सिर से पैर तक धर्मनिरपेक्ष है। राज्य की जो भी गतिविधि क्यों न हो, राज्य की कुछ भी सोच क्यों न हो, राज्य की संसदीय विंग द्वारा कोई भी कानून पारित क्यों न किए गये हों, राज्य की न्यायपालिका द्वारा कोई जो भी निर्णय दिए जाये, सभी कुछ धर्म निरपेक्ष होना चाहिए। यह कहने कि राज्य धर्म निरपेक्ष है का अर्थ यही है।

हमारा देश प्रजातान्त्रिक है। इसलिए हमारे देश में एक धर्म निरपेक्ष लोकतन्त्र कार्य कर रहा है। परिभाषा से, यह एक धर्म निरपेक्ष लोकतन्त्र है? अब एक धर्म निरपेक्ष लोकतन्त्र क्या है? एक धर्मनिरपेक्ष लोकतन्त्र वह है जिसमें गैर-धर्मनिरपेक्ष मामले नहीं उठाएं जायेंगे। यह बहुत स्पष्ट है।

आप धर्मनिरपेक्ष भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में गैर धर्म निरपेक्ष मामलों को नहीं ला सकते। इसलिए, मेरा विनम्र अनुरोध यह है और रहा है कि इस धर्मनिरपेक्ष लोकतन्त्र में किसी निर्वाचन में लोगों के समक्ष आने वाले सभी मुद्दे धर्मनिरपेक्ष होने चाहिए। आप अपने धर्म निरपेक्ष होने चाहिए। आप अपने धर्मनिरपेक्ष कार्यक्रमों पर बातें कीजिए लोगों को अपनी और करने, इन धर्मनिरपेक्ष कार्यक्रमों पर लोगों को सहमत करने में प्रतियोगिता है। इस देश में, धर्मनिरपेक्ष कार्यक्रम और मुद्दों को गैर-धर्मनिरपेक्ष मुद्दों से बहुत स्पष्ट रूप से अलग किया जाता है। जैसा कि पुरी मामले और नाथवाडा मामलें में उच्चतम न्यायलय के निर्णय से स्पष्ट है, मन्दिरों के प्रशासन में भी, उन्होंने समस्त धर्मनिरपेक्ष विषय, मन्दिर प्रशासन को दो भागों में बांटा है। एक धार्मिक प्रशासन है और दूसरा भाग धर्मनिरपेक्ष प्रशासन है।

उन्होंने कहा है कि राज्य को धार्मिक संस्थाओं के धर्मनिरपेक्ष प्रशासन को ठीक करने में हस्तक्षेप करने का अधिकार है। उस सीमा तक, उन्होंने धर्मनिरपेक्ष और गैर धर्मनिरपेक्ष मुद्दों में भेद किया है। यह मेरा प्रश्न है जिसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। मैं आपसे, इस देश से, और लोगों से यह अनुरोध करता हूं कि वे इस बात को समझें कि जब एक गैर धर्मनिरपेक्ष मुद्दा लोगों के पास ले जाया जाता है, तो वह पार्टी और दूसरी पार्टी, जो केवल एक धर्मनिरपेक्ष मुद्दे के साथ आती है, वे एक समान आधार पर नहीं है। लोग धार्मिक भावनाओं में बह सकते हैं। वे धार्मिक हैं। वे सामान्यतया धार्मिक हैं। प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक धर्म है लेकिन एक धर्मनिरपेक्ष चुनाव में, जहां एक न्यूनतम कार्यक्रम अथवा एक राजनैतिक कार्यक्रम लोगों के सामने लाया जाता है, यदि उनमें से कोई एक पार्टी एक गैर-धर्म निरपेक्ष, एक धार्मिक कार्यक्रम के साथ जाती है और कहती है कि वे यह या वह बनायेंगे, तो यह कहने का अनुरोध करता हूं कि यह संविधान की भावना के विरूद्ध है। यह हमारे संविधान की धर्मनिरपेक्ष भावना के विरूद्ध है। हमने इसकी अनुमति दी है, लोगों ने इसकी अनुमति दी है, लोगों ने इस पर ध्यान दिया है जिसका परिणाम हम सभी को पता है, लेकिन मेरे विचार से यह संविधान की भावना के विपरीत है। ऐसे कई समुदाय हैं जिनकी कई कठिनाइयां, मतभेद और संघर्ष हो सकते हैं, लेकिन चुनाव उनके समाधान का रास्ता नहीं है। मेरा यही अनुरोध है। एक धर्मनिरपेक्ष लोकतन्त्र में केवल धर्मनिरपेक्ष लोकतन्त्र में केवल धर्मनिरपेक्ष मुद्दे उठने चाहिए और किसी भी अन्य मुद्दे को, विशेषकर गैर धर्मनिरपेक्ष मुद्दों को नहीं उठाया जाना चाहिए।

महोदय, भा.ज.पा. का कार्यक्रम जिसकी अनेक वर्षों से रूपरेखा तैयार की गई है, की कुछ प्रमुख बातें सामने आई हैं, जिन पर हमें न केवल अत्यधिक आशंका है बल्कि हम उनका पूर्णतः विरोध करते हैं। उनमें से कुछ भा.ज.पा. के वर्तमान घोषणापत्र में भी शामिल हैं। उदाहरण के तौर पर उन्होंने सामान्य आचार संहिता की काफी वकालत की है। मैं तो यह कहूंगा कि भारत में पहले से ही व्यापक पैमाने पर एक सामान्य आचार संहिता है। प्रमाण का कानून सामान्य है; सिविल प्रक्रिया संहिता भी सामान्य है; दंड प्रक्रिया संहिता भी सामान्य है; सिविल में प्रत्येक कानून सामान्य है। जो सामान्य नहीं है वह है उसके स्वीय कानून का भाग क्योंकि स्वीय कानून को बदला नहीं गया है। यहां तक कि ब्रिटिश राज के दिनों में और संविधान लागू होने के पश्चात् भी कुछ समस्याएं सामने आई थीं, उन समस्याओं को इस सदन में तत्कालीन प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की ओर से तत्कालीन राज्य मंत्री श्री के.सी. पन्त द्वारा दिए गए वक्तव्य द्वारा सुलझा दिया गया था, कि जहां कहीं भी स्वीय कानून का प्रश्न आएगा उसे नहीं छेड़ा जाएगा और न ही उसे बदला जाएगा जब तक कि उससे प्रभावित होने वाले लोग उससे पूर्णत : सहमत न हों। यह हमारा अनुभव है जिसका हम अनुपालन कर रहे हैं और मैं नहीं जानता कि दुर्भाग्यवश, भा.ज.पा. ने किस आधार पर इस विशेष मुद्दे को उठाया है। हमारे मुस्लिम मित्रों द्वारा यह कहा गया है कि वे इसे स्वीकार नहीं करेंगे। मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। हिन्दू इसे स्वीकार नहीं करेंगे। वास्तव में हमारे देश में अनेक कानून और रिवाज ऐसे हैं जिनको कानून के दबाव के अन्तर्गत बदला नहीं जाएगा और न ही बदला जा सकता है। यदि सरकार उन्हें बदलना चाहती है तो सरकार बहुत मुश्किल में पड़ जाएगी।

उदाहरण के तौर पर दक्षिण में एक लड़का अपने 'मामा' की लड़की से शादी कर सकता है। जो कि उत्तर में पूर्णतः अपवित्र समझा जाता है। उसे बहन अथवा ममेरी बहन कहा जाता है। लेकिन वहां ऐसा होता है। मुस्लिमों में चचेरी बहन और चचेरा भाई आपस में विवाह कर सकते हैं। क्या हिन्दू परिवारों में ऐसा हो सकता है? हिन्दुओं में देश के किसी भाग में भी वे ऐसा विवाह नहीं कर सकते हैं। हिन्दुओं में 'गोद लेना' कानूनन वैध माना गया है। गोद लेना क्या है? गोद लेने की संकल्पना गलत है जैसे कि एक व्यक्ति के पुत्र को कानूनन किसी अन्य व्यक्ति का पुत्र करार किया जाता है। सामान्य तौर एर यह एक ऐसी बात है जिसे कभी भी सहन नहीं किया जाता है। लेकिन यह

[हिन्दी]

अपुर्त्तस्य गतिर्नास्ति

[अनुवाद]

के नियम पर आधारित है। हमें एक 'प्रश्रय' चाहिए चाहे वह 'औरस' हो अथवा दत्तक हो क्योंकि जिस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। वह कुछ सम्पत्ति छोड़ कर जाता है, यदि कोई हो, लेकिन यदि उसके पास कोई सम्पत्ति नहीं है और यदि उसके पास थोड़ी सी भी सम्पत्ति नहीं है तो भी उसका 'क्रियाकर्म' 'दत्तक' पुत्र द्वारा किया जाता है। इसका उसके असली पिता से कोई मतलब नहीं होता है। वह अपने असली पिता का क्रियाकर्म नहीं कर सकता है। यह कानून हजारों वर्षों से चला आ रहा है। क्या इसे मुस्लिमों द्वारा स्वीकार किया जाएगा? क्या इसे ईसाईयों द्वारा स्वीकार किया जाएगा? समानता के नाम पर आप कितनी भयानक बातें करने जा रहे हैं। इसलिए हम बिल्कुल स्पष्ट हैं कि कांग्रेस दल किसी भी दबाव के विरूद्ध है, इस देश की जनता के स्वीय कानून की धाराओं पर किसी प्रकार के भी दबाव के विरूद्ध है।

इसके अलावा अनुच्छेद 370 की बात है। मेरे विचार से अनुच्छेद 370 और जम्मू और कश्मीर को पृथक करना कठिन है। यह केवल अनुच्छेद 370 ही नहीं है, आप 371 (क), (ख), (ग) और (घ) के संबंध में क्या कहेंगे जिसमें अनेक राज्य शामिल हैं। आन्ध्र प्रदेश शामिल है। महाराष्ट्र और गुजरात शामिल हैं। अनुसूची छः का क्या होगा? यह वह अनुसूची है जिसमें जनजातीय क्षेत्रों के लिए अनेक विशेष प्रावधान किए गए हैं। हम ऐसा क्यों करें? संविधान बनाने वाले ने क्यों किया? उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि इसका प्रावधान देश को एक करके रखने के लिए यह प्रावधान बहुत आवश्यक थे। जनजातियां बहुत पिछड़ी हुई थीं। यहां तक कि आज भी वे इतनी पिछड़ी हुई हैं कि उनको अन्य लोगों के स्तर पर लाने के लिए कुछ

और कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। हम सब प्रगति कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है। यहां तक कि जनजातियां भी प्रगति कर रही हैं। यहां तक कि गरीब से गरीब लोग भी प्रगति कर रहे हैं। लेकिन उच्च वर्ग कितनी प्रगति कर रहा है और निम्न वर्ग कितनी प्रगति कर रहा है? इसलिए, विधान में कुछ स्तर ऊपर रखने और कुछ कम रखने का प्रश्न महत्वपूर्ण बन जाता है। यह भारत जैसे देश के लिए अनिवार्य हो जाता है। इसलिए हमारे यहां अधिकतम सीमा, भूमि अधिकतम सीमा तथा सामाजिक न्याय के लिए भी अनेक अन्य प्रावधान हैं। ये प्रावधान क्रियाशील हैं लेकिन उन्हें उस सीमा तक सफलता नहीं मिली है जितनी हम चाहते थे। हो सकता है इसका कारण यह हो कि अन्य लोगों ने अधिक और तेजी से तरक्की कर ली है क्योंकि उनके पास विकास के सभी साधन मौजूद थे। यदि आप एक भूमिहीन व्यक्ति को 5 एकड़ भूमि दें, उसके पास करने को कुछ और नहीं होगा और हो सकता है दो अथवा तीन दिनों के बाद वह भूमि उससे छीन ली जाए अथवा आपके नियम के विरूद्ध वह जाकर उसे पास ही के कृषक को बेच दें। अतः सामाजिक न्याय को सफल बनाने और वास्तविकता में बदलने में काफी कुछ करना शेष है। सरकार इस समस्या के साथ जूझ रही है, वे उस प्रयत्न से संतुष्ट नहीं है लेकिन इसके साथ ही यह भी नहीं कहा जा सकता कि कुछ भी नहीं किया गया है। इस मामले पर सभी दलों द्वारा विचार की आवश्यकता है। इसमें दल विशेष का कोई मामला नहीं है। इसमें बिल्कुल भी किसी दल के पक्ष में कुछ नहीं है। अतः यह कुछ ऐसा मामला है जिस पर हम सभी को विचार करना है।

अनुच्छेद 370 को समाप्त करना संभव नहीं है, कोई भी इससे सहमत हो सकता है। जब तक आप जम्मू और कश्मीर को अलग न करना चाहे, अनुच्छेद 370 को समाप्त करना कठिन है। भा.ज.पा. के साथ यही हमारा मूल अन्तर है।

इसके अलावा, महोदय, हिन्दुत्व, हिन्दु धर्म, भारतीयता, इत्यादि के बारे में काफी कुछ कहा जा रहा है। अब उच्चतम न्यायालय ने भी एक तरह की घोषणा की है। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि भा. ज.पा. के हमारे अनेक मित्रों के अनुसार हिन्दु धर्म भारतीयता के समान है। 'डाक्टर साहब' क्या यह ठीक है?

डा. मुरली मनोहर जोशी : जी, हां। यही मैंने कहा था। हिन्दू धर्म, हिन्दूत्व, भारतीयता...**(व्यवधान)**

श्री पी.वी. नरसिंह राव : हिन्दू धर्म, भारतीयता के समान है। इसके अलावा भारतीय साक्ष्य अधिनियम हिन्दू साक्ष्य अधिनियम के समान है?

डा. मुरली मनोहर जोशी : यह एक विशेष संदर्भ में था जब आप दार्शनिकता की बात करते हैं तो ...**(व्यवधान)**

श्रीमती सुषमा स्वराज : क्या कोई हिन्दू साक्ष्य अधिनियम है?

श्री पी.वी. नरसिंह राव : सैद्धान्तिक रूप से तथा दार्शनिक रूप से मेरी उनसे कोई लड़ाई नहीं है। वे सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं और हो सकता है तीसरा व्यक्ति सही हो और हम दोनों गलत हों। मुद्दा यह है कि इसे कौन स्वीकार कर रहा है? रूढ़ि का क्या तात्पर्य है? इस देश में रूढ़ि का क्या अर्थ है? आपके संस्कृत शब्दकोष में जो भी शब्द होगा, आपके पास उसके दस अर्थ होंगे। लेकिन यहां केवल एक **रूढ़ियार्था है, अर्थ** जिसे **रूढ़ि** द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी।.

कई लोग जब इसका इस्तेमाल करते हैं तो एक अर्थ में ...**(व्यवधान)**

डा. मुरली मनोहर जोशी : अगर वह गलत इस्तेमाल है तब तो ...**(व्यवधान)**

श्री पी.वी. नरसिंह राव : गलत होता भी तो। आज मैं आपको आन्ध्र प्रदेश में कई शब्द दिखाऊंगा जो बहुत ही गलत तरीके से वहां इस्तेमाल हो रहे हैं लेकिन आज उनको तेलुगू में रोकने की कोशिश की जाये तो वे नहीं मानेंगे बल्कि आप ही के लिए बड़ी मुश्किल हो जायेगी। आपको मालूम है वहां मुल्जिम को तेलुगु में मुद्दई कहा जाता है। हमारे आन्ध्रप्रदेश के किसी भी मेम्बर से पूछ लीजिये कि वहां मुद्दई कहा जाता है। पहली बार तेलंगाना और आन्ध्र एक हुआ और मेरा माथा ठनका कि जिसको हम मुल्जिम कहते हैं, उनको वह मुद्दई कहें और जिससे कई बार गलती हो सकती है क्योंकि उनके अनुसार .. .**(व्यवधान)**... यही रूढ़ि की बात कर रहा हूं। इसलिए अब आप इंडियन की जगह हिन्दू लाने की कोशिश करेंगे, सही होगा, गलत होगा आपकी डिक्शनरी में लेकिन सारे हिन्दुस्तान में एकदम गलत है। .. .**(व्यवधान)**... इसलिए मुश्किल यह हो रही है कि इसे साम्प्रदायिकता कहिये या धर्म कहिये तो इसके पीछे एक हेतु होता है। हेतु यह है कि दुर्भाग्य से या सौभाग्य से, यहां 85 प्रतिशत एक कम्युनिटी के है और बाकी सब दूसरी कम्युनिटी के हैं।

[अनुवाद]

एक ओर भारत के 85 प्रतिशत लोगों का ध्रुवीकरण करने की कोशिश की जा रही है और 15 प्रतिशत लोगों की ओर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। इन सभी कार्यक्रमों में लोगों की जागरूकता पर धर्म की परत चढ़ी हुई दिखाई देती है। मैं, धर्म निरपेक्ष न होने के कारण, गैर – धर्म निरपेक्ष न होने के कारण इस बात पर आपत्ति करता हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए। यह ध्रुवीकरण इस देश के लिए विनाशकारी हो सकता है। मैंने यह इस सदन में कहा था। यदि आप 'राम' को उपना हथियार बनायेंगे तो मैं राम से नहीं लड़ सकता लेकिन आपसे लड़ सकता हूं। मैं राम से नहीं लड़ सकता और मैं इस बात को मानने से इंकार करता हूं कि राम का आपसे कोई संबंध हैं। आप राम पर अपना अधिकार जमाना चाहते हैं। आप राम को अपनी मदद के लिए अपने काबू में रखने की कोशिश कर रहे हैं। यह स्वीकार्य नहीं है, यह अनुज्ञेय नहीं है। यदि किसी को धर्म निरपेक्षवाद तथा गैर धर्म निरपेक्षवाद के उदाहरण देने हों तो वह यह उदाहरण दे सकते हैं। आपको धर्म निरपेक्ष रहना चाहिए। दलों की अन्य बातों के अतिरिक्त

अपनी एक छवि होनी चाहिए। वे शायद उस चेहरे को न देख सकें क्योंकि वह विशेष चेहरा दर्पण में शायद दिखाई न दे परन्तु लोग उनको अच्छी तरह जानते हैं कि कौन सा दल साम्प्रदायिक है ...(व्यवधान) मैं किसी के खिलाफ कुछ भी नहीं कह रहा हूं। हर दल की अपनी एक छवि होती है। ऐसा दल जिसे उदाहरणतः इतने बड़े महाद्वीप में, भारत के उप महाद्वीप में चुनाव में उपने दल का उम्मीदवार बनाने के लिए एक भी मुस्लिम व्यक्ति नहीं मिला, उस दल की क्या छवि है? मुस्लिम लोग कांग्रेस से पूछते हैं कि बिहार में पिछली बार की 29 सीटों की अपेक्षा इस बार उन्हे केवल 27 सीटें क्यों दी गई है? तब हमें इस बात पर प्रसन्नता है और हम उनकी मांगों को स्वीकार करते हैं आखिरकार अल्पसंख्यक, बहुसंख्यकों के मतों से ही चुनाव जीतते हैं। हमें यह बात नहीं भूलनी चाहिए। हमारे पास ऐसे उदाहरण हैं जिसमें लोग अल्पसंख्यक समुदाय के ऐसे उम्मीदवारों को, वोट डालकर जिताया है जिनकी आबादी उस विशेष निर्वाचन क्षेत्र में 2 प्रतिशत से भी कम थी, यही धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण होता है कि वह दल का उम्मीदवार है। अतः वह चाहे हिन्दू, मुसलमान या कुछ भी हो, उसे जीतना ही है।

उन दिनों इसी हेतु लैम्प पोस्ट सिद्धांत हुआ करता था। दुर्भाग्यवश यह सिद्धांत गत 30 अथवा 25 वर्षों में पूरी तरह लुप्त हो चुका है। पहले 'यह सिद्धांत' विद्यमान था। श्री अजित प्रसाद जैन टुमकुर से निर्वाचित हुए थे। टुमकुर कहां पर है और श्री अजित प्रसाद जैन कहां के रहने वाले हैं पर वे प्रधान मंत्री के गृह राज्य से जीतकर आये? ऐसा कई बार हुआ है।

मेरे मित्र श्री जार्ज फर्नान्डीज जी ने बिहार को हमेशा अपना अड्डा बनाया है। वह बिहार के स्थायी उम्मीदवार रहे है। मैं नहीं जानता कि यदि वह कर्नाटक जाते हैं तो उनका क्या होगा। यह अच्छी बात है कि वे जीवन भर बिहार में ही जमें रहे और मैं यह चाहूंगा कि वह बिहार से बार-बार जीतें। यही राष्ट्रीय अखण्डता है। अतः हम धर्म के मुद्दो पर, धार्मिक वायदों और कार्यक्रम के नाम पर बहुसंख्यकों को अल्प संख्यकों से अलग कर के अपने साथ नहीं ले जा सकते। भाजपा के नेताओं ने हमेशा ऐसा क्यों कहा है कि :

[हिन्दी]

हिन्दुत्व रहेगा, अभी भी रहेगा।

[अनुवाद]

उसके बाद वे कहते हैं -

[हिन्दी]

नहीं, नहीं वह मन्दिर का मामला उतना नहीं है हमारे लिए।

[अनुवाद]

जब भी वे पाते हैं कि स्थिति उनके अनुकुल नहीं है तो उनका कहना होता है कि

[हिन्दी]

बल्कि रहेगा मन्दिर।

[अनुवाद]

अतः जब भी वे अपने पैरों तले से धरती खिसकती हुई पाते हैं तो अपने बचाव के लिए मन्दिर का मुद्दा उछालते हैं। क्या यह सच है? यही तो हुआ है। मैंने तो यही समझा है। मैं गलत हो सकता हूं लेकिन मैंने तो यही समझा है और जैसा कि मैंने अभी उल्लेख किया है, मैं नहीं समझता कि इसे समझने में मुझसे कहीं गलती हुई हो।

महोदय, आज मैंने जानबूझकर भाजपा के चुनाव घोषणा-पत्र के विदेश नीति से संबंधित अध्याय में से एक बहुत ही आश्यर्चजनक बात पढ़ी है। पांच वर्ष पहले श्री आडवाणी और अटलजी यहीं पर बैठे थे। मैंने वहां से उनसे पूछा था कि आप कैसे कह सकते हैं कि आपको अपने घोषणा-पत्र में गुट निरपेक्ष आन्दोलन खत्म हो चुका है कहने का साहस है? उन्होंने यहीं बात कहीं थी। दोनों को आश्चर्य हुआ और दोनों एक दूसरे को देखने लगे थे। मैंने पुस्तक से यह सब कुछ पढ़ा था। यही तो हुआ है। मेरी जानकारी के अनुसार गुट-निरपेक्ष शिखर सम्मेलन के पांच वर्ष में दो सम्मेलन हो चुके हैं और गुट निरपेक्ष आन्दोलन ने जो कार्य किए हैं : वह किसी अन्य संस्था द्वारा नहीं किए गये हैं।

आज गुट-निरपेक्ष दृष्टिकोण का सम्मान किया जाता है। बीस वर्ष पहले किसी ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया और न ही समाचार पत्रों में यह प्रकाशित हुआ कि गुट-निरपेक्ष आन्दोलन का क्या महत्व है। पर आज गुट-निरपेक्ष का दृष्टिकोण स्थापित हो चुका है और इसे कभी-कभी स्वीकार किया गया है परन्तु इसका सम्मान सदैव होता रहा है। आपके घोषणा-पत्र के उस अध्याय में गुट-निरपेक्ष के बारे में एक भी वाक्य, एक भी शब्द नहीं कहा गया। सोचिए, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के प्रधान मंत्री के रूप में जकारता में गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन में भाग लेने जाते हैं। वहां वे क्या बोलेंगे। "सभापति महोदय, महामान्य, देवियों और सज्जनों। मैं यहां पर भारत की ओर से यह घोषणा करने के लिए आया हूं कि गुट-निरपेक्ष समाप्त हो चुका है।" उन्हें अपने घोषणा-पत्र के प्रति निष्ठावान रहना पड़ेगा।

आज विकासशील विश्व के लिए गुट निरपेक्ष आन्दोलन ही एकमात्र आशा की ज्योति इसलिए नहीं हैं कि विश्व में दो महान शक्तियां है और हमे संतुलन बनाये रखने की कोशिश कर रहे हैं। बात ऐसी नहीं है। हमने सदा गुट निरपेक्ष को स्वतंत्र राष्ट्रों का अपने आप भाग्य का निर्धारण करने को अधिकार माना है। गुट निरपेक्ष में किसी न किसी समूह को सदा बुरा समझा जाता है परन्तु हर एक मामले के संबंध में हमारी अपनी राय है भले ही वह मामला हमसे संबंधित हो अथवा न हो। गुट-निरपेक्ष आन्दोलन का यह स्वरूप रहा है।

[हिन्दी]

सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है।

हां, हमारे पास बम हो या न हो लेकिन शान्तिपूर्ण लोगों की तरफ से और शान्ति में हमारी रूचि थी। लाखों, करोड़ों लोग जो विश्व में शान्ति चाहते हैं, उनका प्रतिनिधित्व आज केवल गुट-निरपेक्ष आन्दोलन द्वारा किया जाता है।

इसके बारे में हमारा दृष्टिकोण पूर्णतया स्पष्ट होना चाहिए। हम निस्त्रीकरण चाहते हैं, हम सम्पत्ति का न्यायोचित वितरण चाहते हैं अथवा आप इसे कुछ भी कहें हम विश्व में सर्वत्र आम आदमी की दशा में ऐसा सुधार चाहते हैं जो सब को दिखाई दे बेशक इस सम्बन्ध में अलग-अलग देशों में अलग-अलग दृष्टिकोण है। अमेरिका में आम आदमी जो चाहता है, भारत या पाकिस्तान के रहने वाले आम आदमी की इच्छा उससे पूर्णरूपेण भिन्न हो सकती है। लेकिन वस्तुतः हम पूरे विश्व में इस तरह के सामाजिक न्याय का समर्थन करते हैं। हम पर्यावरण के पक्षधर हैं। क्या कोई मुझे अन्य ऐसा संगठन बता सकता है जिसने पर्यावरण और पर्यावरण की सुरक्षा पर गुट-निरपेक्ष आन्दोलन से अधिक कार्य किया है? यह केवल गुट-निरपेक्ष आन्दोलन ही है जिसने इन सभी कार्यों को अपने हाथ में लिया है, हालांकि यह एक एकध्रुवी विश्व है।

एकध्रुवी विश्व वस्तुतः गुट-निरपेक्ष आन्दोलन की प्रांसगिकता को समाप्त नहीं करता है। वास्तव में, जकार्ता में, उससे पहले यूगोस्लाविया में जब हमारी बैठक हुई थी, राजीव जी भी हमारे साथ प्रधान मंत्री के रूप में बैठक में थे, प्रश्न यह था कि शीत-युद्ध कब समाप्त होने वाला है? क्या गुट-निरपेक्ष आन्दोलन अप्रासंगिक होने जा रहा है? कई व्यक्तियों ने कहा, 'हां', हमने कहा 'नहीं' और हमने पिछले दो शिखर सम्मेलनों जकार्ता सम्मेलन और कोलम्बिया सम्मेलन - में हमने दिखा दिया कि किसी अन्य संगठन की अपेक्षा गुट-निरपेक्ष आन्दोलन-युद्ध और शान्ति के प्रश्नों पर, गरीबी उन्मूलन के प्रश्नों पर, पर्यावरण प्रश्नों पर तथा विश्व से जुड़े अन्य प्रश्नों पर पहले की अपेक्षा अधिक जीवन्त, सक्रिय और विचारों से परिपूर्ण है।

बड़ी शक्तियां जो घटित होता है उसकी परवाह नहीं करती, आज भी उन्हें वार्ता के लिए लाया गया है और कुछ सीमा तक उनका रूख नरम हो रहा है, लेकिन हम नहीं जानते कि उनका रूख कब पुनः कठोर हो जायेगा। इस तरह गुट-निरपेक्ष आन्दोलन को ही मानव जाति की उन्नति का अग्रणी बनना है और यह गुट-निरपेक्ष आन्दोलन भारतीय जनता पार्टी के घोषणा-पत्र स्पष्ट रूप से शामिल नहीं है।

महोदय, मैंने जिन बातों का उल्लेख किया है वे महत्वहीन नहीं हैं। ये गौण बातें नहीं हैं ये बातें मामूली नहीं हैं। इनका मानवजाति के अस्तित्व से पूरा सरोकार है। इस तरह हमारे इस प्रकार के मतभेद हैं। ऐसे मतभेदों के होते हुए, कांग्रेस पार्टी का भारतीय जनता पार्टी सरकार को समर्थन देने का कोई प्रश्न ही नहीं था। यह इसका सारांश है।

जब हमने कार्यसमिति में यह संकल्प पारित किया तब हमें यह मालूम नहीं था कि क्या होने जा रहा है? लेकिन हमें यह मालूम था कि क्या नहीं करना है, जैसा मैंने कहा कि हमने सकारात्मक पक्ष को चुना है अन्यथा, लोगों ने कहा होता, आप केवल नकारात्मक हैं, जो आप करना चाहते हैं उसका सकारात्मक पहलू कहां है।

यह एक बहुत अच्छा प्रश्न था। यह एक बहुत अच्छा प्रश्न हुआ होता। यदि हमने इसका उत्तर नहीं दिया होता, तो हमने गलती कर दी होती। इसलिए, हमने कहा : "हम नहीं जानते कौन सरकार बनाने जा रहा है। हम इतना जानते हैं कि हम सरकार नहीं बनाने जा रहे हैं। 1989 में 196 सदस्य होते हुए भी हमने सरकार नहीं बनानी चाही थी, अब उस संख्या का लगभग आधा सदस्य होने पर सरकार बनाने में समर्थ होने का प्रश्न ही नहीं था। लेकिन, वस्तुतः 136 या 140 कम संख्या नहीं है। यह इतनी कम भी नहीं है कि आप इसे एकदम तुच्छ समझें। इस देश के लोगों ने हमें जितनी सदस्य संख्या दी है, वह सरकार बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है लेकिन सरकार के गठन में बहुत निर्णायक मत होने के लिए यह सदस्य संख्या पर्याप्त से अधिक है। हमने केवल इतना ही अनुभव किया। लेकिन कैसी तथा कौन सी सरकार बनेगी, कौन सरकार बनाने जा रहा है, सरकार बनाने के लिए किसे बुलाया जा रहा है, इस के बारे में हमें कुछ पता नहीं था। इसलिए, हमने कहा : किसी भी व्यक्ति, दल या दलों के समूह को धर्म निरपेक्षता के आधार पर, स्वीकृत सिद्धान्तों के आधार पर, हम सहयोग देने के लिए तैयार हैं, हम बाहर से समर्थन देने को तैयार हैं, ऐसा तीन, चार दिनों के अनिश्चय के बाद हुआ। श्री देवेगौड़ा को चुना गया और उन्हें राष्ट्रपति जी द्वारा आमंत्रित किया गया। उन्हें बुलाने से पहले उन्होंने मुझे रिकार्ड में यह दर्ज करने के लिए बुलाया कि दूसरी सबसे बड़ी पार्टी अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आई और उसने एक मिनट से भी कम समय में यह कहा कि वह सरकार नहीं बनाएगी। उसके बाद उन्होंने उन्हें बुलाया। ऐसा हुआ है।

अब लोग कहते हैं कि आपका देवेगौड़ा जी से क्या समझौता हुआ है? महोदय, मुझे खेद है, मैं ऐसा काम नहीं करता हूं, मैं गुप-चुप समझौते में विश्वास नहीं करता हूं। आपको बता रहा हूं कि जो समझौता है वह अब आपके सामने है। देवेगौड़ा जी से मेरा समझौता यह है कि यह पार्टी किसी भी परिस्थिति में उस सरकार को गिराने नहीं देगी। इतिहास इस बात का साक्षी नहीं होगा कि कांग्रेस पार्टी के कारण देवेगौड़ा की सरकार गिरी।...**(व्यवधान)**

एक माननीय सदस्य : क्या यह गारन्टी है? ...**(व्यवधान)**

श्री पी.वी. नरसिंह राव : मैं आपको वह बता रहा हूं जो मैं और मेरी पार्टी कर सकती है। मेरी पार्टी ने ऐसा करने का दृढ़ संकल्प किया है।

हमने कार्यक्रम देख लिया है। इसका कुछ भाग हमारे घोषणा पत्र जैसा है। कुछ मामलों में तो सभी के घोषणा पत्र एक जैसे हैं। उसमें जो वास्तविक ब्यौरे दिए गए हैं हम उनसे सहमत हैं। अतः, उस कार्यक्रम में जो कुछ दिया गया है उसे सिद्धान्त रूप में और व्यापक रूप में स्वीकार करनें में हमें कोई कठिनाई नहीं है। कल कार्यकारणी समिति की बैठक हो रही है। उसमें इन सब बातों पर गहराई से गौर किया जाएगा। हम उन्हें कुछ सुझाव दें संकते हैं। हम उन्हें कुछ नई

बातें बता सकते हैं। यह सब किया जा सकता है। चूंकि वे एक-दूसरे के विरूद्ध नहीं हैं, मूल बात एक ही है, दृष्टिकोण एक ही है, कोशिश एक ही है, तो आगे चल कर इन पर कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए।

मिल-जुल कर बहुत कुछ किया जा सकता है। यह सबसे बड़ी बात है। पहली बात मिलकर काम करने के लिए सहमत होना है। जी हां, हम इन दलों के भी चहेते नहीं रहे, हमारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं हुआ। यह बात सच है। आज इस देश में ऐसी कौन सी पार्टी है जिसने कांग्रेस को नहीं कोसा है। महोदय, अतः क्या अन्तर रहा गया है? मैं जो एक मात्र अन्तर कर पाया हूं वह यह है कि मैं किन लोगों के साथ काम करने जा रहा हूं क्योंकि इस देश में लोकतंत्र का समर्थन करना होगा क्योंकि लोग हम से यह अपेक्षा नहीं करते हैं कि हम मुंह लटका कर उनके पास जाएं और कहें कि हम असफल हो गए।

यही कारण है। एक दूसरा कारण भी है। मैं समझता हूं कि यह सभा का बिल्कुल स्वाभाविक विभाजन होगा। जब वह कुछ दलों यहां-वहां समर्थन कर रहे थे, वह इसलिए समर्थन कर रहे थे क्योंकि वे दोनों ही कांग्रेस के विरूद्ध थे। यह इतिहास है। उस समय मैंने इस बात का बुरा नहीं माना, लेकिन उन्होंने देखा कि यह कांग्रेस विरोधी वाक्यपटुता एक स्वाभाविक तर्कहीनता है और उनमें यह तर्कहीनता समय के साथ विध्वंश बन गई हैं। अब कहीं भी कांग्रेस का विरोध नहीं है। मैंने जो कुछ कहा है वह मेरा सिद्धान्त है और यह व्यापक रूप से उन्हें स्वीकार्य है और जो मैंने कहा है यह उनका सिद्धान्त है और उन्हें पूरी तरह से अस्वीकार्य है। अतः जो विभाजन हुआ है वह स्वाभाविकता ही हैं। मैं ईश्वर से केवल यही प्रार्थना करता हूं कि समय-समय पर जो भी व्यक्तिगत मतभेद उभरे, हमारी यही बुद्धिमत्ता बनी रहे, हमनें उन्हें एक तरफ रखने की सदबुद्धि हो और हम इस दृढ़ निश्चय और संकल्प के साथ आगे बढ़ें कि इस देश में सफल हो और उसकी रक्षा हा। मैं यही कहना चाहता हूं। हमारी पार्टी समर्थन करने वाली पार्टी है। मैं समझता हूं कि अन्य मामलों पर प्रधान मंत्री को सभा को बताना चाहिए। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि उन्हें सभी मामलों, कार्यक्रम को कार्यान्वित करने, कानून के शासन और भ्रष्टाचार आदि के निवारण के बारे में उन्होंने अपने कार्यक्रम में जो कुछ कहा है उन्हें पर हमारा पूर्ण समर्थन मिलेगा। हमें सब कुछ स्वीकार्य है और हम उनका समर्थन करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था बनाए रखें।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

15 दिन पहले इस तरह के एक प्रस्ताव पर चर्चा हुई थी। मैं समझता था कि इस बार चर्चा का रूप कुछ भिन्न होगा। देश के सामने जो ज्वलंत समस्यायें हैं, उन्हें भी विवाद के दौरान उठाया जायेगा। अब सदन की बैठक जुलाई में होगी। आपने जीरो ऑवर में सार्वजनिक हित के मामलों को उठाने की अनुमति दी, उसके लिये आपको धन्यवाद देता हूं लेकिन एक प्रश्न ऐसा है जो अगले सत्र की बैठक के लिये टाला नहीं जा सकता है।

अपराह्न 3.49 बजे

[श्री चित्त बसु पीठासीन हुये]

मेरे मित्र श्री जसवंत सिंह जी ने उसका कल उल्लेख किया था। जनेवा में डिसआर्मामेंट कांफ्रेस चल रही है, थोड़े दिनों में समाप्त होने वाली है, सीटीबीटी का प्रश्न वहां उपस्थित है। भारत को इस मामले में दो टूक फैसला करना पड़ेगा। इस सवाल पर एक राष्ट्रीय सहमति रही है। हम यह कहते रहे हैं हम ऐस विश्व की रचना चाहते हैं जिसमें किसी देश के पास नूक्लीयर हथियार नहीं रहे।

ऐसी दुनिया नहीं चल सकती कि कुछ देशों के पास न्यूक्लियर हथियार हों और कुछ देशों को न्यूक्लियर विज्ञान में प्रगति करने से भी रोक दिया जाए। इसलिए पुरानी सरकार ने भी कहा था और नयी सरकार ने भी इस बात को दोहराया है कि इस मामले में हमारे औप्शन खुले रहने चाहिए। मैं युनाइटेड फ्रंट के मैनफिस्टो से उद्धत कर रहा हूं।

[अनुवाद]

> "संयुक्त मोर्चा सरकार विश्व परमाणु निशस्त्रीकरण के लिए कार्य करती रहेगी और लक्ष्य प्राप्ति तक परमाणु विकल्प खुला रखेगी।"

[हिन्दी]

लेकिन मेरे ध्यान में भारत के विदेश सचिव द्वारा जैनेवा में दिये गए एक भाषण का अंश लाया गया है जिसमें उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर हथियार भारत की सुरक्षा के लिए आवश्यक नहीं है। अगर हथियार सुरक्षा के लिए आवश्यक नहीं हैं तो ऑप्शन खुले रखने का क्या मतलब है? मैं नये विदेश मंत्री श्री गुजराल से कहूंगा कि वह इस बारे में तथ्यों का पता लगाएं। मेरे पास अधिकृत सूचना है और उस सूचना के आधार पर मैं उपनी टिप्पणी कर रहा हूं। अगर वह सूचना गलत होगी तो मुझे बड़ी खुशी होगी। अगर ऑप्शन खुला है तो फिर इस तरह का वक्तव्य नहीं दिया जाना चाहिए था। लेकिन मैं उस बात की ओर फिर से इंगित कर रहा हूं कि हमें थोड़े दिन में फिर फैसला करना है।

[अनुवाद]

विदेश मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : व्यवधान पहुंचाने के लिए मुझे खेद है। माननीय सदस्य जो कह रहे हैं, वह मेरे लिए एक समाचार है और मैं जानना चाहता हूं कि वह कहां से उद्धत कर रहे हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : वह किसका वक्तव्य उद्धत कर रहे हैं?

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : सभापति जी, यह परमानेन्ट मिशन ऑफ इंडिया की तरफ से प्रसारित भारत के फौरन सैक्रेटरी का वक्तव्य है जो 21-3-1996 को डिसआर्मामेंट कांफ्रेंस में उसका एक अंश उद्धृत कर रहा हूं।

[अनुवाद]

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य को ज्ञात है कि हम पहली जून को सत्ता में आए हैं।

श्री जसवन्त सिंह (चित्तौड़गढ़) : आपने कहा था कि आप पिछली नीति को ही जारी रखेंगे।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं फिर उद्धृत करना चाहता हूं :

> "अध्यक्ष महोदय, भारत के उद्देश्य भिन्न हैं। हम इस बात में विश्वास नहीं करते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए परमाणु हथियार प्राप्त करना आवश्यक है।"

[हिन्दी]

हमेशा के लिए भारत को सुरक्षा के साधन से वंचित किया जा रहा है।

[अनुवाद]

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : मुझे पुनः व्यवधान पहुंचाने के लिए खेद हैं। मैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी का बहुत सम्मान करता हूं। मुझे अपने जीवन में विभिन्न क्षेत्रों में उनके साहचर्य का सौभाग्य मिला है। एक समय वह विदेश मंत्री थे और मैं राजदूत था और अनेक अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में भी मैं उनके सम्पर्क में रहा हूं।

मैं किसी को नहीं बचा रहा हूं और मुझे किसी को बचाना भी नहीं चाहिए क्योंकि वह हमारे राजदूत नहीं हैं लेकिन वह जो उद्धृत कर रहे हैं उससे मुझे लगता है कि – मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूं वह शायद एक सामान्य वक्तव्य है और हम इस पर विश्वास करते हैं और मैं उसे दोहराता हूं, पूरे विश्व से परमाणु अस्त्रों को समाप्त किया जाना चाहिए, उन्हें इसलिए समाप्त किया जाना चाहिए क्योंकि परमाणु हथियारों को प्रतिरक्षा के साधन के रूप में उपयोग में नहीं लाया जाना चाहिए।...**(व्यवधान)**

यह घोषणा जवाहर लाल नेहरू के समय से चली आ रही है।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : सभापति जी, जो कुछ विदेश सचिव ने कहा है, वह डिसआर्मामेंट कॉन्फ्रेंस में कहा है। इसके अर्थ निकाले जाते हैं। ...**(व्यवधान)** सभापति महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री पी.वी. नरसिंह राव : विश्व के सभी देशों के लिए यह आम आधार है कि विश्व की सुरक्षा के लिए परमाणु हथियार आवश्यक नहीं हैं। पंडित जवाहर लाल नेहरू के समय से ही कई बार यह बात कही गई है। महात्मा गांधी ने भी यह कहा था। यदि इस अर्थ में यह एक वक्तव्य है, तो इस पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। यदि यह किसी देश विशेष के संदर्भ में है तो वह एक अलग मामला है और उस पर गौर करना पड़ेगा।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : इसके अतिरिक्त जब मेरे मित्र 15 दिन तक प्रधान मंत्री थे, तो उस समय यह वक्तव्य रिकार्ड में था। क्या उन्होंने इस बारे में कदम उठाया था? ...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : सभापति जी, अगर इनका उत्तर यह है कि हम 15 दिन क्या कर रहे थे, तो मुझे ज्यादा नहीं कहना फिर भी यह सवाल अपनी जगह रहेगा कि अब आप क्या कर रहे हैं?

[अनुवाद]

श्री पी.वी. नरसिंह राव : हमें यह बात एक-दूसरे पर नहीं डालनी चाहिए। हमें इस बात का पता लगाना चाहिए कि उस समय की नीति के अनुरूप इसमें कोई बात है, यदि नहीं तो हम इसका अध्ययन कर सकते हैं। उन्होंने एक सामान्य बात कही थी और मैंने यह बात स्पष्ट कर दी है। ...**(व्यवधान)**

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : कृपया एक मिनट शान्त रहिए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं अपनी बात खत्म नहीं कर रहा हूं।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : नहीं। मैं आपकी बात का उत्तर दे रहा हूं। यदि आप मुझे अगले दो सप्ताह में निर्णय लेने के लिए कह रहे हैं तो मैं इसे स्वीकार करता हूं। लेकिन उन बातों के लिए मुझे दोष मत दीजिए जिन पर आपको कार्रवाई करनी चाहिए थी। ...**(व्यवधान)**

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं आपको दोष नहीं दे रहा हूं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय, यह कोई साधारण मामला नहीं है। मैं इसे पार्टी का मुद्दा नही बनाना चाहता। आपको सी.टी.बी.टी. के बारे में अभी फैसला करना है, थोड़े दिनों के भीतर फैसला करना है। क्या आप कांफ्रेंस में रहेंगे? दो ही रास्ते हैं। अगर आपका दृष्टिकोण यह है कि एटमी हथियारों की जरूरत नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : उनकी बात धैर्य से सुनिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री जसवन्त सिंह : यह दोष बांटने का प्रश्न नहीं है। यह सरकार और इस सरकार के माननीय विदेश मंत्री ने व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध सन्धि और निरस्त्रीकरण के संबंध में कहा था कि वे नरसिंह राव सरकार की नीति का अनुसरण करेंगे। और यदि यह नरसिंह राव सरकार की नीति है, तो मैं यह कहूंगा कि यह दस या पन्द्रह दिन का प्रश्न नहीं है, यह बहस का प्रश्न नहीं है। माननीय विदेश मंत्री.....

श्री सोमनाथ चटर्जी : आपका क्या निर्णय था?

श्री जसवन्त सिंह : प्रश्न यह है कि निरस्त्रीकरण संबंधी सम्मेलन में एक सरकारी व्यक्तव्य दिया गया था जिसमें यह घोषणा की गई थी कि भारत को अपनी सुरक्षा के किए आणविक अस्त्रों की आवश्यकता नहीं है। माननीय मंत्री को इस तरह की जल्द बाजी नहीं दिखानी चाहिए। **(व्यवधान)** क्या माननीय विदेश मंत्री एक अत्यधिक राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे पर मेरे साथ एक वाद-विवाद करना चाहते हैं। उन्होंने पुछा था, "आप पन्द्रह दिनों तक क्या कर रहे थे?" उनका प्रारम्भिक वाक्य यह था कि यह हमारी नीति नहीं है। उन्होंने दूसरे वाक्य में यह कहा कि हम पिछली सरकार की नीतियों का अनुसरण कर रहे हैं। यह बहस का मुद्दा नहीं है। **(व्यवधान)** यह प्रारम्भिक और संसदीय व्यवहार है।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : कृपया मुझे बोलने की अनुमति प्रदान कीजिए।

श्री जसवन्त सिंह : मैं सहमत नहीं हूं। **(व्यवधान)**

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : मैं एक बात कहना चाहता हूं।

श्री जसवन्त सिंह : हमें भारत के आणविक वक्तव्यों पर इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। क्या विदेश मंत्री आप देश के समक्ष सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रश्न पर इस प्रकार हल्के फुल्के ढंग से अपनी प्रतिक्रिया करेंगे? **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री जसवन्त सिंह अपने अपनी बात कह दी है। आप कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप इस तरह का शोर क्यों कर रहे हैं? यह एक बहुत गम्भीर वाद-विवाद है।

(व्यवधान)

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : जो बात मैं कहने का प्रयास कर रहा हूं और उसे कहने से पूर्व मैं यह दोहराना चाहता हूं कि मैं श्री वाजपेयी का बहुत सम्मान करता हूं। यह कहने के पश्चात और मैं ऐसा कहता रहा क्योंकि यह नीति तो जब वे मंत्री थे तब भी चल रही थी नीति सतत चलती रहती है क्योंकि सरकार एक शाश्वत व्यवस्था है। **(व्यवधान)** विगत दो माह में विभिन्न सरकारों के आने से भारत को क्या हुआ। मार्च में न तो श्री अटल बिहारी वाजपेयी और न ही हमारे वर्तमान प्रधान मंत्री पद पर थे। और न ही कोई और व्यक्ति सत्ता में था। कुछ व्यक्तव्य दिये गये थे। इसे संदर्भ से हट कर पढ़ा जा रहा है। यदि व्यक्तव्य विशेष रूप से इतना महत्वपूर्ण था तो मुझे इसमें कोई कारण नहीं दीखता कि जेनेवा जाकर श्री अटल बिहारी वाजपेयी जैसे प्रमुख व्यक्ति ने उस वक्तव्य का उसी समय विरोध क्यों नहीं किया। **(व्यवधान)**

श्री जसवन्त सिंह : कृपया अपनी नीति बताइएं। शिकायत यह है।... **(व्यवधान)**

मध्याह्न 4.00 बजे

श्री जसवन्त सिंह : महोदय, क्या यह सरकार सी.टी.बी.टी. के संबंध में अपनी नीति का खुलासा कर सकते हैं?...**(व्यवधान)** उनकी नीति कहां है?...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री गुजराल को अपनी बात पूरी करने दो।

(व्यवधान)

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : महोदय, हम 1 जून से सत्ता में आये हैं। सामान्य रूप से हमने एक व्यक्तव्य दिया है और मैं इसको दोहराता हूं कि भारत की विदेश नीति में निरन्तरता का तत्व है और यही इसकी ताकत है। मुझे खेद है कि इस वाद-विवाद में मुझे अपनी विदेश नीति की बातों को स्पष्ट करने का अवसर नहीं मिला। लेकिन मैं केवल यह कहता हूं कि कुछ ऐसे तत्व है जो सदैव रहेगें। जब श्री अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री थे और मैं मास्को में राजदूत था तो हमने क्या किया था? क्या यह पंडित जवाहर लाल नेहरू की नीति अथवा श्रीमती इन्दिरा गांधी की नीति की निरन्तरता नहीं थी? जब श्री नरसिंहराव विदेश मंत्री बने और मैं फिर भी राजदूत था, तो क्या निरन्तरता कायम नहीं थी? निरन्तरता भारत की विदेश नीति का आवश्यक बल है और यह ऐसी ही चलती रहेगी। जहां तक परमाणु नीति का संबंध है, इस कार्यक्रम में यह कहा गया है :

> "संयुक्त मोर्चा सार्वभौमिक परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए कार्य करता रहेगा और इस लक्ष्य की प्राप्ति तक परमाणु विकल्प को कायम रखेगा। इससे सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के मामले को बल मिलेगा।"

महोदय, मैं यहां एक मुद्दा दोहराना चाहता हूं, ताकि देश के लोगों के दिमाग में कोई शंका उत्पन्न न हो, क्योंकि देश देख रहा है, कि यह सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कि देश की सुरक्षा को कोई क्षति न पंहुचे, सभी कुछ करेंगी... **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मैं नहीं चाहता था कि इस मामले पर इतना विवाद हो जाए ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री प्रमोद महाजन (मुम्बई उत्तर-पूर्व) : महोदय, हमने उनको बहुत ध्यान से सुना था। वे हमारे भाषण में व्यवधान डाल रहे हैं ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया स्वयं पर रोक लगाइए। यह तरीका नहीं है। विपक्ष के नेता बोल रहे हैं। कृपया उन्हें सुनिए।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : लेकिन मैंने अपना कर्त्तव्य समझा ... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : बैठिए। आप क्यों ऐसा कर रहे हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : जैसा मैंने कहा, जेनेवा सम्मेलन 28 तारीख को समाप्त हो रहा है और उसके पहले आपको फैसला करना है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : ठीक है, करेंगे।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : दो ही फैसले हो सकते हैं - या तो आप कांफरैंस में सी.टी.बी.टी. का विरोध करें या कांफरैंस से बाहर आ जाएं और बाहर आकर अपना विरोध प्रकट करें। इस समय राष्ट्र की सुरक्षा से संबंधित यह सबसे महत्वपूर्ण मामला है। राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों पर कोई मतभेद नहीं होना चाहिये।

मुझे अभी बड़ा ताज्जुब हुआ जब नरसिंह राव जी नौन-एलाइनमेंट की बात करने लगे। हमारे घोषणा पत्र में नौन-एलाइनमेंट नहीं था, यह कांग्रेस घोषणा पत्र है जो इस बार प्रकाशित हुआ है, इसमें कही नौन-एलाइनमेंट नहीं है।

श्री प्रमोद महाजन : एक शब्द भी नहीं है .... **(व्यवधान)**

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, अगर आपको याद हो, जब मैं विश्वास मत के प्रस्ताव पर बोल रहा था, तब मैंने कहा था कि भारतीय जनसंघ के दिनों से हम नौन-एलाइनमेंट पौलिसी के समर्थक रहे हैं क्योंकि जब पूरी दुनिया दो गुटो में बंटी हुई थी, दो समूहों में बंटी हुई थी, तो भारत के लिये इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं था कि हम शान्ति की बात करते और दोनों गुटों के बीच में मतभेद घटाने का प्रयास करते और हमने यही किया। लेकिन आज नरसिंह राव जी ने अचानक जो कहा, भारतीय जनता पार्टी से हर बात पर मतभेद हैं, इनको समर्थन देने के लिये यह बताना जरूरी नहीं है ...**(व्यवधान)**

श्री पी.वी. नरसिंह राव : ये रहें या न रहें, हम तो आप पर फिदा हैं **(व्यवधान)**

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : कांग्रेस के साथ हमारे बुनियादी मतभेद रहे हैं। हम कांग्रेस के खिलाफ लड़ते रहे हैं। हम और उधर बैठने वाले मिलकर कांग्रेस को हराने के लिए मोर्चा बनाते थे। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : कुछ माईक काम कर रहे हैं, विशेषकर श्री सोमनाथ जी का माईक काम कर रहा है। हो सकता है ...**(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी : इसका कारण अपको अलग करना है कि आप आरोप ... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया चुप रहिए। यह बहुत गम्भीर वाद-विवाद है।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि कांग्रेस के दुशासन से जब-जब लोगों ने मुक्ति चाही तो सभी गैर कांग्रेसी दलों को एक साथ आने का वातावरण बना। दल साथ आये तो कांग्रेस चुनाव में हार गई। लेकिन इस बार कांग्रेस को हराने के लिए साथ आने की भी जरूरत नहीं पड़ी, कांग्रेस वैसे ही हार गई। अब मोर्चा कांग्रेस के खिलाफ नहीं बन रहा है क्योंकि कांग्रेस तो हाशिये पर जा रही है। अब एंटी बी.जे.पी., भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सब इकट्ठे हो रहे हैं। ... **(व्यवधान)** यह जहां विचारों की भिन्नता को प्रकट करता है वही हमारी बढ़ती हुई शक्ति और प्रभाव को भी दिखाता है।

अब हमने तमिलनाडु में भी अपना अकाउंट खोला है। वहां विधान सभा में हमारा एक मेम्बर जीतकर आया है और वह कन्याकुमारी से जीतकर आया है। नागरकोईल में हम लोकसभा का चुनाव लड़े थे, वहां हमें अच्छे वोट मिले हैं। लेकिन हम इससे संतुष्ट नहीं हैं। लेकिन चर्चा यह हो रही है 1996 का मैंडेट क्या है? क्या जनादेश है, क्या उसका संदेश है? यह सच है कि किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला, मगर हमें सबसे अधिक सीटें मिली हैं यह भी सच है। लोग देश में सरकार देखना चाहते हैं। मिली-जुली सरकार बनाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। हम भी अपने ढंग से प्रयास कर रहे थे। ... **(व्यवधान)** लेकिन हमारे प्रयास में और आपके प्रयास में एक बुनियादी अंतर है। यह कहना काफी नहीं है कि कोलिशन का युग आ गया है। यह बात 1977 में भी कही गई थी, यह बता 1989 में भी कही गई थी। लेकिन कोलिशन पश्चिमी बंगाल में चल रहा है, केरल में चल रहा है। कोलिशन की सरकार वहां ज्यादा सफल होती है जहां एक बड़ी पार्टी होती है और उसके साथ छोटी-छोटी पार्टियां सहयोग करके बहुमत लाने की स्थिति में बनती है। अगर हमारा कोलिशन होता तो आपके कोलिशन से ज्यादा टिकाऊ होता, ज्यादा स्थिर होता। ...**(व्यवधान)** अब यह जो कोलिशन बना है इसमें सबसे बड़ी पार्टी की संख्या क्या है? 44-45। उसके भी अधिकांश सदस्य एक प्रदेश से आते हैं, लेकिन सब इकट्ठे हो गए हैं। सैकुलरवाद की रक्षा करने के नाम पर इकट्ठे हो गए है, भाजपा को दूर शासन से रखने के लिए और बातें कर रहे हैं जनादेश की। आप पहले चुनाव मिलकर नहीं लड़े, आपने कोई साझा कार्यक्रम नहीं रखा, अब चुनाव के बाद

आप इकट्ठे हो गए हैं। अच्छी बात है, लेकिन कल बहिन सुषमा ने एक बड़ा करारा सवाल पूछा था कि क्या जनादेश, कांग्रेस का सहारा लेने का भी है? क्या कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने का भी जनादेश है? ...(व्यवधान)

श्री राम नाईक : अध्यक्ष महोदय, हमने नरसिंह राव जी को शांति से सुना। एक शब्द भी नहीं बोला। ...(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा. मुरली मनोहर जोशी : अध्यक्ष महोदय, कई माइक खुले हुए हैं, इसलिए व्यवधान ज्यादा पैदा हो रहा है। श्री संतोष मोहन देव जी एवं अन्य अनेक माननीय सदस्यों के माइक खुले हुए हैं। कृपया इनको बन्द कराने का निर्देश दें, तो कुछ बात सुनने और समझने में आए। ... (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने यह आदेश दिया है कि सभी माइक्रोफोनों को बन्द कर दिया जाये। लेकिन ऐसा लगता है कि मशीन में कुछ खराबी है।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, यदि शांति हो जाए, तो मैं बोलूं। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के समर्थन से शासन चलाने वाले गठबन्धन के बारे में, मैं अपनी और से ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन वामपंथी मित्रों के प्रति झुकाव रखने वाली एक पत्रिका के सम्पादकीय का मैं अंतिम भाग यहां उद्धृत करना चाहता हूं। यह इकनौमिक एंड पालिटिकल वीकली है। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मैं उद्धृत कर रहा हूं :

[अनुवाद]

> "ऐसा लगता है मानों हाल ही में हुए आम चुनाव हुए ही नहीं है, जैसे कि संयुक्त मोर्चा को बनाने वाली पार्टियों ने कांग्रेस के विरूद्ध चुनाव नहीं लड़ा था जिसमें कांग्रेस को उसके दिखावटी धर्मनिरपेक्ष रिकार्ड, इसकी जन-विरोधी आर्थिक नीतियों और अत्यधिक भ्रष्टाचार के लिए उस पर आरोप लगाये गये थे, जैसे कि उनके समक्ष रखे गये मामले की सच्चाई से सहमत होकर मतदाताओं ने कांग्रेस पार्टी को एक जबरदस्त हार न दी हो, चुनाव पश्चात् के थोड़े से समय में अपने अवसरवादी जोड़तोड़ से, संयुक्त मोर्चे के संघटको ने जनादेश को एकदम नकार दिया है जैसा कि यह करना संभव...."

स्पष्ट रूप से वामपंथी दल, कम से कम, अपनी बेचेनी को दबाने में पूर्णतया सफल नहीं रहे हैं क्योंकि उन्होंने स्वयं को संयुक्त मोर्चा का घटक बताकर लेकिन सयुक्त मोर्चे की सरकार, जिसका मोर्चा गठन करेगा, में शामिल न होने की घोषणा करके अपने आपको राजनैतिक दलदल में उलझा दिया है। अपने उत्तरदायित्व से बचने के उनके ये सुनियोजित प्रयास उनके दायित्व को कम नहीं कर पाएंगे।"

एक माननीय सदस्य : आप यह कहां से उद्धृत कर रहे हैं?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं यह 'द इकानामिक एण्ड पोलीटिकल वीकली' से उद्धृत कर रहा हूं जो एक प्रगतिशील साप्ताहिक के रूप में जाना जाता है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय, उस दिन जब इस चर्चा के लिए समय देने का वक्त आया तो यह कहा गया था कि चर्चा किस बात पर होगी। सरकार ने कोई काम ही नहीं किया है। सरकार ने कोई विवादग्रस्त फैसले ही नहीं किये हैं । लेकिन आज के समाचार पत्रों में एक समाचार बड़ी प्रमुखता से छपा है। सी.बी.आई. एक स्पेशल लीव पेटीशन लेकर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट मे गयी। हाई कोर्ट ने सी.बी. आई. को निर्देश दिया था कि झारखंड मुक्ति मोर्चे के सदस्यों की खरीद के मामले में जो शिकायत उसे प्राप्त हुई, उस शिकायत को एफ.आई. आर. के रूप में दर्ज किया जाये। लेकिन सी.बी.आई. ने ऐसा नहीं किया। सी.बी.आई. ने उसका रूप बदल दिया। झारखंड मुक्ति मोर्चे के जो एम.पीस. थे, उनके खिलाफ गंभीर आरोप थे। उनके खिलाफ आरोप सत्यता पर आधारित थे। 1993 में जब सरकार अविश्वास प्रस्ताव का सामना कर रही थी, गिरने से डर रही थी तो मैम्बरों को खरीदा गया। उनको धन दिया गया। एक ही दिन धन दिया गया। दिल्ली के एक ही बैंक में धन जमा किया गया। यह मामला हमने उस समय भी उठाया था। झारखंड मुक्ति मोर्चे के एक सदस्य ने सबके सामने आ कर प्रैस कांफ्रेस में कहा था कि हमें धन दिया गया था। ...(व्यवधान) अब यह मामला अदालत में है। क्या सी.बी.आई. जिस तरह से शिकायत करने वाला अपना मामला दर्ज कराना चाहता है, उस तरह से दर्ज करने से इंकार कर सकती है? क्या उसका सारा रूप बदल सकती है?

यहां बड़े-बड़े वकील बैठे हैं। श्री सोमनाथ चटर्जी जी यहां बैठे हुए हैं। हर नागरिक को अपनी शिकायत, जिस रूप में वह चाहता है, दर्ज कराने का अधिकार है।

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : आप यह किस नियम के अन्तर्गत उठा रही हैं?

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, यह नियम 186 (आठ) के अन्तर्गत है। इसमें कहा गया है :

> "वह किसी ऐसे विषय से संबंधित नहीं होगा जो भारत के किसी भाग में क्षेत्राधिकार रखने वाले किसी न्यायालय के न्यायनिर्णयन के अन्तर्गत हो।"

अध्यक्ष महोदय : बताइए, यह प्रस्ताव की ग्राह्यता के लिए है।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी (हावड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह नियम इस प्रस्ताव की ग्राह्यता के संबंध में है।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : अध्यक्ष महोदय, मेरा नियम 352 (एक) के अंतर्गत व्यवस्था का प्रश्न है, जिसमें कहा गया है :

> "बोलते समय कोई सदस्य, किसी ऐसे तथ्य, विषय का निर्देश नहीं करेगा जिस पर न्यायिक विनिश्चय लम्बित हो।"

झारखंड मुक्ति मोर्चा से संबंधित संपूर्ण मामला उच्च न्यायालय में लंबित है **(व्यवधान)** जी, हां। यह अभी भी लंबित है, यह कोई अंतिम न्यायनिर्णयन नहीं है। कोई सदस्य केवल न्याय-निर्णय से ही, जो एक सार्वजनिक दस्तावेज होता है, उद्धरण दे सकता है, लेकिन उस निर्णय का उल्लेख सभा में नहीं किया जा सकता, जो अभी भी न्यायालय में लंबित हों।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा के मामले को उच्च न्यायालय ने निपटा दिया है और यदि हां, तो माननीय सदस्य श्री वाजपेयी निर्णय प्रक्रिया को उद्धृत कर सकते हैं। मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर इसका निपटारा नहीं किया गया है, तो फिर मामला न्याय-निर्णयाधीन हो जाता है।

श्री गुमान मल लोढा (पाली) : अब कोई मामला लंबित नहीं है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ने ही मामले का निर्णय दे दिया है और अब कोई मामला लंबित नहीं है। **(व्यवधान)**

श्री पिनाकी मिश्र (पुरी) : यह मामला उच्च न्यायालय में 2 अगस्त को लाया जा रहा है। यह अभी भी लंबित है और अभी इसका निपटारा नहीं हुआ है। उच्च न्यायालय ने अभी इसका निपटारा नहीं किया है। क्या इसका निपटारा कर दिया गया है? यदि हां, तो न्याय-प्रक्रियाओं से उद्धरण दे सकते हैं और हमें उस पर कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यह मामला अभी भी लंबित है।

श्री जसवन्त सिंह : मेरे विचार में माननीय सदस्य दो पहलुओं का उल्लेख कर रहे हैं। पहला यह है कि क्या मामला लंबित है और दूसरा यह कि, हालांकि उन्होंने ऐसा नहीं कहा है, क्या यह मामला न्याय-निर्णयाधीन है। पहली बात, यह मामला लंबित नहीं है। उच्च न्यायालय ने इस पर निर्णय दिया है; अब उच्चतम न्यायालय ने भी इस पर निर्णय दे दिया है। दूसरी बात, क्या यह मामला न्याय-निर्णयाधीन है अथवा नहीं। मैं पहले भी इस बात का उल्लेख कर चुका हूं कि आपराधिक मामलों में नियमानुसार और हमारी परंपराओं द्वारा यह सुस्थापित है तथा कौल और शकधर की पुस्तक में भी इसका विशेष उल्लेख है कि अपाराधिक मामलों में जहां तक संसद का संबंध है, कोई भी मामला, आरोप-पत्र तैयार किए जाने पर तथा सिविल मामलों में, मसले तैयार किए जाने पर, न्याय निर्णयाधीन हो जाता है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं। मामला लंबित नहीं है क्योंकि, अगर यह आपराधिक मामला है, जैसाकि बिल्कुल स्पष्ट ही है, आरोप नहीं लगाये गये हैं। अतः, महोदय न्याय-निर्णयाधीन होने का प्रश्न ही नहीं उठता। यह नियम यहां लागू नहीं होता। विपक्ष के माननीय नेता जो कुछ कर रहे हैं, वह बिल्कुल नियमानुसार उचित है।

कुमार ममता बनर्जी : वह कौल और शकधर के बारे में बोल रहे हैं। लेकिन सदस्यों को दी गई इस पुस्तिका, जिससे मैंने उद्धृत किया है, के बारे में आपका क्या विचार है? **(व्यवधान)**

श्री गुमान मल लोढा : उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार, केन्द्रीय जांच ब्यूरो को विशेष ढंग से प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया गया है। प्राथमिकी अभी दर्ज की जानी है। प्राथमिकी दर्ज हो जाने के पश्चात् जांच-पड़ताल शुरू होगी। जांच-पड़ताल होने के पश्चात् एक चालान भरा जायेगा। न्यायालय में एक बार चालान भरा होने और न्यायालय द्वारा संज्ञान किए जाने के पश्चात् ही न्याय-निर्णयाधीन होने का प्रश्न उठता है। अभी किसी भी स्थान पर कोई मामला लंबित नहीं है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ने ही इस मामले पर निर्णय दे दिया है और उन्होंने एक प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है, जिसमें श्री नरसिंह राव तथा अन्य सात लोगों को अभियुक्त बनाया जाना चाहिये। अब मामला दर्ज करने का काम केन्द्रीय जांच ब्यूरो पर निर्भर करता है। एक प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिये और श्री नरसिंह राव को अभियुक्त बनाया जाना चाहिये।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : उच्चतम न्यायालय ने ऐसा नहीं कहा है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये।

श्री गुमान मल लोढा : महोदय, मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिये। आपराधिक दण्ड संहिता के अनुसार जब कोई मामला दर्ज किया जाता है, तो वह न्यायालय द्वारा नहीं बल्कि पुलिस द्वारा दर्ज किया जाता है। न्यायालय उस कार्यवाही तभी करेगा जब पुलि[illegible] जांच-पड़ताल के पश्चात् उनके अभियोजन हेतु एक [illegible] भरेगी अथवा एक अंतिम रिपोर्ट देगी कि उन्हें दोषमुक्त किया जाये। जांच-पड़ताल पूरी होने के पश्चात् वह स्थिति आयेगी। इस समय विशेष अनुमति याचिका को निरस्त करके उच्च न्यायालय के निर्देश की पुष्टि करने वाले उच्चतम न्यायालय के कल के निर्णय को केन्द्रीय जांच ब्यूरो को कार्यान्वित करना पड़ेगा। केन्द्रीय जांच ब्यूरो की खिंचाई की गई है और श्री नरसिंह राव के विरूद्ध कार्यवाही न करने के लिए इसकी कड़ी आलोचना की गई है। अतः कुछ भी लंबित नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : श्री गुमान मल लोढा, आप उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं, क्या आप जो कुछ कह रहे हैं, उस पर आपका पूरा विश्वास है?

श्री गुमान मल लोढा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस मामले पर बहुत आश्वस्त हूं। इस मामले की राजनीतिक जटिलता पर ध्यान दिए बगैर, इसका कानूनी पहलू यह है कि कहीं भी कोई भी मामला लंबित नहीं है और यह नियम लागू नहीं होता। क्या मैं पुछ सकता हूं कि यह मामला किस न्यायालय में लंबित है? **(व्यवधान)** अभी तक प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है और यह अभी दर्ज की जानी है। प्राथमिकी दर्ज होने उपरांत, पुलिस इस बात का पता लगाने के लिए जांच-पड़ताल करेगी कि क्या कोई मामला बनता है अथवा नहीं। अगर उसमें कोई मामला बनता है, तब उस मामले पर निष्कर्ष दिया जाता है।

श्री जसवन्त सिंह : कृपया कौल और शकधर की पुस्तक की पृष्ठ संख्या 949 के निचले भाग को देखिए। यह बिल्कुल स्पष्ट है। मैं इसे पढ़कर सभा का समय नहीं लेना चाहता।

> "पीठासीन अधिकारियों की समिति ने न्याय-निर्णयाधीन नियम के अभिप्राय पर विचार किया है और निम्नलिखित दिशा-निर्देशों की सिफारिश की है :-"

वे सिफारिशें बिल्कुल स्पष्ट हैं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया सभा के फायदे के लिए इसे पढ़ दीजिए।

श्री जसवन्त सिंह : मैं आपकी अनुमति से यह कह सकता हूं कि यह पीठासीन अधिकारियों की एक समिति है और यह मामला सभा में अक्सर उठाया गया है। भाषण देने का अधिकार एक प्रमुख अधिकार है, जबकि न्याय-निर्णयाधीन का नियम स्वयं लागू किया गया निर्णय है। इसी सिद्धान्त के अन्तर्गत संसद कार्य करती है। अतः, जहां आवश्यकता होती है, बाद वाला तरीका, जो कि न्यायनिर्णयाधीन संबंधी पहलू है, के स्थान पर पहले को प्राथमिकता दी जानी चाहिये। पहला पहलू क्या है? भाषण देने की स्वतंत्रता जैसाकि श्री सोमनाथ चटर्जी जानते हैं--वह पूर्व लोक सभा की विशेषाधिकार संबंधी समिति के माननीय सभापति रहे हैं—न्याय-निर्णयाधीन का नियम विशेषाधिकार संबंधी मामलों में लागू नहीं होता है। उदाहरण के लिए, मेरे मित्र श्री जार्ज फर्नान्डीज के विरूद्ध एक विशेषाधिकार प्रस्ताव लाया गया था। अतः, इस अवसर पर दोनों को ही उद्धृत नहीं किया जा सकता कि हमने एक विशेषाधिकार प्रस्ताव पेश किया है और इसीलिए वह इस मामले का उल्लेख नहीं कर सकते क्योंकि यह न्याय-निर्णयाधीन है। मामला केवल इतना ही है। वास्तव में, मैं श्री श्रीकान्त कुमार जेना की तरह अपभाषा का प्रयोग नहीं करना चाहता।

तीसरे, न्याय-निर्णयाधीन होने का नियम विधान के सम्बन्ध में लागू नहीं होता। न्याय-निर्णयाधीन का नियम, आम तौर पर अन्य न्यायिक अथवा अर्ध-न्यायिक निकायों जैसे न्यायाधिकरण इत्यादि तथ्यों का पता लगाने वाले निकायों के संबंध में नहीं, बल्कि भारत के किसी भी भाग में सिविल और आपराधिक न्यायालयों तथा सेना न्यायालय की प्रक्रियाओं के संबंध में ही लागू किया जाना चाहिये। यह पुलिस द्वारा जांच-पड़ताल, केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा तथ्यों का पता लगाने का मामला है। न्याय-निर्णयाधीन का नियम प्रश्नों, वक्तव्यों, प्रस्तावों इत्यादि के सम्बन्ध में लागू होता है। न्याया-निर्णयाधीन होने का नियम न्यायालय के सम्मुख विशेष मुद्दो के संबंध में लागू होता है। इस मामले के संपूर्ण विषय को इससे बाहर नहीं रखा गया है। यह विशेष मामला अत्यधिक महत्वपूर्ण है, जो हमें नियम 186 (आठ) की ओर ले जाता है। न्याय-निर्णयाधीन का नियम उसी समय लागू होता है जबमि विधि न्यायालय अथवा सेना न्यायालय में उस मामले पर सक्रिय विचार विमर्श चल रहा हो। उसका अर्थ यह होगा :

> "आपराधिक मामलों में, अभियोग-पत्र दर्ज होने से लेकर उस पर निर्णय होने तक।"

यही बात मैंने संक्षेप में पहले भी कही है। सेना न्यायालयों में यह लागू नहीं होता। सिविल मामलों में, यह उसी समय लागू होना चाहिये जबकि मसले उठाये गये हों। जैसाकि मैंने पहले भी निवेदन किया है, रिट याचिकाओं में उनको स्वीकृत होने से लेकर आदेश पारित होने तक और व्यादेश में उनके स्वीकृत होने से लेकर आदेश पारित होने तक और अपील के संबंध में, अपील स्वीकृत होने से निर्णय दिये जाने तक इसे लागू किया जाना चाहिये। इस मामले में निर्णय दिये जाने तक इसे लागू किया जाना चाहिये। इस मामले में निर्णय हो चुका है। कुछ भी लंबित नहीं है। न्याय-निर्णयाधीन का नियम लागू नहीं होता। उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायलय दोनों ही निर्णय दे चुके हैं। उच्चतम न्यायालय में पेश की गई विशेष अनुमति याचिका खारिज हो चुकी है...**(व्यवधान)** मैं पहले अपना भाषण पूरा कर लूं, उसके पश्चात् आपको बोलने की अनुमति दी जायेगी। अत्यधिक लोक महत्व के एक विशेष मामले में उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है : यह कीजिये, वह कीजिये।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो को उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय से दुख हुआ था। इसलिए उन्होंने उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दायर की। अब उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया है और कहा : "शर्माइए नहीं। कायर नहीं बनिए। आगे बढ़िए और अपना कार्य करिए जो कि आपको सौंपा गया है।" इसलिए मामला कहां लम्बित पड़ा है? कोई भी मामला लम्बित नहीं है। कुछ भी न्यायाधीन नहीं है...**(व्यवधान)**

श्री पिनाकी मिश्र : आपके नेता ने एक बात स्पष्ट कर दी है। आप दोनों एक ही दल के हैं। आप उस तर्क को स्पष्ट करिए और उस तर्क को स्पष्ट करिए जो आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें बोलने के लिए कहा है।

[हिन्दी]

श्री सत्य पाल जैन : यह जो आर्गुमेंट यहां दे रहे हैं, यही कल सुप्रीम कोर्ट में सरकारी वकील ने दिया था। श्री पारासरन सरकार की तरफ से पेश हुए थे। उन्होंने कहा था कि चूंकि यह मामला हवाला कांड से जुड़ा हुआ है, हवाला कांड का मामला सब-ज्युडिस है इसलिए यह इसमें लागू नहीं हो सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिजेक्ट किया।

अध्यक्ष महोदय : सुप्रीम कोर्ट में क्या आर्गुमेंट किया इस पर हम बहस नहीं कर रहे हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह संबद्ध नहीं है। आप अपना व्यवस्था का प्रश्न रखिए और अपना तर्क प्रस्तुत कीजिए। जो कुछ भी उच्चतम न्यायालय ने टीका-टिप्पणी की है उसके बारे में मत कहिए। हमारा उससे कोई संबंध नहीं है।

[हिन्दी]

श्री सत्य पाल जैन : यह आर्गुमेंट यहां दे रहे हैं, यह दो कारणों से एप्लीकेबल नहीं है। यह आर्गुमेंट सुप्रीम कोर्ट में दे चुके हैं और उसने स्वीकार नहीं किया। सिविल और क्रिमिनल में यह मामला सब-ज्यूडिस उस दिन होगा जिस दिन चार्जशीट पेश होगी और एक्यूस्ड के नाम दाखिल होंगे। नरसिंह राव या जो भी लोग ब्लेम होते हो वे जज के सामने आयेंगे, उसके पहले यह सब-ज्युडिशियस नहीं हैं।

[अनुवाद]

उन्हें उस न्यायालय का नाम बताने दीजिए जहां यह मामला लम्बित है। एक के बाद एक वक्ता को गलत तथ्य प्रस्तुत करने की अनुमति देना ठीक नहीं है...**(व्यवधान)**

श्री गुमान मल लोढा : ऐसा कोई न्यायालय नहीं है जहां यह मामला लम्बित हो।

श्री पिनाकी मिश्र : महोदय, मैं श्री जसवंत सिंह जी तथा श्री लोढा को सम्मान देते हुए यह कहना चाहूंगा कि यह वास्तविक स्थिति नहीं है। वास्तविक स्थिति इस प्रकार है। उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी। उच्च न्यायालय ने अपना निर्णय दिया लेकिन याचिका लम्बित रखी। उच्च न्यायालय ने 2 अगस्त की तारीख दी थी जब याचिका उच्च न्यायालय में जानी थी। इस बीच क्योंकि केन्द्रीय जांच ब्यूरो की कुछ आलोचना की गई थी इसलिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने यह कहने के लिए उच्चतम न्यायालय में जाना ठीक समझा कि उच्च न्यायालय के मूल निर्णय में उन्हें प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने सम्बन्धी निदेश गए जो कि गलत थे और अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि उस आलोचना को कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल देना चाहिए। अब उच्चतम न्यायालय ने कहा है; "उच्च न्यायालय ने अपना निर्णय दिया है।" आप प्रथम सूचना रिपोर्ट की जांच कर लें। इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। कोई आरोप-पत्र दाखिल नहीं किया गया है और आप प्रथम सूचना रिपोर्ट की जांच करें।"...**(व्यवधान)** जब आपने बोला मैं चुप रहा। कृपया मेरी बात सुनिए। मुद्दा यह है कि अब प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जाएगी और केन्द्रीय जांच ब्यूरो को और उस आलोचनात्मक टिप्पणी को कार्यवाही वृत्तान्त से निकलवाने के सम्बन्धी प्रयास प्रयत्न करने हेतु पुनः उच्च न्यायालय में जाने के लिए कहा गया है। यह पहला मुद्दा है। अब, विपक्ष के नेता ने सदन में खड़े होकर कहा कि वास्तव में प्रेस सम्मेलन में एक तथाकथित दोषी व्यक्ति उनके साथ बैठ गया और कहा कि वह एक दोषी व्यक्ति था; वह दोषी था और इससे उसकी जांच पर असर पड़ेगा। मैं विपक्ष के नेता को बहुत सम्मान के साथ यह कहना चाहूंगा कि जिस आदेश को उद्धरित किया गया है वह बिल्कुल सही है। मैं महसूस करता हूं कि इससे मुकदमे पर गंभीर असर पड़ेगा; इससे जांच पर असर पड़ेगा और व्यक्ति की स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाएगी।

अध्यक्ष महोदय : श्री दास मुंशी, मैं एक बात स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं। प्रथम सूचना रिपोर्ट की क्या स्थिति है?

क्या यह दर्ज कर दी गई है? अथवा क्या उसे केन्द्रीय जांच ब्यूरो को वापस भेज दिया गया है?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप पहले मेरी बात सुनिए। इस बात को स्पष्ट कर देना चाहिए। प्रथम सूचना रिपोर्ट की क्या स्थिति है? क्या उसे वापस कर दिया गया है? क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो को नई प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के निदेश दिए गए हैं? अथवा, क्या न्यायालय ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो को एक और प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के लिए कहा है? कृपया स्थिति स्पष्ट करिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने यह प्रश्न उठाया है। मुझे इस बारे में जानना है। यदि आप इस बारे में नहीं जानते हैं तो मुझे कुछ नहीं बताइए।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह स्वीकार करता हूं कि मैंने आरम्भ में ऐसा कहा था कि यहां न्यायालय में लंबित याचिका का हवाला नहीं दिया जा सकता और याचिका उच्च न्यायालय में लंबित है। इसे 2 अगस्त को वापस भेजना है। तब तक याचिका लंबित है। आप इस मामले पर चर्चा की अनुमति कैसे दे सकते हैं?

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं। यह याचिका का प्रश्न नहीं है; यह प्रथम सूचना रिपोर्ट का प्रश्न है।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : याचिका उच्च न्यायालय में लंबित है...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : सर, मेरा प्वाइन्ट ऑफ आर्डर यह है कि आप प्रिय रंजन दास मुंशी से किस हैसियत में पूछ रहे हैं?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने यहां एक मुद्दा उठाया है।

श्रीमती सुषमा स्वराज : कानून मंत्री को उत्तर देने दीजिए।

[हिन्दी]

यह कोई मतलब है?...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं। इसमें मतलब का बात नहीं है। यह सवाल उठा है इसलिए इसका जवाब देना पड़ेगा। इसमें मतलब का कोई सवाल नहीं है।

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव : मैं केवल आपसे निवेदन करूंगा कि हमारे माननीय सदस्य श्री पिनाकी मिश्रा इस मामले के बारे में जानते हैं; वे इससे संबद्ध हैं। वे उच्चतम न्यायालय में वकील भी हैं। इसलिए वे आपके प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया तथ्यों की बात करें। मेरा निर्णय प्रथम सूचना रिपोर्ट पर निर्भर करता है।

श्री पिनाकी मिश्रा : यह याचिका बेकार नहीं है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो को उच्च न्यायालय को रिपोर्ट देनी है कि संशोधित प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के बाद क्या हुआ। मामला उच्च न्यायालय अधिकार क्षेत्र में है।

श्री सत्यपाल जैन (चंडीगढ़) : जिस समय मामला वापस किया गया उस समय वह बेकार हो गया। वह सदन को गुमराह कर रहे हैं।

श्री पिनाकी मिश्रा : मुझे दुख है, अब मैं समझता हूं कि यह सोच-विचार कर किया गया है। मैं अपने विद्वान मित्र के प्रति विनम्र रहा हूं। लेकिन वे जानबूझ कर मुझे बीच में टोक रहे हैं क्योंकि मैं सही तथ्य प्रस्तुत कर रहा हूं। उच्च न्यायालय ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो को संशोधित प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के निदेश दिए हैं।... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया अब बैठ जाइए। यह एक गंभीर मामला है।

श्री पिनाकी मिश्र : उच्च न्यायालय ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो को शिकायत के आधार पर एक संशोधित प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के लिए और जांच के लिए उन्हें रिपोर्ट देने के निदेश दिए हैं। उच्चतम न्यायालय में हवाला मामले की तरह यह मामला विचाराधीन है; यह एक लंबित मामला है; इस मामले की समय-समय पर सुनवाई होती है; इसी तरह से यह मामला स्पष्ट रूप से उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है...**(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी : वे भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं और इस सभा के एक नियुक्त कानूनी सलाहकार हैं। मैं तथ्य नहीं जानता हूं। इसलिए मैंने हस्तक्षेप नहीं किया।

श्री पिनाकी मिश्र : यह स्पष्ट रूप से निर्णयाधीन मामला है।

अध्यक्ष महोदय : मेरा संक्षिप्त प्रश्न यह है

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप परेशान क्यों कर रहे हैं? आप यह दिखाने की कोशिश नहीं करिए कि आप एक विशेषज्ञ हैं। सदन का प्रत्येक सदस्य अपने आप में एक विशेषज्ञ है।...

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि मुझे एक भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश पर चिल्लाना पड़े तो यह बात मेरे लिए बहुत दुःखदायी है। मुझे केवल इस बात की सूचना चाहिए कि प्रथम सूचना रिपोर्ट की स्थिति क्या है।

श्री पिनाकी मिश्र : यह प्रथम सूचना रिपोर्ट अब संशोधित प्रथम सूचना रिपोर्ट होगी।

अध्यक्ष महोदय : क्या वह केन्द्रीय जांच ब्यूरो के पास है?

श्री पिनाकी मिश्र : जी, हां।

अध्यक्ष महोदय : तब यह न्यायाधीश नहीं हैं।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, जो मामला अदालत में है, मैं उसको यहां उठाकर किसी व्यक्ति के अधिकारों पर अंकुश नहीं लगाना चाहता। मैं तो सरकार की आलोचना करने जा रहा था कि हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया, उसे सी.बी.आई. को अमल में लाना चाहिये था और जो कम्प्लेन्ट थी, उसे एफ आई आर के रूप में दर्ज करना चाहिये था लेकिन सी.बी.आई. ने कहा कि हम हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पैटीशन लेकर जायेंगे। जब मेरी सरकार चल रही थी तब यह मामला आया था। इस पर लॉ मिनिस्टर की राय ली गई थी। लॉ मिनिस्टर की राय थी कि सरकार के सी.बी.आई. को सुप्रीम कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है और सी.बी.आई. हाईकोर्ट के आदेश का पालन करे, एफ आई आर ठीक तरह से दर्ज करें जिससे आगे की कार्रवाई चल सके। आखिरी दिन था। मेरे पास वक्त नहीं था कि मैं पूरी फाइल देख सकूं। मैंने अपने नोट में लॉ मिनिस्टर की राय का हवाला दिया और नई सरकार पर मामला छोड़ दिया। क्या नई सरकार के लिए जरूरी था कि वह सी.बी.आई. को सुप्रीम कोर्ट में जाने की इजाजत देती? हाई कोर्ट का निर्णय पर्याप्त होना चाहिए था। हाई कोर्ट ने सी.बी.आई. के खिलाफ स्ट्रक्चर्स पास किये। हाई कोर्ट का आरोप है कि सीबीआई ने उसको

अन्धेरे में रखा। मेरे पास जजमेंट है। मैं उसको उद्धत कर सकता हूं। क्या जरूरत थी सुप्रीम कोर्ट में जाने की? और सुप्रीम कोर्ट में जाने का नतीजा क्या हुआ? मेरे पास सुप्रीम कोर्ट के आर्डर की कॉपी है। सुप्रीम कोर्ट ने पैटीशन को डिसमिस कर दिया और कहा कि हाई कोर्ट में वापस जाईये। सीबीआई को वापस आना पड़ा है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं देवेगौड़ा जी कह रहे हैं कि हमने इस बीच कोई फैसला नहीं किया। क्या यह महत्वपूर्ण मामला नहीं था? अगर इस फैसले के पीछे यह भावना देखी जाये कि जो आपको राजनैतिक दृष्टि से समर्थन दे रहे हैं और जिनके बल पर आपकी सरकार टिकी हुई है, आप उनको बचाना चाहते हैं, आप उनकी रक्षा करना चाहते हैं तो क्या गलत होगा।...**(व्यवधान)**...मुझे इस सवाल का उत्तर चाहिये।...**(व्यवधान)**...अगर मैं उस दिन फैसला करता तो मुझे कहा जाता कि आज 28 तारीख को आपकी सरकार जा रही है। आपको अलविदा कहा जा रहा है। आपने ऐसा फैसला क्यों किया? ...**(व्यवधान)**...अब मैं तो सरकार में नहीं हूं। अब मुझे जवाब चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, यूरिया के घोटाले में जो तथ्य सामने आये हैं, वे तो चौंकाने वाले हैं। पांच साल हम घोटालों से जूझते रहे। एक के बाद एक घोटाले उजागर होते रहे। भ्रष्टाचार चुनाव में प्रमुख मुद्दा था। कांग्रेस पार्टी को भारी पराजय का सामना करना पड़ा। मगर किसी ने कल्पना की थी कि जब चुनाव हो जायेंगे, नई सरकार बनेगी तो अब तक के घोटालों में सबसे बड़ा घोटाला यूरिया घोटाले के रूप में सामने आ जायेगा।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री ईश्वर प्रसन्ना हजारिका (तेजपुर) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं श्री हजारिका। कृपया अब परेशान नहीं करिए। वे आपके दबाव में नहीं आ रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, उस दिन यह मामला उठाया गया था। कल जब विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा आरम्भ हुई तो यूरिया घोटाला उठाया गया था। प्रधान मंत्री ने आश्वासन दिया था कि वह इस बारे में तथ्य इकट्ठे करेंगे, सदन के सामने रखेंगे। मैं आशा करता हूं कि वह इस चर्चा में उन तथ्यों का उद्घाटन करेंगे लेकिन कुछ ऐसे सवाल हैं जो जनमानस को आन्दोलित कर रहे हैं। बोफोर्स के घोटाले की बड़ी चर्चा हुई है और एक हवाला की भी बड़ी चर्चा हुई है।

लकिन दोनों घोटालों में जो धनराशि है, वह अगर जोड़ भी ली जाए, तो यह यूरिया घोटाला उन दोनों को भी मात कर देता है। उन से भी पार चला जाता है। देश को यूरिया की जरूरत है। कल बरनाला साहब यूरिया की कमी की सदन में शिकायत कर रहे थे। यूरिया की कमी है, इसलिए यूरिया मंगाया जाए। इस परिस्थिति का लाभ उठाकर यह घोटाला किया गया। इस घोटला की सबसे बड़ी विशेषता है कि कोई मिडिल-मैन नहीं है। स्विस बैंक में सीधे धन जमा किया गया है। सरकार की ओर से जमा किया गया है। पूरे का पूरा धन, पूरी की पूरी धनराशि गायब हो गई, अन्तरध्यान हो गई। अध्यक्ष महोदय, मैं जांच के विवरण में जान-बूझकर जाना नहीं चाहता, किन्तु मैं कुछ पहलुओं की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पुरानी कहावत के अनुसार इस मामले में कोई कुत्ता नहीं भौंका है। अगर पहरा देने वाला कुत्ता न भौंके, तो समझना चाहिए कि वह चोरों को जानता है और शामिल है। अधिकारियों को फरवरी में पता लग गया था कि टर्किश कंपनी यूरिया देने के वचन का पालन नहीं करेगी। फिर भी उन्होंने कार्यवाही नहीं की। वे मई मास का इन्तजार करते रहे। तब तक सारा धन इधर-उधर हो चुका था। इस यूरिया के काण्ड में कुछ ऐसे भी मामले हैं, जिनकी सीबीआई जांच नहीं कर सकती है। ये श्री रामाकृष्णन कौन हैं? क्या ये प्रापर चैनल से आए? वे सर्वसर्वा कैसे बन गए? उन्हें वहां किसने बैठाया? उनका गॉड-फादर कौन है? वे जेल में पड़े हैं। उन्हें जेल में होना भी चाहिए। मगर जो इस घोटाले से गैर-सरकारी लोग जुड़े हुए हैं, जो अभी तक पकड़े नहीं गए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। अध्यक्ष महोदय, ये संजीवी राव कौन है? मैं नहीं जानता, लेकिन उनका नाम सुनते ही मेरे दिमाग में कई घंटिया बजती हैं। मैंने उन लोगों की सूची निकाली, जिन्हें आउट-ऑफ-टर्न पैट्रोल पम्प दिये गये थे। उनका नाम इसमें है। गैस एजेंसी के आउट-ऑफ-टर्न एलाटमेंट में भी उनका नाम है। चीनी मिल का लाइसेंस पाने वालों में भी उनका नाम है। आन्ध्र प्रदेश में आईपीएल प्रोडक्ट्स के एकमेव एजेंट के रूप में भी वे जाने जाते हैं। उनको पूरी सोल-एजेंसी दे दी गई। जो मैंने सुना है, जो मेरे पास तथ्य हैं, उनके आधार पर मैं ये प्रश्न पूछ रहा हूं।

साईद श्रीकृष्णा-इम्पैक्स की पृष्ठभूमि क्या है? उनका रिकार्ड क्या है? एनएफएल से उनका कितना पुराना रिश्ता है? ये कितनी बार अपने कान्ट्रैक्ट्स का उल्लंघन कर चुके हैं? यह भी जानना जरूरी है कि टर्किश फर्म का रिकार्ड क्या है? लंदन में बैठे हैं कोई पिन्टो, ये कौन हैं? अमरीका में रुइया-ब्रदर्स की असलियत क्या है? इस मामले में सबसे ज्यादा धक्का देने वाली बात जिस तरह से पैसा दिया गया वह है। लेकिन वित्त मंत्रालय ने इसकी अनुमति क्यों दी? 38 मिलियन डॉलर का हस्तान्तरण हुआ, न कोई सिक्योरिटी, न कोई परफार्मेंस-गारन्टी, न इन्श्योरेंस। क्या यह देश के लोगों के साथ खिलवाड़ नहीं है? 133 करोड़ रुपए का यूरिया मंगाया जा रहा है और एक दाना यूरिया नहीं आया। पैसे कहां गये, पता नहीं। इसलिए मैंने प्रधान मंत्री जी से अनुरोध किया था, अपराधी पकड़े जायें। उनको सजा देना ही काफी नहीं है, यह 133 करोड़ रुपये भारत के खजाने में वापिस आना चाहिए और इसके लिए जितनी भी कड़ी कार्रवाई करनी हो, करनी चाहिए। बड़े से बड़े व्यक्ति को इस मामले में छोड़ा नहीं जाना चाहिए। सी.बी.आई. कह रही है कि अधिकारियों ने साजिश की। यह बात हो सकती है। लेकिन बैंक क्या कर रहा था? क्या इन सारे

पहलुओं की सी.बी.आई. जांच कर सकती है? हमें इससे कुछ लेना-देना नहीं है कि किस योग्य पिता का योग्य पुत्र इस मामले में फंसा हुआ है। हमें तो धन वापस चाहिए। सभी लेन-देन बैंक के माध्यम से हुआ है और उसके निशान भी हैं।

अध्यक्ष महोदय, अगर एक के बाद एक घोटालों के प्रकाश में आने का सिलसिला चलेगा तो देश में राजनैतिक स्थिरता नहीं होगी। मैंने यूनाइटिड फ्रंट का कार्यक्रम देखा। बहुत-सी बातें हमारे कार्यक्रम की हैं या कार्यक्रम से मिलती-जुलती हैं। कुछ मुद्दों पर मतभेद भी हो सकता है। आप इकट्ठे आए हैं और कांग्रेस ने आपको समर्थन दिया है।...**(व्यवधान)** देश को स्थायी सरकार भी चाहिए और देश को जवाबदेह सरकार भी चाहिए। अगर सरकार स्थायी है मगर भ्रष्ट है, अगर मेम्बरों को खरीदकर सरकार बहुमत बनाती है या अन्य दलों को लालच देकर उनका समर्थन प्राप्त करती है तो संख्या मात्र से स्थायित्व नहीं होगा। अनैतिकता के आधार पर लोकतंत्र कैसे चलेगा? यह प्रोग्राम जो आपने बनाया है इसको अमल में कौन लाएगा? अमल में लाने का तंत्र कैसा है? वह तंत्र किस सीमा तक बिगड़ गया है?

आज सवेरे सत्ता-पक्ष के सदस्य कह रहे थे और वह बहुत ठीक बात कह रहे थे कि राज्यों में जो बिजली बोर्ड हैं उनकी हालत देखो। देश में बड़ा भारी बिजली का संकट आने वाला है। देश के कई भागों में बिजली और पीने का पानी नहीं है लेकिन बिजली बेची जा रही है।...**(व्यवधान)** दिल्ली कोई हिन्दुस्तान से अलग नहीं है। दिल्ली हिन्दुस्तान का ही एक हिस्सा है।...**(व्यवधान)** मैं सरकार की बात नहीं कर रहा हूं। मैं एक व्यवस्था की बात कर रहा हूं, मैं देश के हित की बात कर रहा हूं। आज इसीलिए मैंने सुरक्षा का सवाल उठाया है जबकि इसे आज उठाने की कोई जरूरत नहीं थी। पैट्रोल के क्षेत्र में हर साल 6 हजार करोड़ रुपये का घाटा हो रहा है। रेलवे का आधुनिकीकरण होना चाहिए। लेकिन धन कहां है? खेती में कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है। जो भी धन है वह सब्सिडी में जा रहा है। यह जरूरी है, मगर खेती का विकास तब तक नहीं होगा जब तक कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। क्या इन प्रश्नों पर विचार किया जा रहा है?

सेक्यूलरवाद पर बहस हो रही है। मुझे तो बड़ी खुशी है सेक्यूलरवाद को हम राष्ट्रीय बहस का विषय बनाना चाहते थे और इसमें हम सफल भी हो गये।...**(व्यवधान)** पूर्व प्रधान मंत्री श्री नरसिंह राव जी का भाषण मैंने बड़े ध्यान से सुना है। कभी उन्होंने मजाक में मुझे गुरू बनाया था। मैं मजाक में कह रहा हूं उस समय मैंने कहा था कि आज गुरू की जरूरत नहीं है, आज गुरू-घंटाल की जरूरत है। जैसा मैंने पहले कहा है कि सेक्यूलरवाद इस देश की घुट्टी में है। इस देश में कभी थ्योक्रेसी नहीं रही। जैसा पश्चिम में चर्च और राज्य के बीच में झगड़ा रहा है वैसा यहां कभी नहीं रहा। यहां राजा शासन करता था और आचार्य ज्यादा से ज्यादा अनुशासन के बारे में उपदेश देता था। यहां कभी आचार्यों ने सत्ता हथियाने की कोशिश नहीं की यह देश बहुधर्मी देश है। अगर यहां इस्लाम न आया होता, क्रिश्चियनिटी का प्रवेश न भी हुआ होता, तब भी यह देश सर्वधर्म-समभाव की भावना को लेकर आगे बढ़ता।

इस्लाम आया, बड़ी प्रसन्नता की बात है। हमारे सिख बन्धु अपने पंथ पर चल रहे हैं। ईसाई ईसाइयत को मानते हैं। मजहब के आधार पर भेदभाव किया जाए, किसी ने यह मांग नहीं की। पाकिस्तान बनने के बाद भी किसी ने यह मांग नहीं की कि भारत को एक थयोक्रेसी घोषित कर दिया जाये। पाकिस्तान में क्या स्थिति है, मैं बताना नहीं चाहता। बंगला देश में किस तरह की व्यवस्था चल रही है, हम उनकी नकल नहीं करना चाहते, लेकिन दुनिया हमें उपदेश न दे। इस बात को भी हम न भूलें कि अगर भारत सैकूलर है तो इसके पीछे भी एक कारण यह है कि भारत में 82 प्रतिशत हिन्दू हैं। इसीलिये हम इनफिलट्रेशन का सवाल उठाते हैं, बड़ी संख्या में आने वालों पर आपत्ति करते हैं। वोट के लिये नहीं करते। वहां हमें अभी वोट मिले भी नहीं है, लेकिन क्या यह प्रश्न नहीं है, क्या इस प्रश्न की उपेक्षा कर दी जानी चाहिये? क्या इसे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में नहीं देखा जाना चाहिये?

सैकूलरवाद पर बहस हमारे कांग्रेस के मित्र भी चाहते हैं। गाड़गिल ने जो वक्तव्य दिया, वह सबके ध्यान में आना चाहिये। गाड़गिल साहब ने जो कुछ कहा है, उसका निचोड़ यह है कि हम तो हिन्दुओं से भी गये और मुसलमानों से भी गये। "न खुदा ही मिला, न विसाले सनम, न इधर के रहे, न उधर के रहे।" दोष हमें दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम दो स्कूलों के बीच फंस गये। कांग्रेस ने अपनी स्थिति ऐसी क्यों बनायी? सिलसिला शुरू हुआ शहबानो प्रकरण से। मैं पुराने इतिहास में जाना नहीं चाहता। सैकूलरवाद पर बहस होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। सैकूलरवाद की भारतीय अपधारणा क्या है, इंडियन कनसैप्ट क्या है, इसके बारे में दिमाग साफ होना चाहिये।

जैसा कि मैंने पहले कहा कि आप भारत को मजहबी राज घोषित कर दें या मुसलमानों को या गैर हिन्दुओं को सैकिंड क्लास सिटीजन बना दें। यह सवाल ही पैदा नहीं होता। यह इस देश की मिट्टी में नहीं है, यह इस देश के वातावरण में नहीं है, संस्कृति में नहीं है, प्रकृति में नहीं है। अगर कोई इस प्रकृति को बदलने की कोशिश करेगा, मैं देख रहा हूं कि शरद यादव जी यहां नहीं है, कट्टर हिन्दू, उदार हिन्दू, यह विवाद हमारे देश में बहुत पहले से चलता रहा है, मगर हिन्दू समाज कभी जड़ समाज नहीं रहा, गतिशील समाज रहा है। बुराइयां आई हैं, लेकिन बुराइयों से लड़ा है। यहां नये-नये समाज सुधारक पैदा हुए। उन्होंने पुरानी कुरीतियों पर प्रहार किया। मंदिर के सामने खड़े होकर मंदिर को चुनौती दी, देवता को चुनौती दी। धीरे-धीरे समाज बदला। अगर पराधीनता का काल न आता और बाद में अंग्रेज अपनी "राज करो और बांटो" की नीति पर नहीं चलते तो आज देश की तस्वीर कोई दूसरी होती, होनी चाहिये थी जो दलित हैं, पीड़ित हैं, वे किसी भी वर्ग के हों, मैं उनकी समस्या समझ सकता हूं।

लेकिन अब मांग हो रही है कि मजहब के आधार पर रिजर्वेशन होना चाहिये। यह संविधान के निर्माताओं ने नहीं सोचा था। रिजर्वेशन

केवल दलितों को दिया गया। मैंने सारी कॉनस्टीटयूयंट असेम्बली की बहस पढ़ी है। हमारे सिख बन्धुओं के सम्बन्ध में एक अपवाद किया गया था। उस समय के हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने कहा था कि यह अपवाद जरूरी है क्यों कि पंजाब,बंट गया है और सिख अपने स्थान से वंचित हो गये हैं। अतः उनके बारे में अपवाद किया जाए। उन्होंने अन्य किसी सम्प्रदाय के बारे में कभी यह कल्पना नहीं की थी कि मजहब बदलने के बाद भी रिजर्वेशन की मांग उठेगी।

अपराह्न 4.59 बजे

(श्री पी. एम. सईद पीठासीन हुए)

अगर आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन करना है तो फिर सबके लिये कर दीजिये। उसमें फिर सवर्ण भी आना चाहिये। गरीब ब्राह्मण ने क्या बिगाड़ा है, लेकिन हम गरीब ब्राह्मण की बात नहीं करते हैं।

कर्नाटक में एक ब्राह्मण सम्मेलन हुआ था। मुझे कर्नाटक के एक विशेष नेता ने निमंत्रण दिया कि हम कर्नाटक में ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं, आप आइये। मैंने कहा मैं ब्राह्मण हूं, आपको कैसे याद आया, मैं तो आज तक ब्राह्मण सम्मेलन में नहीं गया। मैंने उनसे कहा कि मैं हिन्दू सम्मेलन में जाता हूं तो मेरी आलोचना होती है और आप ब्राह्मण सम्मेलन तक पहुंच गये। मैंने यह भी कहा कि

अपरान्ह 5.00 बजे

और अगर ब्राह्मण सम्मेलन में जाना शुरू कर दूंगा तो कल कान्य कुब्ज ब्राह्मण सम्मेलन में जाना पड़ेगा और फिर कान्य कुब्ज कितने बीघा के हैं, बिस्वा के हैं, इस पर विचार करना पड़ेगा। गाडगिल साहब ने एक बात और कही है। जहां सैक्यूलरिज्म पर चर्चा होनी चाहिये, वहां कास्टिज्म पर चर्चा भी होनी चाहिए। जातिवाद को जगाया जा रहा है। एक तरफ जाति प्रथा को खत्म करने की बात हो रही है। जातिविहीन समाज बनायेंगे, इस तरह की घोषणायें हो रही हैं और आचरण हम सब इस तरह कर रहे हैं कि जाति और भी स्थिर बने जिससे जाति एक राजनैतिक तत्व में परिणत हो जाये। अगर मजहब के नाम पर लोगों की भावनायें भड़काना गलत है और मैं मानता हूं कि गलत है तो क्या जाति के नाम पर नहीं है? लेकिन जो जाति के आधार पर खड़े हैं, उनके साथ आपका गठबंधन है। कांग्रेस को उन्हें समर्थन देने में आपत्ति नहीं है। खाली भारतीय जनता पार्टी से विरोध है। भारतीय जनता पार्टी लोगों की सेवा करते हुये आगे बढ़ रही है। देश में दो बड़ी पार्टियां होंगी, होनी चाहिये। क्षेत्रीय दलों का अलग स्थान रहेगा। क्षेत्रीय दल केन्द्र की सरकार में आ गये हैं, बड़ी प्रसन्नता की बात है। वे दिल्ली से सारे देश को देखें और अपने प्रदेश की समस्यायें अखिल भारतीय परिप्रेक्ष्य में हल करने का प्रयास करें। दिल्ली कई बार प्रदेशों की उपेक्षा कर देती हैं। दिल्ली से दूर तो दिल से दूर। यह स्थिति नहीं होनी चाहिये। अब तो संचार के साधन हो गये हैं। मगर पूर्वोत्तर राज्यों में जाने के लिये जितनी हवाई सेवायें होनी चाहिये, हमने नहीं दी हैं। वहां पहुंचने में कितना समय लगता है। क्या यह राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बाधक चीज नहीं हो मुस्लिम भाईयों की शिक्षा और बच्चों की शिक्षा पर जोर दिया जाये। हमने प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य नहीं की, नहीं तो सब पर लागू हो जाती।

सभापति महोदय, यहां यूनिफार्म सिविल कोड के प्रश्नों को बहुत गलत ढंग से पेश करने की कोशिश की जा रही है। नरसिंह राव ने रस्मो का उल्लेख किया, परिपार्टियों का उल्लेख किया है। वहां शादियां ऐसे होती हैं, वहां उत्तराधिकार ऐसे होता है। देश के विभिन्न भागों में कई-कई प्रथायें प्रचलित हैं, कई रस्में प्रचलित है। लेकिन अगर सब का विवाह, तलाक और उत्तराधिकार का एक कानून बन जाये तो क्या आपत्ति है संविधान निर्माताओं की यह मंशा थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी राय दी है। किसी पर कोई कानून थोपने का सवाल नहीं है। यदि सब राजनीतिक दल कहने लगे कि हां इस तरह के कानून की आवश्यकता है तो वातावरण बनेगा। लेकिन सब मिलकर उसका विरोध करते हैं। आखिर महिलाओं को समान अधिकार होने चाहिये। अगर यह मांग होती है तो इसमें आपत्ति क्या है? हिन्दू कानून किसी पर थोपने का इरादा नहीं है। मुझे मुस्लिम पर्सनल लॉ की एक बात पसंद है। शादी से पहले लड़की से सार्वजनिक रूप से पूछा जाता है कि तुम शादी के लिये हां कहती हो या न कहती हो। हिन्दुओं में ऐसा नहीं है। कन्या गाय की तरह है। गाय की रस्सी जिसके हाथ में दे दी जाती है, उसी तरह कन्या भी उसके साथ चली जाती है।

कुमारी ममता बनर्जी : उसको रुपया भी नहीं देना पड़ता है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अब समय बदल रहा है। अब 82 प्रतिशत लोग बदल रहे हैं बाकी के लोग भी बदलें और उसके बदलने की मांग की जाये इसमें आपत्तिजनक क्या है?

कुमारी ममता बनर्जी : उसको डॉवरी नहीं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : डॉवरी तो बंद होनी चाहिये। आपने कानून तो बनाया मगर वातावरण नहीं बनाया और जो थोड़े समय में ज्यादा से ज्यादा कमाने की भूख जाग रही है और कुछ मात्रा में नए आर्थिक सुधारों के कारण जो अनलिमिटेड कंज्यूमरिज्म पैदा हो रहा है, वह भी डॉवरी को बढ़ाने का एक कारण है। क्या नेता इसमें आदर्श नहीं रखेंगे? क्या भ्रष्टाचार चलेगा? क्या घोटाले चलेंगे? तो जो परिवर्तन आप देश में लाना चाहते हैं वह काम नहीं आएगा अभी तो सत्ता का चेहरा बदला है मगर सत्ता का चरित्र बदलना चाहिये, इस बात की बहुत आवश्यकता है।

अगर ऊपर प्रामाणिकता है, अगर ऊपर ईमानदारी है, कोई दाग नहीं है तो यह भावना नीचे तक पहुंचेगी और फिर हर व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन ईमानदारी से करेगा। आज तो सब पैसा बनाने में लगे हैं, लूटने में लगे हैं। यह घोटाले दबाने से काम नहीं चलेगा। यह कहने से भी काम नहीं चलेगा कि भ्रष्टाचार की तुलना में और मुद्दे अधिक महत्वपूर्ण हैं। हम और अधिक महत्वपूर्ण मुद्दों को देखें, मगर भ्रष्टाचार अगर चलता रहा और घोटाले अगर उद्घाटित होते रहे और मीडिया में छाए रहे तो और किसी मामले में लोग आपको सुनेंगे नहीं,

राजनेताओं को कटघरे में खड़ा करेंगे और राजनेताओं पर अविश्वास बढ़ता जाएगा। सचमुच में देश एक संकट में से गुजर रहा है और इस संकट में से अगर रास्ता निकालना है तो एक आम सहमति के बिना रास्ता नहीं निकलेगा। मैं तो प्रधान मंत्री के इस आश्वासन का स्वागत करता हूं कि भ्रष्टाचार के साथ किसी भी कीमत पर समझौता नहीं होगा। लेकिन केवल घोषणा काफी नहीं है। व्यवहार चाहिए, आचरण चाहिए। कभी कभी मैं ताज्जुब करता हूं कि आदमी को कितना धन चाहिए।

'सब ठाठ पड़ा रह जाएगा, जब बांध चलेगा बंजारा।'

कुछ बचने वाला नहीं है। लेकिन इस तरह से लोग धन के पीछे पड़े हैं कि कोई सीमा नहीं है और सत्ता का भी लोभ इसलिए है कि सत्ता की प्राप्ति से धन प्राप्त करना सरल हो जाता है। लेकिन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए हैं, लिबरलाइजेशन है तो उसके साथ प्रामाणिकता चाहिए। पब्लिक सेक्टर के शेयर बेचने में भी अगर धांधली हो और अगर प्राइवेटाइजेशन में कारखाने सस्ते दाम पर अपने मित्रों को दे दिया जाएं, कौड़ी के मोल बेच दिये जाएं, मैं लखनऊ से आता हूं, मैं उदाहरण जानता हूं। प्राइवेटाइजेशन का भी धन कमाने के लिए उपयोग? लिबरलाइजेशन का भी इसी के लिए उपयोग? उद्योगपतियों को भी समझना चाहिए कि उन्हें देश के साथ न्याय करना है। केवल मुनाफा कमाना उनका लक्ष्य नहीं हो सकता। उनको एक ट्रस्टी के रूप में बर्ताव करना चाहिए। विदेशों में धन ले जाने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। वह समझ रहे हैं कि छूट हो गई कौन कितना लिबरल है मानो इसे मापने की होड़ लगी है। जब हम सत्ता में आए थे तो हमारी प्रशंसा कर रहे थे, आज आपकी उससे ज्यादा कर रहे हैं और जब दोनों नहीं थे तो जो थे उनकी तारीफों के पुल बांधे जा रहे थे। देश में परिश्रम का पुरस्कार होना चाहिए, देश में प्रतियोगिता होनी चाहिए, कम से कम नियंत्रण होना चाहिए, कम से कम प्रतिबंध होना चाहिए। हम प्रारंभ से इस की बात करते रहे हैं। हमने किसी संकट के कारण नये आर्थिक सुधारों का समर्थन नहीं किया, स्वागत नहीं किया। हम कोटा परमिट राज के पहले से खिलाफ हैं लेकिन अभी लिबरलाइजेशन स्टेट्स में नहीं पहुंचा है। अधिकारी अभी भी सत्ता छोड़ने को तैयार नहीं है। मंत्रियों में भी ज्यादा से ज्यादा फैसले वे करें ऐसा विचार है। आपने अच्छा फैसला किया है कि डिसक्रीशनरी कोटा खत्म कर दिया। दिल्ली में मकानों के अलॉटमेंट में घोटाला हुआ। मकान बने थे सरकारी कर्मचारियों के लिए और मिलने चाहिए थे सरकारी कर्मचारियों को। बीच में पैसा चलैने लगा। आपने विवेकाधीन कोटा खत्म कर दिया मगर जिन्होंने करोड़ों कमाए उनका क्या होगा? करोड़ों कमाए गए। यह जग जाहिर था, सारी दुनिया जानती थी। यह स्थिति बदलनी चाहिए। यह गठबंधन, इस स्थिति को बदल सकेगी इसमें मुझे संदेह है। एक तो आपके पास इच्छा शक्ति नहीं है और दूसरे जिनका आपने समर्थन लिया है और जिनके भरोसे आप टिके हैं, पता नहीं वह कब आपको संजीवनी देना बंद कर दें, पता नहीं कब आपको अधर में छोड़ दें।

नरसिंह राव जी ने आज जो भाषण दिया है वह बड़ा अर्थपूर्ण है। पहला हिस्सा हमारे लिए था, दूसरा आपके लिए था, याद रखिये। लेकिन उन्हें भी कांग्रेस की पराजय से शिक्षा लेनी चाहिए। एक महान संगठन, स्वतंत्रता के लिए जूझने वाला संगठन, जिसके साथ संबद्ध करने में नौजवान के रूप में भी हम लोग गर्व का अनुभव करते थे, आज किस स्थिति में पहुंच गया है, क्या यह विचार-मंथन की चीज नहीं है, क्या यह गहराई से सोचने का मुद्दा नहीं है? लेकिन मैं नहीं समझता कि आज गहराई से सोचने का वातावरण है। सत्ता की दौड़ लगी है और इसलिए हमने फैसला किया है कि हम इस प्रस्ताव का विरोध करेंगे और यह देखेंगे कि सरकार किस तरह से चलती है। जब सरकार बनी थी तब भी मैंने कहा था और आज भी कह रहा हूं कि जो काम अच्छे होगे, उनमें हम साथ देंगे। हम केवल विरोध के लिए विरोध नहीं करेंगे। आपको हमारे समर्थन की जरूरत भी नहीं है। हम तो सेम्युलर विरोधी हैं। हमारा समर्थन लेकर आप क्या करेंगे।

[अनुवाद]

अपराह्न 5.12 बजे

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रधान मंत्री (श्री एच.डी. देवेगौड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, दो पूर्व प्रधान मंत्रियों सहित अनेक वरिष्ठ सदस्य कल इस विश्वास प्रस्ताव पर हो रही चर्चा में भाग ले चुके हैं।

महोदय मैंने भारतीय जनता पार्टी के घोषणापत्र और भूतपूर्व प्रधान मंत्री तथा विपक्ष के वर्तमान नेता द्वारा 27 और 28 मई, 1996 को इस सभा में दिए गए भाषण भी पढ़ लिए हैं। साथ ही एक बार उन्होंने यह कहते हुए अपना असंतोष और निराशा प्रकट की है कि "मैं राजनीति से मुक्ति चाहता हूं लेकिन परिस्थिति ऐसी नहीं बन रही है कि मैं उससे मुक्ति पा सकूं।" हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद करने पर इसका यह अर्थ निकलता है। मैंने यह पढ़ा है। इस देश में ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हुई? श्री अटल बिहारी वाजपेयी जैसे व्यक्ति ने सार्वजनिक जीवन में इस तरह की निराशा प्रकट की है, क्यों? इसका वास्तविक कारण क्या है? आज हम सब यहां पर एकत्र हुए हैं। हम लगभग 90 करोड़ जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और लगभग 545 सदस्य इस शीर्षस्थ संस्था की सभा में बैठे हुए हैं।

महोदय, मैं केवल थोड़े समय अर्थात साढे तीन वर्ष तक के लिए यहां पर रहा और पिछली कतार में बैठता था। मैं सभी वरिष्ठ नेताओं के भाषण सुना करता था और सोचा करता था कि मैं यहां किस लिये आया। वास्तव में ईमानदारी से मैं आपको बताऊंगा कि मैं यहां किस लिए आया। क्या मैं इस तरह के व्यवहार के लिए इस सभा में आया हूं? महोदय, इस संस्था की किस हद तक अपकीर्ति हुई है। इसके लिए मुझे खेद है चाहे सदस्य इस पक्ष के हों या उस पक्ष के। क्या हममें से सभी की यह जिम्मेदारी नहीं है कि हम इस सदन की गरिमा, शालीनता और अनुशासन को बनाए रखें? जब सब लोग बोल रहे थे

तो मैं चुपचाप बैठा हुआ था, मैंने मुंह तक नहीं खोला। चाहे किसी भी तरह की आलोचना की गई मैंने शांत रहते हुए बहुत ध्यानपूर्वक उनकी बात सुनी। पूर्व प्रधान मंत्री श्री चंन्द्र शेखर ने उठकर गुस्से में कहा कि यदि ऐसी स्थिति है तो हम सभा को कैसे चला सकते हैं। यदि मेरी बात सही है तो उन्होंने घोर निराशा में यह बात कही।

महोदय, मैं भ्रष्टाचार के मुद्दे को पहले नहीं लेना चाहता हूं। यदि आप पंडित जवाहर लाल नेहरू के जमाने से भ्रष्टाचार पर चर्चा करना चाहते हैं तो मैंने ग्रंथालय में संसद में रखे संसद की कार्यवाही वृत्तांत को देख लिया है।

मैंने इस देश में व्याप्त भ्रष्टाचार के मुद्दे को समझने की कोशिश की है।

हमें यह बात स्वतंत्रता प्राप्ति के दिनों में उस समय से शुरू करनी चाहिए जब पंडित जवाहर लाल नेहरू प्रधान मंत्री थे। पंडित जवाहर लाल नेहरू इस देश के सबसे बड़े राजनेता थे जो हरिदास मणिवर्के को लाये थे। उस समय उनके दामाद फिरोज गांधी उस मुद्दे को सभा में लाए थे। आज हमें अपने दिल से पूछना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी केवल दो सप्ताह सत्ता में रही। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कितने राज्यों में है? क्या वहां भ्रष्टाचार के कोई आरोप नहीं हैं? ...**(व्यवधान)**...मैं इसे सिद्ध करूंगा।...**(व्यवधान)** मैं जब बोलता हूं तो किसी आधार पर बोलता हूं। जब श्री अटल बिहारी वाजपेयी बोल रहे थे तो मैंने मुंह नहीं खोला। मैं पूर्व प्रधान मंत्री और वर्तमान विपक्ष के नेता द्वारा कही गई इस बात के गुण-दोष में नहीं जाना चाहता हूं कि "पिता और पुत्र दोनों बहुत बुद्धिमान हैं और उन्हें बचाने के लिए किसी गुरू की आवश्यकता नहीं है।"

मुझे यह कहते हुए खेद है लेकिन जब तक मामला सिद्ध नहीं हो जाता है तब तक किसी पर आक्षेप लगाना किसी के लिए भी उचित नहीं है। जब तक जांच के अधीन मुद्दा सिद्ध नहीं हो जाता है तब तक मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता हूं।...**(व्यवधान)**...

महोदय, मैं भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बाद में आऊंगा। मैं इन सभी मामलों पर चर्चा करूंगा।...**(व्यवधान)**

जी हां, हम सब भ्रष्ट लोग इस पक्ष में बैठे हुए हैं और धर्मनिर्पेक्षवाद की वकालत कर रहे हैं। दूसरी तरफ केवल संत लोग बैठे हुए हैं। इसीलिए लोगों ने उन्हें केवल 23 प्रतिशत मत दिए हैं। वे यहां आकर यह वकालत कर रहे हैं कि जनादेश उनके लिए है और इस तरफ बैठे हुए बाकी सब लोग भ्रष्ट हैं और केवल वे लोग ही स्वर्ग से आए हैं और सदाचारी हैं।...**(व्यवधान)**

जी, हां। मेरा कहना यही है, कृपया भगवान के लिए तर्क मत कीजिए।

महोदय, इतना अधिक मानसिक संताप? मेरे मन में आपके प्रति बहुत सम्मान है। आज भी चाहे हम इस तरफ बैठें या उस तरफ बैठें मैं केवल एक शब्द कहूंगा कि मैंने 35 वर्ष के अपने राजनीतिक जीवन में आडवाणी जी या वाजपेयी के प्रति एक शब्द भी नहीं कहा।

उन्होंने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का मुद्दा उठाया। मैं आज भी कहता हूं कि मैंने उस दिन विशेष को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा आपातकाल के दौरान अदा की गई भूमिका की सराहना की थी। लेकिन बाद में क्या हुआ? मेरा पूरा भाषण उद्धृत नहीं किया गया है। मैं वह सब ब्यौरे आपके साथ लाया हूं लेकिन मैं सभा का समय नष्ट नहीं करना चाहता हूं। श्री अरुण शौरी इस सभा के सदस्य नहीं हैं। इसीलिए मैं उस दिन के सभी मुद्दों को नहीं उठाना चाहता हूं। वह सभी बातें यहां पर बताई गई हैं।

महोदय, भ्रष्टाचार हमारे सामने जो मुद्दे हैं उनमें से एक है। इस देश में अन्य ज्वलंत मुद्दे हैं जो मेरे हिसाब से बड़े मुद्दे हैं। मैं एक विनम्र राजनीतिज्ञ हूं। मैं भारतीय राजनीति में कोई बड़ी हस्ति नहीं हूं। मुझे सत्ता की कोई लालसा नहीं है। उन्होंने कहा था कि "संयुक्त मोर्चा का एक कार्यक्रम है और वह इस बात से सहमत हैं कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा और सत्ता लोलुप्ता के कारण पुराने कटु अनुभवों की दोहराया नहीं जाएगा।"

श्री चन्द्र शेखर अंतिम कतार में बैठे हैं। मैं 1983 में कर्नाटक का मुख्य मंत्री बन गया होता। 1983 में केवल उन्होंने ही मुझे कर्नाटक का मुख्य मंत्री बनने का प्रयास न करने के लिए कहा।

आपके कारण मैंने वह पद छोड़ दिया। मैं वह व्यक्ति हूं जिसमें तीन बार अपने पद से त्याग-पत्र दिया है। यदि आपको मेरे पिछले जीवन के बारे में मालूम है तो मैं कभी भी किसी पद की तलाश में दिल्ली नहीं आया। कर्नाटक के 5 करोड़ लोगों ने किसी दया, किसी के समर्थन के बगैर मुझे राज्य का शासन चलाने का जनादेश दिया। मुझमें इस माननीय सभा को यह बताने का साहस है। मुझे जनता का समर्थन प्राप्त था और जनता के समर्थन से मैं कर्नाटक में मुख्य मंत्री की गद्दी पर बैठा और मैंने डेढ़ वर्ष तक राज्य का शासन चलाया। मैंने स्वयं यह जिम्मेदारी स्वीकार की थी। जी, हां सभी वरिष्ठ नेता जो यहां बैठे हुए हैं उन्होंने मुझ से कहा कि "मौजूदा स्थिति में आपको जिम्मेदारी लेनी चाहिए।" जब इन सभी वरिष्ठ नेताओं ने, जो मुझसे अधिक अनुभवी हैं, यह जिम्मेदारी लेने के लिए कहा तो मैंने उस समय उनकी बात स्वीकार की थी।

महोदय, यह जिम्मेदारी स्वीकार करते समय, मुझे स्थिति मालूम है, मुझे सभा का गठन मालूम है। मुझे इस देश की जटिल समस्याओं के बारे में मालूम हैं। इन सब बातों को अच्छी तरह जानते हुए मैंने यह जिम्मेदारी स्वीकार की है। मैं अपने कर्तव्यों का निर्वाह अच्छी तरह से करने का पूरा प्रयास करूंगा। जनता और दल ने, कांग्रेस समर्थन सहित संयुक्त मोर्चे ने मुझ में विश्वास व्यक्त किया है। मैं केवल इन लोगों को संतुष्ट करने के लिए अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करूंगा वरन् इस देश के 90 करोड़ लोगों की संतुष्ट करने के लिए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा। यह मेरी प्रतिज्ञा है। मुझे इस बात का डर नहीं है कि मैं यहां पर पांच वर्ष रहता हूं या पांच दिन। मैं बिलकुल भिन्न व्यक्ति हूं। कृपया आप इन शब्दों को लिख लीजिए। मैं किसी भी बात से डरने वाला नहीं हूं। यह मेरा स्वभाव है। मैं बहुत साधारण बात कर रहा हूं। लेकिन जब परिस्थिति आएगी तो मैं झुकने

वाला नहीं हूं। यह मेरा स्वभाव है। मैंने इस पद तक पहुंचने के लिए अपने जीवन में कई संघर्ष किए हैं।

महोदय, अब हमें अपनी उपलब्धियों पर वापस आना चाहिए। यह बात ऐसी नहीं है जिसका उपहास किया जाए। आज जबकि लोग पीने के पानी और संचार सुविधाओं के अभाव का सामना कर रहे हैं मंदिर-निर्माण इस देश में एक मुद्दा नहीं है। आज गांव में सड़क नहीं है। लोगों को पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। यह सभा इस बात पर वाद-विवाद कर रही है। मेरे सम्माननीय सहयोगी सदस्य चाहे वे किसी भी राजनीतिक दल के हों, मैं कुछ गलत कहने वाला नहीं हूं। क्या यह सभा पेय जल की समस्या पर चर्चा करने के लिए है? क्या यह सभा एक गांव के लिए दूर संचार सुविधाओं के बारे में चर्चा करने के लिए है? यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन आज स्थिति क्या है? स्वतंत्रता प्राप्ति के 48 वर्ष बाद भी आज आपने स्वयं कहा था कि स्वर्गीय श्री राजीव गांधी ने कहा था कि "केन्द्रीय अनुदान का जो एक रुपया जारी किया जाता है उसमें से केवल 16 पैसे निचले स्तर तक पहुंचता है।" आपके भाषणों में यह उद्धृत किया गया है।

इसका अर्थ यह है कि भ्रष्टाचार हर स्तर पर है। जीवन के हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार है। आपने भ्रष्टाचार के बारे में एक शब्द कहा था, हम सबको एक साथ बैठ कर भ्रष्टाचार के बारे में एक सचेतन निर्णय लेना चाहिए। लोकपाल मुद्दे को लेने से पहले मैं अन्य मामलों पर विचार करूंगा।

महोदय, मैं एक बात के लिए कांग्रेस सरकार को बधाई देता हूं। जब पूर्व प्रधान मंत्री यहां बैठे थे तो उन्होंने कहा था "मैं इस बार ग्रामीण विकास के लिए 30,000 करोड़ रुपए उपलब्ध करवा रहा हूं।" यह एक मुख्य क्षेत्र है जिसमें उन्होंने कार्यक्रम में परिवर्तन किया है जिसकी मैंने उसी दिन सराहना की थी।

महोदय, आज मैं एक और सुझाव देना चाहता हूं। मैंने कोई बड़ा निर्णय नहीं लिया है। मित्रों, मैं आप सब के परामर्श से कतिपय प्राथमिकताओं को बदल रहा हूं। यह प्राथमिकताएं इस प्रकार हैं : पहली प्राथमिकता है पेयजल, दूसरी प्राथमिकता है संचार और तीसरी प्राथमिकता प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाएं और आवास है। महोदय, सार्वजनिक वितरण पर...(व्यवधान) कृपया प्रतीक्षा कीजिए। आप इसकी सराहना कर सकते हैं या आप इसकी सराहना नहीं भी कर सकते हैं। यह आप पर और इस माननीय सभा पर छोड़ दिया है। मैं इस सभा में जो कहने जा रहा हूं वह यह है कि मैंने मुख्य मंत्री के रूप में पिछले डेढ़ वर्ष के दौरान क्या किया है। वह मेरा पहला काम था। मैं यह कह रहा हूं कि यदि आप सब सहमत हो जाते हैं, यदि संबंधित राज्यों के मुख्य मंत्री सहमत हो जाते हैं तो मैं प्राथमिकता पर पुनर्विचार करना चाहूंगा।

मैंने जब कर्नाटक में मुख्य मंत्री का कार्यभार संभाला था तो मैंने सभी जिला समाहर्ताओं की एक बैठक बुलाई थी। मैंने उनसे यह विवरण देने के लिए कहा था कि कितने गांवों में सड़कें नहीं हैं, कितने परिवारों के पास घर नहीं हैं, और कितने गांवों में पेयजल की सुविधा उपलब्ध नहीं है। मैंने सभी गांवों में इन कमियों का विवरण देने के लिए एक महीने का समय दिया था। जिला समाहर्ताओं की बैठक में मैंने यह पहला निर्णय लिया। आपकी और सभी की जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि कर्नाटक में, जो कि बड़ा राज्य नहीं है, इसकी जनसंख्या पांच करोड़ है, मेरे गृह राज्य में 19.86 लाख व्यक्तियों के पास घर या रहने की जगह नहीं है। स्वतंत्रता प्राप्ति के 48 वर्ष बाद और इतने सारे कार्यक्रम कार्यान्वित करने के बाद ऐसी स्थिति है। श्री निजलिंगप्पाजी के समय से और अविभाजित कांग्रेस के समय से आवास कार्यक्रम कार्यान्वित किए गए हैं। जब मैंने जिला समाहर्ताओं से पूछा कि यह विवरण दें कि कितने लोगों के पास घर नहीं हैं, सभी जिला समाहर्ताओं के विवरण के बाद मुझे जो आंकड़ा मिला उसके अनुसार कर्नाटक में 19.86 लाख परिवारों के पास घर नहीं है। जब कर्नाटक की स्थिति ऐसी है तो मैं नहीं जानता कि पूरे देश की स्थिति कैसी होगी। कुछ लोग कहते हैं देवेगौड़ा हिन्दी नहीं जानते हैं, कुछ लोग कहते हैं देवेगौड़ा अंग्रेजी नहीं जानते हैं, कुछ कहते हैं कि देवेगौड़ा को मेघालय के बारे कुछ भी मालूम नहीं है, कुछ लोग कहते हैं देवेगौड़ा को शिमला, दार्जिलिंग के बारे में कुछ मालूम नहीं। कुछ लोग दार्जिलिंग जाएंगे, कुछ लोग कश्मीर घाटी जाएंगे, कुछ लोग शिमला जाएंगे। किस लिए? वे ग्रीष्म कालीन पर्यटन स्थल हैं।

मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो अपने गांव में रहता हूं। मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो अपने किसानों के साथ रहता हूं। मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो अपने कामगारों के साथ रहता हूं। इसीलिए मैं इस पद तक पहुंचा हूं। हो सकता है मुझे पूरे भारत की जानकारी नहीं। मैंने कम से कम भारत का मानचित्र तो देखा है। कम से कम कर्नाटक के मुख्य मंत्री के रूप में मैंने यह देखा है।

महोदय, मैंने जो निर्णय लिए हैं उनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। यदि हमारे वरिष्ठ नेताओं सहित सभी माननीय सदस्य संयुक्त मोर्चे ने राष्ट्र के समक्ष जो दस्तावेज प्रस्तुत किया है उसके अलावा अगले बजट में कुछ और कार्यक्रम बनाने पर सहमत हों तो मैं कुछ प्राथमिकताएं निर्धारित करना चाहता हूं और यह सुनिश्चित करने के लिए इस सभा के समक्ष आना चाहता हूं कि इस देश में कम से कम मूल आवश्यकताओं को एक समयबद्ध कार्यक्रम के अन्तर्गत पूरा किया जाए चाहे वह पीने के पानी की आवश्यकता हो, चाहे प्राथमिक शिक्षा की हो और चाहे वह स्वास्थ्य और शिक्षा की आवश्यकता हो। ये कुछ क्षेत्र हैं जिन पर मेरा पूरा ध्यान केन्द्रित है। मैं यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि यह बात नौवीं, दसवीं और ग्यारहवीं योजना तक न खिंचे। मैं ऐसी स्थिति स्वीकार करने वाला व्यक्ति नहीं हूं। चाहे स्थिति कैसी भी हो।

वित्तीय जटिलताओं के संबंध में आपने अपने व्यापक अनुभव के आधार पर कहा है, 'आपके पास संसाधन कहां है?' मैं इससे सहमत हूं। यह देश गरीब नहीं है। यह देश धनी है लेकिन वह धन कुछ थोड़े से लोगों के पास है।

प्रत्येक राजनैतिक दल में अच्छे लोग हैं। बुरे लोग भी हैं। इस धारणा में न रहें कि भा.ज.पा. में बुरे लोग नहीं है अथवा भा.ज.पा.

में अच्छे लोग नहीं हैं। प्रत्येक राजनीतिक दल में, अच्छे और बुरे, दोनों तरह के लोग हैं। इस समय, मैं दोनों तरफ के प्रत्येक माननीय सदस्य से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि हमें इस संबंध में एक आम प्रयास करना चाहिए कि हम अपने संसाधन कैसे जुटाएं। यदि आप सभी सहमत हो, तो संसाधन जुटाना बड़ा मुद्दा नहीं है। हम संसाधन जुटा सकते हैं। मैं यह बात कहना चाहता हूं...**(व्यवधान)** कृपया प्रतीक्षा कीजिए। मेरे पास भी कुछ प्राथमिक ज्ञान है, कम से कम प्रशासन के बारे में।

यद्यपि मैं विशेषज्ञ नहीं हूं, मैं हिन्दी का अच्छा वक्ता नहीं हूं, नहीं अंग्रेजी का अच्छा वक्ता हूं। अंग्रेजी अथवा हिन्दी में सबल भाषण से भारत में गरीब लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं होने वाला है।...**(व्यवधान)** मैंने बहुत कुछ देख लिया है।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति रखिए।

श्री एच.डी. देवेगौड़ा : मैंने जो पहला निर्णय लिया था वह अरक्षण के बारे में था, श्री वाजपेयी ने कहा था...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप इस तरह क्यों प्रतिक्रिया कर रहे हैं?

श्री एच.डी. देवेगौड़ा : आरक्षण के संबंध में श्री वाजपेयी ने पूछा है कि हमने दो माह में क्या किया। मैं माननीय सभा के ध्यान में लाना चाहता हूं कि सत्ता में आने के दो माह पश्चात्, जब बहत्तरवां संशोधन और जिला परिषद और तालुक पंचायतों और नगरपालिकाओं स्थानीय निकायों के संबंध में तिहत्तरवां संशोधन पारित किऐ गये थे, तो मैं यहां था। उक्त संशोधन इसी सदन में पारित किए गये थे। मैं भी तत्कालीन संयुक्त समिति का सदस्य था।

कुछ राज्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण प्रदान करने के लिए सहमत नहीं थे। हमने इसे राज्यों पर छोड़ दिया। बहत्तरवें संविधान संशोधन मं यह राज्यों को दिया गया था। कर्नाटक में पिछड़े वर्गों के लिए पहली बार आरक्षण किया गया था। यह बहस बिहार में स्वर्गीय श्री कर्पूरी ठाकुर के दिनों से चल रही है और श्री देवराज आर्स और कई अन्य लोग आरक्षण के लिए लड़े हैं। क्या मैं आपको एक शब्द बता सकता हूं? हम कुछ अवधि के लिए सत्ता में रहे। मैं 5000 वर्ष पुराने इतिहास में नहीं जाना चाहता। हमें वर्तमान के बारे में सोचना चाहिए।

मैंने एक निर्णय लिया था; कुछ समुदाय हैं, यह वर्ग, पिछड़े वर्ग के आधार पर नहीं है। आजादी के पश्चात् कुछ समुदाय और जातियां यहां तक कि पंचायत चुनने में भी सक्षम नहीं थी। वे नगरपालिका का चुनाव भी नहीं कर सकती थी। वे यहां तक कि एक निगम का भी चुनाव नहीं कर सकती थी। मैंने 27 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने का निर्णय लिया, जैसा कि श्री वी.पी. सिंह ने केन्द्र सरकार की नौकरियों में पिछड़े वर्गों को दिया था। मैंने राजनीतिक आरक्षण के लिए उन समुदायों के लिए वही मानदण्ड लागू किया जो किसी प्रशासन में भाग लेने में सक्षम नहीं थी।

आज कर्नाटक में, सभी संस्थाओं में, चाहे कस्बा पंचायत हो, जिला पंचायत हो, नगर पंचायत हो, निगम हो, इन सभी संस्थाओं में-मेरे मित्र श्री धनजंय कुमार यहां हैं—हमने जाति के आधार पर आरक्षण दिया है। वह धोबी हो, नाई हो, बुनकर हो, खाती हो, कुम्हार हो।

वह मुस्लिम हो सकता है। भारत में पहली बार कर्नाटक में मुसलमानों के लिए राजनीतिक आरक्षण दिया गया है। जब श्री बनातवाला सभा में बोल रहे थे, तो मैं भोजनावकाश पर चला गया था। मैंने वहां उनका भाषण सुना था। भारत में पहली बार, मुस्लिम अल्पसंख्यकों की राजनीतिक आरक्षण प्रदान किया गया है।

इसका श्रेय कर्नाटक सरकार को जाता है। मैं यह इस सभा के ध्यान में लाना चाहता हूं। मैं अगले मुद्दे पर आऊंगा।

एक माननीय सदस्य : आप अपने घोषणा पत्र में महिलाओं के लिए आरक्षण की बात कर रहे हैं।

श्री एच.डी. देवेगौड़ा : मैं इस पर बाद में आऊंगा। एक स्तर पर ही आरक्षण नहीं बल्कि सभापति के रूप में भी इस समुदाय को, चाहे वह धोबी हो, नाई हो अथवा सुनार हो, भारतीय इतिहास में पहली बार मैंने राजनीतिक आरक्षण दिया है। मैं चाहता हूं कि वे प्रत्येक क्षेत्र में भाग लें और वे यह महसूस करें कि यह सरकार उनकी है। मैंने कर्नाटक में यही किया है। यदि आप सभी मेरे साथ सहमत हों, तो मैं यहीं इसी प्रणाली की यहां भी शुरूआत करना चाहता हूं। अन्यथा इस प्रश्न पर आप अनेकों सौ बातें कर सकते हैं।

आप कह सकते हैं कि भगवान सब जगह है। यहां तक कि खम्भों में भी भगवान है। मैंने प्राथमिक विद्यालय में यह पढ़ा है। मेरे पिता इतने शिक्षित पढ़े-लिखे नहीं थे। मैंने हिरण्य कश्यप और प्रहलाद की कहानी के माध्यम से पढ़ा था कि भगवान सभी स्थान पर हैं। यहां तक कि खम्भों में भी हैं। आप धर्मनिरपेक्ष हैं। श्री नरसिंह राव ने कहा है कि आप धर्मनिरपेक्ष हैं। इसी वजह से उन्होंने आप का नाम इस देश के भावी प्रधान मंत्री के रूप में लिया है। अन्यथा उन्होंने आपका नाम नहीं लिया होता। मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से बताऊंगा। मैं जानता हूं कि यह क्या है। महोदय, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं। मैं आपके घर आया। आपने मुझे कई मुद्दों पर परामर्श दिया है। मैं अपने भविष्य में अपने प्रशासन के लिए आपका परामर्श और मार्गदर्शन लेता हूं। आप कुछ धर्मनिरपेक्ष हैं। उस कारण से आप बीस या तीस अधिक स्थान प्राप्त कर सके थे। अन्यथा स्थिति पूर्णतया भिन्न हुई होती। मैं आपको इतना ही बताना चाहता हूं।

आज आपको अवश्य आगे आना चाहिए, अपने उदार दृष्टिकोण के साथ आपको आगे आना चाहिए। ये समुदाय कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। स्वतन्त्रता के पश्चात उन्हें वास्तविक लाभ नहीं मिला है। आजादी किस लिए है? स्वतन्त्रता किस के लिए है? यह सदन किसके लिए और किस उद्देश्य के लिए है? सर्वोच्च न्यायालय और न्यायपालिका किस उद्देश्य और किस के लिए है? बाद में हो सकता है अगले बजट सत्र में, मैं न्यायपालिका सुधारों चुनाव सुधारों, आदि पर चर्चा करूं। लेकिन आज मैं स्वयं को कर्नाटक में हमारे द्वारा उठाये

गये कतिपय प्रगतिशील उपायों तक सीमित रखूंगा। हम माननीय सदस्यों के ध्यान में लाने के लिए इस मुद्दे की जांच कर सकते हैं। ...**(व्यवधान)**

एक माननीय सदस्य : हवाला के बारे में क्या है?

श्री एच.डी. देवेगौड़ा : कृपया मेरी बात सुनिये। मैं हवाला के बारे में जानता हूं। कृपया इसके बारे में परेशान न होइए। केवल कांग्रेस पार्टी ही नहीं बल्कि आप भी हवाला में शामिल हैं। **हवाला** में सभी शामिल हैं। इस हवाला के बारे में तर्क न दीजिए। हवाला मामला किसी एक राजनीतिक दल तक सीमित नहीं है। उस पर तर्क न दीजिए।

आपने अपने घोषणापत्र में महिलाओं के लिए आरक्षण के बारे में कहा है। कर्नाटक में, हमने अध्यापकों के पदों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया है।...**(व्यवधान)** आप ये बातें नहीं सुन सकते।...**(व्यवधान)** मैं यह उल्लेख करना चाहता हूं कि यदि आप सभी सहमत हों, तो मैं उनको यहां भी प्रारम्भ करना चाहता हूं। मैं आपको यही बताना चाहता हूं। कर्नाटक में प्राथमिक विद्यालयों की सभी रिक्तियों में से, 50 प्रतिशत महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं और अन्य सभी पदों में 30 प्रतिशत आरक्षण किया गया है। हमने इन चीजों को कार्यान्वित किया है।

मैंने पूर्व प्रधान मंत्री को भी महिलाओं को विधान सभाओं और लोक सभा में आरक्षण देने के संबंध में लिखा था। यह पत्र मैंने पूर्व प्रधान मंत्री को लिखा था। यदि आप सभी सहमत हों और मुझे सहयोग दें, तो मैं अगले सत्र में ही इन संशोधनों को पुरस्थापित करूंगा।

अब, मैं एक या दो और बातों का उल्लेख करना चाहता हूं। जब मैं सामाजिक न्याय के बारे में उपलब्धियों के बारे में कुछ कहता हूं, तो आप को बुरा लगता है। क्यों लगता है, इसकी मुझे जानकारी नहीं है। क्या आप की गरीबों में रूचि नहीं है? क्या आपकी दलितों में रूचि नहीं है? मुझे उसके बारे में बोलने दीजिये। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आपको इस तबके की कोई चिन्ता नहीं है। लेकिन जब मैं इस संबंध में बोलता हूं कि मैंने डेढ़ वर्ष में क्या किया है तो कृपया मेरी बात सुनिये। इस सम्मानीय सभा में इन सभी बातों का उल्लेख करने का कारण आपका सहयोग प्राप्त करना और यदि संभव हो, तो इसे एक राष्ट्रीय कार्यक्रम बनाना और यह देखना है कि इसे सभी राज्यों में कार्यान्वित किया जाता है/जाये। मैं इसका उल्लेख इस उद्देश्य से कर रहा हूं।

मेरे वरिष्ठ साथी, श्री जार्ज फर्नान्डीज ने—अब चाहे जो भी राजनीतिक मतभेद हो, एक बार मुझे लिखा था...**(व्यवधान)** मैं कर्नाटक की उपलब्धियों के बारे में चर्चा नहीं कर रहा हूं। मैं अब यहां उठाये गये मुद्दों पर आ रहा हूं...**(व्यवधान)**

श्री जार्ज फर्नान्डीज ने 27 और 28 मई को अपने भाषण में सभी दलों के घोषणापत्रों की तुलना की है। उन्होंने इस की आलोचना करने का प्रयास किया कि ये लोग इकट्ठे कैसे हो सकते हैं। कैसे? उनके अनुसार यह विश्व का आठवां या नौवां आश्चर्य है। मैं उनसे एक सीधा प्रश्न करना चाहता हूं। जब श्री मोरारजी की सरकार गिरी थी—मैं उस समय श्री जार्ज फर्नान्डीज की भूमिका की आलोचना नहीं कर रहा हूं—उस समय हमारे वरिष्ठ नेता श्री वाजपेयी सरकार में थे। वे उस सरकार में थे...**(व्यवधान)** आप भी उस सरकार में थे। श्री चन्द्र शेखर पार्टी के अध्यक्ष थे। मैं भी राज्य इकाई में एक कार्य समिति का सदस्य था। श्री वाजपेयी और श्री मोरारजी देसाई दोनों ने मुझसे सम्पर्क किया था और उस सरकार के लिए श्री देवराज आर्स के समर्थन का अनुरोध किया था। श्री देवराज अर्स को एक भ्रष्ट राजनैतिक बताया गया था और देवराज अर्स भारत सरकार द्वारा नियुक्त एक जांच आयोग द्वारा दोषी करार दिया गया था। महोदय, मैं यह पूरी ईमानदारी से कह रहा हूं। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। क्या यह सही नहीं है? क्या यह सही नहीं है यही जो कुछ मैं पूछने जा रहा हूं।

इस देश में राजनीतिक सुविधा के लिए सभी राजनैतिक दलों ने देवेगौड़ा सहित, अस्थाई लाभ के लिए अपनी भूमिका निभाई है। हां, एक दूसरे के विरूद्ध आरोप लगाने की अपेक्षा हमें अपने अन्दर झांक कर देखना चाहिए। कम से कम, हमें एक नया अध्याय प्रारम्भ करना चाहिए। यदि आपकी इस संस्था के साथ, भारतीय प्रजातन्त्र के साथ जुड़ी गरिमा, श्रेष्ठता और पवित्रता को पुनः बहाल करने में रूचि है, तो हमें एक नया अध्याय प्रारम्भ करना चाहिए।

मैं श्री वाजपेयी के एक शब्द को उद्धृत करूंगा। मैं अन्य को नहीं ले रहा हूं। कई अन्य मुद्दे हैं। मैं भ्रष्टाचार के बारे में अथवा मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री के भ्रष्टाचार आदि के बारे में उल्लेख नहीं कर रहा हूं। मैंने यहां सभी बातें पाई हैं। वह एक भिन्न विषय है। बहुजन समाज पार्टी को भा.ज.पा. का समर्थन एक चाल है। संयुक्त मोर्चा को कांग्रेस पार्टी का समर्थन अवसरवादी है। देवेगौड़ा की पार्टी में मुश्किल से 45 सदस्य हैं। 136 सदस्यों वाली कांग्रेस देवेगौड़ा को समर्थन दे रही है। आपके आरोप के अनुसार ऐसा केवल उनके पापों को छुपाने के लिए है। मायावती के पास उत्तर प्रदेश विधान सभा में कितने विधायक थे? महोदय, मैं आपको यह बताऊंगा कि आपके कल एक बात कही थी।...**(व्यवधान)**

श्री कांशीराम (होशियारपुर) : इस सभा में आपके 44 संसद सदस्यों की तुलना में मायावती के पास 69 विधायक थे।...**(व्यवधान)**

श्री एच.डी. देवेगौड़ा : कांशीराम साहब, आपके पास एक महान क्रांतिकारी है। मैं बहुत सम्मान करता हूं। मैं केवल उनकी नीति का विरोध कर रहा हूं।...**(व्यवधान)**

श्री प्रमोद महाजन : वह उस व्यक्ति पर आक्रमण कर रहे हैं जिसका वह सर्वाधिक सम्मान करते हैं...**(व्यवधान)**

श्री एच.डी. देवेगौड़ा : जनादेश क्या था? क्या जनादेश बहुजन समाज पार्टी का समर्थन करने के लिए था? महोदय, मुझे बताइए। आप सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं, आप मुझे परामर्श दे सकते हैं, आप मेरा मार्ग दर्शन कर सकते हैं। परसों, जब आप निधन संबंधी उल्लेख में भाग ले रहे थे, तो आपने एक बात कहीं थी—यह अब भी मुझे याद है—कि संजीव रेड्डी जी को राष्ट्रपति नहीं बनाया गया और दस वर्ष पश्चात उन्हें बनाया गया। हमें इस बात की जानकारी नहीं है कि कल

क्या होगा। लेकिन आप जैसे व्यक्ति को ढूंढ़नी दूसरों में कमी नहीं जबकि आपकी पार्टी ने इतनी गलतियां की हैं। मैं केवल यहीं कहना चाहता हूं...**(व्यवधान)** प्रत्येक राजनीतिक दल की अपनी आन्तरिक समस्याएं हैं। आप उसकी चिंता क्यों करते हैं?...**(व्यवधान)** जब दिल्ली भा.ज.पा. के टिकटें बांटी जा रही थी, तो क्या हुआ था? ...**(व्यवधान)** वह अलग बात है...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

जब दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की टिकटें बांटी गई, तो यह कहा गया था,

[हिन्दी]

सूटकेस नहीं चलते, नहीं चलते।

[अनुवाद]

मैं हिन्दी नहीं जानता। मैं हिन्दी में बोल नहीं सकता। ...**(व्यवधान)** प्रत्येक राजनीतिक पार्टी में ऐसे मुद्दे उठते हैं। यह किसी विशेष राजनीतिक दल तक ही सीमित नहीं है। आज की राजनीति में, प्रत्येक राजनीतिक दल की आंतरिक समस्याएं हैं और हमें इसका फायदा उठाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। यही मेरी अपील है। मैं इस मुद्दे पर और अधिक टिप्पणी नहीं करना चाहता।

मैं केवल दो-एक बातें और कहूंगा...**(व्यवधान)** हमारे पूर्व मुख्य मंत्री और पूर्व राज्यपाल श्री बरनाला जी ने कहा कि यूरिया की कमी है। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि वे इस बारे में चिंता न करें, यूरिया की पर्याप्त मात्रा है। किसान का बेटा होने के नाते, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि इस देश के सभी किसानों को पर्याप्त मात्रा में यूरिया मिले। मैं इसका ध्यान रखूंगा।...**(व्यवधान)**

हमारे पूर्व प्रधान मंत्री और विपक्ष के नेता ने विदेश नीति के बारे में चिंता व्यक्त की है। हमने यह स्पष्ट किया है कि हमारी विदेश नीति व्यापक सहमति से बनी है। जो उन पारंपरिक मूल्यों और अनुभवों पर आधारित हैं, जो हमने आजादी की लड़ाई के दौरान स्वतंत्रता-प्राप्ती के उपरांत प्राप्त किये हैं। हमारी विदेश नीति का मुख्य सिद्धांत गुट-निरपेक्षता का है। संयुक्त मोर्चा की सरकार सर्वसम्मति का दृढ़ता से पालन करेगी। हमने यह स्पष्ट कर दिया है और जहां तक अन्य मुद्दे, जिन्हें आपने उठाया है, का सवाल है; मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि जेनेवा सम्मेलन की अंतिम तिथि 28 है। इस संबंध में मैं वरिष्ठ नेताओं से परामर्श करूंगा। मैं अभी कोई घोषणा नहीं करने जा रहा हूं। यह इस सभा में घोषित करने वाली चीज नहीं है। जब मैं आपके घर पर आप से मिलने गया था तब आपने कुछ सुझाव दिए थे। मैं वरिष्ठ नेताओं से इस बारे में परामर्श करूंगा। यह अति गंभीर और महत्वपूर्ण मामला है। मैं इस संबंध में कोई अंतिम निर्णय लेने से पहले विपक्ष के सभी नेताओं से परामर्श करूंगा। मुझे इसके दोनों पहलू देखने होंगे कि इसके क्या फायदे होंगे और क्या नुकसान होंगे। दोनों ओर के वरिष्ठ नेताओं के विचार जानने के उपरांत ही मैं कोई अंतिम निर्णय लूंगा। एक प्रधान मंत्री के नाते मुझे ही अंतिम निर्णय लेना है। मेरा सर्व प्रथम कार्य राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना होगा, अन्य मुद्दे मेरे लिए गौण हैं। राष्ट्र-हित और राष्ट्रीय सुरक्षा पर समझौता किए बिना, अगर आपके वरिष्ठ नेताओं की सलाह से जो कुछ भी संभव होगा इस मामले में शीघ्र ही निर्णय लूंगा...**(व्यवधान)** श्री जॉर्ज फर्नान्डीज ने उर्वरक के मुद्दे पर लगभग 15 प्रश्न दिए हैं। उन्होंने मुझे एक पत्र लिखकर उन सभी 15 प्रश्नों के जवाब देने के लिए कहा है।...**(व्यवधान)** क्या मैं 15 प्रश्नों को पढ़कर उनका जवाब दूं?...**(व्यवधान)** उन्होंने 15 प्रश्न तैयार किए हैं।

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता-दक्षिण) : वह प्रतिदिन 100 प्रश्न तैयार करेंगे।

श्री एच.डी. देवेगौड़ा : मेरे विचार में उन दिनों एक वरिष्ठ न्यायविद प्रतिदिन 10 प्रश्न तैयार करता था। मैं इस बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहता क्योंकि, वे पूर्व विधि मंत्री हैं। श्री राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान वे प्रतिदिन 10 प्रश्न पूछते थे। अगर आप प्रतिदिन 100 प्रश्न भी रखें, तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है।...**(व्यवधान)** मैंने उन्हें भी गंभीरतापूर्वक लिया है।

महोदय, मैं नम्रतापूर्वक यह स्पष्ट करना चाहूंगा-चाहे आप इसे पंसद करें या न करें-कि मैं भगवान में पूर्ण आस्था रखने वाला व्यक्ति हूं और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं मैं मामलों का घालमेल नहीं होने दूंगा। मैं ईश्वर में पूर्ण आस्था रखने वाला हूं और इसीलिए मैंने कहा कि मुझे भाग्य ही यहां लाया है। मुझे यह आशा कभी न थी कि मैं देश का प्रधान मंत्री बनूंगा और यह मेरी महत्वाकाक्षां भी नहीं थी। मेरे लिए इसमें उत्तेजित होने की कोई बात नहीं है। मुझे यह जिम्मेदारी संभालने में थोड़ी हिचकिचाहट हो रही थी।

नम्रतापूर्वक मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि कोई भी कांग्रेसी नेता-चाहे आप विश्वास करें या न करें-ने अभी तक इस विशेष मसले पर मेरे साथ कभी कोई चर्चा नहीं की। मैं राष्ट्र के सम्मुख यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस संबंध में कोई मेरे पास नहीं आया। मैं कसम उठाकर कह सकता हूं कि इस मामले में अभी तक किसी ने हस्तक्षेप नहीं किया और मैंने केन्द्रीय जांच ब्यूरो से इस मामले में कुछ छिपाने के लिए नहीं कहा है। मैं इस सभा में अभी तक जो कुछ हुआ है, उसके बारे में सूचित करने आया हूं। मैं सभा को अभी यही जानकारी दे सकता हूं। उसके अतिरिक्त मैं कुछ और नहीं बता सकता क्योंकि जांच के विभिन्न चरण होते हैं।

इस संबंध में जांच पूरी नहीं है तथा हमें इस धन एवं इसके अन्तिम छोर का पता लगाने के लिए अपने लोगों को भेजना है। थोड़े ही समय में ही अर्थात, दो या तीन दिन के भीतर हम इस बारे में फैसला कर लेंगे। हमारे भूतपूर्व प्रधान मंत्री एवं विपक्ष के नेता ने इस फाईल को देखा था तथा इस पर हस्ताक्षर किये थे।...**(व्यवधान)** 1987 में मेरे विरूद्ध भी दस्तावेजों की अनेक फोटोकापियां ली गई थीं। चन्द्र शेखर जी यहां बैठे हुए हैं। मेरा भाग्य मुझे यहां खींचकर लाया

है। मैं क्या कर सकता हूं?...**(व्यवधान)** लेकिन उन्होंने बाहर से प्रयत्न किया है। यह एक अलग बात है। इसके विषय में चिन्ता मत कीजिये।

मुझे विभाग से वास्तव में जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है, मैं उसे पढ़कर सुनाऊंगा :

> "नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड (एन.एफ.एल.) ने मैसर्स करसन लिमिटेड, अंकारा के साथ लागत एवं मालभाड़े के आधार पर 190 अमेरिकी डालर प्रति मीट्रिक टनकी दर से 2 लाख मीट्रिक टन बोरे बंद यूरिया की आपूर्ति के लिए एक दीर्घावधि करार किया था। कुल 380 लाख अमेरिकी डालर मूल्य के इस करार पर 9.11.95 को हस्ताक्षर किये गये थे। नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के प्रबंध निदेशक श्री सी.के. रामाकृष्णन (24.5.96 से निलम्बित) ने अपनी प्रत्यायोजित शक्तियों का अतिक्रमण कर अपने स्तर पर इस सौदे पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी थी।
>
> इस करार की शर्तों में कहा गया कि विक्रेता को शतप्रतिशत अग्रिम भुगतान किया जाएगा और उसे भुगतान के पांच महीनों की अवधि के भीतर यूरिया की आपूर्ति करनी थी। मैसर्स करसन लिमिटेड के अनुरोध पर एन.एफ.एल. ने 5.12.95 को 370.62 लाख अमेरिकी डालर की रकम उनके जिनेवा स्विटजरलैंड स्थित पिक्टेट बैंक में उनके खाते में जमा करवा दी थी। इस करार मूल्य के एक प्रतिशत के बराबर अर्थात् 0.38 मिलियन डालर की राशि 2.11.95 को जारी की गई थी, ताकि विक्रेता लायड्स बीमा पॉलिसी प्राप्त कर सके, जो कि इस करार के निष्पादित न किये जाने एवं इसके साथ ही यूरिया की डिलिवरी न दिये जाने की स्थिति में जोखिम की क्षतिपूर्ति करने के प्रयोजन से रखी गई थी।
>
> जनवरी, 1996 में एन.एफ.एल. ने भारत सरकार से माह फरवरी-अप्रैल, 1996 के बीच आपूर्ति की जाने वाली 2 लाख मीट्रिक टन यूरिया के आयात के लिए मंजूरी मांगी। यह मंजूरी 29.1.96 को प्रदान कर दी गई थी। 13.2.1996 को इस सौदे की मध्यस्थ एजेंसियों के कार्य-निष्पादन की समीक्षा के दौरान, एन.एफ.एल. उक्त करार के संबंध में पक्के शिपिंग ब्यौरे नहीं दे पाई थी। इसके पश्चात इस मामले को एन.एफ.एल. के तत्कालीन प्रबंध निदेशक के साथ बार-बार उठाया गया तथा उन्हें 16.2.96 एवं 23.2.96 को शिपिंग के अनुसूचित-कार्यक्रम के ब्यौरे प्रदान करने तथा निर्धारित दिशानिर्देशों एवं प्रक्रिया के विरुद्ध धनराशि का अग्रिम रूप में भुगतान किये जाने की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु किये गये सुरक्षा-उपायों का उल्लेख करने के लिए भी कहा गया था। प्रबंध निदेशक, एन.एफ.एल. ने 6.3.96 को इसका सिर्फ इतना ही अंतरिम उत्तर दिया था कि वह स्थिति का आंकलन कर रहे हैं तथा पन्द्रह दिन के भीतर इसका जवाब दे देंगे। 20.3.96 को प्रबंध निदेशक को पुनः स्मरण कराया गया, लेकिन उत्तर प्राप्त हो पाने से पहले ही, इस सौदे के बारे में 23.3.96 को फाईनेंशियल एक्सप्रेस समाचार-पत्र में समाचार प्रकाशित हो गया था, जिस पर इसके बाद समाचार-पत्रों में अनेक लेख प्रकाशित हुए। तत्कालीन रसायन और उर्वरक मंत्री की मंजूरी से संबंधित पार्टी की विश्वसनीयता एवं इसके साथ ही इस कार्य के निष्पादन के प्रति उसके रूझान का मौके पर जाकर आंकलन करने के लिए एन.एफ.एल. एवं विभाग के अधिकारियों के दल अंकारा, टर्की भेजने का निर्णय लिया गया था। तद्नुसार, दो दल रवाना किये गये थे, पहला दल जिसमें एन.एफ.एल. के नये कार्यकारी निदेशक (विपणन) तथा अतिरिक्त मुख्य सर्तकता अधिकारी, एन.एफ.एल. शामिल थे—3.4.96 को भेजा गया था। इस दल में बाद में संयुक्त आयुक्त (उर्वरक आपूर्ति एवं वितरण) भी शामिल हो गये थे। दूसरा दल—जिसमें एन.एफ.एल. के प्रबंध निदेशक तथा विभाग के निदेशक (सर्तकता) शामिल थे-17.4.96 को वहां पहुंच गया था। वे 23.4.96 को मैसर्स करसन लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के साथ आपस में बातचीत कर पाये। इन दलों को सहायता प्रदान करने के लिए भारतीय दूतावास का भी दल की सहायता हेतु सहयोग लिया गया था। निदेशक (सर्तकता) के इस आंकलन के आधार पर कि यूरिया की आपूर्ति नहीं की जायेगी, इस मामले को केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपे जाने के लिए रसायन और उर्वरक मंत्री की मंजूरी प्राप्त की गई। 25.4.96 को केन्द्रीय जांच ब्यूरो को दिये गये हवाले में यह कहा गया था कि इस मामले में सरकारी अधिकारियों की ओर से कोई आपराधिक षडयंत्र एवं दुराचार हुआ प्रतीत होता है।"

इसके बीच की अवधि में,

अपराह्न 6.00 बजे

एन.एफ.एल. बोर्ड ने 27.3.96 को एक आपातकालीन बैठक बुलाई तथा यह पाये जाने के बाद कि यह सौदा संबंधित पार्टी की विश्वसनीयता का समुचित सत्यापन किये और अनावश्यक जल्दबाजी में किया गया है, खुफिया जांच करवाये जाने के आदेश दिये थे। एन.एफ.एल. के कार्यकारी निदेशक (सतर्कता) ने इस मामले की जांच कर 11.4.96 को अपनी रिपोर्ट दी। इस रिपोर्ट में यह पुष्टि की गई थी कि समूचा सौदा गलत अवधारणा से किया गया था तथा उन्होंने

यह सलाह दी कि यदि यूरिया की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति के लिए 4.5.96 से पूर्व जहाज नहीं भेजे जाते, तो यह सारा मामला केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दिया जाये।

एन.एफ.एल. के तत्कालीन प्रबंध निदेशक मई, 1996 के पहले सप्ताह तक यही आश्वासन देते रहे कि इस माल की सुपुर्दगी कर दी जायेगी।

वास्तव में, विक्रेता से प्राप्त आश्वासनों एवं संदेशों के आधार पर, उन्होंने 29.4.96 को ग्रह सूचित किया कि तीन जहाज-जिनमें मे कि प्रत्येक जहाज में 25,000 टन यूरियां लदा हुआ है-मई, 1996 में यहां पहुंच जायेंगे। तथापि, मई के महीने में ऐसा कोई जहाज नहीं आया। इससे उक्त पार्टी नियत में बेईमानी के बारे में कोई संदेह नहीं रहा। 15.5.96 को इस मामले से संबंधित एक और महत्वपूर्ण बात सामने यह आइ कि लायड्स बीमा पोलिसी केवल एक समुद्री जहाजी बीमा है तथा इसमें विक्रेता द्वारा करार के निष्पादित न किये जाने का जोखिम शामिल नहीं है। इससे इस सौदे की जालसाजी की नियत साबित हो गई। 19.5.96 को एन.एफ.एल. के कार्यकारी निदेशक (सर्तकता) द्वारा केन्द्रीय जांच ब्यूरो के पास तुर्की के दो नागरिकों **टनके अलंकुस** एवं **निहान करंची** जो कि मैसर्ज करसन लिमिटेड के क्रमशः मुख्य कार्यकारी एवं उपाध्यक्ष हैं-एवं उनके भारतीय एजेंटों श्री एम. संमाशिव शिव राव, श्री डी.एस. कंवर, भूतपूर्व कार्यकारी निदेशक (विपणन), एन.एफ.एल. के विरूद्ध एक आपराधिक शिकायत दर्ज करवाई गई।

मंत्रिमंडलीय सचिव और मुख्य सतर्कता आयुक्त से परामर्श के बाद 24.5.96 को तत्कालीन प्रधान मंत्री जिनके पास उर्वरक विभाग का कार्यभार भी था, की स्वीकृति से यह निर्णय लिया गया था कि श्री सी.के. रामाकृष्णन को निलंबित कर दिया जाए और एन.एफ.एल. के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन के अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक श्री ए.वी. सिंह को सौंप दिया जाए।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने 27.5.96 को श्री सी.के. रामाकृष्णन् के विरूद्ध एक नियमित मामला दर्ज करने के लिए सहमति मांगी क्योंकि वे एक बोर्ड स्तर के अधिकारी थे। आवश्यक सहमति 28.5.96 को प्रदान की गई। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने भूतपूर्व कार्यकारी निदेशक (विपणन) श्री सी.के. रामाकृष्णन् और श्री डी.एस. कंवर को 1.6.96 को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद श्री एम. साम्भाशिव राव को गिरफ्तार किया गया था।

अग्रिम अदायगी की राशि की वसूली के लिए एन.एफ.एल. मैसर्स कारसन लिमिटेड के विरूद्ध अन्तर्राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ कामर्स में मध्यस्थ निर्णय का मामला दायर कर रही है। उन्होंने केन्द्रीय जांच ब्यूरो के माध्यम से इन्टरपोल को भी सावधान कर दिया है कि वे मैसर्स कारसन लिमिटेड के उपर्युक्त संचालकों पर निगाह रखें।

महोदय, यही रिपोर्ट मुझे मिली थी।

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : महोदय, अब छः बजे हैं। समय बढ़ाना है।

अध्यक्ष महोदय : आप बिल्कुल सही हैं। चूंकि छः बजे हैं, इसलिए सदन की स्वीकृति से हम विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा जारी रखेंगे जब तक कि चर्चा समाप्त नहीं होती।

अनेक माननीय सदस्य : जी, हां।

श्री एच.डी. देवेगौड़ा : केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा अभी भी जांच की जा रही है और जांच पूरी हो जाने के पश्चात मैं सारी आवश्यक सामग्री सदन के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। जैसा कि जांच अभी चल रही है इसलिए मैं इसके अतिरिक्त और सूचना सदन को नहीं दे सकता हूं। श्री जार्ज फर्नान्डीज ने जो प्रश्न उठाये हैं, उनके संबंध में मेरे पास जवाब तैयार है। तथ्यों को छिपाने की कोई आवश्यकता नहीं है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक ने पूरा कार्यभार संभाला हुआ है जो कि पूरे जांच कार्य की निगरानी कर रहे हैं। अनेक लोगों को बुलाया गया है और जांच चल रही है। इसलिए, इस स्तर पर मैं कोई और सूचना नहीं दे सकता जब तक कि जांच पूरी नहीं हो जाती।

कल, कश्मीर के डोडा जिले में हुई हत्याओं के बारे में उल्लेख किया गया था। यह सभी जानते हैं, सभी वरिष्ठ नेता भी जानते हैं। वास्तव में, भा.ज.पा. के घोषणा-पत्र में भी यह कहा गया है कि इसे अशान्त क्षेत्र घोषित कर देना चाहिए।

मैं अब कोई कड़ा कदम नहीं उठाना चाहता क्योंकि हम निकट भविष्य में चुनाव करवाने जा रहे हैं। इसे विपदा ग्रस्त क्षेत्र घोषित करने जैसा कड़ा कदम उठाने की आवश्यकता नहीं है। मैं इस सभा को आश्वस्त करना चाहूंगा कि जितनी जल्दी हो सके वहां विधान सभा के चुनाव करवाए जायेंगे और फिर निर्वाचित सरकार इस क्षेत्र को ध्यान रखेगी।

जहां तक ऐसे जघन्य अपराधों को रोकने का संबंध है भारत सरकार इन अपराधों को कड़ाई से रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी।

मैं आपका अधिक समय नहीं लेना चाहता। इन शब्दों के साथ मैं बहुत विनम्रता से इस सभा के सभी सदस्यों से अनुरोध करना चाहूंगा कि वे विश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोट देकर हमें अपना समर्थन दें।

धन्यवाद, महोदय।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री एच.डी. देवेगौड़ा द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव सभा में मतदान के लिए प्रस्तुत करूंगा।

प्रश्न यह है :

> "कि यह सभा मंत्रि परिषद में अपना विश्वास व्यक्त करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[अनुवाद]

अपराह्न 6.07 बजे

विदाई उल्लेख

अध्यक्ष महोदय : मैं इस जीवन्त सत्र के लिए सदन के नेता, विपक्ष के नेता, सभी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं और माननीय सदस्यों का उनके सहयोग के लिए, जो कभी-कभी बड़ी अनिच्छा से मिला है, धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं इसके लिए आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं ताकि संसद की कार्यवाही में यह शामिल किया जा सके।

लोक सभा की तरफ से मैं सूचना और प्रसारण मंत्रालय, दूरदर्शन और आकाशवाणी का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने सदन की समूची कार्यवाही का आंखों देखा हाल लाखों लोगों तक पहुंचाया है। आप लोगों की तरफ से मैं उन सबका धन्यवाद करता हूं।

प्रधान मंत्री (श्री एच.डी. देवेगौड़ा) : इससे पहले कि माननीय अध्यक्ष जी सदन को स्थगित करें मैं समूचे सदन का धन्यवाद करता हूं जिसने सर्वसम्मति से इस विश्वास प्रस्ताव को पारित किया है।... **(व्यवधान)**

महोदय, हमारे वरिष्ठ नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि मत विभाजन की कोई आवश्यकता नहीं है और हम मत विभाजन नहीं चाहते हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ है। मैं एक अथवा दो घोषणाएं करना चाहता हूं।

जहां तक विकास संबंधी कार्यों का संबंध है इसके साथ राजनीति को मिलाने का कोई प्रश्न नहीं है।

मैं सभा को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि मैं इस सदन के किसी भी सदस्य के लिए रात को 9.00 या 9.30 से पहले और सुबह 8.00 बजे उपलब्ध होऊंगा। मैं जब भी मुख्यालय में होऊंगा सदस्य मुझसे बिना झिझक के मिल सकते हैं मैं इस बात को बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहूंगा।

जहां तक विकास संबंधी कार्यों का संबंध है इसके साथ राजनीति को मिलाने का कोई प्रश्न नहीं है। मैं इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूं।

जहां तक अन्य मामलों का संबंध है मैं प्रतिदिन प्रातः 9 से 10 बजे तक जनता दर्शन करूंगा। विशेष सुरक्षा कर्मचारी इस बात की अनुमति दें अथवा नहीं, मुझे इस बात की चिन्ता नहीं है। मैं एक आम मध्यमवर्गीय परिवार से आता हूं। मैं जनता के लाभ के लिए प्रतिदिन जनता दर्शन करूंगा...**(व्यवधान)**

मैं इन बातों का उल्लेख केवल इसलिए कर रहा हूं ताकि जो कोई भी मुझसे मिलना चाहे, वह मुझसे मिल सके। मैं सभी संसद सदस्यों के लिए, चाहे वे किसी भी पार्टी के हों, 9 से 10 बजे के बीच उपलब्ध होऊंगा। मैं यह आश्वासन देता हूं।

मैं विकास संबंधी कार्यों को राजनीति नहीं मिला रहा हूं।

मैं एक बार फिर माननीय सदस्यों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने हमें अपना सहयोग दिया है।

[अनुवाद]

अपराह्न 6.10 बजे

राष्ट्रीय गीत

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, एक महत्वपूर्ण कार्य अभी और है। अब माननीय सदस्य **बन्दे मातरम्** के लिए खड़े होंगे।

राष्ट्रीय गीत की धुन बजाई गई।

अध्यक्ष महोदय : लोक सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 6.11 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई।

© 1996 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (आठवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और डाटा प्वांईट, 615, सुनेजा टावर–II, डिस्ट्रिक्ट सैन्टर, जनक पुरी, नई दिल्ली–58 (फोन–5505110) द्वारा मुद्रित।